खण्ड-372, अंक-3
शुक्रवार, 25 श्रावण, शक संवत् 1907
(16 अगस्त, 1985 ई0)

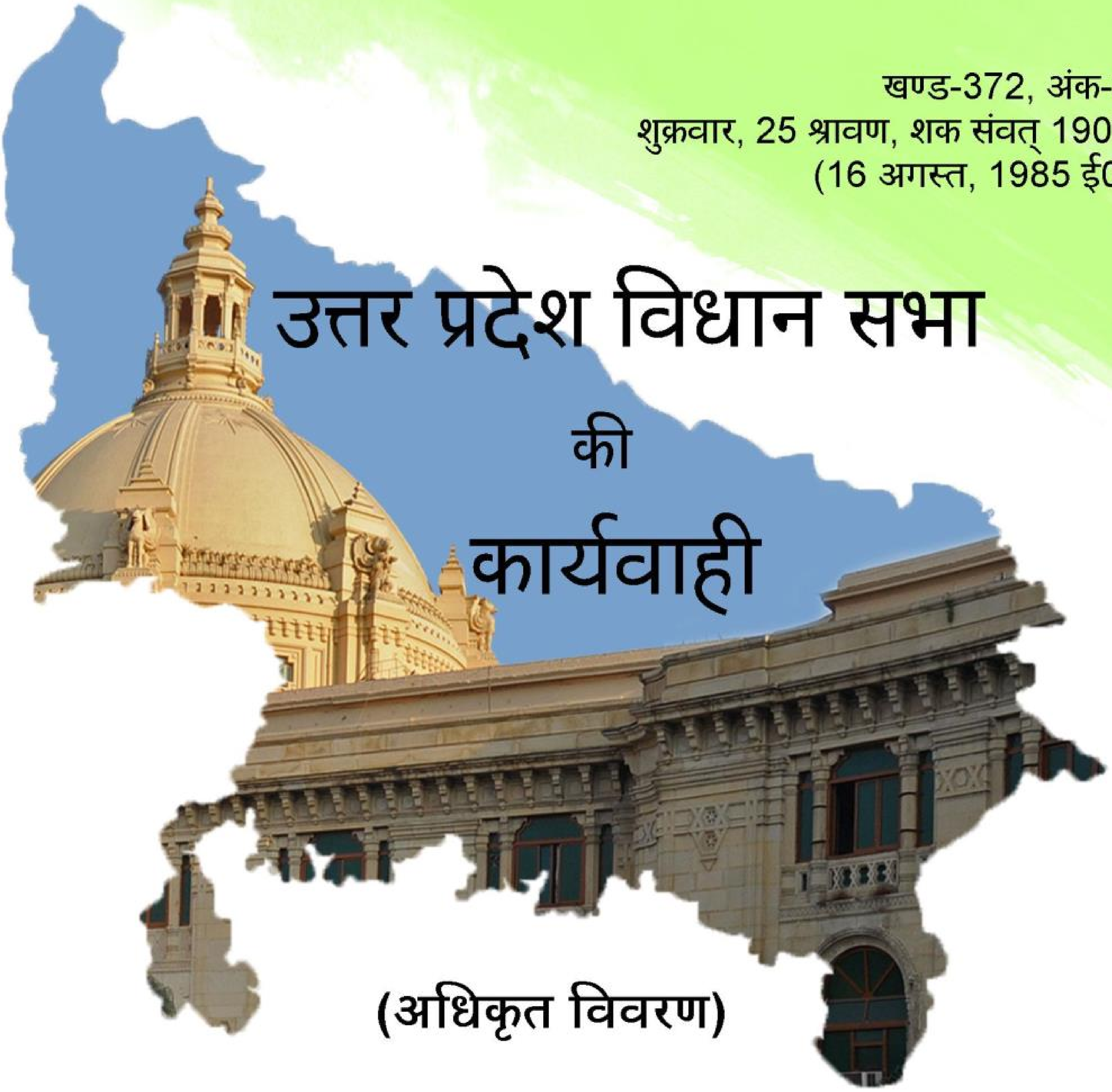

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–53
जनपद बलिया की तहसील बलिया में गंगा नदी की कटान से कतिपय गांवों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53
जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम दाऊदपुर में हरिजनों की आवास हेतु आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद बलिया में कालरा (हैजा) का भीषण प्रकोप होने, दवाओं का अभाव तथा चिकित्सालयों में डाक्टरों के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
मौरावां, उन्नाव की मुख्य सड़क पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
थाना ठठिया तिर्वा, इन्दरगढ़ क्षेत्र उमंदा, फर्रुखाबाद में असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट तथा हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
आगरा नगर में पुलिस सब इंस्पेक्टर पी0 बी0 शर्मा द्वारा किराए के मकान पर जबरन कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
बंकी, जनपद बाराबंकी में रेठ नदी के चिलहटा घाट पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद सीतापुर में हरे रंग के कीड़ों द्वारा फसलों को बर्बाद किए जाने से किसानों में घोर असन्तोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
सत्र के दौरान आबकारी की कर वृद्धि हेतु धन विधेयक लाने से पहले दिनांक 22 जुलाई, 1985 को आबकारी विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न जारी	57–59
ऊर्जा मन्त्री द्वारा इलाहाबाद की जन सभा में जमुना पार क्षेत्र में भारी उद्योग लगाए जाने की घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	60
प्रक्रिया सम्बन्धी सप्तम संस्करण के करण संख्या–26 के अन्तर्गत सत्रावसान के पश्चात् अनुत्तरित प्रश्नों का शासन द्वारा उत्तर न देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	60–63
स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर हरिद्वार में झण्डा रोहण दिन के 12 बजे तथा उसके बाद किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	63
सत्र के दौरान आबकारी की कर वृद्धि हेतु धन विधेयक लाने से पहले दिनांक 22 जुलाई, 1985 को आबकारी विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	64
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवती प्रसाद वर्मा के निधन की सूचना जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा न भेजे जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	64–66

सैनिक कल्याण परिषद् का पुनर्गठन किए जाने की मांग .. 66
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) 66
श्री शंकर दत्त शुक्ला, थानाध्यक्ष, गौरी बाजार, देवरिया द्वारा श्री रणजीत विधायक के प्रति किए गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना 67–73
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 73–88
1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान .. 88
अनुदान संख्या 9 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) 88–147
अनुदान संख्या 53–विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) .. 147
अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) .. 147
अनुदान संख्या 59—संसदीय कार्य विभाग विधान मण्डल (स्वीकृत) .. 148
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 148
इन्द्रा नगर, लखनऊ में उप डाकपाल श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी की हत्या एवं लूट के सम्बन्ध में वक्तव्य 148–150
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुर काजी के अन्तर्गत ग्राम अब्दुलपुर के श्री सुखवीर सिंह की पुत्री कुमारी ओमवती के साथ कथित बलात्कार और हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 150–153
नस्थियां .. . 154–158

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:

अजीजुर्रभान, श्री — बिजनौर
अमरनाथ सिंह, श्री — फतेहपुर
अरविन्द तिवारी, श्री — जालौन
अशरफ इमाम, श्रीमती — मिर्जापुर
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री — बुलन्दशहर
ओमवती, श्रीमती — बिजनौर
औसान सिंह, श्री — इटावा
कमलेश कुमार पाठक, श्री — इटावा
कल्यान सिंह, श्री — अलीगढ़
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री — सीतापुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
जफर अली नकवी, श्री — लखनऊ
जय नरायण शर्मा, श्री — मेरठ
जागन सिंह, श्री — रामपुर
तिलक सिंह, श्री — अलीगढ़
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
देव कुमार यादव, श्री — बांदा
देवेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर — सहारनपुर
नरेश पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
नारायण हरि शर्मा, श्री — अलीगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
पशुपतिनाथ मेहरोत्रा, श्री — कानपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती — बदायूं
बलदेव सिंह, कैप्टन — अलीगढ़
बसंत सिंह गहलौल, श्री — बिजनौर
बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री — बुलन्दशहर
भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री — गोण्डा
महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री — एटा
मुस्तमन्द अली खां, श्री — मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री — सहारनपुर
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री — वाराणसी
योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रजनीकान्त, श्री — वाराणसी
रमाकान्त मिश्र, श्री — इलाहाबाद
राज बहादुर, श्री — जौनपुर
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — बुलन्दशहर
रामनरेश, श्री — मैनपुरी
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
रीना कुमारी, श्रीमती — मुरादाबाद
लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, — गोरखपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — गोरखपुर

श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली		

नोट:—श्री सिब्ते रजी—शिक्षा मंत्री।

"प्रश्नोत्तर"

शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि किये जाने का कथित प्रस्ताव

**1—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश ने विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव अभी हाल में शासन को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का कारण क्या है और विद्युत उत्पादन की लागत की वर्तमान दर क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

जी नहीं ।

राज्य विद्युत परिषद् ने विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव अभी हाल में शासन को नहीं प्रस्तुत किया है ।

विद्युत उत्पादन की वर्तमान अनुमानित लागत बस बार पर निम्न प्रकार है:—

तापीय श्रोत	61.76 पैसे प्रति यूनिट
जल विद्युत श्रोत	19.60 पैसे प्रति यूनिट

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखकर कि ग्रामीण अंचलों में बिजली नहीं पहुंचती है लेकिन नलकूपों पर से किसान से फ्लैट रेट चार्ज किया जाता है, क्या वह इस फ्लैट रेट को समाप्त करके नलकूपों पर मीटर रेट की व्यवस्था करेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, किसानों से हम जो फ्लैट रेट चार्ज करते हैं, वह इस समय साढ़े बाइस रुपए प्रति हार्स पावर है, यदि हम उनको दो घण्टे अधिक विद्युत आपूर्ति करते हैं, तो वह उस फ्लैट रेट के बराबर हो जाता है । हमारा प्रयास रहता है कि हम 7 से 10 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति करें, जैसे कि आज कल हम 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं । अगर हम मीटर रेट लागू कर देंगे तो किसानों को बिजली का अधिक भुगतान करना पड़ेगा जो कि उनके हित में नहीं होगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की कोई टैरिफ वैल्युएशन कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि विद्युत दर में कुछ वृद्धि की जाय, यदि हां, तो उसकी आख्या कब तक प्राप्त हो जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, टैरिफ रेशनलाइजेशन कमेटी ने अपना कार्य 1 जुलाई से प्रारम्भ किया है और 3 महीने में उसकी रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद् को प्रेषित होगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि टैरिफ रिवीजन की कोई बात विचाराधीन नहीं है। यह भी कह रहे हैं कि टैरिफ रिवीजन की एक कमेटी बनी है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। यदि उसकी रिपोर्ट

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री कौशिक रमाशंकर की रुचि पर लिया गया ।

में विद्युत दर में वृद्धि का आता है तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि विद्युत दर में वृद्धि नहीं की जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस समय वह कमेटी विचार कर रही है। वह क्या निर्णय लेती है, उस निर्णय से वह राज्य विद्युत परिषद् को अवगत करायेगी, उसके बाद वह शासन को आयेगी तब शासन उस पर विचार करेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि जहां ट्रान्सफारमर खराब हो गये हैं या कहीं कोई कमी आ गई है और किसान सिंचाई से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं और जिन जगहों पर कुछ ट्यूबवेल्स काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों की वजह से गरीबों को पानी नहीं मिल पाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन गरीबों को भी पानी मिले जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और जो प्रभावशाली लोग दबाव आपरेटरों व अन्य कर्मचारियों पर डालते हैं, उसको खत्म करने पर विचार करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य राजकीय नलकूपों के संबंध में जिक्र कर रहे हैं। वैसे तो यह कार्य सिंचाई विभाग करता है। फिर भी इस बात को देख लिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उनको इनरजाइज तो इनका ही विभाग करता है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पिछले वर्षों में अनेकों बार विद्युत की दरों में बेतहाशा वृद्धि की जा चुकी है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले बढ़े दामों को देखते हुए आगामी एक वर्ष में विद्युत का भार नहीं बढ़ाया जायगा?

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल कहां उठता है?

श्री फजलुलबारी–

जो टेरिफ कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आने के बाद इस बात का आश्वासन देंगे कि इस फाइनेंशियल इयर में दाम नहीं बढ़ायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह कैसे हो सकता है?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

अभी किसानों से एग्रीमेंट करके ट्यूबवेल लगाये गये थे उन पर सिक्योरिटी मनी 15 रुपये बढ़ा दिया था लेकिन जो पुराने हैं उन पर भी 15 रुपया ले रहे हैं, तो इस को समाप्त करने का कष्ट करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

यह एग्रीमेन्ट की बात है, इसमें देखना पड़ेगा, सूचना एकत्र करना होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि तापीय स्रोत से 61.76 पैसा और जल विद्युत 19.60 अर्थात एक तिहाई कम है, पड़ता है। और अब जितने भी आप लगा रहे हैं वह सब तापीय हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि तापीय विद्युत की लागत जब अधिक है और वह लगा दिये जायेंगे तो विद्युत की दर भी बढ़ेगी, तो जल विद्युत का उत्पादन अधिक हो,

इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

इस संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से इस बात पर सम्पर्क किया है और प्रयास भी कर रहे हैं। टिहरी परियोजना जो हमारी है, जिसकी कुल क्षमता 2 हजार मे0 वा0 की होगी, पूरा कर के कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्रीनगर की जो है उसकी क्षमता दो सौ मे0 वा0 है। तो हम लोग चाहते हैं कि केन्द्र से सहायता प्राप्त कर टिहरी की और श्रीनगर के लिए स्वयं प्रदान किया है, तो जब सहयोग प्राप्त हो जायगा, इसको पूरा कर लेंगे और बहुत हद तक उत्पादन जल विद्युत के माध्यम से हो सकेगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रदेश के किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को जिस रेट पर बिजली दी जाती है और हिण्डालको को जिस रेट पर बिजली दी जाती है, और चूंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, किसानों का हित दृष्टिगत रखते हुए हिण्डालको को किस दर पर बिजली देते हैं क्या उसी दर पर किसानों को देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न नहीं उठता।

बलिया में गोंड जाति को प्रदान की गयी अनुसूचित जाति की सुविधायें

**2–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम संख्या 108 आफ 1976 के अंतर्गत गोंड/गोंड़ जाति को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया और उसका कार्यान्वयन उ0 प्र0 सरकार ने अपने आदेश संख्या : 6744/26-3-77-17 (21)/74 दिनांक 29 अगस्त, 1977 द्वारा किया? यदि हां, तो जनवरी, 1982 से बलिया जनपद में किन परिस्थितियों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

गोंड जाति को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित किया गया है किन्तु इसमें गोंड़ जनजाति सम्मिलित नहीं है।

गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति की सभी सुविधायें पूरे प्रदेश में अनुमन्य हैं। गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सुविधाओं से वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम संख्या 108 आफ 1976 के अंतर्गत गोंड और गोंड़ जाति के लिए एक ही स्पेलिंग अंकित है। यदि ऐसा है तो अब उसमें परिवर्तन करने का क्या औचित्य है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, भारत सरकार के आदेशानुसार 22 मई, 1957 को जो आदेश उत्तर प्रदेश को निर्गत हुए थे उसके अनुसार बुन्देलखण्ड और मिर्जापुर केवल इन दो स्थानों पर गोंड़ जाति जो अनु-

सूचित जाति की है उनको ही अनुसूचित जाति की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि गोंड को गोड़ लिखने का क्या औचित्य है जबकि भारत सरकार का आदेश था कि दोनों के लिए एक ही शब्द रहे। कृपया आप बतायें कि गोंड को गोड लिखने का क्या औचित्य है? सरकार गोंड जाति को अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब भारत सरकार ने गोंड जाति के लिए एक ही शब्द अंकित किया है तो ऐसा कौन सा कारण है कि उसमें परिवर्तन करना पड़ा ?

(श्री हरदेव के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करना चाहें तो पूछ लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गोंड और गोड़ जाति में क्या अन्तर है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, गोंड जाति जो है वह अनुसूचित जाति का एक अंश है और बाकी जो गोड़ है उसमें बहुत से लोग आते हैं कुछ लोग अपने आप को गोड़ कहते हैं और गौरिया या गड़िया मल्लाहों की उपजाति हैं और कहारों की भी उपजाति हैं और भड़भूजा की भी उपजाति है।

(किसी सदस्य के बैठकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप खड़े होकर प्रश्न कर सकते हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, गोंड जाति का प्रश्न अनुसूचित जाति का है जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से अनुसूचित रहे हैं, हरिजन रहे हैं, उनको यह सुविधायें मिल सकती हैं लेकिन जो गोड़ हैं, कहार और मल्लाह आदि की उपजातियां हैं उनको यह सुविधायें नहीं मिल सकती हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीया मंत्री ने भाषण तो काफी लम्बा-चौड़ा दे दिया लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। मूल प्रश्न जो था वह सीधा सवाल यह है कि गोंड और गोड़ में क्या अन्तर है? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि गोंड की परिभाषा क्या है। कौन-कौन लोग शामिल होते हैं और जो गोड़ कहते हैं उनमें कौन-कौन लोग शामिल होते हैं। उनकी जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, उन पर प्रकाश डालेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, प्रश्न गोंड और गोड़ का नहीं है। शब्द का नहीं है। यह प्रश्न एक जाति का है, एक वर्ग विशेष का है। ब्राह्मण गोंड कहते हैं, तो वे अनुसूचित जाति के नहीं हो सकते इसी प्रकार भूजी आदि जो कहार का काम करते हैं, उनको अनुसूचित जाति में मानते हैं। नक्शे के ऊपर काफी हंगामा हो जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसूचित जाति का काम करते आये हैं, वह ही अनुसूचित जाति के कहलायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस जवाब के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

श्री गौरी शंकर भइया–

सन् 1982 तक गोड़ जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलती थी। बाद में इसको काट दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया एक जो गोंड जाति, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है, उनको हम सुविधा दे रहे हैं। किन्तु अगर कोई व्यक्ति उस अनुसूचित जाति की संतान नहीं है, उस परिवार का नहीं है, और वह अपने नाम के आगे गोड़ जाति लिखे उसकी बाबत शिकायतें आयी थीं। यह प्रश्न भी आया था दूसरे सत्र 1985 में, अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री कृपया बैठ जायं। पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, एक चुनाव याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में नयी परम्परा पैदा हो गयी है। खरभुजा, कमकर अपने आगे खरवार लिखकर अनुसूचित जाति की सुविधा लेना चाहते हैं। क्या ऐसे आदेश देंगी कि जो लोग खरभुजा, कमकर गोड़ की जगह खरवार लिख रहे हैं, उनको गोंड मानने का सर्टिफिकेट न दिया जाय।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इस प्रकार के आदेश 29 अप्रैल, 1981 को संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिलाधिकारी गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया और गाजीपुर–इनको यह आदेश गये हैं कि ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र न दिये जायं जो कि अनुसूचित जाति के गोंड के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जो गोड़ के अन्तर्गत आते हैं उनकी शिकायत आने का मौका नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

गोंड अनुसूचित जाति में आती है, गोड़ नहीं आती है। गोड़ पिछड़े वर्ग की जाति है, क्या उसे आप पिछड़े वर्ग की सुविधाएं देने की व्यवस्था करायेंगी?

श्री अध्यक्ष–

यह बात इसमें नहीं आती।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है, आप मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब हम आगे बढ़ गये हैं। यह तो केन्द्र का मामला है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में विद्युत उत्पादन

*1–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता क्या है और प्रदेश में विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? इस उत्पादन क्षमता में होने वाली गिरावट को रोकने और प्रदेश को विद्युत संकट से उबारने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत गृहों की कुल स्थापित क्षमता (डीरेटेड) 4084 मेगावाट है। इस समय 1800–1900 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है।

उत्पादन क्षमता में गिरावट को रोकने और प्रदेश को विद्युत संकट से उबारने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :–

1–तापीय विद्युत गृहों की विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार के लिये रिनोवेशन एवं बेटरमेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

2–सही क्वालिटी के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

3–अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त इकाइयों को चालू किया जा रहा है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मा0 मंत्री जी ने जो प्रदेश में उत्पादन की गिरावट और विद्युत संकट की बात स्वीकार की है उसके लिये बधाई देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो स्थापित क्षमता 4084 मेगावाट है और कुल उत्पादन 1800–1900 मेगावाट के बीच में हो पाता है, इस गिरावट का क्या कारण है? इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री सुनील शास्त्री–

इस प्रश्न के उत्तर में हमने दर्शाया है कि क्षमता के अनुरूप उत्पादन न होने के मुख्य कारण क्या हैं। जहां तक दोषी व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहूंगा कि दोषी कोई व्यक्ति नहीं होता है। यदि मशीन पुरानी है, कोयला सही प्रकार का नहीं मिल रहा है तो उत्पादन की क्षमता अपने आप ही कम होती है। इस कारण किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहरा सकते।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मा0 मंत्री जी ने कहा कि कोयले की स्थिति और क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस कारण उत्पादन नहीं हो पाता है। मैं जानना चाहूंगा कि जहां तक तापीय उत्पादन का प्रश्न है, इसके अतिरिक्त जो जलीय विद्युत उत्पादन है वह "इस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी" के हिसाब से हो रहा है या उसमें भी गिरावट है?

श्री सुनील शास्त्री–

जहां तक जल विद्युत का प्रश्न है, कुल क्षमता 1422 मेगावाट है, इसमें 300 मेगावाट रिहन्द जलाशय की क्षमता है, 99 मेगावाट ओबरा हाइडिल का है। इस प्रकार 399 मेगावाट रिजर्वाइर से है। 198 रामगंगा जलाशय से, 30 मेगावाट माताटीला का है। इस प्रकार जलाशय की जो क्षमता है वह लगभग 650 मेगावाट की आती है। इसके अतिरिक्त जो आज उत्पादन जल विद्युत से हो रहा है वह 807 मेगावाट का है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मा0 मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि रिनोवेशन और बैटरमेंट का कार्य-

क्रम चला रहे हैं, तो कब तक यह पूरा हो जायगा? कितना खर्च आयगा और क्या मा0 मंत्री जी आश्वासन दे सकते हैं कि इसके बाद प्लाण्ट लोड फैक्टर ज्यादा हो जायगा?

श्री सुनील शास्त्री–

यह जो कार्य है, 147 करोड़ रु0 मेजर रिनोवेशन पर लगा रहे हैं, इसको 3 वर्ष में पूरा करने की योजना बनायी है, सभी 27 जो तापीय विद्युत गृहों की मशीनें हैं, उन पर यह कार्य कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस कार्य को जब पूरा कर लेंगे तो लगभग 60 प्रतिशत तक की जो प्लाण्ट लोड फैक्टर की क्षमता है, उसका उत्पादन कर सकेंगे, जो इस समय 30, 35, 40 के बीच में प्रति मशीन हो रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय जो 1800 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन हो रहा है तो इसमें तापीय विद्युत का उत्पादन कितना है और यह किन-किन प्लान्टों से कहां-कहां हो रहा है : यानी ओबरा, पनकी और हरदुआगंज में से कहां-कहां हो रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री–

मेरे पास इस समय इसकी जानकारी नहीं है वैसे मैं यह बतला सकता हूं कि इस समय औसतन तापीय विद्युत उत्पादन 800 से 1000 मेगावाट तथा जल विद्युत उत्पादन 800 से 850 मेगावाट हो रहा है।

प्रदेश में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये नाव की व्यवस्था किये जाने पर विचार

*2–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के उन ग्रामों को जो बाढ़ से जलमग्न हो जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से मुफ्त अथवा सबसिडी एवं कर्ज दिलाकर नाव की व्यवस्था कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जा रहा है और निर्णय पर पहुंचने में समय लगने की सम्भावना है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर तो बड़ा अजीब सा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था क्या है और उसमें किन-किन मुद्दों पर पुनर्विचार हो रहा है और निर्णय की स्थिति में आप कब तक पहुंच जायेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

वर्तमान व्यवस्था में नावें किराये पर लेने के लिये प्रशासन को निर्देश दिये जाते हैं जिलाधिकारी को। 6-8-81 के पूर्व में यह व्यवस्था थी 60 प्रतिशत अनुदान ग्राम सभाओं को दे दिया जाता था और उससे वे नावें क्रय कर लेते थे, लेकिन बाद में स्थिति बदल गयी क्योंकि एक जनपद से एक जिलाधिकारी ने एक नाव को क्रय करने के लिये 12,000 रु0 की मांग कर दी थी इसलिए इस व्यवस्था को बदल दिया गया। इस पर इसलिये विचार हो रहा है क्योंकि 1982-83 में 93,05,000 रु0, 1983-84 में 64,25,000 रु0, 1984-85 में 65,35,000 रु0 किराये के रूप में

इस पर धनराशि खर्च की जा चुकी है। 12-7-85 को भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह नावों को खरीदने के लिये अनुमति प्रदान करे। जब वहां से अनुमति प्राप्त हो जायेगी, तभी यहां कुछ इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। इसीलिये मैंने उत्तर में कहा है कि निर्णय पर पहुंचने में समय लगने की सम्भावना है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अभी अपने उत्तर में बतलाया कि एक जिलाधिकारी द्वारा एक नाव क्रय करने के लिये 12,000 रु0 की मांग की गयी तो इस वजह से वर्तमान समय में यह व्यवस्था कर दी गयी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई निर्णय नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक 1981 के पूर्व वाली व्यवस्था लागू करने में शासन को क्या कठिनाई हो रही है?

श्री गौरी शंकर–

प्रत्येक जनपद में दूसरे विभागों के पास भी अतिरिक्त व्यवस्था रहती है और उनके पास हर जनपद में नावें उपलब्ध रहती हैं। कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है कि किराये पर नावें उपलब्ध होने में कठिनाई हुई हो। इसलिये भारत सरकार से संस्तुति की गयी है कि वह नावों को क्रय करने की अनुमति प्रदान करे, इसीलिये यह व्यवस्था लागू नहीं की गयी है।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके जो पुरानी व्यवस्था थी नावों के लिये ऋण अनुदान देने की नावों को खरीदने के लिये, सभी लोग जानते हैं कि मल्लाह जाति के लोगों के जीवन की जीविका इससे ही चलती है, तो क्या मंत्री जी उन्हें ऋण अनुदान देकर नाव खरीदवाने पर विचार करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

6-8-81 के शासनादेश से यह व्यवस्था की गयी थी कि नावों की जो ग्राम सभा को क्रय करने की अनुमति दी जाती थी, उसको समाप्त किया जाता है और 2 हजार रुपया छोटी नावों के लिये और 4 हजार रुपया बड़ी नावों के लिये यह तकावी के रूप में मल्लाहों को दे दिया जाय तो उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति यह हुई कि इसमें से 2 हजार और 4 हजार रुपया किसी से लेना ही नहीं चाहा। ऐसी परिस्थिति में पुनः वह क्रय करने की स्थिति को लागू करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम और एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के जरिये जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको जो उनका पैसा है, उसके हिसाब से मदद की जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मल्लाह जाति के लोगों को नाव खरीदने के लिए कम से कम 10 हजार रुपया देने की सुविधा देंगे ?

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि बाढ़ आदि के लिए शासन कौन सा उपाय करे, मान्यवर, जब नावों की आवश्यकता पड़ती है तो हम विभाग की जो नावें हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं, इसके लिए मल्लाहों की नावें भी ली जाती हैं।

मैंने अभी कहा कि जब उनको सुविधा दी गयी थी 2 हजार रुपया छोटी नाव के लिए और 4 हजार रुपया बड़ी नाव के लिए उस तकावी की सुविधा का उन्होंने नहीं उपयोग किया और ऐसी कभी भी हमारी समस्या नहीं आई, तो हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी निर्बल वर्ग को नाव दे करके, अभी यह व्यवस्था इसमें जरूर नहीं हुई है क्योंकि हमारी इस सम्बन्ध में कोई अव्यवस्था अब तक नाव के सम्बन्ध में नहीं आई है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद, ग्राम बेलहटा में भूमिहीन मजदूरों के लिये क्रय की गयी भूमि

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बेलहटा विकास खण्ड सोरांव, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में शासन ने कुल 56,000 रु0 की धनराशि से 19 भूमि हीन मजदूरों के लिए 27 बीघा 16 बिस्वा कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु क्रय की थी, लेकिन आवंटियों ने पथरीली भूमि होने के कारण लेने से इन्कार कर दिया था ? यदि हां, तो भूमि क्रय करने वाले कौन अधिकारी थे ? शासन ने उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री इन्द्रजीत)—

जी हां।

इस सम्बन्ध में श्री वाचस्पति तिवारी, तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, हरिजनों के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला है, कृषि योग्य इसमें है, और पथरीली भूमि खरीदकर उनको दिया था, यह बहुत पुराना मामला है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही शासन ने नहीं की है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जमीन कब खरीदी गयी, और कब हरिजनों ने इसे लेने से इन्कार कर दिया, और अभी तक उस दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि यह भूमि 24.3.82 को क्रय की गयी थी और रजिस्ट्री इसकी 29.3.82 को हुई थी। आवंटियों को जब यह भूमि दिखाई गयी तो उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया और शासन के सामने यह मामला आया। शासन ने इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और श्री डी0 पी0 सिंह, एडीशनल डायरेक्टर उनके जांचकर्ता एप्वाइन्ट कर दिये गये हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह मामला सन् 82 का है, सन् 82 में उन्होंने इन्कार कर दिया था और सन् 85 आ गया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच हो चुकी है, इलाहाबाद के ए0डी0एम0 ने जिसने जांच की है उसकी रिपोर्ट क्या है और माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है

कि जो भूमि क्रय की गयी थी, पहाड़ी क्रय की गयी थी जो पथरीली यहां कहा है, क्या वहां खेती हो सकती है अगर नहीं हो सकती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, ए0डी0एम0 ने इसकी जांच 18.3.85 को की और उस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को, शासन का पत्र, जो उनको प्राप्त हुआ, इसकी जांच आख्या 9 अप्रैल, 85 को प्राप्त हुई ।

आपने तीन प्रश्न किये हैं, सभी का उत्तर एक साथ तो मैं दे नहीं सकती हूं । जहां तक तीसरे प्रश्न का सवाल है, जांच आख्या में ए0डी0एम0 ने कहा कि यह जमीन कृषि योग्य नहीं थी और पथरीली है और श्री तिवारी ने इस जमीन को क्रय करके अनुचित कार्य किया है और उन्होंने इसकी भर्त्सना की है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस जमीन को 24-3-1982 को खरीदा गया और 29-3-1982 को इसकी रजिस्ट्री हुई जब बजट समाप्त हो रहा था तो यह जमीन खरीदी गयी और 18 जून, 1985 को रिपोर्ट आयी है कि यह जमीन पथरीली है और इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, तो मैं चाहूंगा कि प्रागदर्शन में जब यह मामला बन गया है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, शासन के संज्ञान में अभी तक यह बात नहीं आयी थी और जब यह बात शासन के सामने आयी तो उसकी जांच करायी गयी, जिलाधिकारी ने 9.4.1985 को पत्र भेजा है, श्रीमन् कार्यवाही और आरोप पत्र तैयार हैं और श्री वी0 पी0 सिंह, एडीशनल डाइरेक्टर को 14.8.1985 को अप्वाइन्ट कर दिया गया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जितना गम्भीर दोष होगा, उसी के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लिया गया ऋण

*2–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दि0 1 मई, 85 को किन-किन स्रोतों से क्रमशः किस ब्याज की दर से कितनी धनराशि ऋण रूप में प्राप्त की है ? सरकार द्वारा इस ऋण वापसी हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाए गए हैं ? उपरोक्त संस्था कब तक ऋण मुक्त हो जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

यद्यपि 1 मई, 1985 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने कोई ऋण नहीं लिया, तथापि वित्तीय वर्ष 1985-86 में 1 मई, 1985 तक कुल 4.02 करोड़ रुपए के ऋण विभिन्न स्रोतों से विभिन्न ब्याज दरों पर प्राप्त किये गये जिसका ब्यौरा निम्नवत् है ।

शासकीय ऋण की वापसी के तरीके पर अभी विचार हो रहा है जबकि अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋणों की वापसी समयबद्ध तरीके से सम्पन्न हो रही है ।

क्रम सं0	संस्था का नाम	वर्तमान ब्याज की दर		वर्ष 1985-86 में 1 मई 1985 तक आहरित ऋण (करोड़ रुपये में)
1	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	8%	9%	0–21
2	व्यवसायिक बैंक से एस पी ए के अन्तर्गत ऋण	10–25		0–34
3	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	16%		1–02
4	राज्य सरकार से प्राप्त ऋण	9 1/2%		2–45
			योग	4–02

भविष्य में विद्युत परिषद् के ऋण मुक्त होने के प्रश्न पर विचार किया जाना विद्युत उपलब्धता में विकास की अनिवार्यता को दृष्टिगत करते हुए उचित नहीं समझा गया है क्योंकि विद्युत परियोजनायें कैपिटल इन्टेन्सिव होती है अतः इनका वित्त पोषण केवल आंतरिक संसाधनों से सम्भव नहीं हो सकता ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि शासकीय ऋण की वापसी के तरीके पर विचार हो रहा है, तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब ऋण की वापसी पर विचार हो रहा है, तो जब शासन से ऋण लिया गया था, तो उस समय क्या शर्तें थीं और किस दर से वह ऋण लिया गया था ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, दर की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 प्रतिशत तक शासन से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को ऋण दिया गया है ।

चूंकि यह लांग टर्म लोन है और 15/20 साल तक की अदायगी इसमें होती है और जो भी ऋण दिया जाता है उसकी अदायगी अलग-अलग निर्धारित होती है। मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो विचार हो रहा है वह इस बात पर हो रहा है कि क्योंकि हमें नई परियोजनाएं बनानी हैं चाहे वह तापीय हो या जल विद्युत की हो, हमें उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी है । उसमें जो हम पैसा लगाते हैं चाहे शासन से पैसा लेकर या जीवन बीमा से लेकर, उससे हम विद्युत आपूर्ति करते हैं । जो हमारे पास राजस्व है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का, वह 6, साढ़े 6 करोड़ रुपए का है उससे हम अदा नहीं कर सकेंगे । जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट किया है कि कैपिटल इंसेन्टिव हमारा यह प्रोजेक्ट है उसमें पैसा ज्यादा लगता है और जो राजस्व से वसूली होगी वह बहुत कम है । तो शासन उस पर समय-समय पर विचार करता है क्योंकि परिषद् शासन से अनुरोध

करता है कि जो ऋण ले रहे हैं उसको माफ कर दें। शासन ने कभी-कभी जैसे एक बार हमने 100 करोड़ रुपए की छूट दी थी। इस तरह से कार्य चल रहा है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 8/9 प्रतिशत ब्याज की दर पर 9 लाख रुपए वित्तीय वर्ष में लिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है उसका काम विद्युतीकरण करना है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस निगम से पैसा लेकर क्या विद्युतीकरण प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन् जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से धनराशि उपलब्ध की जाती है वह उसी को आगे विद्युतीकरण के लिए दी जाती है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं बनाई जायं ताकि विद्युतीकरण का काम बराबर चलता रहे। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अब तक 63 हजार गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। इसमें दो प्रकार की परिभाषा रखी गई है। एक तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण है जिसके अन्तर्गत 63 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और जहां लाइन बिछाई है जहां गांवों में पंखों आदि की सुविधा दी गई है वह अलग है। इस तरह से विद्युतीकरण हम कर रहे हैं।

[दिनांक 16 अगस्त, 1985 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कानपुर, ग्राम अरौल में विद्युत उप केन्द्र का उद्घाटन एवं श्री प्रभुदयाल आर्य का ज्ञापन

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि अप्रैल 7, 1985 को जब वह गांव अरौल, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) में (सब स्टेशन विद्युत) का उद्घाटन करने गए थे तो उन्हें श्री प्रभुदयाल आर्य ने जन-कष्टों और भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो ज्ञापन में किन-किन बातों का उल्लेख है और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां। प्रश्नगत ज्ञापन की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 154 पर)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने शिकायती पत्र के संबंध में कार्यवाही करने की बात अपने उत्तर में कही है कि बिजली की आपूर्ति के लिए जो निविदायें प्राप्त की गई थी उन पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है और कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन पर अभी तक निर्णय न होने का क्या कारण है? कब तक निर्णय ले लिया जायेगा और गांवों में कब तक कुंयें बनवा दिए जायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

शिकायती पत्र में बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में जो बात थी, उसे सुनिश्चित कर लिया गया है कि उन्हें अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति की जाय और औसतन 10 घन्टे वहां पर उस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की

जाय। दूसरी शिकायत यह थी की लगभग 44 नलकूपों को बिल्हौर विद्युत उपकेन्द्र स विद्युत आपूर्ति की जाती है। उससे लाइन लासेज और ट्रिपिंग हो जाती थी। और विद्युत की आपूर्ति सही प्रकार से नहीं होती है उसको ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में अरौल में उप केन्द्र बनाया गया है उस दिन मैं भी वहां पर था। अब यह शिकायत नलकूप उपभोक्ताओं को नहीं रहेगी। जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है गांव के लोग चाहते हैं कि कालोनी में जो पानी की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं उसी से गांव वालों को भी दिया जाय। लेकिन उपकेन्द्र वर्जित स्थान होता है जहां पर प्रवेश वर्जित होता है क्योंकि कभी बिजली के करेंट आदि का हादसा होने का खतरा रहता है। इसलिए उससे सम्भव नहीं हो पा रहा है। कोई अन्य व्यवस्था कुआं आदि बनाने की बात है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी से बात कर लूंगा कि किसी अन्य योजना से उनके पीने के पानी की व्यवस्था करायेंगे।

केदारनाथ धाम को विद्युत आपूर्ति

*2—श्री काशी सिंह एरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह विष्ट के दिनांक 1-5-84 के पत्र द्वारा प्रसिद्ध श्री केदार नाथ धाम में विद्युत आपूर्ति की कुव्यवस्था के विषय में व्यापक जानकारी व सुझाव मिले हैं? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों में उपरोक्त स्थल तक विद्युत की स्थायी व लगातार आपूर्ति हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये? पत्र में उल्लिखित दुग्ध गंगा बैराज योजना का सर्वेक्षण कब कराया गया? कब तक इस प्रसिद्ध धाम को लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। जहां तक केदारनाथ धाम की स्थायी एवं लगातार विद्युत आपूर्ति का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रयास किये गये :—

(1) गुप्त काशी विद्युत गृह को, जो केदार नाथ धाम की विद्युत आपूर्ति करता है, 11 के0 वी0 लाईन द्वारा ग्रिड से जोड़ा जाना।

(2) मंदिर की लगातार विद्युत आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर लगाया जाना जिससे 11 के0 वी0 लाईन में व्यवधान आने पर मंदिर को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

दुग्ध गंगा बैराज योजना (केदार नाथ माइक्रो हाइडिल योजना) का सर्वेक्षण दिसम्बर, 1983 में पूरा हुआ था। इस प्रसिद्ध धाम को लगातार विद्युत आपूर्ति के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। 11 के0 वी0 ग्रिड से जोड़ दिये जाने से विद्युत आपूर्ति में विशेष सुधार हुआ है। केदार नाथ माईक्रो हाइडिल योजना चालू होने के बाद इसमें और सुधार होगा।

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दूध गंगा बैराज माइक्रो परियोजना का सर्वे दिसम्बर, 83 में पूरा हुआ था और उन्होंने कहा कि केदारनाथ माइक्रो हाइडिल में और सुधार होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण कब पूरा हुआ है यह कितने मेगावाट की स्कीम है इसकी लागत कितनी है और निर्माण कार्य कब पूरा होगा?

श्री सुनील शास्त्री–

यह योजना 20 किलोवाट की है और इसमें लगभग 3 लाख 12 हजार रुपया लागत आयेगी। इसको वर्ष 87 तक पूरा कर लेंगे।

पौड़ी गढ़वाल में डी0 आर0 डी0 ए0 एवं आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत ऋण का वितरण

*3–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में डी0 आर0 डी0 ए0/आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत 31-3-85 तक किस-किस वि0 खं0 में कितना कितना ऋण वितरित किया गया है और यह ऋण किस प्रयोजना के लिये दिया गया है? क्या सरकार द्वारा इस बात की जांच करवा ली गई है कि ऋण जिस प्रयोजन के लिये दिया गया है उसी प्रयोजन पर उसका सदुपयोग किया गया है?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री दीपक कुमार)–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में डी0 आर0 डी0 ए0/आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक द्वारा 31-3-85 तक विकास-खण्डवार वितरित ऋण का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 156 पर)

यह ऋण दुधारू पशुओं, बैल, मुर्गी, सुअर, भेड़, बकरी, घोड़ा एवं खच्चर पालन, सिलाई एवं निटिंग मशीन, गोशाला, बढ़ई एवं लोहार, आटा चक्की एवं तेलघानी, जनरल मर्चेन्ट, ढावा, होटल, फोटोग्राफी की दुकान आदि प्रयोजन हेतु दिया गया।

वितरित ऋण के उपयोग की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) जिला ग्राम विकास अधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा कराई जा रही है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने डी0 आर0 डी0 ए0 और आई0 आर0 डी0 के अंतर्गत ऋण वितरण के जितने भी कार्य हुए हैं उनके बारे में कहा कि उनकी जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) द्वारा की जा रही है। मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है और जांच के आदेश दे दिये हैं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच होने के पश्चात् वहां की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

जांच जब पूरी हो जायेगी तो मा0 सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, निश्चित जानकारी है कि पौड़ी-गढ़वाल के पाबौं, पोखड़ा, बीरोखाल, थलीसैंण, खिर्सू आदि इलाकों में इस प्रकार की योजनाओं में निरन्तर गड़बड़ियां हुई हैं, और जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सूचित कर देंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसमें विशेष जांच करवाने की कार्यवाही करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, 15 विकास खंडों की बात कही गयी है जिसमें मैंने निवेदन किया कि पूरी जांच के बाद कार्यवाही जो होनी चाहिए वह की जायेगी।

कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत, अल्मोड़ा में घाटा

*4–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत

जिला अल्मोड़ा लाखों रुपयों के घाटे में चल रही है? यदि हां, तो क्या उक्त घाटे के लिए फैक्ट्री में सेवारत रहे कुछ बड़े अधिकारियों को दोषी पाया गया है? यदि हां, तो वह अधिकारी कौन हैं तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री दीपक कुमार–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कोआपरेटिव ड्रग फैक्टरी रानीखेत आजकल घाटे में चल रही है। प्रदेश में ऐसे सहकारिता मंत्री आये जिनके कारण फैक्टरी और भी घाटे में गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस फैक्टरी के मैनेजर जो श्री जोशी थे उनके समय में क्या कोई आडिट जांच हुई और उसके बाद क्या उन पर कोई दोष पाये गये ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, प्रश्न पुनः दोहरा दें।

श्री किरन पाल सिंह–

फैक्टरी में जो मैनेजर थे उनको चप्पल बनाने की जानकारी थी किन्तु उन्हें ड्रग फैक्टरी का मैनेजर बना दिया गया, उन्होंने फैक्टरी में घोटाला किया जिसकी जांच आडिट पार्टी द्वारा की गयी, तो जांच में उनके विरुद्ध क्या आरोप पाये गये ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में देखा जा रहा है कि क्यों इसमें घाटा आया। फैक्टरी, 1954 में खुली और निरन्तर उपलब्धियों से जुड़ी रही। पिछले 3-4 सालों से इसमें जो गिरावट आयी है उसके बारे में पुनः विचार किया जा रहा है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आडिट के बारे में मंत्री जी को जानकारी नहीं है। आडिट रिपोर्ट में उस अधिकारी के ऊपर 25 लाख रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया गया है, उसके बाद उस अधिकारी ने रिकार्ड जला डाला और आज वह ऐश कर रहे हैं। मैंने जो बातें कही हैं क्या मंत्री जी उनमें सी0आई0 डी0 जांच करवायेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

हमारे यहां जांच के लिये एक सेल की स्थापना हुई है, सी0 आई0 डी0 जांच के लिए क्यों परेशान हैं। रिपोर्ट में कोई वैसी बात नहीं है लेकिन देखा जा रहा है कि इस संस्था का व्यापार क्यों गिरा जिसमें विभाग नये सिरे से सोच रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, पिछले 4 वर्षों पहले मृत संजीवनी सुरा जो इस फैक्टरी द्वारा बनाया जाता है उसमें घोटाला हुआ था और पी0 सी0 एफ0 के अधिकारी द्वारा घोटाला किया गया था, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है, यदि हां, तो उसमें क्या अब तक कार्यवाही की गयी है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, यह बिजनेस जो डाउन हुआ है, जो बिजनेस में कमी आयी है पिछले 2-3 साल में और उसमें जो पदार्थ बनता था जिसके बारे में इच्छा व्यक्त की है मृत्यु संजीवनी सुरा के बारे में, उसका भी उपयोग कम कर दिया गया है और वह

भी इसके घाटे का एक कारण है। सारे मामले की जांच हो रही है कि घाटे के कुल कारण क्या है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मंत्री जी मेरे प्रश्न को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके निर्माण में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, उसको छिपाया जा रहा है।

श्री पूरन सिंह–

इस फैक्टरी में विगत दिनों में वहां का रिकार्ड जला देने के लिए भयंकर अग्निकाण्ड हुआ था, उसमें 2 सौ के करीब आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं, उसमें बहुत से कर्मचारी काम करते थे, जो इस अग्निकांड के बाद बेरोजगार हो गये हैं और उन्हें अब दूर-दूर भेजा जा रहा है, तो क्या उनको रानीखेत में ही रखने का कोई प्रयास किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष–

इससे यह सवाल नहीं उठता है।

भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजे का भुगतान

*5–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत लोक उपयोग के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व अथवा 15 दिन के अन्दर भूमि के स्वामी को अदा करने की व्यवस्था तुरन्त कर दी जायेगी और मुआवजे की धनराशि का भुगतान क्रास्ड चेक द्वारा ही किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर–

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा लेने की दो प्रक्रियायें हैं। एक प्रक्रिया के अन्तर्गत भू-स्वामियों को अर्जित भूमि पर कब्जा तुरन्त ले लेने के बाद प्रतिकर के भुगतान से सम्बन्धित अभिनिर्णय घोषित किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्जित भूमि का अभिनिर्णय घोषित करने के उपरान्त भूमि पर कब्जा लिया जाता है। प्रथम प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्जित भूमि के अनुमानित बाजार मूल्य का 80 प्रतिशत धन का भुगतान भूमि पर कब्जा लेने के पहले ही कर दिये जाने का प्राविधान है। शेष 20 प्रतिशत प्रतिकर, सोलेशियम आदि का भुगतान अभिनिर्णय की घोषणा के बाद किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया के अनुसार अर्जित भूमि के अभिनिर्णय की घोषणा के दिनांक से 3 माह के अन्दर प्रतिकर की धनराशि के भुगतान के आदेश राजस्व परिषद् के आदेश संख्या-21-10(भू0 अ0)-167 (स)/70, दिनांक 24 अक्टूबर, 1970 में प्रसारित किये गये हैं। अभिनिर्णय की घोषणा के उपरान्त 3 माह के अन्दर प्रतिकर के भुगतान का समय उचित प्रतीत होने के कारण इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

क्रास्ड चेक द्वारा प्रतिकर के भुगतान का मामला अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने जो प्रक्रिया निर्धारित की है, उसका उल्लेख पढ़कर कर दिया, किन्तु हमारा प्रश्न यह था कि जो वास्तविकता है – वास्तविकता में मौके पर भूमि को ले लिया जाता है, और उनको 8-8, 10-10 वर्ष तक मुआवजा नहीं दिया जाता है तो जो भूमि आप लोक उपयोग के लिए

अधिगृहीत करते हैं, उसकी प्रक्रिया तो आपने बता दी और उसमें अभिनिर्णय का हवाला दे दिया, किन्तु उस प्रक्रिया में ही कर्मचारी लोग 2-2, 4-4 साल का समय लगा देते हैं, तो हमारे प्रश्न का मूल भाव यह है कि उसकी भूमि को अधिगृहीत करने के बाद 15 दिन के अन्दर आप मुआवजा देने के निश्चित आदेश करेंगे, और यदि मुआवजा नहीं देते तो कब्जा नहीं करेंगे, वरना उनके ऊपर पर्सनल प्रापर्टी पर ट्रेसपासर्स के तरह की कार्यवाही की जावेगी ।

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य की बात सही है और उनकी बात बिलकुल उचित है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब यह व्यवस्था कर दी गई है। पूर्व में यह होता था कि एक बार जमीन ले लेते थे और उसके प्रतिकर भुगतान में विलम्ब होता था और कभी-कभी कई वर्ष लग जाते थे, अब यह व्यवस्था धारा 17 में कर दी गई है, उसमें एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, किसी लोक उपयोगी कार्य के लिए यदि जमीन लेना आवश्यक है तो धारा 17 का प्रयोग कर विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर भूमि पर कब्जा ले लेने का प्राविधान है।

किन्तु भूमि पर कब्जा लेने से पहले 80 प्रतिशत, अनुमानित बाजार दर पर भुगतान आवश्यक कर दिया गया है। जो 20 प्रतिशत धनराशि बचती है उसका भुगतान सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कर दिया जाता है। लेकिन जब सामान्य रूप से किसी भूमि का अर्जन कर दिया जाता है तो उसके लिये यह प्रक्रिया निर्धारित की गयी है कि धारा 4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन तिथि से एक वर्ष के भीतर ही धारा 6 की विज्ञप्ति प्रकाशित करने की व्यवस्था है। धारा-6 के प्रकाशन के बाद धारा-7 और 8 में अर्जित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों को अर्जित भूमि के अधिग्रहण एवं पैमाइश की सूचना दी जाती है। तत्पश्चात् धारा 9 और 10 के अन्तर्गत क्रमशः भूमि पर कब्जा लेने का इरादा और प्रभावित व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित की जाती है और तदुपरान्त धारा-11 के अन्तर्गत अभिनिर्णय घोषित किया जाता है। अभिनिर्णय की घोषणा धारा-6 की विज्ञप्ति की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर ही किये जाने की व्यवस्था है। मैं विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि यदि धारा 4 और 6 के बीच में जो समय निर्धारित है और धारा 6 की विज्ञप्ति और अभिनिर्णय के लिये जो समय निर्धारित है 2 वर्ष का अगर वह समय बीत जाता है और प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया शून्य हो जाती है। इसलिये वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित कर लिया गया है माननीय सदस्य को मैं समझता हूं कि इससे संतुष्ट हो जाना चाहिये ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन जमीनों पर विज्ञप्ति करने के बाद किसी विभाग या शासन का कब्जा हो जाता है तो एक तो उनको प्रतिकर देर से दिया जाता है और दूसरे उनके ऊपर लगान बराबर लगता रहता है और काश्तकार को 4–6 साल तक लगान भी देना पड़ता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहां एक ओर प्रतिकर शीघ्रातिशीघ्र भुगतान किया जाय वहां पर जिस दिन

से विज्ञप्ति प्रकाशित हो उस दिन से उस व्यक्ति या काश्तकार के नाम जो लगान लगा हुआ है उसको उसी दिन से खारिज कर दिया जाय। क्या ऐसा आश्वासन देने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत जो धारा–4 की कार्यवाही होती है उसके बाद धारा–6, 7, 8 और 9 की कार्यवाही होती है। वह भूमि ली नहीं जाती है। वह भूमि उस समय तक भू-स्वामी के अधिकार में रहती है और उस पर जो खाद्यान्न पैदा होता है उसका लाभ भू-स्वामी को मिलता है। इसलिये भू-राजस्व को समाप्त करने की व्यवस्था करना मैं समझता हूं उचित नहीं है क्योंकि भूमि और सम्पत्ति भू-स्वामी के पास रहती है। विशेष परिस्थिति में जो भूमि ली जाती है उसके 80 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान 15 दिन में कर दिया जाता है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिन नियमों और उप नियमों को बताया है वह व्यवहारिकता से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं। 5–8 साल हो जाते हैं काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान नहीं हो पाता है। मेरी निश्चित जानकारी है कि गजरौला में काश्तकारों की भूमि इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिये ली गयी थी और 8 साल हो गये हैं अभी तक सम्पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। 50 लोगों को मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि उनको 8 साल बीत जाने के बाद भी प्रतिकर नहीं दिया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह नियम और उप नियम ऐसे रहें लेकिन उनका पालन हो जाय और दूसरी बात जो मंत्री जी ने क्रास्ड चेक की बात कही तो उसके सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लेकर उसको लागू करने की व्यवस्था मंत्री जी करेंगे।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जिस स्थिति का माननीय सदस्य ने हवाला दिया वह स्थिति इससे पूर्व की थी। भारत सरकार ने भूमि अर्जन विधेयक, 1894 में, 1984 में संशोधन कर दिया है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जैसा मैंने निवेदन किया था अब टाइम बाउंड कर दिया है। और यहां तक कि आपको जानकर और खुशी होगी कि पहले तो कब्जा लेने की तिथि के बाद पहले वर्ष में केवल 6 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित थी, अब उसमें अगर विलम्ब होता है, तो पहले वर्ष में 9 प्रतिशत ब्याज देते हैं और यदि और समय लगता है, तो 15 प्रतिशत उसे कर दिया है। इसके अलावा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब तो जो मारकेट वैल्यू है उस जमीन की, उसके अनुसार मूल्य देते हैं। जिस जमीन को अर्जित किया जाता है, उसके अगल-बगल के जितने बैनामे हुए हैं, और जितने में वह बैनामे हुए, उसी के मूल्य के बराबर हम भुगतान करते हैं। मान्यवर, क्रास्ड चेक के बारे में कहा गया, उसके बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि क्रास्ड चेक के द्वारा भुगतान करने में क्या दिक्कत है?

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, यह मंत्री जी हमको क्या पढ़ा रहे हैं? मान्यवर, सीधा सा

सवाल है कि 20 साल हो गये जमीन उनकी ले ली गयी, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिला रहे हैं। मान्यवर, इसका जवाब माननीय मंत्री जी न देकर, भाषण दे रहे हैं।

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य यदि किसी दूसरे माननीय सदस्य के प्रश्न को उतनी गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, माननीय कौशिक जी ने प्रश्न किया कि क्रास्ड चेक देने के बारे में क्या कठिनाई है, तो मैं उसका उत्तर दे रहा था।

श्री अध्यक्ष–

आप इनका उत्तर दे दीजिए।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, क्रास्ड चेक के बारे में शासन विचार कर रहा है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, 20 साल पहले जमीन किसानों की ले ली गयी और उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको जानकारी न हो, तो मैं आपको अनेकों उदाहरण दे दूं कि बीस साल से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

(तारांकित प्रश्न संख्या–6 के पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। अब मैंने प्रश्न संख्या–6 ले लिया है।

बाराबंकी में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत क्रय की गयी भूमि

*6–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि क्रय की गयी ? क्या क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में कृषि विभाग से कोई राय ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि क्रय की गई भूमि न तो कृषि योग्य है और न भूमिहीन एवं हरिजन उक्त भूमि को लेने को तैयार हो रहे हैं ? यदि हां, तो बिना कृषि विभाग की राय के भूमि क्रय करने के लिए जिम्मेदार कौन है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री इन्द्रजीत–

वर्ष 1983-84 में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अंतर्गत कुल 39 बीघा 5 बिस्वा भूमि क्रय की गई।

क्रय की गई भूमि के संबंध में कृषि विभाग से राय ली गई थी।

क्रय की गई भूमि कृषि योग्य है तथा भूमिहीन हरिजन उसे लेने को तैयार हैं तथा उनको भूमि आवंटित भी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह जो जमीन खरीदी गयी, यह बिलकुल ऊसर जमीन है, जिस पर पिछले 10 वर्षों से कोई खेती नहीं की गई और यह जमीन अधिकारियों की साठ-गांठ से कमीशन लेकर ले ली गयी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह जमीन वहां पर अलग-अलग दिनांकों में वर्ष 1983-84 में खरीदी गयी। यह जमीन सिद्धौर और दरियाबाद में है, जिसका रकबा क्रमशः

25 एकड़ और 6.5 एकड़ है तथा सिद्धौर की जमीन का दाम 27,804 रु0 और दरियाबाद की जमीन का दाम 77,370 रु0 दिया गया। मान्यवर, इसमें प्रश्न है कि कृषि विभाग की इसमें राय थी या नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार समन्वय समिति ने निर्णय लिया था, भूमि खरीदने का और कृषि अधिकारी उस समिति का पदेन सदस्य है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पिछले 10 वर्षों में खेती हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जमीन पर खेती हुई या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह आवंटियों को आवंटित कर दी गई है और पूरा विवरण मेरे पास है, सब ने जमीन स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है खेती हो रही होगी। पिछले 10 सालों में क्या हुआ इसकी सूचना मंगवा कर प्रस्तुत कर देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जिनकी जमीन ली गई, उन्हीं के नौकर चाकर को यह आवंटित कर दी गई। अधिकारियों ने साठगांठ करके इस जमीन को खरीदा है। क्या मंत्री जी किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करवायेंगी?

श्री अध्यक्ष–

जांच करवा लीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जैसी आपकी आज्ञा। जांच करवा लेंगे। तथ्य सामने आ जायेंगे और कार्यवाही की जायेगी।

मेरठ ग्राम भलसोना की चकबन्दी संबंधी दाखिल की गयी याचिका

*7–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भलसोना, जिला मेरठ के ग्रामवासियों ने उनके ग्राम में हुई चकबन्दी की अनियमितताओं के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कोई समादेश याचिका प्रस्तुत की है? यदि हां, तो क्या समादेश याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 18-12-84 का संबंधित चकबन्दी अधिकारियों द्वारा पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर–

जी हां।

उक्त समादेश याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18-12-84 को स्थगन आदेश पारित किये गये जबकि ग्राम भलसोना, तहसील सरधना, जिला मेरठ में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 10-12-84 को ही की जा चुकी थी। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का पालन किया जाना सम्भव नहीं था।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही कब से शुरू हुई और कब तक पूरी कर ली जायेगी।

श्री गौरी शंकर–

कब्जा परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया 10-12-84 को समाप्त हो चुकी है।

*8–श्री विजय सिंह राणा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

फिरोजाबाद को जिला बनाये जाने की मांग

*9—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के जनपद न होने से वहां के कांच व चूड़ी उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और उद्योग की प्रगति अवरुद्ध हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद को जिला बनाने की घोषणा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर—

जी नहीं, कांच व चूड़ी उद्योग पर कथित प्रतिकूल असर तथा उसकी प्रगति अवरुद्ध होने का सम्बन्ध फिरोजाबाद को जिला बनाने या न बनाने से नहीं है।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में फिरोजाबाद को जिला बनाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है और जैसा उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि कांच व चूड़ी उद्योग की प्रगति अवरुद्ध हुई है लेकिन कारण जिला बनाने का नहीं है। मान्यवर, ग्लास टेक्नोलोजिस्ट, कांच विशेषज्ञ का कार्यालय, ज्वाइन्ट डायरेक्टर का कार्यालय सब आगरा में है। वहां पर रोजाना कांच विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसकी वजह से हानि होती है और यही कारण अवरुद्ध करने का है। क्या इन कार्यालयों को फिरोजाबाद में भिजवाने की घोषणा करेंगे?

श्री गौरी शंकर—

फिरोजाबाद में पहले से ही ए0 डी0 एम0 ई0 का कार्यालय है, वह सक्षम होता है वहां के कार्यभार को देखने के लिये। इसके अलावा परगना मैजिस्ट्रेट और वरिष्ठ वेतनक्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी का कार्यालय है। नगर की समस्याओं के लिए मुंसिफ मैजिस्ट्रेट का कार्यालय है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, चूड़ी का निर्यात करने में बहुत कठिनाई होती है। कांच उद्योग का कार्यालय फिरोजाबाद में नहीं है। उसके बाद कांच के लिये, कांच का सामान बाहर भेजने के लिये, कांच उद्योग के लिये कोयले की संस्तुति का कार्यालय आगरे में नहीं है जिससे कांच उद्योग में अवरोध हो रहा है और वह जिला बनाये जाने से ही संभव हो सकता है तो क्या आप उसको जिला बनायेंगे?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जो संबंधित अधिकारी हैं, वह वहां हैं, प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं पैदा होता है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थित है। फिरोजाबाद से आगरे की दूरी बहुत अधिक नहीं है। मान्यवर, निर्यात आदि में किसी तरह की कोई कठिनाई की बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, प्रश्न की मूल भावना को समझते हुए उत्तर नहीं आया। क्या माननीय मंत्री जी का मतलब शान्ति व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यों से है। चूड़ी उद्योग का जहां तक प्रबन्ध है उसके सम्बन्ध में ए0 डी0 एम0 ई0 का क्या कार्य हो सकता है। चूड़ी उद्योग से संबंधित जो कार्यालय इस समय फिरोजाबाद के अलावा आगरा में स्थित हैं, उनको तत्काल आप क्या फिरोजाबाद में स्थित करवायेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यहां पर माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने चूड़ी उद्योग से संबंधित कार्यालय की आवश्यकता पर बल दिया है। कांच और चूड़ी उद्योग का जहां तक सम्बन्ध है वह उद्योग निदेशालय के अधीन आता है और सहायक विकास अधिकारी का कार्यालय फिरोजाबाद में है इसलिए इन सारी समस्याओं का निराकरण वहां हो सकता है।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष–

12-20 हो गये हैं। बाकी सदस्यों के प्रश्न कैसे आयेंगे।

मिर्जापुर, चुनार में निजी क्षेत्र में विद्युत-गृह की स्थापना की योजना

*10–श्री कौशिक रमाशंकर, श्री गौरी शंकर भइया तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उत्पादन को पूर्ववर्ती राज्य सरकार की घोषणाओं के अनुसार प्राइवेट सेक्टर को भी देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां। प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 1984 में सर्वश्री हिन्डालको को मिर्जापुर चुनार के आसपास निजी क्षेत्र में 600 मेगावाट का तापीय विद्युत गृह लगाने की अनुमति दी थी। प्रकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनकी सहमति हेतु भेजा गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत गृह लगाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय मंत्री जी ने बताया है पूरे प्रकरण में कि विद्युत की उपज कैसे घटी और यह 600 मेगावाट की बिजली देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों विद्युत बोर्ड अक्षम सिद्ध हो गया है और क्या कोई संस्तुति माननीय मंत्री जी को भेजी गई थी?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, यह बहुत अधिक की मांग थी और सीमित साधन को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि तेजी से और अधिक विद्युत गृहों का निर्माण हम कर सकें इसलिये शासन ने कुछ लोगों को सौंपा। उसके अन्तर्गत श्रीमन् हिन्डालको ने अपना प्रस्ताव शासन को दिया था। शासन ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया, लेकिन वहां नामंजूर हो गया।

प्रदेश में आनपारा, टाण्डा एवं ऊंचाहार विद्युत परियोजना का निर्माण

*11–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी तापीय नई इकाइयों पर काम चल रहा है और वे इकाइयां कब तक पूर्ण होनी चाहिये थीं उनके देर से पूर्ण होने का क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रदेश में आनपारा (ए) परियोजना (3×210 मेगावाट) की 3 इकाइयों, टाण्डा परियोजना (4×110 मेगावाट) की चार इकाइयों तथा ऊंचाहार परि-

---

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

योजना (2×210 मेगावाट) की 2 इकाइयों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार इन परियोजनाओं की इकाइयों को निम्न समय तक पूर्ण हो जाना अपेक्षित था।

आनपारा—

प्रथम इकाई	6/83
द्वितीय इकाई	12/83
तृतीय इकाई	6/84

टाण्डा—

प्रथम इकाई	12/83
द्वितीय इकाई	6/84
तृतीय इकाई	12/84
चतुर्थ इकाई	6/85

ऊंचाहार—

प्रथम इकाई	9/86
द्वितीय इकाई	3/87

आनपारा एवं टाण्डा परियोजनाओं के समय से चालू न किये जा सकने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

1—अध्यापित भूमि के किसानों एवं मालिकों द्वारा कड़ा विरोध करने के कारण प्रारम्भिक देरी।

2—प्रारम्भ में रीनफोर्समेण्ट व स्ट्रक्चरल स्टील की आपूर्ति में कमी।

3—परियोजना को प्रस्तावित धन से कम धन उपलब्ध किया जाना, जिसके कारण न केवल कार्य में शिथिलता लानी पड़ी वरन् जिन सामानों के क्रय आदेश हो चुके थे उनकी आपूर्ति को स्थगित करना पड़ा।

4—बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा मेन इक्विपमेंट की आपूर्ति में देरी तथा इक्विपमेंट की क्रमबद्ध आपूर्ति न कर पाना।

5—आनपारा में मे0ई0पी0 आई0 एवं एम0ए0एम0सी0 द्वारा कोल हैण्डलिंग की सप्लाई व इरेक्शन में देरी।

6—आनपारा एवं टाण्डा में लेबर अनरेस्ट के कारण देरी।

7—आनपारा में वन विभाग की भूमि अभी तक अधिगृहीत नहीं हो पाई है।

8—आनपारा को खादिया कोयला खाना से सम्बद्ध किया गया था परन्तु खादिया खान के देरी से आने के कारण मई, 1984 में आनपारा को अस्थायी रूप से काकरी/बीना खान से सम्बद्ध किया गया जिसके फलस्वरूप एम0जी0 आर0 प्रणाली में परिवर्तन लाकर इसकी प्रगति में देरी।

ऊंचाहार परियोजना की दोनों इकाईयां लगभग निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चालू कर दी जायेगी अतः विलम्ब के कारणों का प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों की सेवा की सुनिश्चितता

*12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में कितने प्रशिक्षण केन्द्र कायम हैं? प्रशिक्षण केन्द्रों पर कार्यरत इन्सट्रक्टर्स एवं अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की सुनिश्चितता के बारे में शासन ने कोई व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्तमान में 36 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति द्वारा 17, भारतीय ग्रामीण महिला संघ द्वारा 10 तथा भारत स्काउट्स गाइड्स द्वारा 9

आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इन स्वैच्छिक संस्थाओं को ही आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों में इन्स्ट्रक्टर्स एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है और इन कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण स्वैच्छिक संस्थाओं का है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा उनकी सुनिश्चितता के बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

ओबरा विद्युत-गृह में कथित अग्निकांड

*13—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ओबरा विद्युत गृह में 2, 3 अक्टूबर, 1983 को लगी आग की जांच रिपोर्ट शासन के पास आ गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में अग्निकाण्ड को रोकने तथा उसके शमन के लिए क्या उपाय सुझाये गये हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

दिनांक 2, 3 अक्टूबर, 1983 को ओबरा विद्युत गृह में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई। अस्तु जांच रिपोर्ट एवं उसके सुझावों का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिले में विद्युत आपूर्ति

*14—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के समीपवर्ती जनपदों में बिजली के रहने पर भी बलिया जनपद को बिजली उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रदेश के विभिन्न जनपदों को अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धारित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अतः यह सम्भव है जब बलिया जनपद में विद्युत उपलब्ध हो तो उस समय निकटवर्ती जनपद देवरिया में विद्युत उपलब्ध न हो। इसी प्रकार जब देवरिया जनपद में विद्युत उपलब्ध हो तो बलिया जनपद में विद्युत उपलब्ध न हो।

उपरोक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था इसलिये की गई है क्योंकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को समस्त विद्युत भार की एक साथ विद्युत आपूर्ति कर पाना वर्तमान उत्पादन क्षमता से सम्भव नहीं है।

राज्य विद्युत परिषद् का औद्योगिक घरानों पर बकाया विद्युत शुल्क

*15—श्री हर्ष वर्धन—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 30 अप्रैल, 1985 तक कितने उद्योगों पर विद्युत बोर्ड का 5 लाख रुपया या उससे अधिक बकाया था? इन बकायादारों में दस सर्वाधिक बकायादार इकाइयां कौन सी थीं एवं उनका किन औद्योगिक घरानों से सम्बन्ध है?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रदेश में लगभग 60 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर 30 अप्रैल, 85 तक 5 लाख रुपये से अधिक विद्युत बोर्ड का बकाया था। प्रश्नगत दस बकायेदारों की सूची निम्न है औद्योगिक घरानों के नाम प्रत्येक के समक्ष अंकित हैं :—

क्र0सं0 बकायेदार का नाम	औद्योगिक घराना
1—मेसर्स हिन्डालको, रेनूकोट	बिरला उद्योग
2—कनोरिया केमिकल्स, रेनूकोट	कनोरिया उद्योग

3–स्वदेशी काटन मिल, कानपुर	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के अधीन
4–स्टील इन्टर प्राइज़ेज, कानपुर	सोमानी उद्योग
5–मैनेजर रिफाईनरी प्रोजेक्ट, मथुरा	भारत सरकार का संस्थान
6–मे0 मोदी कन्सोलिडेटेड	मोदी उद्योग
7–मे0 मोदी स्टील	मोदी उद्योग
8–मे0 मोदी पान लि0 (नायलान)	मोदी उद्योग
9–मे0 जे0 के0 रेयन, कानपुर	जे0 के0 उद्योग
10–कानपुर स्टील वर्क्स, कानपुर	श्री एन0 के0 गुप्ता

राज्य सैनिक परिषद् की बैठक में पारित प्रस्ताव का कार्यान्वयन

*16–कर्नल केशरी सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 जून, 1984 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य सैनिक परिषद् की बैठक में पास किये गये प्रस्तावों में से प्रस्ताव सं0 5 जिसके विषय में मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि सुदृढ़ीकरण एक वर्ष में पूरा किया जाय एवं प्रस्ताव सं0 7 जिस पर मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि विभागीय अधिकारियों की सेवायें नियमित की जायं, पर क्या कोई कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिनांक 8 जून, 1984 की राज्य सैनिक परिषद् की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या–5 से संबंधित सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रस्ताव सं0–7 के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों की सेवा नियमित किये जाने के विषय में शासन ने भारत सरकार द्वारा राज्य रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में नियुक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की सेवा शर्तों आदि के विषय में दी गई संस्तुतियों के आधार पर विचार करने का निर्णय लिया है। उक्त समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात् इस विषय का परीक्षण शासन द्वारा किया जा रहा है।

बस्ती, सहकारी समिति, भनवापुर द्वारा फर्जी ऋण वितरण की जांच

*17–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले गुरुवार हेतु निर्धारित ता0 प्र0 सं0 17 के उत्तर से संबंधित क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 59 सदस्यों से जांच अधिकारी मिलने गये थे क्या उन लोगों ने जांच के दौरान यह आपत्ति की थी कि उनके नाम से फर्जी कर्जा निकाल लिया गया? क्या यह सत्य है कि जांच अधिकारी द्वारा उन लोगों के सही बयान नहीं लिखे जा रहे हैं और दोषी सचिव को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त बिन्दुओं को देखते हुए बाहर से कोई अधिकारी भेज कर इसकी जांच करायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जिन 59 सदस्यों से जांच अधिकारी ने सम्पर्क किया था उनमें से 24 सदस्यों ने ऋण लेना स्वीकार नहीं किया।

जी नहीं।

पहले यह जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी बस्ती कर रहे थे। बाद में जांच गोरखपुर मण्डलीय कार्यालय के अधिकारी से करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ओबरा ताप विद्युत गृह द्वारा विद्युत का उत्पादन

*18–श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा तापगृह की कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? क्या यह सही है कि उक्त तापगृह में उसकी कुल उत्पादन क्षमता के मुकाबले पूरा विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

ओबरा ताप विद्युत गृह की अधिष्ठापित क्षमता उत्पादन क्षमता 1550 मेगावाट है। इस विद्युत गृह में कुल उत्पादन क्षमता के मुकाबले पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है।

इसके कारण निम्नवत् हैं :–

1–अग्नि दुर्घटना के कारण 200 मेगावाट की दो इकाइयों का बन्द होना।

2–रूस द्वारा निर्मित 5×50 मेगावाट की इकाइयों का लम्बे समय से चलने के कारण पुर्जों का खराब हो जाना व क्षमता में ह्रास।

3–100 मेगावाट की तीन मशीनों में डिजाइन की खराबी जिससे प्रत्येक को 80 मेगावाट से अधिक पर चलाना संभव नहीं।

4–भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा निर्मित 200 मेगावाट की पाच इकाइयों की दोषपूर्ण डिजाइन।

5–5×200 मेगावाट की इकाइयों में कम क्षमता वाले कोल हैण्डलिंग प्लान्ट का होना।

6–कोयले की खराब क्वालिटी।

उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं :–

1–इकाई नं0-10(200 मेगावाट) जो आग के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी, उसे शीघ्र चलाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं और इसके सितम्बर तक पुनः चालू किये जाने की आशा है।

2–50, 100 एवं 200 मेगावाट की कुल 13 इकाइयों के "नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण" के लिये एक योजना बनायी गयी है तथा इसे 3 वर्षों में पूरा किया जायगा।

3–कोल हैण्डलिंग प्लान्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए मे0 टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को अनुबंधित किया गया है।

4–कोयले की क्वालिटी में सुधार हेतु भारत सरकार एवं कोल इंडिया से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

*19–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

बस्ती की ग्राम सभा भंड़ाहा के प्रधान द्वारा किया गया गबन

*20–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा भंड़ाहा, वि0 खं0 खेसरहा, तह0

बांसी, जिला बस्ती के प्रधान के समस्त कागजातों की जांच सम्बन्धित सुपरवाइजर कानूनगो ने 28-10-84 को की, जिसमें गबन के गम्भीर आरोप पाये गये है ?क्या यह सत्य है कि संबंधित नायब तहसीलदार ने उपरोक्त गबन के विषय में अपनी रिपोर्ट तहसीलदार बांसी को 25-11-84 को दी है तथा तहसीलदार, बांसी ने 26-11-84 को गबन सम्बन्धी अपनी आख्या परगनाधिकारी, बांसी को दी है? यदि हां, तो गबन सम्बन्धी सम्पूर्ण जांच आख्या क्या है तथा प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)— जी हां।

जी हां ।

नायब तहसीलदार की जांच आख्या के अनुसार (संक्षेप में) प्रधान ने आवास स्थल के आवंटियों से 50 रु0 की दर से धन का संग्रह किया जबकि उन्हें अधिकतम 10.80 रुपये की रसीद दी । रसीद बही के अनुसार प्रधान को 10-12-83 को 402.30 रुपये की धनराशि प्राप्त हो गयी थी जिसे वह 21-1-84 तक अपने पास रखे रहे तथा 22-1-84 को 399.30 रुपये जमा किये ।

दिनांक 10-12-83 के प्रस्ताव द्वारा 56 व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी थी किन्तु प्रधान ने 6 व्यक्तियों से नजराने के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की, का उल्लेख रसीद बही या पासबुक में नहीं किया। आय-व्यय रजिस्टर के अनुसार 3-11-84 को 3720.00 और 16-11-84 को 1240.00 रुपये ईंट क्रय करने हेतु जमा किया गया जो बिक्रीकर सम्मिलित करने के बाद क्रमशः 4017.60 तथा 1339.20 रुपये की धनराशि होती है। दिनांक 18-11-84 को 840/-रु0 ईंटढोने का किराया के रूप में भुगतान दिखाया गया है जबकि गांव में कोई ईंट नहीं पहुंची। इसी प्रकार उसी तिथि में 280/- रु0 ईंट ढुलाई और 275 रु0 बालू मंगाने के लिए भुगतान किये जाने का उल्लेख है किन्तु वास्तव में कोई ईंट या बालू नहीं मंगायी गयी तथा इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि का प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया ।

दिनांक 18-11-84 को 1 हजार ईंट मंगाने के लिए 334.80 रुपये तथा 10.80 रुपये की लेखन-सामग्री मंगाने का उल्लेख आय-व्यय रजिस्टर में किया गया है जिसकी कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी ।

नियमानुसार प्रधान द्वारा अपने पास 25/- रुपये से अधिक की धनराशि नहीं रखी जा सकती है तथा ग्राम सभा की आय का 25 प्रतिशत संचित गांव सभा कोष में जमा करना चाहिए जिसका प्रधान ने पालन नहीं किया ।

प्रधान को आरोप पत्र दे दिया गया है। प्रधान द्वारा आरोप पत्र प्राप्त करके अपना स्पष्टीकरण दिनांक 13-2-85 को प्रस्तुत किया गया । प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा-95 जी के अधीन कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर की चकबन्दी एवं मो0 ताहिर का चक एवं फर्जी नकल और श्री नूरुल हसन खां बनाम श्री अब्दुल वाहिद खां का मुकदमा

1—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जग-

दीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा संख्या 1128/2-2 बिस्वा 10 धुर न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर के आदेश के बावजूद खातेदारों को न दिये जाने का क्या कारण है क्या इस मामले की जांच कराकर दोषी चकबंदी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में गाटा सं0 1128/2 क्षेत्रफल 2 बिस्वा 10 धुर चकबंदी अधिकारी के आदेश मु0 नम्बर 465 से 472 दिनांक 19-1-85 द्वारा मो0 ताहिर पुत्र अब्दुल वाहिद के नाम अंकित होने का आदेश हुआ है। तदनुसार मो0 ताहिर की आ0 पत्र-23 भाग-1 के उद्धरण के चक संख्या 6/2 में 1128/2 रकबा 2 बिस्वा 10 धुर किया गया है। यह कार्यवाही नियमानुसार हुई है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 465 से 472 अन्तर्गत धारा 9 क(2) जोत चकबंदी अधिनियम, ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर नुरुल हसन खां बनाम अब्दुल वाहिद न्यायालय चकबन्दी अधिकारी–6, जगदीशपुर में जाली व फर्जी नकल मु0 ताहिर आदि की ओर से दाखिल की गयी है? इस सम्बन्ध में श्री नुरुल हसन खां का शिकायती पत्र दि0 15-1-85 डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी सुल्तानपुर एवं दि0 17-1-85 बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर को जरिये रजिस्ट्री प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में वाद संख्या–465 से 472 अंतर्गत धारा 9क(2) जोत चकबंदी अधिनियम नुरुल हसन खां बनाम अब्दुल वाहिद के अंतर्गत च0 अ0–6 जगदीशपुर के न्यायालय में मो0 ताहिर आदि की तरफ से जाली व फर्जी नकल दाखिल करने के संबंध में श्री नुरुल हसन खां का शिकायती पत्र दिनांक 15-1-85 डिप्टी डायरेक्टर, चकबंदी, सुल्तानपुर के न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त संदर्भ में उनका शिकायती पत्र दिनांक 17-1-85 रजिस्ट्री द्वारा ब0 अ0 च0 मुसाफिरखाना के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में जांच की गयी। दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रथम सूचना अंकित करने के लिये थानाध्यक्ष, जगदीशपुर को बन्दोबस्त अधिकारी, मुसाफिरखाना द्वारा लिखा गया है।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर एवं रसूलपुर की चकबन्दी

3–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर तथा रसूलपुर, परगना जगदीशपुर तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 काश्तकारों को वितरण कर दिये गये हैं परन्तु आज तक काश्तकारों को नये चकों का कब्जा नहीं दिया गया है जिससे खरीफ की फसल बोने में रुकावट आ रही है ?

यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों को अविलम्ब चकों पर कब्जा दिलाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम रसूलपुर तथा बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में जो0 च0 आकार पत्र 23 काश्तकारों को वितरित कर दिये गये हैं। प्रस्तावित चकों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण अभी लम्बित है। इसलिये अन्तिम सीमांकन नहीं हो सका है और इस समय खरीफ की फसल के कारण कब्जे का हस्तान्तरण सम्भव नहीं है।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर की चकबन्दी तथा श्री नुरुल हसनैन खां का कथित शिकायती-पत्र

4–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में श्री नुरुल हसनैन खां आदि जिला लखनऊ का शिकायती प्रार्थना-पत्र दि0 8-5-85 राजस्व राज्य मंत्री को रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर चकबंदी विभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं आदि के संबंध में श्री नुरुल हसन खां आदि जिला लखनऊ का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-5-85 राजस्व मंत्री को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर, ग्राम दौलतपुर निसूरा –की चकबन्दी एवं श्री नुरुल हसन खां बनाम श्री अली अहमद का मुकदमा

5–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 6270/83 अन्तर्गत धारा 9 क(2) जो चकबन्दी अधिकारी, नुरुल हसन खां बनाम अली अहमद आदि ग्राम दौलतपुर निसूरा न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर पर आज तक लम्बित रहने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वाद संख्या-6270/83 अन्तर्गत धारा 9 (क) 2 नुरुल हसन खां बनाम अली अहमद आदि न्यायालय च0 अ0 जगदीशपुर के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध उप संचालक सुल्तानपुर के न्यायालय में निगरानी दायर हुई है। उक्त संदर्भ में वाद संख्या-6270 धारा 9(क) 2, उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में तलब कर ली गई है। फलस्वरूप चकबंदी आयुक्त स्तर पर वाद लम्बित है।

सुल्तानपुर, ग्राम दौलतपुर, निसूरा में चकबन्दी एवं श्री अब्दुल वाहिद बनाम श्री दोस्त मोहम्मद का मुकदमा

6–श्री गौरी शंकर भइया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 190 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 6895 अन्तर्गत धारा

9(क) जोत चकबन्दी अधि0, अब्दुल वाहिद बनाम दोस्त मुहम्मद आदि ग्राम दौलतपुर, निसूरा न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में आज तक लम्बित होने का क्या आधार है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम दौलतपुर, निसूरा परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर वाद संख्या–6895 अन्तर्गत धारा 9 क(2) जो0 ब0 अधिनियम अब्दुल वाहिद बनाम दोस्त मोहम्मद की पत्रावली दिनांक 17-10-83 को चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तलब कर ली गई है। जिसके कारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा यह वाद अभी तक निस्तारित नहीं किया जा सका है।

सुल्तानपुर, जिला उप संचालक चकबन्दी के यहां लम्बित मुकदमें

7–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला संचालक एवं उप संचालक चकबन्दी जिला सुल्तानपुर के न्यायालयों पर लम्बित वादों की संख्या कितनी है तथा कब से लम्बित हैं? मुकदमों का निस्तारण न होने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिला संचालक नाम का कोई पद नहीं है वरन जिला उप संचालक पद नाम है।

जिला सुल्तानपुर में जिला उप संचालक एवं उप संचालक चकबन्दी के न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या 9,862 है। वर्ष 1972 में 5 वाद अवशेष से प्रारम्भ होकर वर्ष 1985 तक वादों की संख्या 9,862 हो गयी। निस्तारण न होने का मुख्य कारण ये है कि जून, 1984 से जनवरी, 1985 की अवधि में 2 उप संचालक चकबन्दी (न्यायिक) के पद रिक्त रहे। इसके अतिरिक्त वादों के निस्तारण में अभिवक्ताओं से भी अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा शीत गृहों के निर्माण के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

8–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा निर्माणाधीन सहकारी शीतगृहों की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने 10 दिसम्बर, 1984 से 23 मार्च, 1985 तक कितने शीतगृहों की जांच की और निर्माण में क्या-क्या कमियां पायी गयीं? समिति की संस्तुतियां क्या हैं तथा उन पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा उ0 प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ के कार्यकलापों का निरीक्षण 10 दिसम्बर, 1984 से 23 मार्च, 1985 तक किया गया था तथा दो शीतगृहों-खरखोदा (मेरठ) व सुचितागंज (फैजाबाद) के निर्माण के संबंध में निम्न कमियां पायी गईं :–

(1) नियमों के विपरीत ठेके दिये गये।

(2) अनियमित ढंग से दरों में वृद्धि की गयी।

(3) निर्माण सामग्री के उपयोग में अनियमितता की गई।

निरीक्षण पत्र में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है।

प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ से अपेक्षा की गई है कि निरीक्षण पत्र में उठाई गई आपत्तियों का अनुपालन कराया जाय तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं विद्युत की मांग

9—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 10 वर्षों में विद्युत मांग तथा विद्युत उत्पादन में प्रत्येक वर्ष कितना अन्तर रहा ? इन्हीं वर्षों में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रदेश में विगत दस वर्षों में विद्युत मांग तथा विद्युत उपलब्धता में प्रत्येक वर्ष का अन्तर निम्न तालिका में दर्शाया गया है। इन्हीं वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता भी इसी तालिका में प्रदर्शित की गई है:—

वर्ष	विद्युत उपलब्धता	विद्युत मांग (मि0यू0)	विद्युत मांग तथा उत्पादन में अन्तर		अधिष्ठापित क्षमता (अनडीरेटेड) मेगावाट
			मि0यू0	औसत मेगावाट	
1975—76	8407	9961	1554	177	2078—34
1976—77	10155	11349	1194	136	2490—34
1977—78	9311	12226	2915	332	2857—35
1978—79	10390	12210	1820	207	3061—95
1079—80	10471	14500	4029	460	3253—95
1980—81	10343	14942	4599	525	3587—95
1981—82	11511	16869	5358	612	3769—95
1982—83	13498	17096	3598	410	3169—95
1983—84	13801	17797	3996	456	3923—85
1984—85	14812	19806	4994	570	4133—85

नैनीताल अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

10—श्री पूरन सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजना में नैनीताल अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के लिए प्रति वर्ष कितने-कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? निर्धारित लक्ष्य के विपरीत उक्त जनपदों में कितने-कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री— : विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का लक्ष्य व पांचवी तथा छठी योजना में जनपद उपलब्धि (वर्ष वार) निम्नवत् है:—

अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में

वर्ष	नैनीताल		अल्मोड़ा		पिथौरागढ़	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
पांचवीं योजना—						
1975–76 ..	19	64	26	64	21	3
1976–77 ..	18	83	24	151	27	9
1977–78 ..	75	59	100	118	90	58
1978–79 ..	46	56	81	102	61	65
1979–80 ..	39	50	115	136	60	64
योग ..	197	312	346	571	259	199
छठी योजना—						
1980–81 ..	29	30	154	192	64	13
1981–82 ..	142	231	128	150	82	77
1982–83 ..	35	288	102	89	48	127
1983–84 ..	30	54	117	117	65	50
1984–85 ..	24	88	156	159	87	87
योग ..	260	691	657	707	346	354
पांचवीं एवं छठी योजना का कुल योग—457 ..		1003	1003	1278	605	553

11—श्री पूरन सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन तीनों जनपदों में अलग-अलग वर्ष 1985 के अन्त तक कुल कितने-कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो जाने की आशा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1985 के अंत तक जनपद नैनीताल में 87.7 प्रतिशत, जनपद अल्मोड़ा में 55.2 प्रतिशत एवं जिला पिथौरागढ़ में 34.4 प्रतिशत गांव ऊर्जीकृत होने की आशा है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के उप निदेशकों को कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार

12—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के उप निदेशकों को अन्य विभाग के उप निदेशकों की तरह चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार प्राप्त हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

शासनादेश संख्या 2182/26-1-81-2 जी (3)/78 दिनांक 22 अप्रैल, 1981 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका अधिकतम 350 रु0 प्रतिमाह वेतन (पुराने वेतनमान में) है, उसके नियुक्ति अधिकार उप निदेशकों को प्राप्त हैं।

बलिया के ग्राम सीहा कुण्ड के सर्वश्री पूर्णमासी, सतनरायन एवं देव नारायन के यहां अग्निकांड

13–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र जनपद बलिया के सीहाकुण्ड ग्राम में पूर्णमासी शिव-नारायण एव देव नारायण के घर में मई, 1985 के प्रथम सप्ताह में आग लगी और अहेतुक सहायता 3 जून, 1985 को दी गई ? यदि हां, तो विलम्ब के लिए दोषी कौन है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद बलिया के द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सीहाकुण्ड में दिनांक 9-5-85 को अग्निकांड की घटना हुई जिसमें सर्वश्री पूर्णमासी, सत्यनारायन एवं देव नारायण के परिवार प्रभावित हुए। इस घटना की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 10-5-85 को दी गयी जिसे प0 का0 को उसी दिन जांच हेतु दे दिया गया। प0का0 की जांच आख्या दिनांक 21-5-85 को प्राप्त हुई। उक्त जांच आख्या के आधार पर तहसीलदार, बलिया द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 200 रु0 अहेतुक सहायता दिये जाने हेतु अपनी संस्तुति दिनांक 21-5-85 को ही परगनाधिकारी बलिया को लौटा दी गयी परगनाधिकारी ने दिनांक 23-5-85 को अहेतुक सहायता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जिसके आधार पर दिनांक 1-6-85 को प्रत्येक व्यक्ति को 200 रु0 अहेतुक सहायता वितरित किया गया। उक्त कार्यवाही/प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए सहायता दिए जाने में कोई विशेष उल्लेखनीय विलम्ब हुआ प्रतीत नहीं होता है श्री शिव नारायन नाम के व्यक्ति का परिवार इस काण्ड में प्रभावित नहीं हुआ है।

गोरखपुर के ग्राम पोखर भिण्डा की बंजर भूमि

14–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील सदर में ग्राम पोखरभिन्डा में आबादी एवं बंजर की जमीन है ? यदि हां, तो आबादी एवं बंजर की भूमि पात्र व्यक्तियों में आवंटन की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। किन्तु उक्त भूमि पात्र व्यक्तियों में आवंटित नहीं की गई है क्योंकि उक्त भूमि पर जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी का वाद तहसीलदार सदर के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके निस्तारण के बाद ही आवंटन करना उचित होगा।

टिहरी जिले के मुख्यालय को नरेन्द्रनगर से टिहरी नगर में स्थानान्तरण की कथित योजना

15–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने लगभग 10 वर्ष पूर्व टिहरी जनपद के मुख्यालय को नरेन्द्र नगर से हटाकर टिहरी नगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था जिसे आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया ? यदि हां,

तो क्यों ? क्या टिहरी की सामान्य जनता के हितों को ध्यान में रखकर सरकार तुरन्त इसे कार्यान्वित करेगी यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं, इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया । अतः क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माणाधीन टिहरी बांध परियोजना के पूर्ण हो जाने पर सम्पूर्ण टिहरी नगर जल-मग्न हो जायेगा ।

उन्नाव, ग्राम समाज दऊ दरसवों के दतनाई तालाब की नीलामी

16–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम समाज दऊं-दरसवां व मिरीकलां आदि के दतनई ताल की नीलामी लेने वाले (श्री अर्जुन सिंह) पर इस समय कुल कितनी धनराशि बकाया है ? बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम समाज दऊं-दरसवां व मिरीकलां आदि के दतनई तालाब की नीलामी श्री अर्जुन सिंह के नाम नहीं की गई है ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर, राजधानी विद्युत उपकेन्द्र के तार से भैंस की मृत्यु

17–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विद्युत उपकेन्द्र राजधानी के अन्तर्गत दि0 3-6-85 को शाम 4 बजे विद्युत तार टूटने से ग्राम कोना सोनबरसा के पास 4-6-85 को प्रातः 8 बजे किसी पालतू जानवर की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो उस पालतू जानवर के मालिक को क्या मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद गोरखपुर के दक्षिण फीडर जो राजधानी विद्युत उपकेन्द्र से निकलता है, के एक तार दिनांक 3-6-85 को टूट जाने के कारण ग्राम डीहघाट टोला टूगरी के पास श्री बालकरन की भैंस दिनांक 4-6-85 की सुबह उसके सम्पर्क में आने से मर गई ।

भैंस के मालिक को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही मुख्य विद्युत निरीक्षक की आख्या प्राप्त होने पर विद्युत परिषद् द्वारा की जायेगी ।

देवरिया के ग्राम रामपुर हिरामन तप्पा नगवां में भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव

18–श्री रणजीत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर, हिरामन, तप्पा नगवां परगना शाहजहांपुर तहसील व जिला देवरिया के किन-किन भूमि-हीनों को भूमि आवंटित करने हेतु स्थानीय ग्राम सभा ने कब प्रस्ताव एस0 डी0 एम0 सदर को स्वीकृति हेतु भेजा था व उन्हें अब तक शासन के आदेश के बाद भी किन कारणों से पट्टों पर कब्जा नहीं दिलाया गया है और कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

भूमि प्रबन्धक समिति ने ग्राम रामपुर हिरामन तप्पा नगवां, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के 5 व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने

का प्रस्ताव दिनांक 2-8-1983 को पारित किया था, जिसमें 4 व्यक्तियों-सर्वश्री मसू, बल्देव पुत्रगण बऊड़म, मुनेसर पुत्र हरपाल, भागी पुत्र चितंडी को गाटा सं0 496 में 40 डि0 प्रत्येक तथा सरवन पुत्र जमुना को गाटा संख्या 414 में 0.35 एकड़ क्षेत्रफल का आवंटन प्रस्तावित किया गया था। भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों की जांच आख्या सहित परगनाधिकारी को 2-5-1984 को प्रस्तुत किया गया।

भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव को अनियमितता तथा सरवन पुत्र श्री जमुना को अपात्रता के कारण परगनाधिकारी ने अनुमोदित नहीं किया था। अतः इन व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे ही निष्पादित नहीं किये गये हैं, जिसके कारण उन्हें कब्जा दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

देवरिया जिले की ग्राम सभाओं की पोखरियों (जलाशयों) के पट्टे

19—श्री रणजीत—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जिला देवरिया के देवरिया तह0 के किन-किन ग्राम सभाओं ने अपने ग्राम की किन-किन पोखरियों (जलाशयों) को कितनी-कितनी अवधि के लिए किन-किन लोगों के नाम कितनी-कितनी धनराशि में पट्टों पर दिया है व उनके पट्टों की स्वीकृति कब और किस अधिकारी ने की है और जिन पोखरियों को बगैर पट्टा प्राप्त किये कुछ ग्राम सभा पदाधिकारी खुद मछलियां मरवा कर स्वयं बेच रहे हैं, तो उन पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचनानुसार जिला देवरिया की तहसील देवरिया में कुल 234 ग्राम सभाओं में 542 पोखरियों (जलाशयों) का 10 वर्षीय पट्टे कुल 11,16,291.00 रुपये में किये गये थे, जिसकी स्वीकृति तहसीलदार तथा परगनाधिकारी, देवरिया द्वारा प्रदान की गई है। विस्तृत विवरण हेतु सूची मेरे कार्यालय में आकर देखी जा सकती है।

ग्राम सभा के पदाधिकारियों द्वारा बिना पट्टा प्राप्त किये खुद मछलियां मरवाकर बेचने की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया, ग्राम सभा, देवरिया बुद्धूखां, तप्पा-पटना की पोखरियों का पट्टा

20—श्री रणजीत—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा-देवरिया बुद्धूखां, तप्पा-पटना, परगना-शाहजहांपुर, तह0 व जिला देवरिया के किन-किन पोखरियों की नीलामी कब और किसके नाम से व कितने रुपये में की गई है और उसका पट्टा अब तक सम्बन्धित व्यक्तियों को किन कारणों से नहीं दिया गया है व कब तक दे दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत ग्राम में तीन पोखरियों का नीलाम किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

क्रम संख्या	पोखरियों का गाटा संख्या	क्षेत्र फल	नीलामी दिनांक	नीलामी धन राशि (रुपयों में)	व्यक्ति का नाम जिसके नाम नीलामी हुई
1	2	3	4	5	6
1	356क	0·64	26-12-82	200	शिवनाथ
2	117क	1.34	26-12-82	1100	शिवनरायन
3	204	0.60	26-12-82		पुत्र झम्मन

इन व्यक्तियों को कथित पोखरियों के 10 वर्षीय पट्टे परगनाधिकारी द्वारा 25.1.83 को स्वीकृत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर के ग्राम हयातनगर की चकबन्दी

21–श्री यदुनाथ सिंह –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला व तह0 सुल्तानपुर के ग्राम हयातनगर का चकबन्दी कार्य चक नापकर किसानों को कब्जा देने के स्तर पर था तथा उक्त गांव के कुछ भूखंडों से संबंधित राम लगन व भगवत प्रसाद बनाम दुर्गा प्रसाद व केदार तथा अन्य के वाद में मा0 उच्च न्यायालय ने केवल उक्त भूखण्डों के स्वामित्व को न परिवर्तन करने का स्थगन आदेश पारित किया है जिससे पूरे गांव की चकबन्दी कार्य ही बन्द कर दिया गया है एवं जिससे उक्त ग्रामवासियों में घोर निराशा व्याप्त है ? यदि हां, तो यह आदेश कब पारित किया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

जी हां, क्योंकि स्थगन आदेश से प्रभावित भूखण्डों को तथा उससे संबंधित चकदारों को समायोजित करने के पश्चात् शेष ग्रामों के चकदारों को कब्जा परिवर्तन देना नियमानुसार सम्भव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन आदेश याचिका सं0 4096/82 में दिनांक 27-8-82 को पारित किये गये।

22–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम में स्थित उक्त विवादग्रस्त भूखण्डों को छोड़कर और इससे प्रभावित अन्य चकों को समायोजित कराके चक नपवाकर किसानों को शीघ्र कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय को उक्त वाद की शीघ्र सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 27-8-82 तथा चकों के अन्तर प्रभावित होने के कारण नये चकों पर कब्जा परिवर्तन कराया जाना सम्भव नहीं है।

याचिका पक्षों के मध्य है फिर भी स्थगन आदेश रिक्त कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

बस्ती के ग्राम राजपुर के श्री चन्द्रराम के चकों की पैमाइश सम्बन्धी कथित प्रार्थना पत्र

23—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री चन्द्रराम पुत्र धुनमुन मुराव ग्राम राजपुर तह0 डुमरियागंज, जनपद बस्ती से कोई प्रार्थना पत्र अपने नम्बरान की पैमाइश के लिए मार्च, 84 में दिया था और परगनाधिकारी, डुमरियागंज ने एक जांच पैनल नियुक्त किया था? यदि हां, तो अब तक उसकी पैमाइश न करने के क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

पत्र का प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। नम्बरान की पैमाइश के लिए कोई पैनल नियुक्त नहीं किया जाता है।

भू-खण्ड के पैमाइश प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा-41 के अन्तर्गत परगनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना प्राविधानित है तथा उस पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु रेवन्यू कोर्ट मैनुअल के अन्तर्गत प्रक्रिया निर्धारित है।

वाराणसी, ग्राम देवराई के रास्तों पर सर्व श्री लालता, हिरानू, राम देव, राम नरेश का अवैध कब्जा और सड़क पर सर्व श्री राम सुभग, राम देव, विश्वनाथ, रामनरेश, रामधारी, जगधारी आदि का अवैध कब्जा

24—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई, परगना कोलअसला, तह0 वाराणसी, जिला वाराणसी में रास्ता नं0 615 जिसमें आ0 नं0 513 व 512 कहीं-कहीं 60 व 70 कड़ी है, को लालता पुत्र जमुना, हिरानू पुत्र विश्वनाथ व रामदेव पुत्र तुलसी, रामनरेश पुत्र राममनोहर गांव देवराई, परगना कोल-असला, तह0 वाराणसी ने अपने खेत में मिलाकर चकबन्दी के बाद जोत लिया है? क्या यह सही है कि असिस्टेंट कलेक्टर, वाराणसी (तहसीलदार) के यहां इन लोगों ने सन् 82 में लिख कर दे दिया था कि हम लोगों का कब्जा नहीं है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

मामले में जांच करायी जा रही है।

जी नहीं।

जांच की जा रही है।

25—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई, परगना कोल असला, तह0 व जिला वाराणसी की आराजी नं0 148 व 795 व 792 जिसमें सड़क व रास्ता है पर क्रमशः राम सुभग पुत्र रामदेव व रामदेव पुत्र तुलसी तथा बरसाती पुत्र तुलसी देवराई ने अनाधिकार कब्जा कर लिया है? क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट कलक्टर (तहसीलदार), वाराणसी ने दि0 30-9-83 को इन लोगों को बेदखल कर दिया है और इनके खिलाफ आदेश पारित किया है? यदि हां, तो क्या इन लोगों ने गांव सभा की जमीन को अब तक खाली नहीं किया? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार गांव सभा की उक्त जमीन को कब तक खाली करायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां,

उक्त गांव सभा के गाटा सं0 184/0.01, 792/0.06, 795/0.13 पर प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रक्खा है जिस पर से सहायक कलक्टर/तहसीलदार, वाराणसी ने दिनांक 30-9-82 को उनकी बेदखली तथा ग्रामसभा को क्षतिपूर्ति के आदेश पारित किये थे। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी की गयी थी जिसे अपर जिलाधिकारी ने दिनांक 25-8-83 को स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त कर पत्रावली गुण-दोष के आधार पर पुनः

निर्णय हेतु सहायक कलेक्टर/तहसीलदार के न्यायालय में प्रत्यावर्तित कर दिया जिसमें 22-8-85 की तिथि स्थल निरीक्षण हेतु निर्धारित है।

26—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा दवेराई, परगना कोल असला, तह0 व जिला वाराणसी में गांव सभा की आराजी नं0 792 में विश्वनाथ पुत्र परगास, रामनरेश, रामधारी, रामगनेश पुत्र मनोहर, लछिमन पुत्र रूपधारी व जगधारी पुत्र जगन्नाथ गांव दवेराई ने अनाधिकार कब्जा कर लिया है और सड़क व रास्ते को भी अवरुद्ध किया है? क्या यह सही है कि असिस्टेंट कलेक्टर (तहसीलदार) वाराणसी ने 30-9-82 को गांव सभा दवेराई के पक्ष में इस जमीन को बेदखल कर दिया है और आदेश पारित किया? यदि हां, तो इन लोगों से कब्जा आज तक न हटवाने का कारण क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, वाराणसी ने दिनांक 30-9-82 को प्रश्नगत भूमि से प्रतिवादीगण की बेदखली तथा ग्राम सभा की क्षतिपूर्ति हेतु आदेश पारित किये थे जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण निगरानी प्रस्तुत किये थे जिसे अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने दिनांक 25-8-83 को स्वीकार कर अपर न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए वाद को पुनः गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया जिसमें अब 22-8-85 की तिथि स्थल निरीक्षण हेतु निर्धारित है।

27—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा दवेराई, परगना कोल असला, तह0 व जिला वाराणसी में गांव दवेराई में रेलवे लाइन से पश्चिम जाने वाले चकरोड को जगधारी पुत्र जगन्नाथ गांव दवेराई ने अपने चक्र में मिला कर जोत लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करायेगी और उक्त चकरोड को जोतने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत प्रकरण में जांच करायी जा रही है। जांच के उपरान्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

28—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा दवेराई, परगना कोल असला, तह0 व जिला वाराणसी की आराजी नं0 792 में लालता पुत्र जमुना गांव दवेराई ने (अर्सा) 2 वर्ष पूर्व एक ईंट का कमरा तथा एक मिट्टी का तामीर रास्ते में कर लिया है जिसकी सूचना गांव प्रधान श्री राजबली ने तामीर करते वक्त ही परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी व तहसीलदार वाराणसी को (लिखित रिपोर्ट) दी थी? उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अवैधानिक तामीर को हटवायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। उक्त गांव सभा की गाटा सं0 792/3 पर क्षेत्रफल 0.06 एकड़ श्री लालता पुत्र श्री जमुना ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। प्रधान राजबली द्वारा कोई लिखित रिपोर्ट नहीं की गई थी। सहायक कलेक्टर (तहसीलदार) वाराणसी ने अपने आदेश दिनांक 16-7-85 द्वारा अनधिकृत अध्यासीन को बेदखल कर दिया है तथा उक्त आदेश के निष्पादन क्षतिपूर्ति हेतु निष्पादन प्रपत्र 49-ग में नोटिस जारी कर दी गई है।

29—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा दवेराई, परगना कोल असला, तह0 व जिला वाराणसी में खतौनी खाता नं0 615, 792, 610, 611, 620, में नं0 692, 795, 184, 513, 533 वगैरह चकबंदी में तथा उसके पूर्व से रास्ता एवं बंजर दर्ज है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस जमीन को रामदेव पुत्र तुलसी, हिरानू पुत्र विश्वनाथ, लालता पुत्र जमुना, रामनरेश पुत्र मनोहर, रामसुभग पुत्र रामदेव, गांव दवेराई वगैरह ने अपने खेत में मिलाकर जोत लिया है? क्या यह भी सही है कि 122 बी के मुकदमें में इन लोगों ने तहसीलदार, वाराणसी को हलफनामा दे दिया है कि जमीन को छोड़ दिया है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इन लोगों ने आज भी जमीन को नहीं छोड़ा है और राम सुभग ने कच्चा मकान बना लिया है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर गांव सभा के रास्ते व जमीन को छुड़वायेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम दवेराई के नम्बर 692/0-46 चक मार्ग 759/0-13 नवीन परती 184/0-18 रास्ता 513/0-33 रास्ता व 533/0-06 अभिलेख में चकमार्ग रूप में दर्ज है।

आराजी नं0 184/0-01 व 795—13 पर अनाधिकार कब्जा के संबंध में राम सुभग पुत्र रामदेव व रामदेव पुत्र तुलसी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही लम्बित है जिसमें स्थानीय निरीक्षण हेतु दिनांक 22-8-85 नियत है।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

जांच करायी जा रही है और अनधिकृत कब्जा पाये जाने पर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

30—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाता सं0 615, 792, 610, 611, 620 के नम्बरान पिंडरा दवेराई सराय मार्ग के रूप में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लिया है और जमीन उपरोक्त लोगों के न छोड़ने से मार्ग नहीं बन पा रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, प्रश्नगत गाटों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिये जाने की कोई सूचना तहसील के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर, ग्राम विश्वनाथपुर की ग्राम सभा के विद्युत कनेक्शन की बिक्री

31—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विश्वनाथपुर में विद्युत कनेक्शन नं0 ए0/4/15/88, 5 हार्स पावर वर्ष 1969-70 में स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या मीटर नं0 ए0एम0पी0 3 पी0/जी0 47/67 जी0 डी0 सी0 की लाइन को दिनांक 9-1-84 को गलत बयान हल्फी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम कनेक्शन स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या विक्रेता ग्राम प्रधान व क्रेता श्री सीताराम पुत्र श्री हरनाम ग्राम तथोक्त के द्वारा दी गयी बयान हल्फी की जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विश्वनाथपुर में विद्युत कनेक्शन नं0-ए/4/15/85 वर्ष 1969-70 में 5 अश्व शक्ति का निजी नलकूप हेतु स्वीकृत हुआ था, जिसका अनुबन्ध तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामधारी द्वारा किया गया था, किन्तु वर्तमान ग्राम प्रधान श्री पारसनाथ ने उक्त विद्युत कनेक्शन पर लगी मीटर आदि को दिनांक 25-12-83 को श्री सीताराम पुत्र श्री हरनामा ग्राम विश्वनाथपुर, ब्लाक ब्रह्मपुर, जिला गोरखपुर के नाम बेच दिया। क्रेता श्री सीताराम तथा विक्रेता श्री पारसनाथ ने आथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित बयान हल्फी संबंधित विद्युत कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दिनांक 9-1-84 को उक्त कनेक्शन क्रेता श्री सीताराम के नाम स्थानान्तरित कर दिया गया ।

ग्राम प्रधान श्री पारसनाथ द्वारा ग्राम सभा की बेची गई मोटर आदि के संबंध में आवश्यक जांच जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर द्वारा की जा रही है बयान हल्फी जिसके आधार पर कनेक्शन हस्तानान्तरित किया गया है उसकी जांच विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

हरदोई, तहसीलदार, बिलग्राम के विरुद्ध शिकायती-पत्र

32–श्री हरि शंकर तिवारी (बिलग्रामी)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तहसीलदार, बिलग्राम, जिला हरदोई के विरुद्ध योगेन्द्र सिंह आदि का शिकायती पत्र दिनांक 18-6-85 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करने हेतु उसे राजस्व परिषद् के माध्यम से जिलाधिकारी, हरदोई को भेज दिया गया है।

बाराबंकी, सहकारी निरीक्षक, श्री धर्मदेव सिंह की पदोन्नति

33–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मदेव सिंह, सहकारी निरीक्षक, वर्ग–1, जनपद बाराबंकी की पदोन्नति वर्ग–2 से वर्ग–1 में वर्ष 84-85 में की गयी है? क्या यह सही है कि इनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि प्रतिकूल होते हुए भी इन्हें पदोन्नति दे दी गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या मंत्री जी श्री सिंह की पदावनति करने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

मामले की छानबीन की जा रही है।

कलेक्ट्रेट, रायबरेली के कर्मचारी की कार्यकाल में की गयी वृद्धि

34–श्री शारदा प्रताप–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980 से मई, 1985 तक कलेक्ट्रेट, जनपद रायबरेली के कितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति आयु पूरी करने के पश्चात उनका कार्यकाल बढ़ाया गया? यह कार्यकाल प्रत्येक का अलग-अलग कितनी बार बढ़ाया गया और उसका आधार क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1980 से मई, 1985 तक कलेक्ट्रेट, रायबरेली के तृतीय श्रेणी के एक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने के उपरान्त सेवा काल बढ़ाया गया। उक्त कर्मचारी का कार्य-काल दिनांक 1-8-84 से 31-10-84, दिनांक 1-11-84 से 20-2-85 तक तथा दिनांक 1-3-85 से 31-8-85 तक तीन बार बढ़ाया गया। कर्मचारी का कार्यकाल शासकीय कार्य एवं जनहित में बढ़ाया गया।

फैजाबाद के गोसाईंगंज व बस्ती के ग्राम भटहाजंगल के कतिपय व्यक्तियों द्वारा लिया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र

35–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद तथा बस्ती जिले के ग्राम गोसाईं-गंज तथा बभनान (भटहाजंगल) के कतिपय सवर्ण सरकार द्वारा प्रदत्त हरिजनों को आरक्षण के आधार पर सुविधायें छात्र-वृत्ति, नौकरी-व्यापार, पेट्रोल-पम्प आदि प्राप्त करके लाभ उठा रहे हैं जिसके विरुद्ध श्री चैतूदास हरिजन ने दिनांक 17-11-82 को थाना पैकोलिया जिला बस्ती तथा प्रश्नकर्ता ने कोतवाली बस्ती में मुकदमा दर्ज कराया है और संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–3 विधान भवन, लखनऊ ने अपने अर्ध शास-कीय पत्र सं0 3502/26/3/80/3/2/1, 80 दि0 9 दिसम्बर, 80 तथा पत्र सं0 1092/26-3-82/3/2/80, दिनांक 18-11-82 पत्र संख्या 2695/26-1-3/2/80, दिनांक 29-11-80 जिला अधिकारी, फैजाबाद तथा बस्ती को सूचना भेजकर कार्यबाही करने का आदेश दिया है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही सरकार करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। फैजाबाद जनपद के गोसाईंगंज तथा बस्ती जनपद के ग्राम भटहा जंगल तहसील हर्रैया के कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के गलत प्रमाण पत्र प्राप्त कर आरक्षण के आधार पर क्रमशः नौकरी की सुविधा प्राप्त करने तथा इंडियन आयल कारपोरेशन से प्राप्त लाइसेन्स के आधार पर डीजल पम्प लगाने के मामले प्रकाश में आये हैं। श्री चैतूदास हरिजन ने बस्ती के पैकोलिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया परन्तु प्रश्नकर्ता द्वारा कोई मुकदमा दर्ज कराने की सूचना नहीं है। इस सम्बन्ध में जिला-धिकारी, फैजाबाद तथा बस्ती को समुचित आदेश दिया गया है।

इन गलत प्रमाण-पत्रों को जारी करने के लिए निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार पाये गये :–

1– श्री गुलाब चन्द्र, तहसीलदार सदर-फैजाबाद।

2– श्री रमा शंकर शुक्ला, तहसील-दार, सदर, फैजाबाद।

3– श्री अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव, पर्यवेक्षक कानूनगो, गोसाईंगंज, फैजा-बाद।

4– श्री काली प्रसाद वर्मा, लेखपाल, क्षेत्र अंकारीपुर तहसील फैजाबाद।

5– श्री उपेन्द्र मणि त्रिपाठी, तह-सीलदार, हर्रैया, बस्ती।

6– श्री रामनाथ मिश्र, नायब तह-सीलदार, हर्रैया, बस्ती।

7–श्री बेचूराम शुक्ल, सुपरवाइजर कानूनगो, हर्रैया, बस्ती ।

8– श्री रामसेवक पाण्डे, लेखपाल, भटहा जंगल, हर्रैया, जनपद बस्ती ।

श्री रामसेवक पाण्डे, लेखपाल, भटहा जंगल जनपद बस्ती को निलम्बित कर दिया गया है और अन्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

उन्नाव, ग्राम चांदपुर के श्री रामलाल का भूमि आंवटन संबंधी प्रार्थनाप-पत्र

श्री भगवती सिंह विशारद–

36–क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम लाल पुत्र श्री देवी दीन कोरी निवासी ग्राम चांदपुर, परगना पाटन, तहसील पुरवा ने परगनाधिकारी (उन्नाव) पुरवा को दि0 23-8-84, 17-9-84, 29-10-84, 21-2-85, 1-4-85 तथा 13-5-85 को प्रार्थना पत्र देकर उसे भूमि आवंटित न किए जाने की शिकायत करते हुए भूमि आवंटित किए जाने की मांग की है? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रार्थना-पत्रों में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हाँ ।

श्री राम लाल पुत्र देवी दीन कोरी के पिता श्री देवीदीन को वर्ष 1975 में 1 बीघा 17 बिस्वांसी भूमि का आवंटन किया जा चुका है। दिनांक 10-8-84 को भूमि प्रबन्धक समिति, चाँदपुर द्वारा पारित तथा दिनांक 21.8.84 को परगनाधिकारी, पुरवा द्वारा स्वीकृत आवंटन प्रस्ताव में श्री राम लाल को भूमि अवंटित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया था । भूमि प्रबन्धक समिति ने अपने प्रस्ताव दिनांक 17-5-85 द्वारा निर्णय लिया है कि गाटा संख्या–8 क्षेत्रफल 3 बिस्वा तथा गाटा संख्या–253 क्षेत्रफल 5 बिस्वा कुल 8 बिस्वा कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है किन्तु प्रार्थी श्री राम लाल को सम्मिलित करते हुए 5 व्यक्ति आवंटन के लिए पात्र हैं, जिन्हें अत्यधिक कम भूमि उपलब्ध होने के कारण आवंटन न किया जाय ।

गोरखपुर के ग्राम खरखटा की चकबन्दी एवं धोबीघाट के लिये भूमि का आरक्षण

37–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर तप्पा राजधानी के ग्राम खैरखटा में इस समय चकबन्दी प्रक्रिया जारी है? यदि हां, तो क्या इस सन्दर्भ में धोबी घाट एवं धोबी आबादी प्रसार के साथ-साथ कपड़ा सुखाने की जगह के लिए मांग करते हुए वहां के धोबियों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों ने माह जनवरी, 85 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र तत्कालीन राजस्व मंत्री व स्थानीय अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी है? क्या इन पत्रों में उक्त कार्यों के प्रयोजन हेतु कम भूमि छोड़ने संबंधी शिकायत प्रमुख रूप से की गई है? यदि हां, तो क्या मांग के अनुसार भूमि दी गई ? यदि हां, तो कब तक दी गई? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

यह ग्राम खेरखटा नहीं वरन खरखटा है जहां चकबन्दी प्रक्रियायें जारी हैं।

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम खरखटा, जिसका कुल कृषिक क्षेत्रफल 314 एकड़ है में 0-12 डि0 भूमि धोबी घाट व कपड़ा सुखाने के लिए आरक्षित की गयी थी। ग्राम के

धोबियों की मौखिक मांग पर सहायक चकबन्दी अधिकारी को धोबी घाट कपड़ा सुखाने के लिए कुल 0-24 डि0 भूमि आरक्षित किये जाने के निदेश दे दिये गये हैं तथा इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इससे अधिक भूमि का आरक्षण अन्य काश्तकारों के हित को देखते हुए उपयुक्त नहीं लगता ।

गोरखपुर, ग्राम सिहोड़वा की चकबन्दी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

38—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम सिहोड़वा की जनता व ग्राम प्रधान के चकबन्दी से संबंधित कितने शिकायती-पत्र दिनांक 1-1-84 से 15-6-85 तक शासन को मिले हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 1-1-84 से 15-6-85 तक कुल 7 शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 5 का सम्बन्ध पुलिस विभाग से था। इन प्रार्थना पत्रों को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

अन्य शिकायती पत्रों पर जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतें न्यायिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं। सभी विवादों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा धारा 9 के अन्तर्गत किया जा चुका है।

39—श्री सन्तोष—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

गाजियाबाद, ग्राम कृष्णानगर व बहरामपुर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा

40—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजियाबाद में स्थित लोनी वि0 खं0 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कृष्णानगर व बहरामपुर ग्राम पंचायत की सार्वजनिक कृषि योग्य 200 बीघे भूमि को भूमिहीन हरिजनों में न आवंटित कर गांव के सर्कस लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है जिसकी शिकायत भूमिहीन हरिजनों ने सामूहिक रूप से प्रधान मंत्री, भारत सरकार, मुख्य मंत्री उ0 प्र0, जिलाधिकारी एवं परगनाधिकारी, गाजियाबाद तथा समस्त राजनैतिक दलों, सांसदों, स0 वि0 सभा व वि0 परिषद्, उ0 प्र0 को मार्च व अप्रैल, 1985 को की है? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अवैध कब्जों के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र अप्रैल, 1985 में प्राप्त हुआ था।

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

बुलन्दशहर, मौजा अनूप शहर के गाटा नं0 516 पर श्री प्रवीण कुमार के नाम फर्जी प्रविष्टि

41—श्री किरनपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेत नम्बर 516 रकबई 8 बिसे 10 बिस्वांसी मुहाल मौजा अनूपशहर बांगर, जनपद बुलन्दशहर श्रेणी-3 की सिंघाड़े की काश्त की जाने वाली

जमीन में लल्लू वल्द भगवन्त कौम कहार, साकिन अनूपशहर का नाम दिनांक 22-3-65 को की गई एक फर्जी एन्ट्री के आधार पर अवैधानिक रूप से काट दिया गया था? यदि हां, तो फर्जी एन्ट्री के आधार पर दर्ज व्यक्ति का नाम व पता क्या है? क्या अब उक्त फर्जी एन्ट्री दर्ज करने वाले कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा किया गया है और क्या उक्त फर्जी एन्ट्री में दर्ज व्यक्ति का नाम काटे जाने के भी आदेश किए गए हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों के अनुसार प्रश्नगत ग्राम के गाटा सं0 516 क्षेत्रफल 3 बीघा 16 बिस्वा रामजी लाल व बाबू पुत्र भगवंत, निवासी अनूपशहर के नाम पूर्व 1360 फ0 बतौर असामियान वर्ग-3 दर्ज था 1372 फ0 में पर्यवेक्षक कानूनगो के आदेश दिनांक 18-3-65 द्वारा रामजी लाल पुत्र भगवंत मृतक के स्थान पर दामोदर (वयस्क), शंकर लाल (आयु 15 वर्ष), हरी सिंह (12 वर्ष), नन्द किशोर (9 वर्ष), गुलाब सिंह (आयु 3 वर्ष) अवयस्क संरक्षक श्रीमती पुनियां माता स्वयं के नाम वरासतन दर्ज हुए, परन्तु 1374 फ0 बाबू पुत्र भगवन्त व रामजी लाल मृतक उपरोक्त के उल्लिखित वारिसान के स्थान पर प्रवीण कुमार पुत्र मंगल सेन का नाम खतौनी में अमलदरामद किया गया है जिसमें किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश का न तो विवरण ही उपलब्ध है और न अमलदरामद का दिनांक अथवा लेखपाल के हस्ताक्षर ही उपलब्ध है।

फर्जी प्रविष्टि से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति का नाम श्री प्रवीण कुमार पुत्र मंगल सेन है।

उक्त फर्जी प्रविष्टि दर्ज करने वाले कर्मचारी का नाम मंगलसेन, लेखपाल था जिसकी मृत्यु 12-9-77 को हो चुकी है। अतः उसके विरुद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

उक्त फर्जी प्रविष्टि को निरस्त करने के लिए नगरपालिका, अनूपशहर ने जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 202 के अन्तर्गत दिनांक 19-5-84 को वाद दायर किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उन्नाव, ग्राम सभा पिथई खेड़ा, संगन खेड़ा की भूमि पर अवैध कब्जा

42–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दि0 21-11-1984 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ ग्राम पंचायत पिथई खेड़ा संगन खेड़ा वि0 खं0 सुमेरपुर, जिला उन्नाव के सदस्यों एवं ग्रामवासियों के हस्ताक्षर युक्त कोई ऐसा शिकायती पत्र मिला है, जिसमें उक्त पंचायत के प्रधान द्वारा सार्वजनिक उपयोग की ग्राम समाज की भूमि पर स्वयं व अपने भतीजे को कब्जा कराने की बात कही गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, किन्तु प्रधान या उसके भतीजे द्वारा भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है अपितु अन्य लोगों ने अनधिकृत रूप से सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिनके विरुद्ध जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अन्त-

गत बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार, पुरवा के न्यायालय में विचाराधीन है।

उन्नाव, ग्राम महेश खेड़ा के श्री गजोधर का संग्रह अमीन के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

43—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री गजोधर पुत्र श्री भीखू निवासी ग्राम महेश खेड़ा, वि0 खं0 सुमेरपुर, तह0 पुरवा, जिला उन्नाव ने दिनांक 13-5-85 को जिलाधिकारी, उन्नाव को कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसमें संग्रह अमीन द्वारा अधिक रुपया वसूल करने की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? और श्री गजोधर को क्या सुविधा प्रदान की गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गयी जिससे विदित हुआ कि शिकायत कर्ता पर रु0 552.04 मालगुजारी का बकाया था जिसकी वसूली करके उसके खाते में अंकित कर दिया गया। चूंकि अधिक रुपया वसूल करने का आरोप निराधार पाया गया अतः प्रार्थी को सुविधा प्रदान करने का प्रश्न नहीं।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा पम्पिंग सेट एवं बोरिंग के लिये ऋण का वितरण

44—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की एतमादपुर भूमि विकास बैंक की शाखा द्वारा पम्पिंग सेट तथा बोरिंग कराने के लिये वर्ष 1984-85 में कितने किसानों को पम्पिंग सेटों की खरीद हेतु कर्जा दिया गया?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 की शाखा एतमादपुर, जिला आगरा से वर्ष 1984-85 में पम्पिंग सेट तथा बोरिंग के लिए 233 किसानों एवं केवल बोरिंग के लिये 37 किसानों को कर्जा दिया गया।

प्रदेश में राजभर जाति की श्रेणी

45—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इमारतें बनाने (राजगीरी) का काम करने वाले राजभर जातियों के लोग किस श्रेणी में आते हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

'राजभर' जाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा विमुक्त जातियों की किसी सूची में सम्मिलित नहीं है किन्तु 'भर' जाति उत्तर प्रदेश की विमुक्त जातियों (जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं) की सूची में सम्मिलित है।

गोरखपुर में अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गयी सहायता

46—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 1985 के जनवरी माह से 20-5-85 तक जिन लोगों के मकान अकस्मात आग लगने से जल गये थे उनको अहेतुक सहायता दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। कतिपय लाभार्थियों के उपलब्ध न होने तथा धनाभाव के कारण वितरण कार्य पूरा करना संभव न हो सका। दिनांक 5-8-85 को अतिरिक्त

धन आवंटन गोरखपुर जनपद को कर दिया गया है। सहायता वितरण कार्य पूरा करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

श्री चन्द्र पाल सिंह, ग्राम बीबीनगर बुलन्दशहर के गन्ने की पर्चियों का भुगतान

47—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री दलराम सिंह, निवासी बीबीनगर, जनपद बुलंदशहर ने अपनी गन्ने की पर्चियों के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-5-84 जिला सहायक निबन्धक सहकारी समिति, बुलन्दशहर को दिया था ? यदि हां, तो उक्त किसान की गन्ने की पर्चियों का कितना धन बकाया है तथा अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है तथा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री अरुण कुमार सिंह—

श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री दलराम, निवासी बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-5-84 का नहीं वरन् दिनांक 21-5-84 का प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा गन्ने की 7 पर्चियों के भुगतान हेतु आवेदन किया गया था।

गन्ने की उपरोक्त पर्चियों का धन अंकन रु0 2093-06 का भुगतान हो गया है और कोई धन भुगतान हेतु शेष नहीं है।

ग्राम सभा की ईंट उठाने सम्बन्धी श्री कमला प्रसाद, प्रधान, ग्राम सभा परशुरामपुर, गोरखपुर का प्रार्थना-पत्र

48—श्री काजी कलीमुर रहमान—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कमला प्रसाद, प्रधान ग्राम सभा परशुरामपुर, ब्लाक भटहट, जिला गोरखपुर व उसी गांव के अन्य ग्राम वासियों के हस्ताक्षर-युक्त कोई शिकायती पत्र उसी गांव के श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी उर्फ विभूति त्रिपाठी पुत्र श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी के विरुद्ध उनके द्वारा ग्राम सभा की 65000 ईंट जबरन उठा ले जाने से सम्बन्धित शिकायती पत्र को संलग्न करते हुए श्री मिठाई लाल गुप्त, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (जे), गोरखपुर ने उचित कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 6-4-85 को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सिमरिया की खोई हुई खतौनी

49—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिमरिया, तहसील सदर की खतौनी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खातेदारों को उनके खातों की मिल्कियत इत्यादि के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब निश्चित समय में उक्त खतौनी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, ग्राम सिमरिया परगना सिरौली की फसली वर्ष 1383 से 1388 की मूल खतौनी 1978 में खो जाने के कारण उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्नगत खतौनी पुनर्निमित कराई जा चुकी है जिस पर राजस्व परिषद् की स्वीकृति के बाद खातेदारों के उपयोगार्थ उसे शीघ्र उपलब्ध करा दिए जाने के आदेश शासन द्वारा निर्गत कर दिए गए हैं।

सुल्तानपुर, ग्राम रसूलपुर के स्व0 श्री अब्दुल वाहिद खां, हवलदार के जंगी इनाम का वारिस

50—श्री रामगोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी श्री अब्दुल वाहिद खां, हवलदार संख्या 4350, 1/95, रसल इन्फैन्ट्री नि0 ग्राम रसूलपुर, वि0 खं0 जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर का स्वर्गवास दि0 6-12-84 को हो गया और अपनी जंगी इनाम व 3712 को वारिस अपनी पुत्री श्रीमती जाहिदा बेगम को कर दिया था ? अडजूटेन्ट जनरल्स ब्रांच आर्मी हेड-क्वार्टर्स, डी0 एम0 क्यू0 पी0 आ0 दिल्ली-110011 के पत्र संख्या 42082/यू0 पी0/पी0 टी0 एस0/ए0जी0 सी0 डब्लू0 3(बी) दिनांक 25-2-85 जो सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड, लखनऊ को पेन्शन से संबंधित है, प्राप्त हो गया है परन्तु आज तक पेन्शन देने की व्यवस्था नहीं की गई है ? क्या भू0 पू0 सैनिक की पुत्री को पेन्शन शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री अब्दुल वाहिद खां हवलदार की मृत्यु दिसम्बर, 1983 में हुई थी । उन्होंने अपने पुत्र श्री अमीर खां का नाम जंगी इनाम संख्या—टी0 एस0 3712 का वारिस दर्ज कराया था । एडजूटेन्ट जनरल के पत्र की प्राप्ति के बाद जिला सैनिक परिषद् कार्यालय सुल्तानपुर ने जाहिदा बेगम को दिनांक 24-4-85 को कोषाधिकारी सुल्तानपुर से सम्पर्क करने की सूचना भेजी है । भूतपूर्व सैनिक के उत्तराधिकारी को इस संबंध में अपनी वरासत का हक कोषाधिकारी एवं अभिलेख कार्यालय रक्षा विभाग के समक्ष सिद्ध करना होगा तभी इस संबंध का कोई भुगतान प्राप्त हो सकेगा।

सुल्तानपुर, ग्राम सभा रसूलपुर की भूमि पर श्री गुलाम मुहम्मद का अवैध कब्जा

51—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 1153/2-5 बिस्वा, 1152/1-2 बिस्वा 1309/2-10 बिस्वा ग्राम समाज की भूमि है जिस पर गुलाम मुहम्मद पुत्र दोस्त मुहम्मद, ग्रामवासी जो ग्राम सभा के सदस्य भी हैं, इन गाटों पर अवैधानिक कब्जा करके आज भी खेती कर रहा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जांच में पाया गया कि 1152/1, 0-2-0, 1153/2, 0-5-0 पर किसी का अनधिकृत कब्जा नहीं है । केवल गाटा संख्या 1309/2, 0-10-0 पर गुलाम मुहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी ग्राम रसूलपुर का अनधिकृत कब्जा है ।

अनधिकृत अध्यासीन के विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा—122-बी के अन्तर्गत वाद सक्षम न्यायालय में दिनांक 2-7-1985 को दायर कर दिया गया है ।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर के विद्युतीकरण की मांग

52—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर वि0 खं0 शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में आज तक विद्युतीकरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

आर0 ई0 सी0 स्कीम के अंतर्गत विकास खण्ड जामों, जगदीशपुर तथा बाजार शुकुल के विद्युतीकरण के निमित्त

बुनाई गई योजना के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि के व्यय हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 30-9-83 को उक्त योजना समाप्त कर दी गयी थी। इसी कारण ग्राम-बाहरपुर का विद्युतीकरण नहीं हो सका । अब विकास खण्ड शुकुल बाजार की स्वीकृत योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु वर्ष 85-86 में इस ग्राम को चयनित कर लिया गया है ।

गोरखपुर, गणेश शुगर मिल, आनन्द-नगर की भूमि पर सीलिंग की कार्यवाही

53—श्री हर्ष वर्धन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील फरेंदा के राजस्व अभिलेखों (61-ख) के अनुसार गणेश शुगर मिल के पास कुल कितनी जमीन है ? क्या इस जमीन पर सीलिंग की कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जमींदारी विनाश आकार पत्र 61(ख) के अनुसार गणेश शुगर मिल आनन्दनगर द्वारा धृत भूमि 832.27 एकड़ है । इस भूमि पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गयी है। अन्तिम रूप से अभी कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुयी है ।

लखनऊ के थानों एवं रिजर्व पुलिस लाइन का बकाया विद्युत बिल

54—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन तथा थानों पर कितने आवासीय भवनों पर बिजली कनेक्शन, मीटर दिनांक 31-3-85 तक लगाये गये? क्या यह सही है कि इन आवासीय भवनों पर बिजली का बिल 1976 से बकाया चला आ रहा है ? यदि हां, तो बकाया धन वसूल न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के थानों के आवासीय भवनों पर कुल 427 बिजली कनेक्शन मीटर दिनांक 31-3-85 तक लगाये गये ।

जी हां, यह सही है कि इन आवासीय भवनों में से कुछ पर वर्ष 1976 से बिजली के बिल का बकाया चला आ रहा है, जिसकी वसूली हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं । कुछ के कनेक्शन भी काट दिये गये ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का बकाया विद्युत बिल

55—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन विद्युत उपभोक्ता हैं जिन पर दिनांक 20-5-85 तक उ0 प्र0 विद्युत परिषद् की पचास हजार रुपये तथा उससे अधिक की शेष देय धनराशि बकाया है ? इस बकाया धनराशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं तथा यह कब तक वसूल कर ली जायगी ? क्या सरकार ऐसे बकाएदार विद्युत उपभोक्ता की सूची बकाया धनराशि सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है। अपेक्षित सूचना विस्तृत है जिसे प्रदेश के सभी क्षेत्रों से एकत्रित की जानी है।

शाहजहांपुर आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर के हरिजन छात्रों की परीक्षा शुल्क का फर्जी भुगतान

56–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर में वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, एवं 1983-84 में हरिजन छात्रों की बोर्ड परीक्षा शुल्क हरिजन समाज कल्याण विभाग, शाहजहांपुर से लेकर धनराशि का छात्रों की फर्जी नकद भुगतान दिलाकर हरिजन छात्रों का शोषण एवं शासन तथा विभाग को इस फर्जी नगद भुगतान के माध्यम से धोखा दिया गया है, यदि हां, तो शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

निदेशक को जांच हेतु निर्देशित किया जा चुका है ।

देवरिया के ग्रामों का विद्युतीकरण

57–श्री रणजीत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के किन-किन विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा किन-किन ग्रामों में पूरा होना बाकी है ? कब तक अधूरा कार्य पूरा करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद देवरिया के किसी भी विकास खण्ड के सभी गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण नहीं हुआ है तथा मार्च, 1985 तक 3559 में से 1801 ग्रामों का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये योजना-बद्ध तरीके से यथा समय किया जायेगा । वर्ष 85-86 में 160 ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की योजना है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को चर्मकला हेतु रा मैटीरियल के लिये दिया गया अनुदान और प्रधानाचार्य, श्री आर0 बी0 सिंह द्वारा लिया गया डबल ड्यूटी भत्ता

58–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ में बालकों को चर्मकला की शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो कितने बच्चे चर्मकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा इसके निमित्त निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदान रूप में कितना रुपया 'रा मैटीरियल' से किन-किन वस्तुओं का निर्माण कराया जाता है ? निर्मित वस्तुओं का उपयोग किस रूप में किया जाता है ?

59–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में डब्लू0 सी0 एवं एल0 सी0 के अंतर्गत सरकार द्वारा 'रा मैटीरियल' के निर्मित स्वीकृत अनुदान की धनराशि से निर्मित वस्तुओं का उपयोग अध्यक्ष द्वारा अपने निजी कार्यों में किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कितने मूल्य के रा मैटीरियल से निर्मित वस्तुओं का उपयोग अध्यक्ष द्वारा अपने निजी हित में किया गया है ? स्टाक पंजिका के अनुसार क्या इसका मूल्य अध्यक्ष से वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब और कितना ? क्या इस सम्बन्ध में श्री रेवर्ती रमण सिंह एम0 एल0 ए0 का कोई ज्ञापन मंत्री/सचिव

निदेशक/हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 26-4-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित प्रमुख बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

60—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण के आदेश संख्या 1710-11/8-81/105 हलक/82, दिनांक 21-12-82 के क्रम में अध्यक्ष प्रगति आश्रम बालागंज, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 12-1-85 द्वारा प्रधानाचार्य तथा प्रभारी अधीक्षक के कार्य का दिमान न किया था ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य श्री आर0 वी0 सिंह की डबल ड्यूटी भत्ता का भुगतान किस आधार पर किया गया ? क्या यह सही है कि निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण ने प्रधानाचार्य को 1-8-82 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 700-1600 स्वीकृत किया था और अध्यक्ष ने निदेशक के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्हें 1-8-81 से उक्त वेतनमान स्वीकृत कर वेतन का भुगतान किया है ? यदि हां, तो इसका विधिक औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह एक स्वैच्छिक संस्था है और जुलाई 1985 सत्र में खुली नहीं है। उससे सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करके सूचना एकत्र किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

प्रदेश के जिला सहकारी बैंक लि0 एवं जिला सहकारी संघ लि0 में हरिजन प्रशासकों की नियुक्ति

61—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जिले ऐसे हैं, जिनमें सहकारी बैंक व जिला उपभोक्ता संघ व (डी0 सी0 डी0 एफ0) के प्रशासक नियुक्त किए गये हैं और उसमें कितने हरिजन प्रशासक नियुक्त किए गये हैं और किन-किन जिलों में किस पद पर ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जिला सहकारी बैंक, लिमिटेड, बांदा लखीमपुर खीरी, झांसी, ललितपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर तथा जौनपुर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिला सहकारी बैंकों में प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त हैं जिनमें 6 प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी के सदस्य हरिजन हैं । जिनका विवरण परिशिष्ट "क" में है ।

जिला सहकारी संघ लिमिटेड, फतेहपुर, देहरादून, ललितपुर, गाजियाबाद, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिला सहकारी संघों में प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त हैं जिनमें से 5 प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी के सदस्य हरिजन हैं । जिनका विवरण परिशिष्ट "क" में है ।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0 लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों में प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त हैं जिनमें से 4 प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी के सदस्य हरिजन हैं । जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर है ।

आगरा, विकास खण्ड, खन्दौली, एतमादपुर, टूण्डला के अन्तर्गत सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति

62—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 157 पर)

आगरा जनपद के विकास खंडों खन्दौली, एतमादपुर तथा टुण्डला में सरकार द्वारा मनोनीत न्याय पंचायत के प्रशासकों की संख्या क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

आगरा जनपद के विकास खण्ड खन्दौली, एतमादपुर तथा टुण्डला में सरकार द्वारा न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों में कोई प्रशासक मनोनीत नहीं किये गये हैं अपितु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, आगरा द्वारा उक्त विकास खण्डों की 24 न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों में 24 प्रशासक नियुक्त किये गये हैं ।

जनपद बलिया की तहसील बलिया में गंगा-नदी की कटान से कतिपय गांवों को खतरा होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 21 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अंतर्गत मुझे कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से मैंने 8 सूचनाएं स्वीकार की हैं । वे इस प्रकार हैं । श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बदन सिंह, श्री गौरी शंकर भइया, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्रीमती रामनन्दिनी वर्मा, श्री विजय सिंह राणा, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और श्री राजेन्द्र गुप्त।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, जनपद बलिया की तहसील बलिया में गंगा नदी की कटान से चैनछपरा, राजपुर एकौना, नेमछपरा, उदवन छपरा, हसिनगर बजरहा, नैकागांव, रामगढ़ आदि के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है । यदि इन्हें बचाने की समुचित कार्यवाही युद्धस्तर पर शीघ्र नहीं की गयी तो ये सभी गांव नदी की धारा में विलीन हो जायेंगे और उनके सामने जीविका तथा रहने की विकट समस्या उत्पन्न हो जायगी। मान्यवर, यह स्थिति पहले से ही शासन के संज्ञान में है, इसलिये उक्त कटान को रोकने के लिए चैनछपरा पर 9 ठोकर बनाने की योजना थी, जिसमें से 5 पर कार्य भी प्रारम्भ किया गया था, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से वह निर्माण कार्य रोक दिया गया है । स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित विषय को आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम दाऊदपुर में हरिजनों के आवास हेतु आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम दाऊदपुर में स्थित नं0 149 व 125 ग्राम के ऐसे भूमिहीन हरिजनों को आवास हेतु आवंटित किये गये थे जिनके पास निजी निवास ग्राम में नहीं थे । किन्तु हाल ही में ग्राम के ऐसे शक्तिशाली व प्रभावी व्यक्तियों द्वारा उन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। जिनके पास दो-दो सौ बीघा पक्की काश्त है । इतना ही नहीं यह शक्तिशाली व्यक्ति हरिजनों को अपने विरुद्ध सरकारी कार्यवाही करने से भी रोक रहे हैं । सरकारी कार्यवाही करने पर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा कर तथा ग्राम छोड़ने तक की धमकी दी जा रही है । इस कठोर उत्पीड़न से वहां के संबंधित हरिजन उत्तर प्रदेश छोड़कर राजस्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के किसी निकटवर्ती गांव में बसने की योजना बना रहे हैं, जिससे गांव के सभी लोग दुखी और भयाक्रान्त हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन की बदनामी का प्रश्न भी इस हरिजन उत्पीड़न से साफ जुड़ जाता है। पर जिला आगरे का प्रशासक शक्तिशाली लोगों के राजनैतिक प्रभाव में कुछ भी करने में अक्षम होकर मौन बैठा है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय को लेकर शासन से मांग करता हूं कि प्रश्नगत भूमि से शक्तिशाली लोगों का अवैध कब्जा हटाया जाय और हरिजनों को आवास सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश में ही बसे रहने के लिये उपयुक्त वातावरण कायम किया जाय।

जनपद बलिया में कालरा (हैजा) का भीषण प्रकोप होने, दवाओं का अभाव तथा चिकित्सालयों में डाक्टरों के अनुपस्थित होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, जनपद बलिया में कालरा (हैजा) का भीषण प्रकोप हो गया है। आये दिन जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों में बच्चों एवं अन्य लोगों की मृत्यु का हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहा है। मरने वालों में सर्वाधिक संख्या बच्चों की है। जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 5 बच्चे औसतन इस बीमारी से मर रहे हैं। जनपद में विभिन्न चिकित्सालयों में इस महामारी के रोकथाम हेतु दवाओं का अभाव हो गया है और साथ ही पूरे जनपद में ग्लूकोज व सेलाइंग वाटर का अभाव हो गया है। डिहाईड्रेशन को संभालने के लिए दी जाने वाली इन बोतलों का दाम बाजारों में दुगने तिगुने मूल्य का हो गया है। साथ में यह भी उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय बलिया में दो माह से कोई फिजीशियन उपलब्ध नहीं है, जिससे अगस्त के पहले दो हफ्ते तक करीब 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस बीमारी का भीषण प्रकोप दवाओं का अभाव एवं डाक्टरों की अनुपस्थित से रोग की भयानकता को और बढ़ा दिया है। इस बीमारी से जनपद के नागरिकों में भय, आतंक एवं सरकार के प्रति अविश्वास की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि पूरे जनपद में कालरा निरोधक टीके लगाये जायं, चिकित्सालयों में दवा की भरपूर व्यवस्था की जाय तथा चिकित्सालयों में रिक्त फिजीशियनों के पद पर डाक्टर भेजे जायं।

मौरावां, उन्नाव की मुख्य सड़क पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उन्नाव जिले को उन्नाव मौरावां मुख्य सड़क से देवमई, छूलामऊ, आदि दर्जनों ग्रामों को जोड़ने वाली सड़क का बसहा नाले का पुल टूट गया है। सरकार की ओर से एक लम्बे अरसे से उस स्थान पर "पुल कमजोर है, इधर से न जाइए" का बोर्ड लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली गयी है।

वर्ष के 10 माह बसहा नाले के बहाव से यह मार्ग बंद रहता है। छूलामऊ, देवमई आदि अनेकों ग्रामों के हजारों निवासियों के लिये इस मार्ग का कोई विकल्प नहीं है इसलिए तहसील ब्लाक थाना आदि तक पहुंचने के लिये नाव के जरिये या पानी में उतरकर ही निक-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लना मजबूरी है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

थाना ठठिया तिर्वा इन्दरगढ़, क्षेत्र उर्मदा, फर्रुखाबाद में असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट तथा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती रामनन्दिनी वर्मा–

महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत उर्मदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के थाना ठठिया तिर्वा इन्दरगढ़ के पचासों नागरिक पिछले एक माह में लोहरगंगा नहर की पटरी पर चलते हुए अचानक गायब कर दिये गये हैं उनमें से एक उर्मदा पशु चिकित्सालय का कर्मचारी का इसी नहर थाना ककवन में खरपतपुर के झील से शव बरामद हुआ है। अनुमान है कि लुटेरों ने इन गायब हुए नागरिकों को लूट कर उनकी निर्मम हत्या करके नहर में बहा दिया। इनमें उर्मदा पशु चिकित्सालय के कर्मचारी के अतिरिक्त थाना ठठिया के ग्राम लालशाह कुंवा का नवयुवक आनन्द कुमार वरियारपुरवा ग्राम श्री श्रीधर ग्राम एमा निवासी साधू, थाना इन्दरगढ़ के ग्राम पट्टी निवासी दो नवयुवक थाना सहार का एक मुसलमान भी है। घटनास्थल थाना ठठिया तिर्वा इन्दरगढ़ के सीमा पर है। अतः प्रत्येक थाना की पुलिस घटनास्थल को दूसरे थाना के क्षेत्र बता कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इसमें पिछले एक महीने से इस क्षेत्र में पूर्ण कानून व्यवस्था बिगड़ गयी है। जिससे कि वहां के निवासियों में भय व आतंक व्याप्त है। तथा भय के कारण लोगों ने उस क्षेत्र में आवश्यक कार्य होने पर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं।

अतः मैं शासन से सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि उपरोक्त गम्भीर एवं आवश्यक विषय पर ध्यान देते हुए तुरन्त मामले की जांच करायी जाय और मारे गये व्यक्तियों का पता लगाया जाय और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को भी ठीक किया जाय तथा पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

आगरा नगर में पुलिस सब इन्सपेक्टर पी0 बी0 शर्मा द्वारा किराये के मकान पर जबरन कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा नगर में बेसिक शिक्षा परिषद् के राजेन्द्र नगर ईदगाह कालोनी स्थित विद्यालय की जमीन और उसके पिछले हिस्से पर कोठी नं0 7.1 में किरायेदार के रूप में रहने वाले पुलिस के एक सब इन्सपेक्टर श्री पी0 बी0 शर्मा ने अपने किराये के मकान में जबरदस्ती दरवाजा करके कब्जा कर लिया है। 20 जुलाई, 85 को महापालिका क्षेत्र के शिक्षा अधीक्षक ने उक्त विद्यालय से लगे भवन के स्वामी और उनके किरायेदार पुलिस विभाग के उक्त दरोगा को विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की नोटिस जारी की है। उन्होंने विद्युत विभाग को भी नोटिस दिया है कि विद्यालय के विद्युत खम्भे से अनधिकृत रूप से विद्युत कैसे दी गयी है। किन्तु एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। क्योंकि यह पुलिस दरोगा का मामला है। इसलिए शिक्षा विभाग उसको खाली कराने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। विद्यालय के अध्यापक और विद्यार्थी संत्रस्त हैं और दुखी हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दरोगा जी विद्यालय की जमीन पर चारपाई बिछाकर सारे दिन बैठे रहते हैं और उनके साथ उनका गुण्डों और दारूबाजों का अड्डा लगा रहता है। मैं सदन और शासन के संज्ञान में इस महत्वपूर्ण घटना को लाकर शासन से मांग करता हूं कि विद्यालय की भूमि को अविलम्ब मुक्त कराया जाय और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ।

बंकी, जनपद बाराबंकी में रेठ नदी के चिलहटा घाट पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बाराबंकी के विकास खंड बंकी में रेठ नदी के चिलहटा घाट पर पुल नहीं है जबकि नदी के दोनों ओर सड़के घनी हैं। जिस पर पचासों गांवों के लोग आते जाते हैं। वर्षा में पुल के अभाव में यह मार्ग बंद हो जाता है जिससे तिन्दोला, बरेठी, कुम्हरौरा, सिदवाही, गोरिया मलूकपुर, जसमंडा, समेत पचासों गांवों के लोगों को बाराबंकी नगर आने के लिये 15 किमी का चक्कर काटकर जाना पड़ता है। नगर में रोज आने जाने वालों के लिये जिसमें खासकर विद्यार्थियों व सब्जी ले जाने वाले किसानों, दूध ढोने वाले लोगों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन चिलहटा घाट पर होकर बाराबंकी नगर जाने वालों की संख्या पांच हजार व्यक्तियों की है। पिछले दस वर्षों से वर्षाकाल में नाव से पार करते हुए लगभग 30 व्यक्तियों की मृत्यु नाव दुर्घटना में हो चुकी है। जनहित में इस घाट पर पुल का बनना नितान्त आवश्यक है। अतएव इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से उक्त पुल निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

जनपद सीतापुर में हरे रंग के कीड़ो द्वारा फसलों को बर्बाद किये जाने से किसानों में घोर असंतोष होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, सीतापुर जिले में हरी पत्ती वाली समस्त खड़ी फसलों–गन्ना, चरी, उरद, लाही, ज्वार–को हरे रंग के कीट द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वह झुण्ड का झुण्ड खेतों पर हमला करता है। तथा पत्तियां कुतर देता है । फसल सूख जाती है । सर्वाधिक गन्ना की फसल प्रभावित है जो कि मुख्य कैश-क्राप है । किसानों में हा-हा कार मचा हुआ है । सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि शासन की ओर से अभी तक बचाव हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया । गन्ना समितियां भी चुप हैं । बड़े किसान बाजार से खरीदकर कीट नाशक दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं । मध्यम एवं निर्बल वर्ग के किसान चौपट हो रहे हैं। गत फसल पर भी यह विपत्ति आई थी। शासन ने बहुत अन्त में कुछ प्रयास किया था जिसका कोई लाभ नहीं हुआ । यदि इस वर्ष समय रहते कार्य न किया गया तो गत फसल की भांति यह फसल भी नष्ट हो जायेगी ।

अतएव लोक महत्व की यह सुनिश्चित समस्या सदन के संज्ञान में लाकर शासन की उपेक्षा नीति की भर्त्सना करता हुआ फसल के बचाव हेतु युद्ध स्तर पर निःशुल्क कार्य किए जाने की मांग करता हूं।

श्री दीप नारायण–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी नियम 301 के अंतर्गत ।

[***]

नोट–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत्र के दौरान आबकारी की दर वृद्धि हेतु धन विधेयक लाने से पहले दिनांक 22 जुलाई 1985 को आबकारी विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

आज नियम 300 के अंतर्गत मुझे 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । कुंवर रेवती रमण सिंह जी की सूचना कल यानी दिनांक 14-8-85 को प्राप्त हुई थी, जिसे मैंने उर्जा मंत्री जी को भेज दिया था । उनका स्पष्टीकरण आ गया है । फिर भी आप इसे उठाना चाहते हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 22 जुलाई, 1985 को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति संख्या 2871–ई–2/13-503–83 प्रकाशित की गयी । इस विज्ञाप्ति में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे उत्तर प्रदेश के राजस्व पर करोड़ों रुपए का फर्क आता है और वह बढ़ोत्तरी होती है । मान्यवर, इण्डस्ट्रियल अल्कोहल पर ड्यूटी फी जो 1.10 पैसे थी 1.25 पैसे किया गया है प्रति लीटर । मैं इसके गुण-दोष के सम्बन्ध में नहीं जाऊंगा । यह जो बढ़ोत्तरी हुई है, इससे उत्तर प्रदेश का भला होगा या कुछ और मामलों में नुकसान होगा। प्रश्न इस समय यह है कि यह बढ़ोत्तरी एक विज्ञप्ति के जरिये से क्यों की गई?

मान्यवर, आप संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (क) को देखें । इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार परिवर्तन या विनियमन, यह सब धन विधेयक की परिभाषा में आता है। इस बात को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं । कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो किसी कर का अभिरोपण करता हो या उत्सादन करता हो या परिहार परिवर्तन या विनियमन करता हो तो उस को हमें कर विधेयक के रूप में लाना चाहिए । इसी अनुच्छेद 110 (2) में यह निश्चित है कि, कहा गया है कि, कोई विधेयक केवल इसलिये कि वह जुर्मानों या अन्य धन-सम्बन्धी शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपयोग करता है अथवा इसीलिए कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबन्ध करता है, धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। इसमें यह बात कही गई है लेकिन मेरा निवेदन है कि जिस प्रश्न को मैं उठाना चाहता हूं, यह उसके संदर्भ में नहीं आता है क्योंकि न तो कोई लाइसेंस की फीस की बात है, न की गई सेवाओं की फीस की और न ही स्थानीय निकाय द्वारा लगाये गये किसी कर के रोपण, परिहार, उत्सादन का है। यह राज्य सरकार का प्रश्न है और उसके राजस्व पर इसका असर पड़ता है। कृपया संसदीय प्रणाली तथा व्यवस्था, कौल और शकधर की पुस्तक का भी अवलोकन करने का कष्ट करें। इसके पृष्ठ 492 पर जो उपबन्ध है, जिसको अभी पढ़ कर प्रस्तुत किया, जिसमें कुछ छूट दी गयी है, कर विधेयक के रूप में स्वीकार करने के संबंध में, कौल और शकधर का कहना है कि संविधान में धन विधेयक के सम्बन्ध में जिन मुख्य शब्दों का प्रयोग किया है, उनके निहितार्थ पर सम्पदा शुल्क विधेयक, 1953 के सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक विचार

किया गया है और उन पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है—से सम्बन्ध रखने वाले, "आरोपण", "विनियम" और आनुषंगिक और इनका अर्थ लगाते समय न केवल उनके सामान्य अर्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए, बल्कि जिस सन्दर्भ में उनको प्रयुक्त किया गया हो, उसमें उनके उन विशेष अर्थों का भी ध्यान रखना चाहिए।

इसी सन्दर्भ में जो कौल और शकधर ने कहा है, धन विधेयक की सारी धारणा का उद्भव ब्रिटेन के बिल आफ राइट्स में है। और उसमें यह कहा गया है कि "सम्राट के परमाधिकार से, संसद से और अधिक समय के लिए अनुदान प्राप्त किए बिना अथवा संसद की अनुमति के बिना किसी अन्य प्रकार से, सम्राट के प्रयोग के लिए धन का उगाहा जाना गैर कानूनी है।" इसका मतलब है कि अनुदान, अर्थात् कर लगाने उस अवधि का विधन करने जिसमें कि वह कर लगाया जायगा, और उसकी "विधि" अर्थात् कर-निर्धारण अपील आदि की व्यवस्था, की विधान करने का प्राधिकार संसद को है। कर की राशि इकट्ठा करने का कार्य कार्य-पालिका को तब सौंपा जाता है जबकि संसद ने निदेश दे दिया हो, अर्थात् जब संसद ने करारोपण तथा कर के उगाहने की सम्पूर्ण योजना स्वीकार कर ली हो।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान उस उपबन्ध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कर विधेयक के अलावा भी उगाहने की बात कही गई है। मान्यवर हमारे मावलेकर साहब, अध्यक्ष ने, स्पष्ट रूप से कहा है 494 पेज पर है, कहा कि- प्रत्यक्षतः मुझे ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 110 के शब्द कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन तथा विनियमन इतने व्यापक हैं कि उसके कारण समेकित विधेयक बन जाता है। यह प्रश्न उठ सकता है कि शब्द "केवल" का ठीक-ठीक अर्थ या विस्तार क्या है। यह भी प्रश्न उठ सकता है कि उस शब्द के कारण "आरोपण, उत्सादन, परिहार आदि सामान्य तथा व्यापक शब्दों में क्या रूपभेद या परिवर्तन होता है। प्रत्यक्षतः मैं यह समझता हूं कि "केवल" शब्द से उसके सामान्य अर्थ का विस्तार सीमित नहीं हो जाता। यदि किसी विधेयक में मुख्य रूप से किसी कर के आरोपण, उत्सादन आदि के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं तो, केवल इस बात के कारण कि उसमें कुछ और ऐसे उपबन्ध आ गये हैं जो कि उस कर के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो उसके बाद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, तो उस विधेयक को धन विधेयकों की श्रेणी से निकाला नहीं जा सकता है।"

स्पष्ट रूप से यह हमारे संविधान का उल्लंघन है। ट्रेजरी बेंच की तरफ से शायद किसी एक्ट का हवाला दिया जायगा जो 1931 में बना था, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, बीच-बीच में परिवर्तन होते रहे हैं। वह चाहे जब का हो लेकिन उसकी स्थापनाएं संविधान के ऊपर नहीं हो सकती, यह तो निश्चित बात है। एक और चिन्तनीय बात इस सम्बन्ध में यह है कि यह विज्ञप्ति ऐसे मौके पर प्रकाशित की गयी कि जब बजट सत्र चल रहा है। 12 जुलाई से बजट सत्र चालू है। जिस दिन यह विज्ञप्ति जारी की गयी उस दिन भी चल रहा था और आज भी चालू है। ऐसी स्थिति में जब कि बजट सत्र चल रहा है, मैं समझता हूं कि करोड़ों रु0 के राजस्व का प्रश्न आता है, चाहे

लाभ में हो या हानि में हो । इस तरीके से प्रस्तुत करना नितान्त अनुचित है, संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है । ऐसी स्थिति में यही निवेदन है कि आप इस पर विचार करें और इस प्रकार से जो बातें हमारे सदन की गरिमा को आघात पहुंचाती हैं, हमारे अधिकारों का हनन करती हैं, हम पर अंकुश लगाती हैं, उन्हें रोकने की कृपा करें । बड़ा दुख होता है कि मुख्य मंत्री जी योग्यतम मुख्य मंत्री हैं, अनुभवी हैं और संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं, संसदीय प्रणाली के निर्वहन में जिनकी रुचि ही नहीं आस्था भी है, उनकी जानकारी में ऐसी बात हो विश्वास नहीं होता, उनकी जानकारी न हो ऐसी बात भी कहते नहीं बनती। इसलिये आप इस प्रश्न को देखें ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री–(श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो परिभाषा माननीय सदस्य कौशिक जी ने मनी बिल की दी है, उस विषय में कुछ नहीं कहना है । उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 110 का हवाला दिया और कुछ साहित्य का दिया, उसको अक्षरशः स्वीकार करता हूं । मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 265 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें अधिकार दिये गये हैं कि 265 के अंतर्गत हो यह लगाया जायगा, उसके प्रतिकूल नहीं लगाया जायगा । तो जो विज्ञप्ति जारी की गयी है, उसमें है कि "संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा 40 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके." इस प्रकार अनुच्छेद 265 के अन्तर्गत तो यह अधिकार प्राप्त ही है । उसके अनुकूल जो एक्ट बना हुआ है, उसमें प्राविधान कर दिया गया कि कभी भी नियमावली का संशोधन करके घटा सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं । "मनी बिल" का सवाल नहीं है । इसका प्रस्तर अलग दिया हुआ है । एक्साइज ड्यूटी में कमी करना या ज्यादा करना, यह बिल्कुल अलग बात है, उसका सम्बन्ध मनी बिल से नहीं रह जाता । 1910 का जो अधिनियम है, जिसका हवाला दिया गया है, उसमें यह प्राविधान है कि राज्य सरकार नियम बनाकर टैक्स में बढ़ोत्तरी भी कर सकती है । नियम हमने बना दिये । दूसरी बात आपने कही कि विधान सभा के चलते बना दिये, तो विधान सभा के चलते नियम बनाने वाली बात अलग है, लेकिन जैसे ही नियम बनायें उसकी जानकारी विधान सभा को दें, तो जैसे ही नियम बनाये, उसकी प्रतिलिपि आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी । यह प्रश्न पहले ही उठा था माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट भाषण दिया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि इसमें संशोधन करके कर की बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं । इसलिये किसी प्रकार के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री कौशिक रमाशंकर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको भी सुना और मंत्री जी को भी सुना ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊर्जा मंत्री द्वारा इलाहाबाद की जन सभा में जमुना पार क्षेत्र में भारी उद्योग लगाये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था । मान्यवर, ऊर्जामंत्री सुनील शास्त्री जी ने इलाहाबाद में एक घोषणा की थी कि जमुनापार इलाहाबाद में एक 200 करोड़ का उद्योग वहां के संसद द्वारा निकट भविष्य में लगाया जायेगा । मान्यवर, ऊर्जामंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको मैंने देखा है उसमें "मैंने अपनी तरफ से घोषणा नहीं की है संसद सदस्य की तरफ से घोषणा की गयी है"। मान्यवर, इन्होंने घोषणा की है वहां पर । इन्होंने जवाब में यह लिखा है कि घोषणा जो होती है वह कमिटमेन्ट नहीं है तो मान्यवर, यह व्यवस्था चाहता हूं, मंत्रीगण जाकर विधान सभा क्षेत्रों में घोषणा करते हैं तो कमिटमेंट नहीं है और यह सरकार ने केन्द्र बजट में या प्रदेश बजट में यह प्राविधान किया है कि 200 करोड़ का कोई उद्योग जमुनापार में लगाया जायेगा । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जमुनापार में जो उद्योग लगाया जायेगा उसका प्राविधान कहां है, क्या केन्द्र बजट में है या प्रदेश बजट में है ? अगर दोनों बजट में नहीं है तो माननीय मंत्री जी ने इसकी घोषणा कैसे कर दी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण जी ने जो प्रश्न उठाया है ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

आप बैठें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

आप बैठें, गौरी शंकर भइया आप भी बैठें ।

माननीय रेवती रमण जी ने जो अभी कहा । माननीय ऊर्जामंत्री जी से मैंने उसका स्पष्टीकरण मांगा है, उनका जो जवाब आया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने कोई घोषणा नहीं की है । मैंने सिर्फ यह कहा था कि एम0 पी0 महोदय जो हैं, वह कोशिश कर रहे हैं कि यहां 100–200 करोड़ की कोई फैक्ट्री लग जाय, उनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं की गयी है ।

प्रक्रिया संबंधी सप्तम संस्करण के करण संख्या 26 के अन्तर्गत सत्रावसान के पश्चात् अनुत्तरित प्रश्नों का शासन द्वारा उत्तर न देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, इस आदरणीय सदन में चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, इस बात पर सबको चिन्ता है कि हम जो विधान सभा में प्रश्नों की सूचना देते हैं, विधान सभा सत्र का अवसान होने पर हजारों की संख्या में प्रश्न हमारे व्यपगत हो जाते हैं, उसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता है । जब दुबारा सत्राहूत किया जाता है, उस समय प्रश्न की दुबारा सूची देनी पड़ती है इसमें समय भी लगता था और पैसे की बरबादी भी होती थी माननीय सदस्यों की ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, माननीय नेताओं की बैठक में घोषणा किया और आपने निर्देशित किया कि सत्रावसान होने के बाद जितने भी सवाल रह जायेंगे जोकि स्वीकार किये जा चुके हैं, उनका उत्तर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा और उससे यदि समाधान नहीं होगा तो फिर प्रश्न कर सकते हैं। मान्यवर, आप अपना करण देख लीजिए। इसके 26 (1) में है, सत्रावसान की तिथि तक जितने भी तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किये जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गये हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो गये हों, उन सबके लिखित उत्तर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास सीधे प्रेषित किये जा सकते हैं और ऐसी दशा में, उसकी एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जाने की सूचना उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाय उन्हें आगामी सत्र की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। लेकिन जो व्यवहारिक रूप से देखा जा रहा है वह इसके बिलकुल विपरीत है।

मैं पिछले सत्र की बात को छोड़ देता हूं, यह 1985 में जो नई विधान सभा गठित हुई है उसका जो सत्र हुआ वह बहुत छोटा सा, बहुत कम दिनों का था लेकिन उसमें मेरी जानकारी है कि 200 से ज्यादा प्रश्न अनुत्तरित रह गये जबकि हम अपेक्षा करते थे कि हमारे उत्तर मिलेंगे। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि शायद एक भी प्रश्न का उत्तर किसी माननीय सदस्य को उस एक माह की कालावधि में नहीं मिला जिसका परिणाम यह हुआ कि एक माह के लिये आपका कार्यालय डेड रहा और माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के उत्तर पर जो कि अपेक्षित थे, उन पर पूरक प्रश्न करने से वंचित रह गये। इस प्रकार से क्षति हुई और सबसे बड़ी गम्भीर बात तो यह है कि अध्यक्षपीठ से दी हुई आज्ञा का पालन शासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। संसदीय परम्पराओं की अवहेलना, अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों की अवहेलना यह मान्यवर, आपकी अवमानना है। मान्यवर, आपके आदेश होने चाहिए कि एक तो इस करण का कड़ाई से पालन किया जाय, दूसरे इस सरकार की आप भर्त्सना करें और पुनः आप निर्देशित करें क्योंकि सत्र समाप्त होने जा रहा है और दो हजार से कम प्रश्नों की संख्या नहीं होगी जिनको कि आपने स्वीकार कर लिया है। आप इसको कड़ाई से पालन करने के लिये सरकार की भर्त्सना करें और आपके श्रीमुख से निकली हुई जो व्यवस्थायें हैं, कि उनका कड़ाई से पालन किया जाय।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मेरे सम्मानित और योग्य साथी श्री राजेन्द्र गुप्त ने जो करण संख्या 26(1) का हवाला दिया और उसे यहां पढ़ कर सुनाया भी, अच्छा होता यदि वह यहां करण संख्या 26(2) को भी पढ़ देते तो स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाती। इसमें यह है कि—"यदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सत्रावसान की तिथि के एक महीने के भीतर प्रश्नकर्ता को न मिले और वे उन प्रश्नों को पुनः पूछना आवश्यक समझें तो नये सिरे से उन प्रश्नों को पुनः लिख

कर उनकी सूचना विधान सभा सचिवालय को भेज सकेंगे ।" बस 26(1) पढ़ दिया और भर्त्सना करने की मांग कर ली । यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो आप उसे दुबारा कर लीजिये । मान्यवर, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस सारे प्रकरण पर दुबारा विचार करना चाहिये। आपने अपने सचिवालय में प्राप्त प्रश्नों की संख्या तो देखी ही है, मैं स्वयं इस मत का हूं कि इस प्रकरण पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि क्या व्यवस्था हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है । जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से कितने पूछे जांय और कितने न पूछे जांय, कितने प्रश्नों का उत्तर देने की सरकार की क्षमता है, इन सब बातों पर पुनः विचार करना जरूरी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओझा जी, आप मेहरबानी करें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैं पुनः इसलिये खड़ा हो गया हूं कि जो मूल सूचना मैंने दी है और उस पर बल देने की बात मैंने आपसे कही उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने दूसरी बात कह दी। उन्होंने अपनी बात कह दी। मान्यवर, पूरी तरह से व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है । अगर आप अपने को अपमानित नहीं समझते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर सुविचार ढंग से नेताओं की बैठक में विचार हुआ था और हुकुम सिंह जी भी उसमें बैठा करते थे और उनकी भी यही मंशा थी और यह नियम बना दिया गया था । हम विधान सभा में चुनकर आये हैं, संविधान में जो अधिकार मा0 सदस्यों को प्राप्त हैं कि वह जितने भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, तो क्या आप हम पर अंकुश लगाने के लिये विचार कर रहे हैं । क्या मान्यवर, प्रश्नों की सीमा निर्धारित होगी । आपके सचिवालय की क्या समस्या है, शासन की क्या समस्या है, इसको आप देखें, हम लोगों को संविधान से वह अधिकार मिला हुआ है तो इस पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है । आप अपनी व्यवस्था का पालन कराने के लिये उचित व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है और करण संख्या 26 की ओर मेरा ध्यान खींचा है।

*मुख्यमंत्री (श्री नारायन दत्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य सीतापुर ने एक प्रश्न उठाया है, और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है, मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अगर श्रीमन् अपने करण को देखें तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, जिसकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है । यह किन परिस्थितियों में लिखा गया है, इसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है । सत्रावसान की तिथि तक जितने भी तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किये जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गये हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो गये हों। जब सत्रावसान हो जाये तो नोटिसेज लैप्स कर जाते हैं और अगर सत्रावसान नहीं होता है तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है और वह दोबारा एजेन्डा में आ जायेगा और उसके नीचे है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार जिन प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजे जाने की सूचना उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाये उन्हें आगामी सत्र की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सत्रावसान की तिथि के एक माह के भीतर प्रश्नकर्ता को न मिले और वे उन प्रश्नों को पुनः पूंछना आवश्यक समझे तो नये सिरे से उन प्रश्नों को पुनः लिखकर उनकी सूचना विधान सभा सचिवालय को भेज सकेंगे। अगर उत्तर चला जाता है तो अगली कार्य सूची में स्थान नहीं मिलेगा, उत्तर न जाये तो अगले सत्र की प्रश्न सूची में शामिल हो जायेगा। तो श्रीमन्, इसमें कोई किसी प्रकार माननीय सदस्य के प्रश्नोंत्तर के अधिकार का हनन नहीं होता है, बल्कि शासन का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। अगर एक महीने में उसका उत्तर भेज दें तो पूरक प्रश्न नहीं किया जायेगा, पूरक प्रश्नों का उत्तर नहीं देना पड़ेगा, परन्तु जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, प्रश्नोत्तर के द्वारा बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त है, यह विधान सभा ऐसी है, मैं समझता हूं कि इससे यह मालूम होता रहता है कि शासन में क्या हो रहा है और इसीलिये मैं चेष्टा करता हूं कि यहां पर बैठूं, तो प्रशासन चलाने में जानकारी हो तो लगातार बैठने की कोशिश करता हूं लेकिन अगर कोई कठिनाई है तो नियम समिति में भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

कुंवर रेवती रमण सिंह जी, श्री जनार्दन प्रसाद आभा जी भी बोलना चाहते हैं और शतरुद्र प्रकाश जी भी बोलना चाहते हैं, तो सुनू तो सभी को सुनूं, न्याय तो यही होगा। अब आप तय करें। मैं अपनी कठिनाई को आपसे कहता हूं, आभा जी, आप कृपा करके बैठें। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो विषय उठाया है मैं समझता हूं कि उसमें हम सब को ध्यान देना चाहिए। करण 26 में यह है कि अगर सत्र का अवसान हो जाय तो एक महीने के अन्दर सरकार को उस प्रश्न का जवाब देना है। अगर सत्र नहीं चल रहा है, एक महीना हो गया है तो आप दुबारा वह प्रश्न दूसरे सत्र में उठा सकते हैं। अगर प्रोसीजर में कोई परिवर्तन माननीय राजेन्द्र गुप्त जी लाना चाहते हैं तो वे लिखकर मुझे भेज दें मैं उसे नियम समिति को भेज दूंगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरिद्वार में झण्डारोहण दिन के 12 बजे तथा उसके बाद किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम सरन—

मान्यवर, कल 15 अगस्त था। आजादी का दिन था। सारा देश, सारे सरकारी दफ्तर, सारी संस्थायें आज़ादी का दिवस मना रही थीं और अपने-अपने कार्यक्रमों के अनुसार अपनी-अपनी जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। लेकिन कल हरिद्वार में एक नजारा सामने आया। मान्यवर, वहां पर कांग्रेस (आई0) के दो गुट हैं। दोनों गुटों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सम्बन्ध में तनाव पैदा हो गया और यह इतना बढ़ गया कि 3, 4 घन्टे तक दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन होता रहा। जलूस बना-बना कर दोनों तरफ के लोग बाजारों में घूमते रहे। उसके बाद 12 बजे के करीब एक गुट ने आकर एक जगह पर और सवा 12 बजे दूसरे गुट ने उसी जगह पर बहुत ही अभद्र प्रदर्शन किया। मान्यवर, हरिद्वार ऐसी नगरी

है जहां इस प्रदेश और देश के ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी आते हैं उन्होंने भी कल इस अभद्र प्रदर्शन को देखा। इससे हमारा और सारे देश के लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है जो कि हमारी कल्पना से बाहर की बात है। इससे संविधान की धज्जी-धज्जी उखाड़ दी गई है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये इस तरह की दुर्घटना हुई है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। इसलिये मान्यवर, जो मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है, उसे आप स्वीकार कर लें, उसे सुनें और ऐसा निर्देश दें कि आइन्दा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो। यह कल हरिद्वार में घटना हुई है। वहां पर जितना गाली-गलौज और जो भी बात हो सकती थी वह किया गया। इतना ही नहीं, एक आदमी रस्सी पकड़कर खड़ा रहा और दूसरे लोग बैठकर भजन-कीर्तन कर रहे थे। मैंने संसार में कहीं ऐसा नहीं देखा। तो मान्यवर, माननीय नेता सदन तिवारी जी बैठे हैं, उनसे आप कह दें कि वे अपनी पार्टी के लोगों पर कंट्रोल रखें और जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है उसके लिये आप निर्देश दें कि इस तरह से उसका अपमान नहीं हो। इससे सारे देश का अपमान हुआ है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस बात को हमारे वरिष्ठ साथी राम सरन दास जी गुटबाजी कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर तो 15 अगस्त को प्रभात-फेरी होती है और उसे आप गुटबाजी कह रहे हैं।

श्री राम सरन–

12 बजे दोपहर में प्रभात-फेरी होती है? मारपीट तक वहां पर हुई।

श्री हुकुम सिंह–

वहां पर अलग-अलग स्कूलों के बच्चे प्रभात-फेरी कर रहे थे। मान्यवर, जिस झन्डे के मान और सम्मान को बनाये रखने के लिये हमारे नेताओं ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है।

सत्र के दौरान आबकारी की दर वृद्धि हेतु धन विधेयक लाने से पहले दिनांक 22 जुलाई, 1985 को आबकारी विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी ने औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है लेकिन उन्होंने अधिनियम की प्रति संलग्न नहीं की है। यदि संबंधित अधिनियम और नियमावली में विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार शासन को दिया गया है तो उसे मात्र इस कारण अवैध नहीं माना जायेगा कि विधान सभा चल रही है। इसलिए विज्ञप्ति अवैध नहीं है। सदन ने अधिकार दिया है उसी अधिकार का उपयोग करने के पश्चात् विज्ञप्ति जारी की गयी है। इस तरह का मामला लोकसभा में भी दिनांक 22-2-83 को उठाया गया था तो उसे गैरकानूनी नहीं माना गया था। अतः नियम 300 के अंतर्गत मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवती प्रसाद वर्मा के निधन की सूचना जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा न भेजे जाने के संबंध में सदन का ध्यानाकर्षण

*श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है इसी माननीय सदन के एक माननीय सदस्य श्री भगवती प्रसाद वर्मा जी 4 दफा सदस्य रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुके हैं उनका डेढ़ माह पहले इंतकाल हो गया है। मैंने यह बात सचिव विधान सभा को भी बताई। आज तक संवेदना संदेश नहीं आया। जिलाधिकारी बाराबंकी से आज तक सूचना नहीं आई है। तो तिवारी जी के राज्य में यह हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं। माननीय वर्मा जी तिवारी जी के साथी रह चुके हैं वे पुराने सोसलिस्ट रहे हैं। तो एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इस सिलसिले में मैंने आज ही आदेश करके जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इतने से काम नहीं चलेगा। यहीं मेडिकल कालेज में उनकी मृत्यु हुई है। ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिनकी सूचनाएं नहीं आती हैं। कई माननीय सदस्यों के संबंध में सूचनाएं नहीं आई हैं। माननीय भगवती प्रसाद वर्मा की जो बात है यहां से बाराबंकी कितनी दूर है। जिलाधिकारी इस तरह से लापरवाही क्यों बरत रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपको स्मरण होगा परसों यह मामला आपके कक्ष में उठाया गया था और मेरी सचिव महोदय से बात हुई और आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। उसके बाद आज ही मैंने टैलेक्स द्वारा जानकारी मंगाई है कि समय के भीतर सूचना क्यों नहीं आई। जहां कमी होगी उसके बारे में कार्यवाही की जायेगी।

*श्री त्रिलोक चन्द्र–

माननीय मंत्री जी ने जो जबाब दिया है कि टैलेक्स से सूचना मंगाई है। मैं पूछना चाहता हूं हमेशा से यह नियम रहा है और जिलाधिकारियों को इस तरह की सूचना अपने आप भिजवानी होती है। इस तरह से दसियों दफा टैलेक्स भेजा जाता है। तो जैसा मैंने कहा जिलाधिकारी जिलाधिकारी नहीं रह गये हैं वे जिलाधीश हैं, वे कोई परवाह नहीं करते हैं कि कौन मरा कौन जिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो महीने तक सूचना न आये। माननीय अंसारी जी जो सन् 36 वाली एसेम्बली में सदस्य थे। उनकी सूचना नहीं आई। कलैक्टर मौजूद थे लेकिन कोई खबर नहीं दी। कम से कम इतना सम्मान तो रखना चाहिये कि जो समाजसेवी रहे हैं और असेम्बली के सदस्य के रूप में कार्य किये हैं उनकी सूचना तो जल्द से जल्द भिजवाने के आदेश दे दें। डेढ़ महीने से उन्होंने अभीतक कोई खबर नहीं दिया है, इसलिये इस पर उनको कोई न कोई सजा अवश्य दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि शासन को इस तरह के तमाम जिलाधिकारियों को आदेश भेजना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

इस संबंध में मेरे सुयोग्य सहयोगी ने जो कहा है श्रीमन् वह काफी स्पष्ट है। मैंने पिछलीबार कहा था कि जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिये गये हैं जो विशेष घटना के बारे में दुखद बात मेरे साथी ने बतायी, मैं स्वयं जिलाधिकारी को बुलाकर पूछूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जिलाधिकारी, बाराबंकी को आप सम्मन करें और यहां सदन में बुलायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कहें कि ऐसी घटना क्यों घटी । जिलाधिकारी को आप बुलाकर पूंछे और सारे काम सरकार को न दें ।

श्री अध्यक्ष–

इधर सरकारी पक्ष है, उधर आप हैं, मैं तो बीच में हूं ।

सैनिक कल्याण परिषद् का पुनर्गठन किये जाने की मांग

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि . . . ।

श्री अध्यक्ष–

आपका पत्र मिला है, आप कहते हैं कि सरकार ने आपके सवाल का सही उत्तर नहीं दिया या आपके मन के मुताबिक जवाब नहीं दिया तो मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता हूं कि जिस ढंग से आप जवाब चाहते हैं उस ढंग से जवाब सरकार दे लेकिन आपने जो लिखा है वह मैं सरकार के पास स्पष्टीकरण के लिये भेज रहा हूं ।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, यह भूतपूर्व सैनिकों का गंभीर मामला है । प्रदेश के 15 लाख भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास व पुनर्नियोजन की समस्या है। प्रतिवर्ष-20 हजार और रिटायर्ड होकर यह संख्या बढ़ाते हैं । इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुये भारत के रक्षा मंत्री ने 1976 में एक अर्धशासकीय पत्र मुख्य मंत्री उ0 प्र0 की सरकार के पास भेजा था, सौभाग्य से उस समय और आज भी हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री तिवारी जी थे और हैं, तो 1976 से अब तक 9 वर्ष हो गये हैं रक्षा मंत्री जी ने राय दिया था कि सैनिक कल्याण परिषद् का सुदृढ़ीकरण किया जाये लेकिन अभी भी यह मामला विचाराधीन है । 15 लाख भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कोई स्टाफ नहीं दिया है । साधन नहीं दिया है गाड़ी व टेलीफोन नहीं दिया है तो कैसे यह शासन आशा करता है कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास का कार्य सुचारु रूप से होगा। पिछले वर्ष जून में राज्य सैनिक कल्याण परिषद् की बैठक में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एक वर्ष में इसका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। प्रेस में बयान दिया था जो प्रमुख पत्रों में छपा था भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्वास की समस्या महत्वपूर्ण है पर अभी तक ठोस कोई कार्य नहीं किया गया। इसी प्रकार 15 लाख भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित करने के लिये जो अधिकारी हैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, वह एक, दो, तीन साल की संविदा पर हैं जो अन्यों को नौकरी देंगे वह स्वयं संविदा पर कार्यरत हैं कैसे दूसरों की व्यवस्था करेंगे। यह प्रश्न मा0 मुख्य मंत्री जी के आश्वासन व प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद 9 वर्षों से लम्बित है कुछ आश्वासन समय के बारे में दिया जाय कि कब तक यह किया जायगा।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांय। प्रश्न में भाषण तो नहीं आता है। आपका उत्तर दे दिया गया आप बैठ जांय।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा–

माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा, की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश

विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री शंकर दत्त शुक्ला, थानाध्यक्ष गौरी बाजार, देवरिया द्वारा श्री रणजीत विधायक के प्रति किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

(श्री रणजीत सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांय, आज आपने यह सूचना दी है, मैं उसको देख रहा हूं और जैसी आवश्यकता होगी वैसी कार्यवाही की जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री रणजीत का मामला सदन में आ चुका है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है लेकिन इनका आपसे आग्रह है, इनको दो मिनट सुन लें। विशेषाधिकार अवहेलना के नियमावली में ग्राह्यता की जो शर्तें हैं, उसमें दिया हुआ है कि यदि माननीय सदस्य से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रश्न हो तो ऐसा होने पर अध्यक्ष जी शिकायतकर्ता सदस्य को भी सुन सकेंगे यदि वह कहना चाहें। यह आप पर है और पहले की परिपाटी रही है कि जो गम्भीर मसला रहा हो, जिस पर आप सन्तुष्ट रहे हों, ग्राह्यता की शर्तें पूरी हो तो आप उनको सुन लेते हैं। यह परम्परा रही इन सदस्य के साथ यह घटना हुई है तो है। मैं चाहूंगा कि इसमें आप रणजीत जी को सुन लें और आप जो निर्णय देंगे तो वह हमें शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष–

रणजीत जी, मैंने आपसे और माननीय सदस्य से अनुरोध किया था कि आप इस मसले पर मुख्य मंत्री से मिल लें और आप खुद कहते हैं कि आपने मिल लिया है और मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है। तो इसमें जो यथायोग्य हो सकेगा किया जाएगा, वह देखेंगे। अब इसी मसले को लेकर इस तरह से इन्हें ग्राह्यता के बारे में क्या कहना है? तो मैं समझता हूं कि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है तो वह काफी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह जरूरी नहीं है कि आप मुख्य मंत्री जी को सुनें। आप इनको सुनकर अपनी रूलिंग रिजर्व कर लें, और बाद में यदि आवश्यक हो तो उनको भी सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

आप मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं और यदि आप समझते हैं....

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मैं यहां एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष–

आप तो खुद समझदार व्यक्ति हैं, इस तरह नहीं, बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री मैनेजर सिंह–

एक व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था का प्रश्न कैसे आ गया?

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैं इसी पर कहना चाहता हूं, कहने दें। इस आदरणीय सदन में इसके पहले जब यह परिपाटी रही है, एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं जब इस सदन के किसी माननीय सदस्य से स्वयं सम्बन्धित कोई मसला हो- जैसे जेल हुई या पीटे

गये, तो उसके बाद जैसे ही सदन में आए, उन्होंने अपने पक्ष को व्यक्त करना चाहा, चाहे जिस नियम में चाहा, चाहे जिस रूप में चाहा, उनको अवसर दिया जाता रहा है। तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जब रणजीत सिंह जी ने विशेषाधिकार का मामला प्रस्तुत किया, दोनों पक्षों का आप सुनेंगे, लेकिन यह जो परिपाटी रही है कि पहली बार जब सदन में आता है तो उसको अपनी बात सुनाने का मौका मिल जाता रहा है, तो आज इनको न सुनने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है श्री रणजीत अपनी बात कह दें, लेकिन कृपा करके दो मिनट तक आप लोग शान्त रहेंगे।

श्री रणजीत–

मान्यवर, मैं थानाध्यक्ष, गौरीबाजार जनपद देवरिया श्री शंकरदत्त शुक्ला के विरुद्ध अपनी विशेषाधिकार हनन की सूचना देना चाहता हूं। गत 11 अगस्त, 1985 की शाम 7-45 बजे विधान सभा की बैठक में भाग लेने श्री रमजान के साथ गौरी बाजार स्टेशन पर मैं आ रहा था। रास्ते में मठिया गांव के उत्तर पिच रोड ट्यूबवेल के पास उक्त थानाध्यक्ष मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल खड़ाकर मुझे रोक दिया और भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। मैंने कहा जुबान ठीक करके बोलिये यह शोभा नहीं देता। इस पर श्री शुक्ला ने मेरा कालर पकड़ लिया और ऐसे कालर पकड़कर पूरा कुर्ता और बन्डी फाड़ दी। मेरे ऊपर थप्पड़ चलाये और जब मैंने प्रतिरोध किया तब मेरे सीने पर रिवाल्वर लगा दिया। मेरे हैण्ड बैग जिसमें मेरी डायरी, विधान सभा का पैड तथा यात्रा कूपन थे, यह कहते हुए फाड़कर फेंक दिया कि तुम मेरे विरुद्ध विधान सभा में प्रश्न लगाते हो आज मैं तुम्हारी एम0 एल0 ए0 गिरी ठीक कर दूंगा। मेरा कुर्ता व धोती भी खींचकर फाड़ दिया। शोर करने पर काफी लोग आ गये। लोगों को आते देखकर उक्त दरोगा वहां से चले गये। मैं देवरिया जिलाधिकारी के पास पहुंचा। फटे कपड़े, धोती, रेलवे-कूपन सब कुछ उनको दिखाया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक देवरिया, सी0 ओ0 हाटा, सी0 ओ0 सिटी0, एस0 डी0 एम0 देवरिया को बुलाया और प्राथमिक सूचना दर्ज करने का निर्देश दिया।

(1 बजकर 20 मिनट)

थाना कोतवाली में मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई तथा उक्त अधिकारियों के सामने मेरा मेडिकल भी हुआ। सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया जिसकी पूरी सूची संलग्न है। रात को उसी दिन मैंने माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री तथा अपने दल के नेता को तार द्वारा उक्त घटना की सूचना दे दिया था। तार की प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के हनन की सूचना मैं दे रहा हूं। विधान सभा सदस्य होने के नाते उन्होंने मेरी अवमानना की है। कूपन, पैड फड़कर माननीय सदन की भी अवमानना की है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत....

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियम 63 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय सदस्य को सुन लिया जाय । मैंने उनको सुन लिया।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, अब एक नई व्यवस्था पैदा हो गई जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था पर व्यवस्था तो आप उठा नहीं सकते ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने कृपा पूर्वक बात मान ली और उनको सुना । वह प्रकरण तो समाप्त हो गया लेकिन अब एक नया प्रकरण पैदा हो गया है । नियम 64 में व्यवस्था है कि विशेषाधिकार हनन की सूचना माननीय सदस्य द्वारा दी जायगी और अगर वह सदन के किसी सदस्य या मंत्री से संबंधित है तो उसकी एक प्रति उसको दी जायेगी । लेकिन यह जो विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया है वह सदन के किसी सदस्य से संबंधित नहीं है वह एक पुलिस कर्मी के खिलाफ है । इसलिए उसको दूसरी प्रति देने की जरूरत नहीं है । मान्यवर, परम्परा यह है कि जब आदरणीय सदन का कोई सदस्य अपनी बात कहता है तो उसको सही माना जाता है । माननीय सदस्य ने एक सूचना दी उस सूचना को सही मानने की आवश्यकता है । आप इस पर तत्काल निर्णय देने में सक्षम हैं । उन्होंने जो कहा है कि उनके कपड़े फाड़ डाले, कागज फाड़ डाले और विधान सभा में उनके द्वारा किए गए कामों पर धमकी दी कि तुम विधान सभा में मेरे खिलाफ बातें उठाते हो तो मान्यवर, प्रागदर्शन में, विशेषाधिकार की अवहेलना उसने किया है। क्योंकि माननीय सदस्य जो कुछ यहां कहेंगे, उनको वाक् स्वतंत्रता यहां प्राप्त है । उसमें बाधा पहुंचाने का अधिकार आपके अलावा दुनिया में किसी और को नहीं है । अगर हम नियम विरुद्ध कोई बात कहते हैं तो आप बोलने से रोक सकते हैं । उस दरोगा ने वाक् स्वतंत्रता के अधिकार को और विधान सभा में पहुंचने के अबाध अधिकार के ऊपर बाधा उत्पन्न की है इस लिए प्रागदर्शन में विशेषाधिकार का सवाल बनता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तत्काल इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। माननीय नेता सदन के पास भेजने की और शिकायत करने की बात तो अलग है । यह एक गम्भीर मामला है और एक दरोगा ने माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया, किस तरह से परम्परा खराब होती जा रही है। अगर हम किसी दरोगा के खिलाफ असंसदीय भाषा निकालें तो सरकार को बड़ी तकलीफ होती है । आज एक दरोगा ने माननीय सदस्य का गला पकड़ा, कपड़े फाड़े, माननीय सदस्य जो सदन में आ रहे थे उससे भी रोका । माननीय सदस्य अधिकारी के पास गए लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में यह हालत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गई है कि किसी अधिकारी के खिलाफ, एस0 पी0 के खिलाफ, जिलाधिकारी के खिलाफ या किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात उठाना चाहते हैं, करप्शन की, अनियमितता की तो उसके जीवन को खतरा हो जाता है । इसलिए यह गम्भीर मामला है । मुख्य मंत्री की बात अलग है, वह कार्यवाही अलग है । विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने लायक यह मामला है ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

अनुशासन की जो बात है वह मुख्य मंत्री जी करें, माननीय सदस्य की सुरक्षा मुख्य मंत्री जी करें वह अलग है । लेकिन यह मामला विशेषाधिकार समिति को जाना चाहिए यह मेरी आपसे प्रार्थना है और इसमें सरकार को किसी प्रकार का डिफेंड आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा और माननीय राजेन्द्र गुप्त ने कहा, चूंकि मामला आपके संज्ञान में आ चुका है और प्रागदर्शन में जो माननीय रणजीत सिंह ने कहा, वह बात अपनी जगह पर सत्य मानकर आपसे आग्रह है कि नियम 56 में इस मामले को आपकी आज्ञा से सदन में उठाया गया था और उसी से संबंधित वह मामला था, जिससे क्रोधित होकर उस पुलिस कर्मी ने इनके ऊपर हमला किया, इनकी डायरी फाड़ी, इनके कपड़े फाड़े, इन्हें मारा तथा इनके पास जो विधान सभा के पैड आदि थे, उन्हें फाड़ डाला वह जिलाधीश के पास गये, वहां पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी सदस्य को, उसकी वाक शक्ति को रोका न जा सके, वह विधान सभा में निष्पक्षता और निडरता से अपनी बात कह सके, इसलिए यह आवश्यक है कि इसको आप विशेषाधिकार समिति को सुपर्द कर दें और उसकी रिपोर्ट जब आ जाय, तो उसके अनुसार आप कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय सदस्यों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बहुत कुछ हो रहा है इस शासन में, लेकिन जो हरकत इस वक्त फरमाई गयी है कि इनके कपड़े फाड़े गये, इनके पास के विधान सभा के पैड फाड़े गये, इन्हें मारा गया तथा ये जिलीधीश के पास शिकायत करने गये, तो वहां पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण इन्हें अपनी गाड़ी भी छोड़ना पड़ा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सुपर्द कर दें।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, कृपा करके नियम 65 देख लें। मान्यवर, नियम 65 (1) (ख) में स्पष्ट लिखा है कि "सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो।" जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय राजेन्द्र गुप्त ने और माननीय रेवती रमण सिंह ने कहा, यह प्राग्दर्शन से ही स्पष्ट हो जाता है कि माननीय रणजीत के साथ जो घटना घटी, उससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। मान्यवर, इससे माननीय सदस्य एवं माननीय सदन दोनों की ही अवमानना हुई है। विधान सभा में आने के लिए जिस गाड़ी से ये रवाना होना चाहते थे, उस गाड़ी को इन्हें

छोड़ देना पड़ा। मान्यवर, ये जिलाधिकारी से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मान्यवर, यह किसी अन्य सदस्य का मामला नहीं है, अगर किसी अन्य सदस्य के खिलाफ मामला होता, तब तो कुछ सोचने की बात होती, लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला है, जो इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है। दरोगा को तो आप यहां पर सुन नहीं सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको तत्काल ही आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने की कृपा करें।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपको स्मरण होगा कि उस दरोगा के खिलाफ शिकायत की चर्चा नियम 56 के अन्तर्गत हुई थी और माननीय मुख्य मंत्री से भी शिकायत की गयी थी, माननीय मुख्य मंत्री ने कृपा करके उसे स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया था, लेकिन एस0 पी0 देवेरिया ने उसको रोक दिया, वही कुख्यात एस0 पी0, जिसने डेढ़ महीने पहले अपने सन्तरी को खुद मार दिया, चूंकि उसके घर में किसी महिला से गलत संबंध था। एस0 पी0 ने मुख्य मंत्री जी के स्थानांतरण आदेश को स्थगित कर दिया, तब से दरोगा का दिमाग अधिक बढ़ गया, उक्त दरोगा का यह कृत्य इस सरकार को चुनौती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिलकुल स्पष्ट मामला है, माननीय सदस्य से संबंधित मामला है, माननीय सदस्य ने अपना बयान आपके समक्ष दिया है। इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दें। इसमें कोई और सूचना की आवश्यकता नहीं है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आप तो यहां पर हनुमान हैं, अपने अन्दर शक्तियों का कभी-कभी ज्ञान भूल जाते हैं, तो हमें स्मरण दिलाना पड़ता है। मान्यवर, यह नियम 67 देख लें, इसमें साफ लिखा है- "यदि अध्यक्ष इस मत के हो कि सूचना का विषय ऐसा है जो विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है, तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय।"

इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जिस अधिकारी के बारे में बात कही गई है, इसी आदरणीय सदन में मित्र सेन जी को अपमानित करने का प्रकरण उठ चुका है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी गम्भीरता को देखते हुए, उसका स्थानान्तरण कर दिया। एस0पी0 देवेरिया ने उसको रोक दिया। इस प्रकार जानबूझकर हमारा अपमान किया गया, मुख्यमंत्री जी का अपमान किया गया और आपके निर्देशों की अवहेलना की गई। उस अधिकारी का पुराना इतिहास सदन को मालूम है। बजाय इसको विशेषाधिकार समिति सुपुर्द करने के, आप ऐसा निर्णय करें। मुझे विश्वास है कि आपका निर्णय ऐसा होगा जिसको भारत के संसदीय इतिहास में याद किया जायेगा, निश्चित रूप से संसदीय इतिहास में एक नया आयाम जोड़ेगा। इस आदरणीय सदन को मान्यवर, संविधान के 194 में स्पष्ट लिखा है कि हमारे विशेषाधिकार, हमारी सुविधाएं, हमारे अधिकार वही होंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के होंगे, अन्यथा उसकी कोई नियमावली न हो। हमने हाउस आफ कामन्स को कमेटी के रूप में परिवर्तित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके, तत्काल निर्णय लिया गया। मैं चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए, सम्बन्धित अधिकारी के पिछले इतिहास को देखते हुए, तत्कालिकता को देखते हुए, नियम 56 में यह उठ चुका है, उसके सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता को देखते हुए आदरणीय सदन को विशेषाधिकार समिति के रूप में परिवर्तित करके तत्काल निर्णय देने की कृपा करें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, ओझा जी ने जो बात कही कि विशेषाधिकार के मामले को जब सदन सुनता है तो उसकी हैसियत कोर्ट की होती है। मान्यवर, नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया जाय। ओझा जी की राय से असहमति व्यक्त करते हुए मेरा निवेदन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय मिलना चाहिए। चूंकि वह इस सदन का सदस्य नहीं है और आज आप हाउस में उसको तलब नहीं कर सकते हैं। विशेषाधिकार के मामले को सदन में सुनना चाहेंगे तो एक पक्ष को सुन नहीं पायेंगे और यह अन्याय होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था के प्रश्न के रूप में हमारे सम्मानित सदस्य गुप्ता जी ने इस मामले को उठाया।

श्रीमती शारदा देवी –

मैं अपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके बैठ जायं, बाद में सुन लूंगा।

श्रीमती शारदा देवी–

एस0पी0 के बंगले पर जो सिपाही मारा गया वह मेरे क्षेत्र का था।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय गुप्ता जी ने व्यवस्था का प्रश्न इस बात पर उठाया था कि जो नियम 63 में सूचना दी गयी है, उसके ऊपर माननीय सदस्य को बुलाया जाय या न बुलाया जाय। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना पढ़कर सुनाई। मान्यवर, मैं आपका ध्यान 3 दिन पहले की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार हुआ उससे माननीय सदस्यों का गम्भीर होना, चिन्ता होना सारे सदन का स्वाभाविक है। हमारी चिन्ता कुछ कम नहीं है, जिस चिन्ता का उल्लेख हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने किया है, अपने को उस चिन्ता से जोड़ते हुए मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पहले यह नियम 56 के अन्तर्गत उठाया गया और आपने निर्देशित किया कि शासन इस पर वक्तव्य दे तो मान्यवर, इस बात को देखते हुए आप निर्देशित कर चुके हैं और आपके निर्देशन के रूप में इसी प्रकरण पर वक्तव्य आना है, मैं चाहता हूं कि जब तक वक्तव्य आये तब तक आप इस सूचना के ऊपर अपनी रूलिंग रिजर्व कर लें।

श्री राजेन्द्र गुप्ता–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। नियम 56 में जो बात उठाई गयी थी, वह कारण

दूसरा था । उसमें माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसके ऊपर सदन में तनाव का वातावरण बना । आज वह विषय नहीं है । आज माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला उठाया है कि उस दरोगा ने इस माननीय सदन में आने और वाक् स्वतंत्रता पर रोक लगाई । अगर उस दरोगा ने फूल माला पहनाकर कहा होता कि आप सदन में आज नहीं जायेंगे तो भी यह प्रश्न उठता। मान्यवर, आज मारने-पीटने का प्रश्न नहीं है, अपमानित करने का भी नहीं है, आज इश्यू बिल्कुल भिन्न है कि उसने सदन में आने के मार्ग में विघ्न डाला इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात से अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। आज आपको केवल प्राग्दर्शन देखना है कि यह सदन की अवमानना का सवाल बनता है या नहीं । इस घटना का संबंध केवल एक माननीय सदस्य से नहीं वरन् पूरे आदरणीय सदन से है इसलिए आप कृपा पूर्वक इसे विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का अपमान सदन का अपमान है । (मेजों की थपथपाहट)

दोनों ईश्यू अलग-अलग है (पुनः मेजों की थपथपाहट) आज विशेषाधिकार का मामला उठाया गया । आज ही सुबह मुझे वह मिला है । उसको देखकर जो भी निर्णय होगा, मैं दे दूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

श्री मनोहर लाल की स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर की पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के संबंध में, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की जिला जेल हमीरपुर में कैदियों की पिटाई के संबंध में, श्री किरनपाल सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द्र की यू0 पी0 हरियाणा सीमा का विवाद के संबंध में, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री गौरी शंकर भइया, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री कौशिक रमाशंकर, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राजकिशोर सिंह तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की प्रदेश में काले धन की मुद्रास्फीति के संबंध में श्री फजलुलबारी की कब्रिस्तान की जमीन पर एल0 डी0 ए0 तथा हाउसिंग बोर्ड के कब्जे के सम्बन्ध में, कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री विक्रमादित्य पाण्डेय की बलिया नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी की पिटाई के सम्बन्ध में, श्री विजय सिंह राणा की बाल्टी बाबा द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, श्री राम सजीवन की लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की जांच के बारे में, श्री राजेन्द्र गुप्त की श्री कमलेश तथा उनके पौत्र की हत्या के बारे में, श्री हर्ष वर्धन की गोण्डा में ट्रेन डकैती के सम्बन्ध में, श्री राज किशोर सिंह की मथुरा के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों की गिरफ्तारी के बारे में, श्री बेनी प्रसाद वर्मा की बहराइच के पत्रकार की पिटाई के बारे में तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की फर्रुखाबाद में कालरा के प्रकोप के बारे में।

*श्री मनोहर लाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में एक शर्मनाक घटना की ओर आपका, माननीय सदन का और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल कानपुर में जब माननीय मुख्य मंत्री जी कानपुर में मौजूद थे, वहां पर छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 23 छात्र घायल हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बड़ी बेरहमी से छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोली चलाई। वर्तमान मुख्य मंत्री जी का निदेश है कि पुलिस का मनोबल गिराना नहीं चाहिए। पुलिस का मनोबल न गिरे इसलिये हम पुलिस से अलग रहते हैं। इसको हम अपना मोटो मानकर चलते हैं कि पुलिस से अलग रहें। कल साढ़े सात बजे एक इण्टर कालेज के छात्र झण्डारोहण के कार्यक्रम में भाग लेने के लिये जब जा रहे थे, जिस समय देश को 21वीं सदी में ले जाने वाले राजीव गांधी जी लाल किले पर ध्वजारोहण करने जा रहे थे, और मुख्य मंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहां ध्वजारोहण करने जा रहे होंगे, उस समय कानपुर में नवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र राकेश दीक्षित की एक ट्रक से टकराकर मौत हो गयी। वह जे0 पी0 आर्या इण्टर कालेज का छात्र था, वह छात्र वहीं पर मर गया। उस समय और छात्र भी ध्वजारोहण में सम्मिलित होने के लिये जा रहे थे, और उन्हीं लोगों के सामने उसकी ट्रक से मौत हुई। ड्राइवर ट्रक ले करके भाग गया। उस स्थान पर लगभग पिछले एक साल में 20 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कानपुर के जिलाधिकारी, एस0 एस0 पी0 और अन्य अधिकारीगण ने कभी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। जिससे वहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और बच्चे और नागरिक मरते रहते हैं। इसके लिये कई बार प्रदर्शन हुए। जब वह लड़का मरा तो और लड़कों ने रास्ता जाम कर दिया। वह लड़का 7.30 बजे मरा और 8.20 पर चकेरी थाने के थानाध्यक्ष ने वहां पुलिस लाकर बच्चों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। बिना कोई बात किये या कोई बात पूछे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मैं वहां न पहुंचता तो 2–4 बच्चे पुलिस की गोली से मर गये होते। मैंने कहा कि मारना है तो मुझे पहले मारिये। करीब 23 बच्चे घायल हो गये लाठीचार्ज से। उस समय किसी का हाथ टूटा और किसी का पैर। लाठी और डण्डे से पुलिस ने मारा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इससे बड़ी शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपने गांव में बच्चों को मिठाई बांट रहे होंगे और स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। हम चाहते हैं कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिन्होंने निर्दोष बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, उनको मुअत्तल किया जाय। और, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। हम पुलिस का मनोबल नीचा करना नहीं चाहते हैं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जैसा कि मनोहर लाल जी ने स्वयं सूचना दी है कि एक बच्चे की मृत्यु ट्रक दुर्घटना में हो गयी जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्कूली बच्चों का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। माननीय सदस्य वहां पर गये और तनाव कम किया। यह एक अच्छी बात है। इस बात को हम दिखवायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना पर तीन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर केवल देख लेने की बात ही हुई।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निदेश दे दिया है कि इसकी जांच करा ली जाय।

श्री हुकुम सिंह–

देखने का मतलब ही जांच करना है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना लेता हूं। श्री राम गोविन्द चौधरी कृपया संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, लोकतंत्र में पत्रकारिता और पत्रकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए प्रेस को फोर्थ स्टेट कहा गया है। मान्यवर, यह सरकार जनतांत्रिक एवं सामाजिक मूल्यों को दिन पर दिन समाप्त करने पर तुली हुई है। अभी 13 तारीख की घटना है। दो पत्रकार दैनिक जागरण झांसी मण्डल के श्री एस0 वी0 सिंह और कर्मयुग प्रकाश के श्री राम बाबू प्रकाश त्रिपाठी जेल नियमों के अन्तर्गत, शासन से प्रताड़ित करके, गैर कानूनी ढंग से बन्द किये गये, एक आदमी से बात करने जेल गये थे। उन्होंने तमाम औपचारिकतायें पूरी कर ली थीं। उस कैदी से जब बात करनी चाही तो जेल के अधिकारियों ने जेल कर्मचारियों एवं जेल के कुछ कैदियों को ललकार कर उन पत्रकारों को इतनी मार पिटवायी कि वे लोग तत्काल बेहोश हो गये। यही नहीं, बेहोशी की हालत में उन्हें जेल के फाटक से बाहर फेंक दिया गया। जेल के सबसे बड़े अधिकारी वहां उस समय खड़े थे, मौन खड़े होकर सारी स्थिति देखते रहे। जब इसकी सूचना पूरे शहर में फैल गयी। हजारों नागरिक जेल के बाहर इकट्ठा हो गये और जेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कचेहरी में वकीलों ने भी इस घोर जुल्म की निन्दा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अगर इसे गम्भीरता से नहीं लेता है, तो इसके खिलाफ न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह बात भी रखी कि सरकार जांच कराके दोषी अधिकारियों को दण्डित नहीं करेगी, तो हम पूरे प्रदेश में बार एसोसियेशन से बात करके पूरे उ0 प्र0 में न्यायालयों का बहिष्कार करने के लिये बाध्य होंगे। दूसरी तरफ पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। वहां के छात्र यूनियन के लोगों ने भी धमकी दी कि पत्रकारों की जो निर्मम पिटाई हुई है, उसके सम्बन्ध में जो दोषी अधिकारी हैं, अगर उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती है, तो हम छात्र मिलकर इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल करने के लिये विवश होंगे। यही हालत रही तो पत्रकार निष्पक्षता से पत्रकारिता करने में असमर्थ हो जायेंगे। शासन चाहता है कि हमारी खामियां प्रेस के माध्यम से उजागर न होने पायें। इस तरह की तमाम घटनायें आज

उत्तर प्रदेश में हो रही है। लोकतंत्र के सजग प्रहरियों को शासन की तरफ से कुचलने का काम किया जा रहा है। इसलिये मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, तात्कालिक घटना है। आपसे निवेदन है कि आज की सदन की कार्यवाही रोक कर, इस पर चर्चा करवा दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, चौधरी जी ने जिस घटना की ओर इंगित किया है वह 14 तारीख की है। इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके बारे में तुरन्त गृह सचिव को बता दिया गया है, वह भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जानकारी प्राप्त करने के बाद जो तथ्य सामने आयेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी और जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, बुलन्दशहर हरियाणा की सीमा से मिला हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें दो लोग हैं। त्रिलोकचन्द्र जी बुजुर्ग हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मामला बहुत गम्भीर है। दोनों लोग इसमें बोल लेंगे। मान्यवर, हमेशा बुलन्दशहर के किसान एक दर्द और भय के अन्दर जीते हैं। हर साल किसान फसल बोतें हैं तो हरियाणा के लोग फसल काट कर ले जाते हैं। वहां पर यह सीमा विवाद बहुत-बहुत दिनों से चला आ रहा है। 1961 से जब से जमुना ने अपनी धारा बदली है, तब से वहां पर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है लेकिन सरकार उसे आज तक हल नहीं कर पायी है। पिछले दिनों भी हरियाणा के कुछ लोग हरियाणा पुलिस की मदद से हमारे यहां के अनेकों किसानों को पकड़ कर ले गई और उन्हें आज तक बन्धक बना कर रखा गया है, लेकिन बुलन्दशहर का प्रशासन आज तक उन्हें मुक्त नहीं करा पाया है। बुलन्दशहर के अधिकारी और फरीदाबाद के अधिकारी नरौरा में मीटिंग करते हैं। सरकारी स्तर से और मंत्री स्तर से इस समस्या का आज तक कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की गयी है। पिछले साल तीन किसान मारे जा चुके हैं। एक किसान को पकड़कर हरियाणा ले जाया गया और उसे वहां पर मार दिया गया। इस साल भी बन्धक बना रखा है, तो मैं मांग करता हूं कि जो किसान बंधक बना रखे हैं उनको छुड़ाया जाय और इस विवाद को सदा-सदा के लिए हल किया जाय। इसलिए इसका समाधान सरकार करे और आप इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय त्रिलोक चन्द्र जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, एक मिनट में आप कह लें।

*श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, यह समस्या नई नहीं है। यह हर साल नई होती है चाहे गेहूं की फसल हो या यह 4-5 साल पहले की बात है, भूतपूर्व मंत्री तेज सिंह जी थे, उनको भी हरियाणा के लोग उठा कर ले गये थे और 302 का मुकदमा चला था। इससे आधा जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभावित रहता है। मुश्किल तो यह है कि पुलिस उनकी मदद करती है लेकिन हमारे यहां की पुलिस वहां पहुंचती नहीं। हमारे लोगों को उठा ले जाते हैं, जानवर, गाय, भैंस, फसल काट ले जाते हैं। और तभी यह भयंकर रूप धारण कर लेता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री लेविल पर बात हुई, कलेक्टर लेविल पर हुई, लोग बैठे लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे अधिकारी इन्ट्रेस्ट नहीं लेते या यह मामला अधिकारियों से निपटने वाला नहीं है। इस विवाद की समस्या है, पानी की धारा का इधर-उधर हो जाना। उन्होंने बांध भी बना रखे हैं लेकिन जब नदी डाइवर्ट होती है तो होता क्या है, जमीन भी हथिया ली है, इसलिए इसे नियम 56 में दिया गया, जो बन्धक बना रखे हैं, बल्कि मैंने सुना है, एक आदमी मार भी दिया गया है। तो यह मामला लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है. मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा ही करा दें और मुख्य मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान दें।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

सम्मानित वरिष्ठ सदस्य बुलन्दशहर से सहमत हूं कि यह प्रश्न बहुत पुराना है और कई बार चर्चा का विषय बन चुका है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने सम्मानित उमा शंकर दीक्षित जी, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन को अधिकार दिया था कि निर्णय लें दोनों पक्षों का और उन्होंने अपना एवार्ड दिया जो दीक्षित एवार्ड के नाम से प्रसिद्ध है। उनके मुताबिक दोनों राज्यों ने माना है। बुलन्दशहर में भी दीक्षित एवार्ड के अनुसार डिमार्केशन हो गया है लेकिन जो विवाद है वह पानी के बहाव के बदलने से है। इसमें कोई कहीं का है लेकिन भूमि उधर चली गयी है, आबादी इधर है, लेकिन भूमि उधर। इस वर्ष भी यह विवाद उठा है। हरियाणा के मुख्य मंत्री से मेरी बातें हुई हैं और हम अपने राजस्व मंत्री जी को और संसदीय राज्य मंत्री जी को नामांकित कर रहे हैं कि हरियाणा के संबंधित मंत्री से बात-चीत करके समाधान निकाला जाय और अगर आवश्यकता होगी तो मैं भी प्रयास कर रहा हूं ताकि दीक्षित रिवार्ड के अनुसार कार्यवाही हो।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस समय बजट सत्र चल रहा है और प्रदेश में काले धन का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार 5000 करोड़ रुपया प्रदेश में है और उसको और बढ़ाने की बात चल रही है। मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और बहुउद्देशीय कम्पनियों के मालिक मिलकर काले धन को बढ़ा रहे हैं। इसके जरिये न सिर्फ उनके जीवन यापन का काम हो रहा है बल्कि उससे उद्योग, व्यापार और विदेशी मुद्रा का विनियोग भी हो रहा है। इससे पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ उदाहरण मेरे पास हैं, प्रदेश के सचिवालय के और कुछ बड़े अधिकारियों के बारे में।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिक्रीकर आयुक्त हैं, पिछले साल जिनके वेतन और भत्ते साल भर में मिलाकर उनको सरकार से 53,056/रु0 प्राप्त हुए थे लेकिन अगर आप देखें उन्होंने 4815/-रु0 भविष्य निधि में 7500/-रु0 स्कूटर एडवान्स, 8400 रु0 मकान एडवान्स, 959/-रु0 आयकर, 960/-रु0 सरकारी बीमा योजना, 32000/-रु0 के राष्ट्रीय बचत पत्र और सविधिक जमा योजना, 53,056/-रु0 वेतन भत्ता मिलाकर हो गया, खर्च 540629/-रु0 का हुआ । इसके अलावा प्रशिक्षण और उद्योग निदेशक हैं [×××] इनकी कुल आय 46,496/-रु0 है, राष्ट्रीय बचत योजना, मकान बनवाने के लिये एडवान्स, आयकर, सब मिलाकर 46,770/-रु0 तनख्वाह से कटवा दिया, सालभर घाटे में कर्जा लेकर चलाते रहे । ठोस उदाहरणों के जरिये आपका ध्यान सतर्कता निदेशक, जिनके पूरे साल का परिवार का खर्च 7128/-रु0 में चला है, पुलिस अधीक्षक [×××]

श्री अध्यक्ष–

किसी व्यक्ति का नाम न लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं पद का उदाहरण दे रहा हूं ।

पुलिस अधीक्षक [×××] जब सतर्कता विभाग में थे 3804/-रु0 में साल भर का पूरे परिवार का खर्चा चला । लेबर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी का साल भर का खर्चा 11452/ -रु0 में चला । [***,] आयुक्त, लखनऊ मंडल का भी ऐसा ही मामला है, अतिरिक्त चीनी आयुक्त की साल भर की आय 10,929/-रु0 थी, वित्त लेखा अधिकारी, सतर्कता विभाग का साल भर का खर्च 8047/-रु0 में चला । इसी तरह से आई0 जी0 (इण्टेलीजेंस) का 5043/-रु0 में साल भर का खर्चा चला । आबकारी उपायुक्त का 7924/-रु0 में साल भर का खर्चा चला, भूमि सुधार आयुक्त का 8055/-रु0 में चला, निदेशक, युवा कल्याण का 8828/-रु0 में चला, जिलाधिकारी, बरेली का 3573/-रु0 में पूरे साल भर का खर्चा चला । ये मैंने उदाहरण इसलिये रखे हैं कि साल भर में जितना सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है और विभिन्न मदों में जो भत्ते हैं, उनको कटवाने के बाद आई0 ए0 एस0 कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जो कर्जे में चल रहे हैं, घाटा हो गया है । कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि 400/-रु0, 500/-रु0, 700/-रु0 प्रति माह उनको खर्चे के लिये बच रहे हैं । उनका दैनिक जीवन देख लिया जाय तो टेलीविजन है, सरकारी मोटर है, निजी मोटर है, बच्चों की पढ़ाई है, अन्य खर्चे हैं । ये सब मिलाकर इनका 3-4 हजार रु0 महीने से कम का खर्चा बनता ही नहीं है ।

मेरा निवेदन है कि प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी और आई0 पी0 एस0 अधिकारी, अगर काला धन लेकर ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे, उस काले धन के जरिये से ये लोग उद्योग और व्यापार का काम करेंगे, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है जिसके जरिये से विदेशी मुद्रा का विनियोग हो रहा है, कई वरिष्ठ अफसर विदेश जा रहे

नोट–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं और विदेशी मुद्रा का विनियोग कर रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बड़ा गम्भीर मामला है कि प्रदेश की राजधानी में आपके सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी विदेशी मुद्रा का विनियोग कर रहे हैं जिससे कि प्रदेश को भारी क्षति पहुंच रही है । मैं चाहूंगा कि इस पर आप विशेष ध्यान दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं केवल ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूं । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि कार्यस्थगन के रूप में जो विषय यहां पर उठाया गया है और उस सिल-सिले में तमाम अधिकारियों के नाम लिये गये हैं और उनके ऊपर आरोप लगाये गये हैं, मैं उन सब बातों में नहीं जाऊंगा लेकिन नियमानुसार जो बात है उसको मैं यहां रखना चाहता हूं । उसके बाद यदि आप चाहें कि यह ग्राह्यता का विषय बनता है तो फिर आप माननीय सदस्यों को इस पर बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय रेवती रमण सिंह को बुला लिया है लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसी--

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपकी मंशा समझ रहा हूं । अभी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रश्न यहां उठाया है वह एक प्रश्न चिह्न है, गम्भीर आरोप है उन बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ जिनके हाथ में प्रदेश की बागडोर है और जो बड़े-बड़े पदों पर आसीन हैं । अभी भारत सरकार के वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि काला धन को रोकने के लिये सरकार कड़ाई से कदम उठा रही है । हर घरों में जाकर इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर इस बात की जांच करेंगे कि उसकी वित्तीय आमदनी जो कि जायज है वह कितनी है और उसका खर्चा कितना है और कितने की साज-सज्जा उसके घर में मौजूद है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश ने जो प्रश्न उठाया है यह प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित है जिनके हाथ में प्रदेश के शासन की बागडोर है और ब्लैक मनी की एकनामी इस देश और प्रदेश में चल रही है । इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर, अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को आप सदन की एक कमेटी बना कर उसमें दे दें ताकि यह जो सारा मामला है वह इसकी छान-बीन करके आपको अपना प्रतिवेदन दे दें और आपको मालूम हो जाय कि जो मामला इस समय मा0 सदस्य ने उठाया है उसमें कितना यथार्थ है। यदि यह मामला सही है तो आपका प्रशासन ठप्प हो जायेगा और बहुत ही ह्यूमिलिएशन हो जायेगी। प्रदेश का शासन बिल्कुल नहीं चल पायेगा । इसलिये मैं इस पर बल देता हूं ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

नियमों में व्यवस्था है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया–

न लिखा जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपकी आज्ञा तो मैं मानूंगा ही लेकिन इस विषय पर जो अन्य पार्टियां हैं और उनके सदस्यों के इसमें हस्ताक्षर हैं तो एक-एक मिनट आप उनको भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

गौरी शंकर भइया ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

नहीं, इसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया है ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा तो फिर आप बैठ जाइये, पहले हम उनको ही सुन लें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अविलम्बनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, राज्य से सम्बन्धित मामला है, और ऐसे समय में है जब कि माननीय नारायन दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी साफ सुथरी छवि के लिए बराबर वादा करते हैं, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ, पांव अधिकारी हैं आप देख लीजिए इसमें ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, एक अधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक ।

श्री अध्यक्ष–

कोई नाम आप लेंगे तो वह सदन की कार्यवाही में नहीं आयेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया–

एक पुलिस अधीक्षक हैं 3 हजार रुपये में उनका गुजारा हो रहा है । एक जिलाधीश हैं, 3 हजार में उनका गुजारा हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

उनको न दोहराइये जो शत्रुरुद्र जी ने कहा है ।

श्री गौरी शंकर भइया–

यह आरोप जो सरकार के अधिकारी हैं उनके ऊपर नहीं लगा रहा हूं यह हिसाब है जो सरकार की लिखापढ़ी में है । और यह सारा रुपया जीवन बीमा खरीदने में, पोस्ट आफिस खरीदने में, स्कूटर खरीदने में, कार खरीदने में सारा रुपया खर्च कर दिया इसके बाद वह 5 हजार रुपया घाटे में खर्चा कर उत्तर प्रदेश में भोजन पानी चला रहे हैं, यह इन लोगों की सूचना है कागजों में दर्ज है । पूरे प्रदेश में ऐसे नालायक और भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अपना पूरा का पूरा वेतन डालर कर देने में, सोना खरीदने में और अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ायेंगे और गांवों में खेत और बिल्डिंग खरीदेंगे । यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो आप कह रहे हैं, ग्राह्यता पर है ?

पूरे प्रदेश की जनता सोच रही है कि नारायन दत्त तिवारी जी के जमाने में जितने अधिकारी हैं आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 सारे के सारे घूस लेकर काम चला रहे हैं मान्यवर, इस पर बहस हो ताकि सरकार अपनी सफाई दे सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का मामला है, अविलम्बनीय है ही, इसलिए आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, ग्राह्यता के सम्बन्ध में दो शब्द कहूंगा बाकी अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने कह दिया। मान्यवर, अभी शतरुद्र प्रकाश द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया उस पर हम लोगों के हस्ताक्षर हैं और इसके ठोस प्रमाण हैं। अगर काले धन का प्रयोग अधिकारीगण करेंगे उच्च स्थानों पर बैठे हुए; तो इस प्रदेश का शासन स्वतंत्र रूप से चल नहीं सकता है। यह जो सदन है यह जो चुनी चुनाई संस्थाएं हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। यदि हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वह काले धन का प्रयोग करेंगे, और यह शासन चल नहीं सकता है। इसलिए यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है इसके बारे में और जो बातें कही गयी हैं इसके साथ ही मैं बल देता हूं कि इसको ऐसे हल्के ढंग से न लिया जाय। पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रशासनतंत्र में काले धन का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। इससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का है। इस पर चर्चा करा दें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, यह मामला बहुत ही गंभीर है अभी तो कुछ लोगों का जिक्र किया गया है। अभी तो बहुत से महानुभाव हैं जो यहां आई0 पी0 एस0, पी0सी0 एस0 और जाने क्या क्या हैं, वह लोग हमारे प्रदेश का सारा धन खा रहे हैं और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और हमारी सारी योजनाएं जो हम यहां बहस कर रहे हैं वह सब ठप हो जायेगी। बजट का सारा पैसा यह लोग खा रहे हैं। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि काला धन बहुत बढ़ रहा है, जिसके लिये वित्त मंत्री जी बहुत परेशान हैं और वह चाहते हैं कि ऐसे लोग पकड़े जायें। वह लोग पकड़े तो तभी जायेंगे, जब विरोधी लोग सहयोग करें और सत्ता पक्ष के लोग सहयोग लें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है, और सरकार स्वयं भी मानती है। दिल्ली की सरकार स्वीकार करती है कि आर्थिक ढांचे में जो चरमराहट है, वह इन्हीं लोगों के कारण है और इन लोगों के कारण लोगों की तरक्की के रास्ते बन्द हो गये हैं। उसका बहुत बड़ा कारण काले धन की अर्थ व्यवस्था के चालू रहने से है। इसमें शक नहीं है कि यह काला धन पूंजीपतियों और नौकरशाही की मिली जुली भगत से संभव होता है। आज जो काम रोको प्रस्ताव सामने आया है, उसमें स्पष्ट रूप से बात है कि नौकरशाही इसमें पूरी तरह से लिप्त है। इस दृष्टि से मान्यवर, अगर आप प्रदेश को सुधारना चाहते हैं तो आप नौकरशाही से शुरुआत करें और हमारा उत्तर प्रदेश साफ हो। यह जो काला धन है वह दूसरी समानान्तर अर्थ व्यवस्था बनाये हुये है, यह नौकरशाही का मामला आया है, उससे शुरुआत करें तो इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है। इस आधार पर मैं

निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर आप पूरी तरह से चर्चा करा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मा0 नेताओं ने जो यह सवाल उठाया, वह बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा है कि वह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। एक तरफ जो काले धन के छिपाने की कोशिश है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है, प्रदेश और देश में और जो उच्च स्तर के अधिकारी बताये जाते हैं और जिनके कुछ के नाम प्रकाश में आये हैं जैसा कि माननीय राजकिशोर सिंह ने कहा कि बहुत छिपे हुए मगरमच्छ हैं, जिनका नाम प्रकाश में नहीं आया है बहुत से आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अधिकारी हैं जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, जिनका राज्य प्रशासन में बहुत महत्व है, आज यह लोग निरंकुश हो गये हैं, इस निरंकुशता को समाप्त करना है। कुछ मंत्री हैं, वह केवल उनके नोट पर हस्ताक्षर करते हैं और जो वह चाहते हैं, वह करा लेते हैं। अगर यही कारण न होता तो अखबारों में छपा है और उसके विरुद्ध जांच हो जानी चाहिये थी, लेकिन वह समझते हैं कि जो जांच अधिकारी होगा वह भी आई0ए0एस0 अधिकारी होगा और इस प्रकार से निर्दोष घोषित कर दिया जायेगा, यह बात उनके मन में बैठी हुई है उन पर आई0ए0एस0 वाद की छतरी लगी हुई है इसलिये वह बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और गलत काम करते हैं और काले धन को छिपा रहे हैं। बजट घाटे में है और प्रदेश कर्जे में डूब गया है और काले धन के कारण प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है और प्रदेश का विकास कैसे होगा। इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ प्रदेश के विकास को कैसे बढ़ायेंगे।

(2 बजकर 20 मिनट)

प्रदेश की तरक्की कैसे कर पायेंगे, कैसे यहां की गरीबी मिटा पायेंगे। यहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल नहीं हैं, नहरें साफ नहीं हो रही हैं, खुदाई नहीं हो रही है। जहां एक ओर प्रदेश भुखमरी के कगार पर खड़ा हो वहीं दूसरी ओर जो आपके शासन-तंत्र को चलाने वाले प्रमुख लोग हैं वह काले धन को इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इससे ज्यादा और महत्व का कोई प्रश्न आज उत्तर प्रदेश के लिये नहीं हो सकता है। जिनके हाथों में सत्ता है आज वही लोग इस प्रदेश को लूट रहे हैं। इसलिये आप इस पर चर्चा करा दें। यदि आपको चर्चा कराने में संकोच हो तो मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, वे घोषणा करें कि इसकी जांच के लिये कम से कम एक हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दें या इस सदन की एक समिति गठित कर दें। यह मामला बहुत गम्भीर है इसलिये मान्यवर, इस मामले में आप हमारी मदद करें। यह देश के हित में है, प्रदेश के हित में है और माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसा करके आपका नाम पूरे देश के इतिहास में जुड़ जायेगा यदि आप किसी को नहीं बख्शेंगे। इसलिये आप घोषणा करें कि हम इस मामले की जांच के लिये हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर रहे हैं या इस सदन की एक कमेटी गठित कर रहे हैं। इससे आपकी प्रतिभा बढ़ेगी।

आपने और प्रधान मंत्री ने कल 15 अगस्त के दिन जो घोषणायें की हैं कि हम प्रदेश की गरीबी को हटाने के लिये और देश की उन्नति के लिये कृत संकल्प हैं। आप उस संकल्प को पूरा करें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप कम से कम एक हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दें जो इस सारे मामले की जांच कर सके। क्योंकि

इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस प्रदेश के लिये और कोई नहीं हो सकती।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इस प्रश्न की ग्राह्यता तक ही सीमित रखना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और हमारे अन्य सम्मानित नेताओं ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर किन-किन बातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय को कार्य-स्थगन के रूप में लाकर उन्होंने पेश किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल को और सभी सम्मानित सदस्यों को जिन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं। मान्यवर, बजट सत्र में पांच दिन तक हमने केवल इसी विषय पर चर्चा की कि प्रदेश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिये, किन-किन बातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उस समय हमने अपना पक्ष भी रखा था। हमें इस बात का भी गर्व हुआ कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपना दो-ढाई घन्टे का भाषण दिया था, उसमें उन्होंने ये सारी बातें नहीं कहीं। आज ऐसी क्या बात आ गई है कि जिस रोज उन्होंने सदन में अपना भाषण दिया था उस दिन से लेकर आज तक काले धन का कौन सा मामला आ गया है जिसको वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

मान्यवर, दो बातें कहीं गईं। एक तो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कही अपने ओजस्वी भाषण में, जिनमें आई0 ए0एस0 और आई0पी0एस0 के ऊपर प्रहार किया गया। मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं कि मंत्रि-परिषद् के कुछ मंत्रियों की पकड़ नहीं है इसलिये ऐसी बात हो रही है। क्या वे ऐसी पकड़ चाहते हैं कि मंत्रि-परिषद् के लोग ऐसा हस्तक्षेप करें जिससे यह खड़े होकर कह सकें कि तमाम कामों में मंत्रि-परिषद् के लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है। मान्यवर, संविधान में स्वतंत्र रूप से काम करने देने का आखिर उनको भी अधिकार है। हम उनसे वह नहीं छीनना चाहते हैं। मंत्रि-परिषद् का क्षेत्र भी संविधान के अनुकूल है। चर्चा का फोरम क्या होगा। यदि इस सदन को किसी अधिकारी के बारे में चर्चा का फोरम बनायेंगे तो इसके लिये जो लोकायुक्त हैं, विजीलेंस हैं, अन्य एजेन्सीज हैं उनके अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें।

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने हमारा काम और आसान कर दिया। उन्होंने चर्चा की मांग न करते हुये यह कहा कि एक कमेटी बना दी जाय और नेता विरोधी दल ने कहा कि हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाय। किस बात के लिये किया जाय मान्यवर, उनको याद होगा कि इनके शासनकाल में दो-ढाई साल के दौरान केवल कमेटियां गठित करने के अलावा और कोई काम नहीं किया गया। हमारे शासन की छवि आयोग गठित करने से नहीं बढ़ेगी बल्कि इस प्रदेश का चौमुखी विकास हो, इसी दृष्टि से हमारा प्रदेश मुख्य मंत्री जी की छवि को आगे ले जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह कार्य-स्थगन का कोई विषय नहीं बनता है और इसमें चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मुझे आपसे एक निवेदन करना है ग्राह्यता के बारे में कुछ नये तथ्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखे हैं। वे माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण पूरा पढ़ लें हमने भी अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश की और उसे पढ़ा लेकिन कहीं भी उनके बजट भाषण में कालेधन के बारे में एक शब्द नहीं है अगर कहीं है तो वे मुझे बताने का कष्ट करें। किस पृष्ठ में, किस पंक्ति में काले धन का उल्लेख है। 12 जुलाई से बजट पर चर्चा हो रही है और पहली अगस्त से आज तक कालेधन का जो प्रादुर्भाव चल रहा है और वह बढ़ता ही जाय उसके बाद भी कोई घटना सामने न आये तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूं आज बुरी तरह से कालाधन हावी हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घटना से उनका क्या तात्पर्य है क्या उसका मतलब कत्ल से ही अपराधिक घटना से है। अगर इस प्रदेश के अन्दर कालाधन बढ़ रहा है उसके प्रादुर्भाव को रोकने के लिए यह सरकार सजग नहीं है तो इससे बड़ी विडम्बना, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी बदकिस्मती इस प्रदेश की और कोई हो नहीं सकती है। मैं तो उम्मीद करता था कि यह सरकार खड़े होकर एलान करती माननीय नेता सदन स्वीकार करते कि हम इस भ्रष्टाचार की जांच कराने जा रहे हैं।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आजादी के दूसरे दिन आज 1985 में इस प्रदेश की सरकार की जांच कराने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ जांच कराने की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम इसके लिए जांच आयोग बैठायेंगे। मैं चाहूंगा आप हिम्मत का परिचय दें, बहादुरी का परिचय दें और सरकार को निर्देश दें कि जांच आयोग बैठाया जाय। वरना अगर जांच नहीं हो पायेगी तो प्रदेश के किसान और मजदूरों के मन में यह भावना होगी कि आफिसर अय्यासी और विलासिता कर रहे हैं और यहां का किसान और मजदूर पिस जायेगा और ये लोग लाखों रुपया दबा जायेंगे। मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देश दें कि या तो सदन की एक कमेटी बैठायें या फिर हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाय।

*श्री नारायन दत्त–

श्रीमन्, सम्मानित नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने भी कृपा करके जो प्रस्ताव सम्मानित सदस्य वाराणसी कैंट ने रखा है उसे बल प्रदान करने का प्रयास किया और ऐसी चर्चा इस सदन में हुई कि जो चर्चा वैसे तो इस देश के लिए महत्व की है और जिसके निदान के लिए हम सभी चेष्टाशील हैं। जिसका मुकाबला करने के लिए राष्ट्र व्यापी आंदोलन करने की आवश्यकता है और इसे विशेषरूप से केन्द्र कर रहा है। श्रीमन्, कालेधन का प्रश्न ऐसा है जिसमें केन्द्र सरकार का मार्गदर्शन प्रादेशिक सरकारों को और सारे समाज को करना है। मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है लेकिन इसमें मुख्य निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है और उन्होंने लिया है। जो भी कदम केन्द्र सरकार कालेधन को निकालने के लिए उठा रही है उसमें हमारी सरकार पूरा सहयोग करेगी और एक कदम आगे बढ़ कर सहयोग करेगी।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

इसके बारे में क्या करना है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें।

श्री नारायन दत्त–

कालाधन कैसे पैदा होता है इसके बारे में कई विदेशों की कमेटियों ने देश

*अनूदित भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में विचार किया। अभी हाल में भी काले-धन के संबंध में जो रिपोर्ट हुई उस पर हमारे सुयोग्यतम केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कई प्रभावशाली कदम उठाने का निर्णय लिया है। और हमें बड़ा गर्व है कि आज ऐसे केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं जो बड़ी दृढ़ता और निष्ठा के साथ कालेधन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं जिसकी मैं प्रसंशा करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप क्या कर रहे हैं, यह बता दें।

श्री नारायन दत्त–

श्रीमन् जहां तक मेरा प्रश्न है, जैसा मैंने पहले कहा कि मुख्यत: यह कार्य केन्द्रीय संस्थानों का होता है, यहां तो मुख्य जिनमें शंका होती है बिक्रीकर और टैक्स चोरी होती है, हमने इस बात के प्रयास किये हैं कि बिक्रीकर का अभियान वसूली तेज हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री नारायन दत्त–

श्रीमन्, जो टैक्स का इवेजन है उसके खिलाफ तेजी से हम अभियान चला रहे हैं। मान्यवर, जैसा वह चाहते हैं, वैसा मैं कह दूं तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रहे। हमें शासन चलाना है और आपको विरोध करना है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि काले धन का प्रश्न और जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया है वह अलग-अलग है। वह काले धन का उल्लेख किया केवल अपने तर्क को एक बल देने के लिये दूसरा प्रश्न उठा दिया जिसका सीधा संबंध काले धन से नहीं है। श्रीमन्, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि काले धन पर हमला करने का दायित्व भारत सरकार के साथ साथ सहकारी दायित्व तो हो सकता है लेकिन केवल हमारा दायित्व नहीं हो जाता है। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो यह प्रश्न उठाया गया वह दूर से उठाया जबकि यह बहुत पहले अखबार में छप चुका था। मैं सोच रहा था कि इसके दूसरे तीसरे दिन यह प्रश्न उठ जायेगा। चूंकि अखबार में जब समाचार छपता है तो उसे हम सत्य और असत्य जांचने के लिये उसकी सूचना प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं कि कहां तक वह गलत है या सही है, वह सूचना प्राप्त की। श्रीमन् सतर्कता अधिकारी का उल्लेख किया गया किन्तु यहां जो सदन में नहीं हैं, आग्रह करूंगा कि हर पार्टी की सरकार की सेवा किया है, हर अधिकारी को कह दें कि सभी खराब हैं, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारी खराब हैं तो यह उचित नहीं है। (व्यवधान) जिन अधिकारियों के बारे में इस संबंध में (श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं, माननीय सदस्य शांत रहें। यह अशोभनीय है कि नेता सदन जब बोल रहे हैं तो आप खड़े हो जायं। आप बैठ जायं।

श्री नारायन दत्त–

मान्यवर, मैंने इस संबंध में जांच किया है और देखा भी है कि बहुत सी जांचें होती हैं और मालूम हो जाता है। मासिक खर्च जब देखा जाता है तो उसको एकदम कह देना कि काले

धन से चल रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। इसमें देखना होता है कि परिवार के कितने उसके सदस्य हैं, उसकी आय के और दूसरे जरिये क्या हैं, कितने पैदा करने वाले हैं, बिना इसकी पूरी जानकारी किये वरिष्ठ अधिकारी के बारे में कहना ठीक नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किया और आदेश जारी किये हैं। उसके बाद यदि ऐसी सूचना मिलेगी जिसमें संदेह होगा कि इसमें यह उचित नहीं है। उसे हम लोकायुक्त के पास भेज देंगे, जो इस विधान सभा के विधायन द्वारा अधिकृत है। ऐसी परम्परा नहीं है कि सदन की समितियां बनाई जायं इस काम के लिए। यदि सदन ऐसे काम के लिए समितियां बनाने लगे तो भ्रष्टाचार के हर मसले पर समितियां बनेंगी। इसके लिये लोक आयुक्त बन चुका है, इसे उसके पास भेजा जा सकता है या फिर विजीलेंस के पास इसे भेज सकते हैं। हमारे पास यह पूरा प्राविधान है, लोक आयुक्त से कराऊंगा या विजीलेंस से, जैसी आवश्यकता पड़ेगी, कराऊंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय नेता सदन ने बड़ी खूबसूरती से भ्रष्टाचार और कालेधन को डिफेण्ड किया है। हमारा आरोप है, आपने लोक आयुक्त के पास भेजने की बात कही है, लेकिन उसने इस प्रदेश के न जाने कितने मंत्रियों और अधिकारियों–उच्च अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है, तो क्या आज तक आपने उस रिपोर्ट के सन्दर्भ में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है? किसके परिवार का क्या आमदनी का स्रोत है, वह एक अलग चीज है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कौन ईमानदार है। मैं यह कहूं कि मैं ईमानदार हूं तो मैं माननीय सदन में उससे ईमानदार नहीं हो जाऊंगा, जब तक यहां बैठे लोग और प्रदेश की जनता यह न कहे कि मैं ईमानदार हूं। तो इसके लिए आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी द्वारा जांच कराएं, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाये और उसके बाद जो जांच हो, उसकी जांच रिपोर्ट का जो परिणाम हो, वह सिद्ध करेगा कि ईमानदार है या बेईमान है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हाईकोर्ट के जज से जांच करा दें, जांच के बाद ही तो कहा जा सकता है कि ईमानदार है या नहीं। अनेक केस हैं कि आपने लोक आयुक्त की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करायें, यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर मसला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी आप बैठें। कोई भी बात हम कहें, तो कहने के पूर्व हमें यह सोचना है कि उसका परिणाम क्या होगा? यह कह देना कि साहब भ्रष्ट हैं, इनफ्लेशन बढ़ रहा है ठीक नहीं है। इस्पेसफिक ईश्यु होना चाहिए और खास विषय होना चाहिए या जो आप मामला उठायें कि फलां व्यक्ति भ्रष्ट है.. (व्यवधान) मैं खड़ा हूं, आप बोलना चाहें तो आप ही बोल लें? यह मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इतने विस्तृत विषय पर आपने जो ग्राह्यता का प्रश्न उठाया है, वह बनता नहीं है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं। यह मामला

कोई ऐसा नहीं है। आपके यहां लोक आयुक्त मौजूद हैं, उनके सामने आप मामला पेश कर सकते हैं, ताकि उस पर उचित एक्शन लिया जा सके. (व्यवधान) (श्री अध्यक्ष की आवाज सुनाई न देने पर।)

एक सदस्य–

मान्यवर, आपके दोनों लाउड स्पीकर खराब हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और काले धन को बढ़ा रही है, इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का अपने दल के साथ त्याग करता हूं।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हम अपेक्षा करते थे मुख्य मंत्री जी से कि वह इस गम्भीर मामले पर अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करेंगे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया सदन की भावना को देखते हुए, इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन त्याग करता हूं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैं भी इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री कौशिक रमाशंकर तथा श्री राज किशोर सिंह भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, इस गम्भीर मामले पर सरकार की तरफ से उत्तर आया है और आपका जो निर्णय है, उसको देखते हुए हम लोग अपने दल के साथ सदन त्याग करते हैं।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

*श्री फजलुल बारी–

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 25(1) और 26(बी) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह सरकार और माननीय सदन के तमाम लोग जिस संविधान के अनुसार इस सदन में आये हैं उसी संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम लोकतंत्र की यहां पर हुकूमत बनायें। मान्यवर, उसी संविधान में मौलिक अधिकार दिया हुआ है 25(1) में, उसमें धर्म की स्वतंत्रता का तजकिरा है। 26(बी) के अनुसार अपने धार्मिक स्थलों के इन्तजाम करने का अधिकार है। मगर यह सरकार जो अपने को सेकुलर कहती है उसी सरकार के सरकारी और नीम सरकारी इदारों के जरिये नाजायज तरीके से कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीनों पर कब्जे किये जा रहे हैं। स्टेशन रोड पर, छितवांपुर का जो एल0 डी0 ए0 का काम्पलेक्स बना है वहां पर कब्रिस्तान, उजरियांव गांव के ईदगाह की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बारी साहब आप स्पेसिफिक जो मामला हो बता दीजिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, वहां पर कसैला में जो मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगायी गयी है 145 को लगा-कर ।

श्री अध्यक्ष–

यह बतायें कि कौन से कब्रिस्तान की जमीन एल0 डी0 ए0 ने ली है।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, छितवापुर का कब्रिस्तान नं0-1, उजरियांव की ईदगाह नं0-2 और कसैला की मस्जिद नं0-3, जिस पर इस सदन में सवाल भी पूछा गया था, तो मेरा कहना है कि आप देखें 145 का मुकदमा चला है और नमाजियों पर नमाज अदा करने से पाबंदी लगायी गयी है। यह दस्तूर-ए-हिंद के खिलाफ है कि हम मस्जिदों में नमाज न अदा कर सकें और कब्रिस्तानों में अपने मुर्दे दफन न कर सकें। एल0 डी0 ए0 ने इन जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। तो इन मजहबी जगहों की हिफाजत करायें अगर यह दस्तूर-ए-हिंद नहीं होगा तो सदन भी मान्यवर नहीं रहेगा। आपने देखा कि किस तरह से जम्हूरियत का सत्यानाश इस प्रदेश में हो रहा है। सारे पैसे का सदुपयोग, आदमी की खून की कमाई का दुरुपयोग और सारे मजहबी जजबातों का कत्ल यह सरकार कर रही है।

मैं इसके खिलाफ आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनको निर्देश दें कि ऐसे मजहबी स्थानों जहां पर इबादत पर पाबंदी लगा रखी है उन सबसे फौरन अपने कब्जे हटाकर उन लोगों को दें जो मजहब को मानने वाले हैं । उनको उनकी तामीर करने की इजाजत दें और खास तौर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाहे कसैला की मस्जिद का मामला हो या छितवापुर में एल0 डी0ए0 ने जो बिजनेस काम्पलेक्स बनाया है उसका मामला हो, आप पूरे प्रदेश में देखें अगर कोई शख्स इन पर कब्जा करता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उस कब्जे को हटाये । अगर आप उस कब्जे को नहीं हटा सकते तो दस्तूर-ए-हिंद की हिफाजत नहीं कर सकते । सरकार ने अपने सरकारी और नीम सरकारी इदारों के जरिये इन जगहों पर कब्जा कर रखा है । इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं, आप इस पर चर्चा कराइये और सरकार को निर्देश दीजिये कि अगर वह दस्तूर-ए-हिंद की हिफाजत करती है तो यह जो मुकद्दस मुकाम हैं जो हमारी इबादत के लिये बनाये गये हैं उन पर कब्जा हटाकर नमाजियों को नमाज पढ़ने की और लोगों को मुर्दे दफन करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपने यह एक आम बात कही है, कोई स्पेसिफिक मामला हो तो उठायें । शेष सूचनाएं मैंने अस्वीकार की हैं ।

आप लिखकर दे दीजियेगा, मैं उसको देख लूंगा ।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-9–कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10–कृषि विभाग (कृषि)

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्योनिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यवों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,80,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,01,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 2 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हमारे प्रदेश की 12 करोड़ की आबादी है । इसको भर पेट भोजन देने के लिए और जिस गति से आबादी बढ़ रही है, उसके अनुसार जरूरत को लगातार पूरा करने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा प्रयास किया है और उसी का नतीजा यह है कि आज से कुछ समय पहले स्थिति यह थी कि हमको अन्न बाहर से मंगाना पड़ता था, परन्तु आज की स्थिति में हमें अन्न बाहर से मंगाना तो दूर रहा, आज हम प्रदेश से बाहर दूसरी जगह खाद्यान्न भेजते हैं और यह सभी सम्मानित सदस्यों को विदित है और पूरे प्रदेश और देश को विदित है कि इस वर्ष इतनी अधिक पैदावार हुई कि हमको पिछले सालों में गेंहू प्रदेश के बाहर ले जाने में जो रोक थी, उस रोक को हटाना पड़ा और बड़ी तादाद में गेंहू, 21 लाख टन से अधिक गेहूं सपोर्ट प्राइस पर खरीदा गया । 1950-51 में 117.74 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, 1984-85 में हमारा लक्ष्य था 302.90 लाख टन, इतना हम अन्न पैदा करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ । 302.90 लाख टन के बजाय 304.65 लाख टन अनाज पैदा हुआ । यह इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कृषि विभाग ने कितनी सतर्कता से काम किया है और यह सही है कि कृषि विभाग के साथ-साथ इसका श्रेय हमारे देश और प्रदेश के किसानों को है, जिन्होंने अथक प्रयास से योगदान किया है । जिस तरह से किसानों ने नई टैक्निक को स्वीकार किया है, फर्टिलाइजर के स्वरूप को स्वीकार किया है, इससे पैदावार बहुत बढ़ी ।

आज की स्थिति यह है कि हमारे सामने अन्न का कोई किसी तरह का संकट नहीं है । बल्कि उत्तर प्रदेश सरप्लस स्टेट है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में यह कहा जाता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती है, वहाँ पैदावार कम होती है । हमने सघन धान की खेती का कार्यक्रम प्रारम्भ कराया है, इससे पूर्वी जिलों में धान की पैदावार बढ़ी है और मान्यवर 84-85 में 19 जिलों के एक-एक ब्लाक में सघन धान का कार्यक्रम शुरू किया गया । इस वर्ष 24 जिलों के 102 विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है । इसके बहुत अच्छे नतीजे आये हैं किसी-किसी जिले में साढ़े तीन कुन्तल प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी है । बहुत अच्छा नतीजा आया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों में आशा की किरण जगी है, कि खेती के मामले में अच्छी तरक्की कर सकते हैं ।

किसानों को नई तकनीक हम पहुँचाना चाहते हैं । इसके लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 मण्डलों में 8 जिलों में हमने प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया है । इस कार्यक्रम के तहत 12 सौ कृषक परिवार पर एक किसान सहायक होगा जो खेत पर पहुँच कर, उसको लेटेस्ट टेक्नोलोजी की जानकारी देगा । किसानों को सहयोग करेगा । अभी 8 जिलों में लागू किया है, अगले वर्ष 86-87 में 21 जिलों में लागू करेंगे । पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे । इसके भी नतीजे अच्छे आये हैं, उड़ीसा में साढ़े 3 कुन्तल प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी है । इसकी इतनी मांग आ रही है कि हमारे जिले में लागू करवाइये, हमारे जिले में लागू करवाये । यह बहुत अच्छी स्कीम है । हमारा इरादा किसानों तक लेटेस्ट तकनीक पहुंचाने का है । ताकि वह अपनी पैदावार बढ़ा सके । मैं बहुत आकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ । जो पुस्तिका और साहित्य आपको मिला है उसमें काफी जानकारी है । प्रदेश में बुन्देलखण्ड इलाके में पैदावार कम थी बुन्देलखण्ड में सोयाबीन की पैदावार का विशेष कार्यक्रम चलाया गया है । हमें उम्मीद है, इससे बुन्देलखण्ड की स्थित सुधरेगी और प्रगति होगी ।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो डाकूग्रस्त जिले हैं, उनमें विशेष कार्यक्रम चलाकर वहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं । वहाँ के लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम बनाया जा रहा है । मान्यवर, मृदा परीक्षण के लिये, किस तरह की खाद चाहिये, इसके लिये मान्यवर, मृदा परीक्षण जरूरी है । इसके लिये भी पिछले वर्ष 10 लाख 55 हजार मृदा परीक्षण किया गया था । इस वर्ष इसको बढ़ाकर 11 लाख 15 हजार मिट्टी के नमूने लिये जायेंगे और परीक्षण किया जायेगा । मान्यवर, खाद की और बीज की उपलब्धता पूरे प्रदेश में है । कहीं से, किसी जिले से इस बात की शिकायत नहीं है कि खाद और बीज कहीं पर कमी हो । मान्यवर, अच्छी खाद और अच्छे बीज मिल सकें किसानों को ऐसा कृषि विभाग ने सुनिश्चित किया है और पिछले दिनों एक अभियान चलाया गया जिसमें बड़ी तादाद में खाद और कीटनाशक दवाइयों के नमूने लिये गये, उनका परीक्षण किया गया और जहाँ कोई गड़बड़ी पाई गयी वहां कड़ी कार्यवाही की गई । जिसका मैं अभी पूरा विवरण नहीं देना चाहता । जब चर्चा होगी तब पूरा विवरण दे दूँगा । इस तरीके से हमारी कोशिश है कि खेती की पैदावार को बढ़ाया जाय ।

हमारे प्रदेश में एक पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में खेती में बड़ी कठिनाई है तो वहां पर आंद्यानिक विकास के लिए किस तरीके से हार्टिकल्चर डेवलेपमेंट हो सकता है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और हार्टिको की तरफ से इसके लिए कुछ जो हमारी फैक्टरियाँ बन्द पड़ी थी उनको चलाया गया । यह 8 फैक्टरियाँ बन्द थीं जिनमें से 5 चालू हो गयीं और बाकी 3 को भी हम चलाना चाहते हैं । पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के जरिये उतना विकास नहीं हो सकता है । पहाड़ी क्षेत्रों में हार्टिकल्चर को ही विकसित करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है । हार्टिकल्चर के लिये भी ऐसा नहीं है कि केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही इसको बढ़ायें, इसको मैदानी क्षेत्रों में भी हम बढ़ाना चाहते हैं । इसके लिए एक पौधशाला बनाने की भी सोच रहे हैं ताकि वहाँ पर लोगों को फलों के पेड़ दिये जा सकें और लोग जो पेड़ चाहते हैं, जो जिस क्षेत्र के लिए उचित हो सकता है, जो जलवायु और मिट्टी के हिसाब

से उपयोगी हो सकते हैं उस प्रकार की पौधशाला हम विकसित करना चाहते हैं ।

मान्यवर, जिस तरफ ज्यादा काम नहीं हुआ, वह है कृषि यन्त्रों का विकास । आज कृषि यन्त्रों के विकास की बहुत आवश्यकता है । हमने विश्वविद्यालयों से निवेदन किया है कि इस तरफ वे विशेष ध्यान दें और कृषि यन्त्रों का निर्माण करें । हमने इग्रो को भी कहा है कि वे भी इस तरफ अगुवाई करें और आवश्यकता के मुताबिक कृषि यन्त्र किसानों को मिल सकें । मान्यवर, भूमि के संरक्षण का भी एक वृहत् कार्यक्रम है, यह हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें भूमि संरक्षण का वृद्ध कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसको और अधिक विकसित करने का हमारा कार्यक्रम है । अब मान्यवर, 2-3 कार्य हम और नये करने जा रहे हैं । अभी तक उत्तर प्रदेश भर से जो किसान आता था उसके ठहरने के लिए लखनऊ में कोई व्यवस्था नहीं थी । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कृषि विभाग ने यह निश्चय किया है कि लखनऊ में एक किसान भवन का निर्माण कराया जायेगा, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है ।

मान्यवर, बहुत दिनों कृषि विभाग में मैनुअल नहीं है । जबसे कृषि विभाग बना, मैनुअल नहीं है । बन रहा है । जैसा मुझे विश्वास दिलाया गया है, इसी वर्ष तक यानी दिसम्बर, 1985 तक कृषि मैनुअल बनकर तैयार हो जायगा और कार्य क्षमता बढ़ाने में सुविधा होगी । मान्यवर, कृषि विभाग को सतर्क किया गया है, सचेत किया गया है । हमारे सभी अधिकारी तरीके से काम में लगे हुए हैं । जहां कहीं हमको अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की है । यहां तक कि हमने तीन क्लास वन आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही की है । यह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं । हमारा कृषि विभाग पूरी तरीके से सचेत है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों की सेवा में रत है । मैं निवेदन करूंगा कि यह जो मांग कृषि विभाग की ओर से रखी गयी है, आप सब उसका समर्थन करें । मण्डी परिषद् ने भी बहुत अच्छा काम किया है । जब काम होता है तो उसकी कुछ शिकायतें भी होती हैं । हो सकता है कि बहुत सी शिकायतें जायज हों, लेकिन जो कार्य होता है तो शिकायतें भी होती हैं । मान्यवर, इस प्रदेश में कुल 255 मण्डियां और 373 उप मण्डियां हैं । मान्यवर, कितना भी प्रोडक्शन बढ़ जाय, कितनी भी पैदावार बढ़ जाय, लेकिन किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिलती है, लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है तो उससे किसानों में निराशा होती है और वे हतोत्साहित होते हैं । मान्यवर, हमारी पूरी कोशिश है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश और देश में कृषि विभाग के सामने और किसानों के सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वह मार्केटिंग की है । इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं । हमें प्रसन्नता होगी अगर हमारे मित्र इसके बारे में सुझाव देंगे कि किस तरह से प्रदेश में मार्केटिंग बढ़ सकती है । विपणन अच्छा हो सकता है जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। मान्यवर, दूसरा जो प्लान्ट प्रोटेक्शन का कार्य है, इसके लिये भी हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है । यह कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि रक्षा अलग से इकाई है । जिले-जिले में हमारा यह प्रयास है कि इस इकाई को ब्लाक स्तर तक पहुंचा सकें और किसानों की मदद कर सकें ।

मान्यवर, किसानों को कृषि रक्षा के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी देने के लिये कृषि के सम्बन्ध में और भी जानकारी देने वाली विचार गोष्ठी आयोजित की गयी है। ये विचार गोष्ठी ब्लाक स्तर पर और उसके नीचे के स्तर पर कराई जाएंगी। मान्यवर, संक्षेप में मैंने यह थोड़ा सा निवेदन किया है कि कृषि विभाग के कार्य-कलापों के संबंध में कृषि विभाग क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है, इसके सम्बन्ध में। मैं सम्मानित सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी जानकारी और सुझाव देंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ इधर और उधर दोनों तरफ के लोगों से कि वे किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव देंगे क्योंकि जो 80 प्रतिशत कृषि के लोग हैं इनकी समस्याएं हल की जा सकें।

श्रीमती सरोज वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या—9 कृषि विभाग आद्यानिक विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या—10 कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने कृषि मंत्री जी के भाषण को गौर से सुना। मैं सोच रही थी कि बहुत देर उनके भाषण को सुनना पड़ेगा। बड़ी-बड़ी योजनाएं, बड़े-बड़े कार्यक्रम बतायेंगे। लेकिन, अफसोस है कि उनके बजट भाषण में कुछ नयी बात सुनने को नहीं मिली। मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में कहा गया कि हमारे देश में खाद्यान उत्पादन में 83—84 में 70 प्रतिशत वृद्धि हुई है और 1985-86 में गत वर्ष से 4-5 ज्यादा होने का अनुमान है। बड़ी खुशी की बात है। आपके आंकड़े बता रहे हैं हमारे देश में अनाज हो जायेगा, मानों किसानों के बुरे दिन लद जायेंगे, उसके खेत खलिहान सब अन्न से भर उठेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी यह बड़ी-बड़ी योजनाएं विधान सभा के अंदर ही रह जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा किताबों में हो जाती हैं।

मान्यवर, 6 पंचवर्षीय योजनायें लागू हो चुकी हैं, 7वीं चल रही है। इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया? देश की आम जनता को क्या लाभ मिला? आप गांवों में जाकर देखिये, शहर की घनी बस्तियों में जाकर देखिये, मजदूरों को देखिये। आपको क्या दिखाई देता है, वही गरीबी, वही बेरोजगारी की दहशत, वही अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई। आप कहते हैं कि अन्न की पैदावार बढ़ गयी है। तो, फिर यह भूखे नंगे चेहरे क्यों दिखाई पड़ते हैं। आप सोचिये, जो आज शहरों में होटलों में काम करते हुए, ढाबों में काम करते हुए, छोटे-छोटे लड़के दिखायी देते हैं, रिक्शा चलाते दिखायी देते हैं यह कौन हैं? यह शहर के लोग नहीं हैं, यह आपके लड़के नहीं हैं, मेरे लड़के नहीं हैं, रोजी रोटी के लिये आये गांव के गरीब किसान के बेटे हैं, खेतिहर मजदूर के बेटे

हैं, जिनको अन्न नहीं मिला। पेट भरने के लिए शहर की तरफ भागना पड़ा। आप गर्व के साथ कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया। यही है आपका विकास। 6 पंचवर्षीय के चलते 38 साल में आज हम कहां पहुंचे हैं? हमारा देश, 125 देशों में, 123वें स्थान पर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय औसत में अन्य प्रदेशों से काफी ऊपर स्थान था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश कहां है? आज हम आय और विकास के मामले में नीचे से चौथे पर पहुंच गये हैं।

मैं मान्यवर, आपसे कहना चाहती हूं कि आप प्रगति तो जरूर कर रहे हैं कि नीचे से चौथे पर पहुंच गये हैं। लेकिन, विपरीत दिशा में कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही है और वह यह कि आप गांधी जी के बताये हुए मार्ग से भटक चुके हैं। उनकी शिक्षा को बिल्कुल भूल चुके हैं। उन्होंने "हरिजन सेवक" में लिखा था "मैं कहूंगा कि अगर गांवों का नाश होता है, तो भारत नाश हो जायेगा। इस हालत में भारत, भारत नहीं रहेगा। दुनियां को जो उसे संदेश देना है, उस संदेश को वह खो देगा। गांव बरबाद हो रहे हैं, किसान मिटे जा रहे हैं। गांधी जी ने जो कहा था, आज वह हमारे सामने आ गया है। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर जाती है। योजनायें आप बना रहे हैं, और अरबों रुपया आप खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनसे किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता है वह यह है कि अंग्रेजों के उत्तराधिकार के रूप में हमें जो प्रशासनिक व्यवस्था मिली, उसे हमने ज्यों का त्यों लागू कर दिया।

अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हिन्दुस्तान पर कब्जा करना और हिन्दुस्तानी लोगों का शोषण करना। जबकि होना यह चाहिए कि किसी भी आजाद देश में जनता को मालिक का दर्जा होना चाहिए और प्रशासन की नौकरी की हैसियत होना चाहिए। लेकिन आपने अंग्रेजी की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाकर और कुछ बड़े-बड़े चंद नेता लोग यहां के लोगों का शोषण करते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भला प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है इस ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था में चन्द लोग यहां पर बैठकर करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला करते हैं। उन गरीबों की जरूरतें क्या हैं और उनकी समस्यायें क्या हैं, ये नहीं जानते। योजनाओं का लाभ यदि गरीब लोगों तक पहुंचना है तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेहनत करते हों, जो इस धरती से जुड़े हों, जो अपने उजले कपड़ों के गन्दा होने में कोई संकोच न करते हों और जो अपने यहां की भाषा बोलने में कोई शर्म महसूस न करते हों। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिये, इसे भावानात्मक न समझिये। जहां कुछ लोग महलों में रहते हैं तो वही दूसरी ओर 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। आज स्थिति यह है कि ये छोटे लोग इन बड़े-बड़े लोगों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं और एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि इस देश व प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को बदला जाय।

आपने एक योजना बनाई, ट्रेनिंग एण्ड विजिट सिस्टम । वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसमें दो किताबें छापी गयी हैं । एक ट्रेनिंग एण्ड विजिट एक्सटेन्सन'' और दूसरी है ''एग्री-कल्चरल एक्सटेन्सन''। बहुत अच्छी स्कीम है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसे भी आपने इसी रंग में रंग डाला । वही नौकर शाही की फौज और उसके साथ जुड़े लोगों की भीड़ । आपका जो बजट है, उसी के बिहाफ पर मैं आपसे कहना चाहती हूं । इसमें लिखा है कि '' इस योजना में एस0 एफ0 डी0 ए0 के फालतू कर्मचारी वर्ग के समायोजन के उपरान्त नवीन नियुक्तियों पर विचार होगा'' । इस किताब में साफ-साफ लिखा गया है कि इसके प्रसार कार्य में योग्य व जानकारी रखने वाले लोगों को रखा जायेगा । लेकिन इसकी भावना के विपरीत काम किया गया है । आपने यह भी नहीं बताया कि ग्रामीण स्तर पर जो कार्य करेगा उसके लिए क्या योग्यता होगी । यदि आप एस0 एफ0 डी0 ए0 के फालतू लोगों को भर्ती करना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूं कि आपकी यह स्कीम फेल हो जायेगी । मेरा सुझाव है कि इस स्कीम के प्रसार कार्य के लिए आप बी0 एस-सी0 (ए0जी0) किये हुए नवयुवक को नियुक्त करें । और इसमें उन को सेकेण्ड ग्रेड देना चाहिए और उनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर आप करावें तो ज्यादा अच्छा होगा । इसमें ज्यादातर नियुक्तियां गांव के लोगों की होनी चाहिए बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि इस प्रसार कार्य में, जिसमें कार्यकर्त्ताओं का काम गांव के लोगों से ही संबंधित है, शत-प्रतिशत नियुक्ति गांव के लोगों की ही की जानी चाहिए । वे लोग खेती के काम को अच्छी तरह से जानते हैं ।

दूसरी बात मुझे कहनी है-आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि 'उक्त योजना मुख्य रूप से कृषि प्रसार के लिए उत्तरदायी होगी एवं कृषि निवेशों की आपूर्ति, अनुदान, वितरित करना, आंकड़ों का संकलन करना गौण कार्य होंगे । मान्यवर, गौण शब्द तो आपने लिखा दिया लेकिन कृषि प्रसार कार्यकर्ता के जिम्मे इतना काम लगा दिये कि वह उन्हीं में फंसा रहेगा जब कि स्कीम बनाने वालों ने एक बार नहीं बार-बार कहा है कि प्रसार कार्यकर्ता कम से कम आफिस वर्क, पेपर वर्क करेगा, लिखा पढ़ी का काम करेगा । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि-आल इक्सटेन्सन स्टाफ वर्क ओनली आन एग्रीकल्चरल इक्सटेन्सन स्टाफ डाटा कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आफ सब्सिडीज प्रोसेसिंग आफ लोन्स आर एनी अदर एक्टीविटी नाट डाइरेक्टली रिलेटेड टू इक्सटेशन. टू एनेबिल इक्सटेशन वर्कर्स टू स्पेन्ड टाइम इन दि फील्ड दयेर एडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड रिपोर्ट राइटिंग रिस्पान्सबिलिटीज आर मिनिमल दि बी0ई0डब्ल्यू0 एंड0एई0ओ0 फार इक्जाम्पिल कम्पलीट एडेली डायरी बट डू नाट राइट रिपोर्ट्स एट आल लेविल्स, इक्सटेन्सन वर्क मस्ट बी फील्ड ओरिएन्टेड वेरी फियू रिटर्न रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड.

मान्यवर, मैं इसकी हिन्दी कर रही हूं-अर्थात् समस्त प्रसार कर्मचारी सिर्फ कृषि प्रसार का ही काम करेंगे । कर्मचारी इनपुट्स की सप्लाई कृषि निवेशों

की आपूर्ति आंकड़ों के संग्रह के लिए एवं अनुदान के वितरण के लिए ऋण देने की प्रक्रिया के लिए तथा अन्य किसी भी उस काम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जिसका सीधा संबंध कृषि प्रसार से न हो । प्रशासनिक तथा लिखा-पढ़ी का उत्तरदायित्व इसलिए नहीं के बराबर है जिससे प्रसार कार्यकर्ता क्षेत्र में जा कर समय का सदुपयोग कर सके । उदाहरण के लिए 'ग्राम प्रसार कार्यकर्ता' और 'कृषि प्रसार अधिकारी' प्रति दिन डायरी तो लिखेंगे किन्तु रिपोर्ट नहीं। और योजना के सभी स्तरों पर रिपोर्ट लिखने की बहुत कम आवश्यकता है ।

यह आंकड़ें इकट्ठा करना, अनुदान देना बहुत जरूरी कार्य है इसके लिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश लिखे हैं कि इस काम के लिए, विशेष काम में प्रशिक्षित कार्यकर्ता रखें और प्रसार अधिकारी को इसमें न फंसायें । इन्होंने आगे कहा है कि इसमें जितने भी आफिसर हैं, फील्ड ओरियेंटेड स्कीम है, इसमें वी0 ई0 डब्लू0 और ए0 ई0 ओ0 को 15 दिन में 8 दिन खेत पर रहना होता है । इसमें सब-डिविजिनल एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन आफिसर, डिस्ट्रक्ट एक्सटेन्शन आफिसर, जोनल एक्सटेन्शन आफिसर, यहां तक कि डाइरेक्टर, निदेशक को भी कहा है कि 15 में से 6 दिन फील्ड में जाकर कार्य करेंगे, किसानों की समस्याओं को समझेंगे और यहां आपने कहा कि 12 सौ कृषक परिवारों को एक प्रसार कार्यकर्ता दिया गया । तो आपने बिल्कुल उसके विपरीत कार्य किया है। अगर आपने पढ़ा है तो उसमें साफ लिखा है कि कम से कम किसानों के उन बेटों को इसमें लगाना चाहिए जो किसानी जानते हैं, उसको समझते हैं और तभी वह उन लोगों को समझ पायेंगे लेकिन एक प्रसार कार्यकर्ता 12 सौ कृषक परिवार को लेकर किस तरह से कार्य करेगा । इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि बार-बार बल देते हुए कि प्रसार कार्यकर्ता, ए0 ई0 ओ0, डी0 ई0 ओ0, वी0 ई0 डब्लू0 ही नहीं बल्कि

(3 बजकर 20 मिनट)

जितने भी अधिकारी हैं उनको गांवों में जाकर काम करना पड़ेगा, इसका एक ही कारण है कि जिससे खेत में जाने से किसानों की समस्याओं को तो वे समझेंगे ही, उसका निदान भी तुरन्त ही करेंगे और प्रशासन भी चुस्त हो जायगा । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इस योजना को इसके सही स्वरूप में रखिये । यदि सही स्वरूप में लागू कर दी तो किसानों की, गांवों की और आखिर में इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल जायगी । आपसे हम बहुत आशा करते हैं क्योंकि आप चौधरी साहब के साथी रहे हैं इसलिये आप इस स्कीम को इसी भावना से लागू करवायेंगे ।

आपकी दूसरी योजना है बीहड़ समतलीकरण योजना । आपने एक वर्ष में 3000 हैक्टेयर भूमि को समतल करने की योजना बनायी है । यदि मान भी लिया जाय कि लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, फिर भी बताइए कितने साल लगेंगे ? 12 लाख हैक्टेयर बीहड़ भूमि है, हिसाब लगाइए तो 400 वर्ष लगेंगे हमारा सुझाव है कि आप एक भूमिसेना बनायें 2 लाख भूमिहीनों की, जिनको 2 हैक्टेयर प्रति परिवार भूमि आवंटित कर दें, काम के बदले अनाज दिया जाय, जब समतल हो जाय तो

बाग लगाने के लिये खेती करने के लिये अनुदान दें। जब फसल तैयार हो जाय तो आसान किश्तों में उनसे ऋण की वसूली करें। जो मैंने कहा सुनने में आसान सी बात लगती है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो भूमिहीन आदमी जो रोटी के लिये तरस रहा है, उसे एहसास हो जायगा कि जिस भूमि को समतल करने जा रहे हैं वह एक दिन उनकी हो जायगी, तो वे दिन-रात परिश्रम करेंगे। इससे भूमिहीनों को तो काम और रोजगार मिलेगा ही, आपकी जो 12 लाख हैक्टेयर भूमि है, 15 वर्ष में ही समतल हो जायगी और 6 लाख परिवारों को आप रोजगार दे पायेंगे।

अब मण्डी समितियों पर आते हैं। मण्डी परिषद् के अन्तर्गत आपने अब तक 101 मुख्य मण्डी और 44 उप मण्डियों का निर्माण किया है। ताज्जुब की बात है कि जितनी भी मण्डियां हैं, सब खाली हैं। जितनी भी बड़ी-बड़ी मण्डियां हैं जैसे-शाहजहांपुर, कानपुर, बरेली, हापुड़, मेरठ, ये मण्डियां खाली पड़ी हैं। इस तरह से आपने मण्डी बनाने में तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया लेकिन 5-5 साल से 7-7 साल से खाली होने के कारण न तो आप उनका उपयोग कर पाये और जिन किसानों की भूमि मण्डी बनाने के लिये ली थी, वह भी उपज पैदा करने से वंचित रह गये। साहिबाबाद की मण्डी है, यह दिल्ली के निकट है, यह पहाड़ों के फलों के भण्डारण के लिये और खरीदने के लिये बनायी थी, इसको बने हुए 7 साल हो गये हैं, आज तक खाली पड़ी है। इसमें पी0 ए0 सी0 के जवान रह रहे हैं। मण्डियों के शिफ्ट न होने का मुख्य कारण है, आपके मण्डी सचिव आपने सुझाव मांगे थे मण्डी के बारे में इसलिये दे रही हूं, इसका मुख्य कारण है नयी मण्डी समिति में सारी आवक के पर्चे काट दिये जाते हैं। अंकित हो जाता है कि कितना सामान आया क्योंकि उसमें एक ही दरवाजा होता है। लेकिन जहां आजकल मण्डियां हैं पुरानी वहां चारों तरफ से लोग आ सकते हैं। अगर आप वहां चेकिंग करेंगे जाकर तो नई मण्डियों में तो वह पकड़ा जायेगा लेकिन पुरानी मंडी में यह कह कर साफ बच जायेगा कि मेरे माल नोट करने के बाद यह माल आया है। आप नई मंडियों का निर्माण कराने जा रहे हैं, किसलिए? पैसा बरबाद करने के लिए? जब तक आप पुरानी मंडियों में शिफ्ट नहीं करा देते हैं तब तक आपको यह कदम नहीं उठाना चाहिए। मंडी में कर्मचारियों के रुपए बंधे हुए हैं व्यापारियों से तो वह किसानों की बात को क्यों सुनने लगा?

हर वर्ष धान व गेहूं खरीदने के लिए खुली लूट होती है। आप जानते हैं कि इससे बदनामी हो रही है लेकिन आप इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं, तो कैसे आप मंडियों के क्रय केन्द्रों पर जो लूट होती है उसको आप चेक कर पायेंगे?

खेती में सिचाई के बाद सबसे बड़ी चीज है खाद और बीज जिसकी खेती में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उर्वरक हमने बहुत ज्यादा पैदा किया है पिछले सालों के मुकाबिले में लेकिन उसकी खपत को हम नहीं बढ़ा पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उर्वरक की लागत जो कि इतनी ज्यादा हो गई है कि इस

देश का गरीब किसान उसको नहीं खरीद सकता है । संसद की प्राक्कलन समिति ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है कि एक दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए क्योंकि हमारे विकासशील देश के खपत का स्तर अन्य विकासशील देशों के मुकाबिले में बहुत कम है । यदि हम खपत का स्तर बढ़ा लें तो खाद्यान की उपज और बढ़ेगी । आप देखें कि चीन में और भारत में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल एक सा ही है । चीन की भूमि है 4.6 करोड़ हेक्टेयर और भारत की है 4.05 करोड़ हेक्टेयर । लेकिन 1980-81 में चीन ने नाइट्रोजन और फासफेट उर्वरक खेतों में इस्तेमाल किया वह भारत के मुकाबिले में दुगुना था जिसका नतीजा यह निकला कि फसल भी दुगुनी हुई और उर्वरक की खपत भी दुगनी हुई। भारत में 13.2 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन है, चीन ने 30 करोड़ टन का उत्पादन किया ।

दूसरी बात मुझे बीज के बारे में कहनी है कि किसानों को प्रामाणिकता के टैग लगे घटिया किस्म के बीज दिए जाते हैं जब आप नकली बीज देंगे तो कैसे पैदावार अच्छी होगी ? आपकी कीटनाशक दवाइयां भी नकली होती हैं । मेरे क्षेत्र मेरठ में तथा मुजफ्फरनगर में पश्चिमी प्रदेश में पायरिला का प्रकोप हुआ जिससे कि सारी फसल नष्ट हो गई। आपके अधिकारियों ने वहां कीटनाशक दवाइयां डालीं, अपना काम कर दिया लेकिन जब आपकी दवाइयां ही नकली हैं, पुरानी हैं जिनमें कोई असर नहीं है, मैं आपसे कहती हूं कि आप मेरे साथ-साथ चल कर गांवों में देखें कि पायरिला अभी वहां खतम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है । यदि आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपसे निश्चित रूप से कहती हूं कि पश्चिमी जिलों में जो कि अन्न के उत्पादन में सबसे आगे रहते थे, आने वाले सालों में न वहां आपको गेहूं मिलेगा और न गन्ना मिलेगा, इतनी बुरी हालत वहां के किसानों की हो रही है । अभी जिला फतेहपुर में बीज भंडारण के सुपरवाइजरों के खिलाफ बहुत से आरोप आपके पास आये होंगे और आपने कुछ नहीं किया । आप कह रहे हैं कि आपने अभी 3 अधिकारियों को सस्पेन्ड किया लेकिन यह मामला सन् 83 से चल रहा है इनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं करी । इसलिए तो गरीब किसान आपसे शिकायत करता ही नहीं क्योंकि शिकायत करेगा प्रूफ देगा और कुछ कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि सदन में भी कहा जाता है कि कार्यवाही कराई जा रही है, जांच कराई जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा । तो मान्यवर, कृषि ही इस प्रदेश को या देश को आगे बढ़ा सकती है इसमें कोई दो बात नहीं है।

अतः माननीय मंत्री जी आपको और आपकी सरकार को किसानों के हित की रक्षा करनी चाहिए हर हालत में । अभी आप किसानों का नाम बहुत लेने लगे हैं, सिर्फ नाम लेते हैं करते कुछ नहीं हैं। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है । अभी बजट में मैंने पढ़ा कि बड़े उद्योगों के लिए कुछ जब बिजली की कटौती होती है, तो उद्योग पर प्रभाव पड़ता है, तो उनको जनरेटर देने के लिए आपने प्राविधान किया है । तो क्या बिजली कटौती उद्योग के लिए होती है, किसानों के लिए नहीं होती है । क्या आपको सूचना नहीं आई कि किसानों को बिजली नहीं मिली, ट्यूबवेल नहीं चल पाए और फसल बरबाद हो गई । तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जिस तरह से उद्योगों को जनरेटर्स

के लिए उपादान दिए जाने का प्राविधान आपकी सरकार कर रही है, उसी तरह से बिजली कटौती के फलस्वरूप होने वाली हानि से किसानों को बचाने के लिए भी जनरेटर का प्राविधान ट्यूबवेल चलाने के लिए करायें । अभी संसद में श्री कल्पनाथ राय ने वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि गेहूं के मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि की गई वहीं लोहे में 400 रुपए क्विन्टल की वृद्धि की गई है । तो इस बारे में मेरा सुझाव है कि जो सारी सुविधाएं आप उद्योगों को देते हैं वहीं किसानों को, कृषि को भी मिलनी चाहिए । एक उद्योगपति को, व्यापारियों को आप सुविधा देते हैं कि बैंक में एक लोन लिमिट खोल देते हैं, जिससे जब व्यापारी को जरूरत पड़े तो वह एक लिमिट तक पैसा निकाल लेता है । अब आप इन किसानों को यह सुविधा क्यों नहीं देते हैं । अगर आप यह सुविधा दे देंगे तो वह किसान दफ्तरों और अधिकारियों के पास न जाकर अपना सारा समय कृषि में ही लगायेगा । अब मैं एक बात और सरकार से पूछना चाहती हूं कि किसान वह चाहे आलू किसान हो, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, किसान को उसकी उत्पादक वस्तुओं का मूल्य तुरन्त क्यों नहीं मिलता, उसके पैसे का भुगतान क्यों नहीं किया किया जाता है? क्या आपको बाजार में कोई वस्तु उधार मिल सकती है, क्या आपको चश्मा उधार मिल सकता है, मोजा उधार मिल सकता है, अगर नहीं मिल सकता है तो इतने सालों से किसान को यह यातनाएं क्यों दी जा रही हैं ? क्योंकि आप किसान का माल ले लेते हैं और उसके पैसे का भुगतान नहीं करते हैं, गेहूं का मूल्य तो आप तय करते हैं उसमें उसका कोई हाथ नहीं रहता है और जब गेहूं आप उससे ले लेते हैं तो उस गेहूं का दाम बढ़ जाता है । तो 157 रुपए में गेहूं का दाम आपने लिया है और आज राशन की दुकानों में 205 रुपए का भाव है । इस तरह से आपने किसानों को भी लूटा और उपभोक्ता को भी लूटा । आपने उसका दाम 5 रुपए बढ़ा दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं ?

कुमारी कृष्णा रावत–

मैं बोलना चाहती हूं ।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मान्यवर, तो मैं कह रही थी कि महंगाई के अनुपात में किसान की फसल का पैसा नहीं बढ़ा है, तो इस प्रकार से आप बेचारे किसान को आप क्यों मारते जा रहे हैं । उसको अपनी आवश्यकता के लिए बाजार से जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, उनकी कीमत अधिक होती है । अगर आप 1970-71 से तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि गेहूं का दाम दो गुना बढ़ा है तो अन्य चीजों के दाम 3-4 गुना बढ़ा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मंत्री जी ने तो बोला नहीं है, मैं तो बोलूंगी ही । इसलिए कुछ समय लगेगा । तो आप किसानों की औसत आय का अनुपात सुन लीजिए । 1960-61 में 1 और 2 था और आज यह बढ़कर 1 और 4 हो गया है ।

अब मान्यवर, आप आलू पर आ जाये । आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन आलू किसानों को

उनकी फसल का क्या इनाम मिलता है। अखिल भारतीय किसान संगठन ने आलू का दाम 80 रुपये प्रति कुंतल आंका था और सरकार ने उसका दाम 50 रुपया प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि उन किसानों को उनके आलू का दाम 50 रुपये भी नहीं मिल पाया है और उनका आलू सड़ रहा है और इस कारण से उन्होंने 25-26 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से बेचा है और जब वह भी नहीं बिका तो खेतों में ही सड़ गया। मान्यवर, आलू खुदाने के लिये किसानों के पास मजदूरी देने को नहीं थी और उन्होंने उसको खेत से ही नहीं खुदवाया।

मान्यवर, प्रदेश में 60 लाख टन आलू पैदा हुआ और आपके भंडारण की क्षमता है 20 हजार टन, तो किसान बरबाद कैसे नहीं होगा? बिजली की कटौती हुई तो 10 लाख टन आलू वैसे ही सड़ गया। मान्यवर, फर्रुखाबाद में 11 लाख टन आलू पैदा हुआ और वहां की भंडारण क्षमता साढ़े चार लाख टन की है, मेरठ में 90 लाख क्विंटल की पैदावार है और वहां पर भंडारण की क्षमता 12 हजार बोरों की है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप हैं। जिन सूबों में आलू कम होता है, वहां पर आप क्यों नहीं भेजते मान्यवर, आलू जब हमारे यहां पर 50 रुपये कुन्तल आलू बिक रहा था परन्तु पाकिस्तान में 10 रुपये किलो बिक रहा था, तो आप क्यों नहीं सप्लाई करते हैं। दूसरे प्रदेशों को जब आलू भेजने की बात आती है तो दलाल वैगन्स का एलाटमेंट कराते हैं और फिर उनको कैंसिल करा देते हैं जिसे कि आलू की उठान नहीं हो पाती है। बैगन्स का गलत एलाटमेंट कराने वालों के विरुद्ध कड़ा रुख अख्त्यार करना चाहिये और उन पर पेनाल्टी लगा देना चाहिये तो इस तरह का काम नहीं होगा। जब हमारे यहां पर आलू पैदा होता है और किसान को उसको बेचने के लिये दर-दर ठोकर खानी पड़ती है, तो उसका निर्यात क्यों नहीं किया जाता है, उस पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या औचित्य है।

मान्यवर, सिंगापुर में भारतीय आलू की काफी मांग है, 50 हजार टन आलू सिंगापुर को प्रतिवर्ष चाहिये, लेकिन आज वहां की आपूर्ति कौन कर रहा है, चीन आस्ट्रेलिया और ताइवान आलू सीलोन, मलेसिया आदि गल्प कन्ट्रीज में निर्यात किया जा सकता है। ये देश आलू को लेना चाहते हैं। जब आलू हमारे पास है, निर्यात के लिये बाजार उपलब्ध है तो कौन सी चीज रोक रही है कि आप निर्यात नहीं करते हैं। इससे आपको विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और आलू के किसानों का भी इससे भला होगा। वे सुख की जिन्दगी भी जी लेंगे और बरबाद नहीं होंगे।

एक सुझाव और देना चाहती हूं कि जहां आलू बहुतायत से पैदा होता है उस इलाके में घरेलू उद्योग लगाये जायं। जैसे चिप्स और पाउडर उससे बन सकता है। यह सभी जानते हैं कि यह हिन्दुस्तान के हर घर में बनता है। इसलिये इस आलू के लिये आप घरेलू उद्योग स्थापित करें, उसके लिये अनुदान दें। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसके अतिरिक्त आलू से हाई पावर आयल ग्लूकोस और

डेक्ट्रोज इस आलू से तैयार किया जा सकता है। यह बड़ा काम है और यह घरेलू उद्योग के रूप में नहीं पनप सकता है। आप इनको चलाये, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप संक्षेप में बोलिये। फिर मौका मिलेगा।

श्रीमती सरोज वर्मा–

अब मैं दालों के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। मैं बहुत थोड़ा समय लूंगी। मान्यवर, हमारे देश की ज्यादा जनसंख्या शाकाहारी है और दाल की कमी होने से प्रोट्रीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है जिससे कई व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मान्यवर, 1956 में दाल की खपत हमारे यहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70.4 ग्राम थी और आज यह घटकर 34.4 ग्राम रह गई है। क्योंकि दाल पर जल्दी कीड़ा लग जाता है इसलिये किसान उसे कम बोता है। जायद की फसल में किसान इसे बोता है। यदि आप किसान की आबपाशी माफ कर दें तो इसका उत्पादन ज्यादा बढ़ सकता है।

अब मैं कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में कहना चाहती हूं। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना जिन उद्देश्यों से की गई है व आज पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनमें भी भ्रष्टाचार की वही बीमारी घुस गई है। फैजाबाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति डाक्टर कीर्ति सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बिरादरी के बहुत से लोगों को अधिकारी और कर्मचारी के रूप में रख लिया है। मेरे पास एक पत्र है जो कि वहां के इम्पलाईज एसोसियेशन का है जिसमें उन्होंने 102 लोगों की लिस्ट दी है। इस बात को लेकर वहां के प्रोफेसर भी असन्तुष्ट हैं।

इसी तरह से चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के जेनेसिस्ट के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो गई जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने झूठ बोलकर यह कहा कि मैं पी0 एच0 डी0 हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव ने लिखित रूप में इस बात को दिया कि वह झूठ बोलकर नियुक्त किये गये हैं लेकिन आजतक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनका नाम है डाक्टर सिंधु उनके ऊपर गबन के भी आरोप हैं। सतर्कता विभाग ने जांच की और उन्हें दोषी पाया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि उनके खिलाफ आजतक क्यों कार्यवाही नहीं की गई? इसी तरह से कहीं कम और कहीं ज्यादा, सभी विश्वविद्यालयों का यही हाल है। जिन विश्वविद्यालयों को शोध कार्य करना था, लड़कों को उत्तम शिक्षा देनी थी, जिनको किसानों के लिये खोज करनी और उनकी समस्याओं के निदान में योगदान देना था, जब उनका ही यह हाल है तो आज किसानों की प्रगति में प्रश्नचिह्न लग जाना बहुत स्वाभाविक और मामूली सी बात है।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं लेकिन एक मिशाल देना चाहती हूं जो अपने आप में बेजोड़ है। एग्रो की कृषि वर्कशाप में एक सामान्य प्रबंधक श्री आर0 वी0 एल0 श्रीवास्तव हैं जिनके

बारे में विधान परिषद् की एग्रो जांच समिति ने रिपोर्ट दी 1976 में उनको भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया और 1980 में उच्च न्यायालय ने यह कहा कि इनको वेतन दिया जाय सिर्फ वेतन की बात कही यह उनका मानवीय आधार रहा हो या और कुछ हो लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि उनको वेतन देने के साथ-साथ उसी वर्कशाप में फिर लगा दिया जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में उनको निकाल दिया गया था। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितनी कार्यकुशलता से उस वर्कशाप में काम हो रहा होगा। यह एग्रो एशिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी लेकिन आज वह खतम होने जा रही है। तो इस प्रकार उसमें भ्रष्टाचार और धांधलेबाजी हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब समाप्त कीजिये।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मैं दो मिनट आपके और लेना चाहती हूं।

(व्यवधान)

मैं दो घंटे बोल सकती हूं। मान्यवर, आज संसार के सभी देश यह बात मानने लगे हैं कि कृषि के बगैर देश की उन्नति नहीं हो सकती है। टाइम्स आफ इंडिया के एक आर्टिकल में निकोलस डी0 कि सटौफ ने लिखा है कि-"टुडे दि वाचवर्ड आफ डेवलपमेन्ट इज नाट इण्डस्ट्रियलाइजेशन, एज इट वाज इन दि नाइन्टीन फिफ्टीज, सिक्सटीज, सेविन्टीन, बट एग्रीकल्चर" मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर देती हूं। आज विकास का सूत्रवाक्य कृषि है न कि औद्योगीकरण जैसा कि हम पिछले 3 दशकों से मानते आये हैं। आज यह बात दूसरे देश के लोग कह रहे हैं इसलिए हमारे हिन्दुस्तान के लोग जो आज आप कुर्सी में बैठे हैं मानने लगे हैं लेकिन यह बात कितने साल पहले हमारे महात्मा गांधी जी ने कही थी कि कृषि के विकास के बिना हमारे इस गांवों के देश का भला नहीं हो सकता है। तो वही बात आज संसार के बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री, बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं। 1979 में इकोनामिक साइंस में नोबुल प्राइज विनर थियोडोरे डब्लू0 सुल्ज का कहना है कि "मोस्ट आफ दि पुअर कन्ट्रीज वेयर बीइंग एडवाइज्ड बाई दि रिच कन्ट्रीज, एण्ड आल्सो फार्म विदिन, दैट दि बेस्ट वे टू एचिव इकोनामिक ग्रोथ वाज रैपिड इण्डस्ट्रियलाइजेशन, इफ नीड बी एट दि इक्सपेन्स आफ एग्रीकल्चर, ही रिकाल्ड इट टर्न्ड आउट इन कन्ट्री आफ्टर कन्ट्री टू बी ए डिसस्टर."

(व्यवधान)

यह जो देश की आज हालत हो रही है वह आप जो सत्ता में बैठे हैं उसकी वजह से हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप शांत रहें।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर रही हूं।

अधिकांश गरीब देशों को अमीर देशों ने और स्वयं उनके देश के लोगों ने भी, आर्थिक उन्नति का सर्वोत्तम तरीका तीव्र औद्योगीकरण ही सुझाया-चाहे उसकी प्राप्ति के लिए कृषि की अवहेलना ही क्यों न करनी पड़े जहां भी आर्थिक

उन्नति का यह तरीका अपनाया गया वह देश बरबाद होते चले गये । मान्यवर, इसी बात को कह कर मैं अपनी बात खतम करती हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

अधिष्ठाता महोदय, मा0 कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, किसान की बेटी जब कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहीं थीं तो जो तड़प उन्होंने दिखाई वह स्वाभाविक थी । मैं बहिन वर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इसलिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से एक शासन प्रणाली की उन्होंने आलोचना की और उस शासन प्रणाली की आलोचना की और जिसका नेतृत्व सम्मानित नेता चौधरी चरण सिंह इसी सदन में बैठकर पिछले 30-35 वर्षों तक यहां करते रहे और सौभाग्य से केन्द्र में पहुंचकर उसी शासन प्रणाली की प्रशस्ति करते रहे । मान्यवर, कल स्वतंत्रता दिवस को बड़े गौरव से मनाकर आज यहां 16 अगस्त को हम लोग एकत्र हो रहे हैं । 15 अगस्त, 1947 को पं0 जवाहर लाल नेहरु ने लालकिले के बीच से तिरंगा झंडा फहराते हुए देश के निवासियों को जो शुभ संदेश दिया था, उसमें स्वतंत्रता के गौरव का बखान करते हुए उन्होंने देशवासियों से जो देश की समस्यायें हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी कि भारत एक खाद्य संकट से गुजर रहा है और हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए । आज गौरव के साथ और अभिमान के साथ प्रत्येक देशवासी और इस माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य कह सकता है कि भारतवर्ष ने अपने परिश्रम से शासन की नीतियों के सहारे और उसके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के सहारे इस देश के न केवल खाद्य संकट को हल किया है बल्कि इस स्थिति में हम आ गये हैं कि हम दूसरे देशों को जहां खाद्यान्न कम होता है, वहां सहायता करते हैं, यह हमारी उपलब्धि है और इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान भी अधिक है ।

मान्यवर, मैं बहुत दूर न जाकर बताना चाहता हूं कि 1980-81 में हमारे प्रदेश से कुल उत्पादन 24,948 हजार मैट्रिक टन था और 1984-85 में बढ़कर 30,465 हजार मै0 टन हो गया । इस तरह लगातार हम अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं और यह न केवल तौल में बल्कि प्रतिहेक्टर अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं । वर्तमान शासन ने जो नीति अपनाई है उसके आधार पर किसान आज उत्पादन बढ़ा रहे हैं और जिस तरह छठी पंच वर्षीय योजना में हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ा है उसी प्रकार आगे चलकर सातवीं पंच वर्षीय योजना में और भी नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे ।

मान्यवर, अब मैं ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसमें हमारे मंत्री जी सहयोग देंगे । मान्यवर, हमारे जनपद उन्नाव में आलू के बीज की आवश्यकता रहती है और सभी जगह प्रदेश में इस बात की कोशिश की जाती है कि आलू का अधिक से अधिक अच्छा बीज मिले लेकिन जिलों में जो बीज सप्लाई होता है वह जिस समय बोने का समय होता है उसी समय बीज की आपूर्ति की जाती है ।

मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पूर्ति का पहले से ही तखमीना लगा लिया जाया करे हर जिले में कि कितने आलू के बीज की वहां आवश्यकता होगी और उस आलू के बीज की पूर्ति वहां के कोल्ड-स्टोरेज में पहले से ही कर दी जाया करे या फिर आलू बोने के समय में पूरी मात्रा में बीज हर जगह पहुंचाया जाए, जिससे आलू उत्पादकों को कोई कठिनाई न हो, उन्हें आलू बोने की सुविधा हो और अच्छी फसल हो सके ।

मैं इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूं, उसका यह भी एक अच्छा कदम है कि वह चावल की उपज अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए वह धान की खेती को सब्सटेन्सिव रूप से, सघन रूप से कराने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए शासन की ओर से जो 10 जिले लिए गये थे और उनमें एक-एक ब्लाक को इस धान का उत्पादन बढ़ाने की योजना में लिया गया था, और आगे चलकर उसको 104 विकासखण्डों में लागू किया जा रहा है, उसके लिए मैं कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं मांग करता हूं कि उस योजना में हमारे जनपद को भी और खासकर उन्नाव जनपद के बीघापुर और सुमेरपुर विकास खंडों को सम्मिलित करने की कृपा करें ।

सबसे ज्यादा परेशानी और कठिनाई हमारे किसानों को प्रमाणिक बीज मिलने में होती है । जितनी मांग होती है, उससे बहुत कम मिलता है । इसके लिए कृषि विभाग की ओर से उत्तरोत्तर प्रयत्न होना चाहिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रमाणिक बीज मिल सके । इस सम्बन्ध में मैं यह भी मांग करता हूं कि बीज वितरण करने वाली जो एजेन्सी है, उनमें लाइसेन्स प्रणाली या ऐसी ही अन्य कोई प्रणाली लागू की जाए, जिससे उनके यहां केवल मात्र प्रमाणिक बीज ही बिक सकें। क्योंकि प्राय: देखा जाता है कुछ लोग प्रमाणिक बीजों के साथ साथ, अधिक मांग होने पर, दूसरे बीज भी किसानों को बेचते हैं और किसान समझता है कि वह प्रमाणिक बीज है, क्योंकि वह प्रमाणिक बीज की दुकान से उसे ले रहा है । इस तरह से किसान को घटिया और खराब बीज मिलता है, जिससे उसकी उपज बर्बाद हो जाती है ।

खाद वितरण में भी कभी-कभी यह होता है कि पुरानी खाद जो पड़ी रह जाती है, वह किसानों को सब्सिडी या सहायता जोड़कर दे दी जाती है । कभी-कभी वह बहुत खराब होती है या उसमें मिलावट होती है और किसान जब उसका प्रयोग करता है तो उत्पादन बढ़ने के बजाए कम हो जाता है और उनकी लागत भी बेकार चली जाती है । इसलिए जहां कहीं रसायनिक खाद दी जाए, उसकी जांच हो जानी चाहिए कि वह उपयुक्त है या नहीं और यदि वह उपयुक्त हो तभी वह किसानों को दी जाए, अन्यथा उसका वितरण किसानों को न किया जाए ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया । यह देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, यह कोई विवाद का विषय नहीं है । किसानों की क्या दशा है यह भी एक खुला हुआ पन्ना है, सरकार क्या कर रही है यह भी किसी से छिपा नहीं है । किसानों की दशा को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से शुद्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीज, खाद, बिजली और पानी की आवश्यकता होती है ।

अब हम शुरू से बीज से ही चलें । इस आदरणीय सदन में हमारे एक सवाल के उत्तर में शासन ने स्वीकार किया था कि 43 जिलों में सब-स्टैन्डर्ड गेंहू के बीजों का वितरण हुआ है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 43 जिलों में रद्दी बीज पहुंचाने वालों के खिलाफ आपने अब तक क्या कार्यवाही की है । और जिन किसानों को धोखा देकर यह दिया गया है और वह उगा ही नहीं, उनको कम्पेन्सेशन देने के लिए आपने क्या किया है? आपको अपनी जरूरत का जरा भी पता नहीं है । साढ़े 4 रुपये और चार रुपये किलो जो बीज खरीदा जाता है, उसकी बुआई समाप्त होने पर रुपये किलो पर उसे कोई खरीदता नहीं है जला दिया जाता है, बरबाद कर दिया जाता है कोई प्लानिंग खरीदने की नहीं है । आप जिला कृषि अधिकारी से पूछते ही नहीं हैं कितनी आवश्यकता है । जितनी चाहें, न जाने कहां कहां से बीज लाकर दे दिया, वितरण करने की कोई प्लानिंग नहीं है । यही स्थिति फर्टीलाइजर की है । मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि गुजरात और हरियाणा का जो फर्टीलाइजर, जो मिट्टी की सप्लाई उत्तर प्रदेश में होती थी उस पर आपने रोक लगायी इसके लिए आप बधायी के पात्र हैं । साथ ही साथ जो सघन खेती की योजना है । आपने जो जिंक सल्फेट मुहैय्या कराया है वह दिल्ली की किसी फर्म का है ।

मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, हमारे यहां ए0 पी0 सी0 साहब गये थे मैंने कहा था कि यह जिंक सल्फेट जो दिल्ली की किसी फर्म से आया था उसकी जांच करा लीजिए कि यह रद्दी से रद्दी मिट्टी से बना है । तो जब आप किसानों को सही खाद नहीं दे सकते, सही बीज नहीं दे सकते तो कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि वह ठीक से उत्पादन बढ़ा सकेंगे । फर्टीलाइजर के संबध में आपको नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा । जितने मैन्यूफैक्चरर्स हैं उनकी जांच करवा लें । आपके विभाग ने जांच किया है तो उनके मिक्सचर में एडल्टरेशन पाया गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इसका दोषी कौन है, आप हैं या हम हैं । हो सकता है कि दोनों दोषी हों । आप किसी फैक्टरी को ले लीजिये और पता करिये कि कितना कच्चा माल उसने मंगाया है और कितना मैन्यूफैक्चर किया है । इससे अंदाजा लग जायगा । मेरी निश्चित जानकारी है कि मिक्सचर बनाने की जितनी फैक्टरियां हैं वह रद्दी किस्म की खाद तैयार कर रही है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह एक धंधा खुला हुआ है । छोटे-छोटे शहरों में बोरा बनाने की मशीनें लगी हुयी हैं और स्टैंपिंग फर्जी हो जाती है और रद्दी से रद्दी खाद किसानों को दी जाती है। आपको इस संबंध में सुनिश्चित नियम बनाने पड़ेंगे और फर्टीलाइजर के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा ।

मैं कहता हूं कि इससे बड़ा अपराध और कोई हो नहीं सकता । आपको सी0 आर0 पी0 सी0 की धाराओं को बदलना पड़ेगा । रद्दी बीज और रद्दी खाद सप्लाई करना सबसे बड़ा अपराध है । इससे बड़ा अपराध और कोई हो नहीं सकता । इस अपराधी को मौत की सजा से भी ज्यादा अगर कोई सजा हो तो देनी चाहिये ।

किसान अपने खर्चे काट कर, अपने लड़के की फीस कम करके, घर के खर्चों को कम करके खाद खरीदता है और उसको सब स्टैंडर्ड खाद और बीज मिलता है। आलोचना होती है जनता पार्टी की सरकार की। जनता पार्टी की सरकार ने एक काम सब्सिडाइज्ड रेट पर खाद किसान को देने का किया था। मैं पूछना चाहता हूं किसानों की हिमायती इस सरकार से, अपने मंत्री जी से जो किसानों के समर्थक हैं और किसान परिवार से आते हैं कि उन्होंने किसानों के लिये क्या किया आप सारी सुविधायें पूंजीपतियों को देंगे, मिल मालिकों को देंगे। सस्ती बिजली हिंडालको को देंगे, मिल मालिकों को देंगे। किसानों को कौन सी छूट देने जा रहे हैं इसके बारे में बता दें। आपने बीज पर छूट दी या फर्टीलाइजर पर छूट दी किस चीज पर आपने छूट दी। आप किसानों को सही फर्टीलाइजर, सब्सिडाइज्ड रेट पर देने की, बीज देने की गारंटी करें किसान का उत्पादन बढ़ जायगा। ए0 पी0 सी0 हमारे यहां गोरखपुर गये थे। वह वहां के एस0 डी0 एम0 रह चुके हैं। वह किसानों की मेड़ पर घूमें। किसान ने पहली बार देखा कि लखनऊ के सचिवालय में बैठा हुआ कोई अधिकारी उनकी मेंड़ पर घूम रहा है। उन्होंने वहां ट्रांसप्लांटेशन के बारे पूछा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब मैं एस0 डी0 एम0 महराजगंज था तब भी किसान ट्रांसप्लांटेशन करते थे, व्हाट इज योर कांट्रीब्यूशन। तो आपका क्या योगदान है यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आपसे और आपके निदेशालय से पूछना चाहता हूं कि आपका क्या योगदान है उत्पादन बढ़ने में। आपने कोई योगदान उत्पादन बढ़ाने में नहीं किया है।

मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। 9 क्लास-1 अधिकारी चुन करके सड़कों पर घूम रहे हैं उनको कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ तमाम स्थान रिक्त हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। प्लांट प्रोटेक्शन अफसरों के 25 जिलों में स्थान रिक्त हैं। और अगर उनकी आवश्यकता है, तो उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? आपने सघन योजना की बात कही, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी की निगाह पूर्वी जिलों की ओर गयी। आप जानते हैं कि जितना धान पूरब में पैदा हो रहा है, वह पश्चिम से कम नहीं पैदा हो रहा है। पूरब और पश्चिम का भेद हम नहीं कर रहे हैं। जो आप टी0 एन0 वी0 प्रशिक्षण योजना लागू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई, अच्छा होता इसका विस्तार सभी पूर्वी जिलों में करते और इनमें नियुक्त होने वाले लोगों को, जो इन्हीं जिलों के रहने वाले हैं, उनको आप प्राथमिकता देते। सघन धान उत्पादन योजना की शुरुआत भी अच्छी है, लेकिन ब्लाकों के चयन में जो विषमताएं देखने को मिली हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा धान नैपाल से सटे उत्तरी इलाके में जैसे विकास क्षेत्र घुघली, महराजगंज, मिठौरा, निचलौल, सिसवा बाजार, आनन्द नगर, लक्ष्मीपुर और नौतनवां में होता है, लेकिन जिले में एक ऐसे ब्लाक को भी चयन किया

गया, जहां लोगों को धान की खेती में अभ्यास ही नहीं है। माननीय मंत्री जी ने डिप्लोमा शिक्षा के संबंध में चर्चा की थी। गत वर्ष पूर्व कृषि मंत्री श्री यशपाल सिंह जी ने भी कहा था कि डिप्लोमा कक्षाओं में प्रवेश बन्द कर दिया गया है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजकीय विद्यालयों में प्रवेश तो बन्द कर दिया गया, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश जारी है और 10-10 हजार रुपये लड़कों से लेकर प्रवेश किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह विषमता क्यों ? और कक्षायें चलनी हैं, तो राजकीय विद्यालयों में भी प्रवेश होना चाहिए और अगर नहीं चलने दें, तो व्यक्तिगत संस्थाओं में प्रवेश किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। हार्टिकल्चर के बारे में बड़ी लड़ाई के बाद पहाड़ पर हार्टिकल्चर का निदेशालय खोला गया था, किन्तु खेद है कि वहां कोई भी पूर्णकालिक निदेशक नहीं रह पा रहा है। सचिवालय में बैठे हुए सेक्रेटरी निदेशक बने हुए हैं। परिणाम यह है कि निदेशालय का कोई न औचित्य है। सचिवालय में बैठे हुए सेक्रेटरी कि विभाग से ही योग्यता और वरीयता के आधार पर पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किये जायं।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तीन अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की। मैं नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके आदेश का परिपालन हुआ ? यदि नहीं, तो यह विभाग किसके निर्देश पर चल रहा है। यदि मंत्री जी अपने आदेशों का परिपालन नहीं करा सकते, तो इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और पुनः कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों को सब्सीडाइज रेट पर उर्वरक देने की घोषणा करें, जैसा कि जनता पार्टी ने अपने शासन काल में किया था।

श्री शिव नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को आम राहत देने वाला जो बहुमुखी बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही विरोध पक्ष की सम्मानित सदस्या श्रीमती सरोज जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और कटौती के प्रस्ताव से विमुख हो करके उन्होंने काल्पनिक भावनाओं में ओत-प्रोत होकर जो सदन के सामने अपना वक्तव्य दिया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र चांदा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि आजादी के बाद से आज तक पूर्णतया उपेक्षित रहा। हमारे क्षेत्र में विकास खण्ड भदैया और चांदा का दक्षिणी हिस्सा ऊसर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र की उन्नति के लिये आवश्यक निर्देश देकर वहां पर एक अच्छी उर्वरक जमीन बनाने की कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में धान की फसल अधिक होती है, लेकिन कीटाणु इतना अधिक लगता है कि किसानों के घर तक उनकी फसल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि

कृषि रक्षा दवाइयों पर विशेष ध्यान दें और वहां पर पहुंचायें, ताकि छिड़काव द्वारा किसान अपनी फसल बचा सकें। मंत्री जी ने जो यह घोषणा की कि किसानों के लिए एक किसान भवन बनाया जायगा। वह उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। जय हिन्द, जय भारत।

*श्री मनोहर लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी एक कृषक परिवार से सम्बन्ध रखते हैं और जैसा विशारद जी ने चौधरी साहब की याद दिलाई, मैं मंत्री जी को दिल्ली इण्डिया गेट की याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली इण्डिया गेट पर हिन्दुस्तान के लाखों कृषक इकट्ठा हुए थे, किसान सम्मेलन के नाम पर और मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो किसान हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको सही बीज, सही खाद और सही पानी नहीं मिल पा रहा है, मैं उनके लिये बराबर संघर्ष करता रहूंगा। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, उत्तर प्रदेश शासन में महत्वपूर्ण पद पर हैं, लोक दल में नहीं हैं, सत्ता पक्ष में हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलने का सौभाग्य उनको हमसे ज्यादा मिला है।

चौधरी चरण सिंह का जीवन किसानों का जीवन रहा है, उनसे आपने प्रेरणा ली है। प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों का भार आपने उठाया है। हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहां की 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है और 70 प्रतिशत खेती पर आधारित है। खेती के लिये जरूरी है, अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छा पानी। मैं अधिक आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश इतना सक्षम हो गया है कि दूसरे प्रदेशों को अपना उत्पादन देता है। हम कुछ प्रदेशों के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहला आंकड़ा आन्ध्र प्रदेश में धान की उपज 21·68 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है, हरियाणा में 24·70 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, जम्मू कश्मीर में 20·82 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, केरल में 15·83 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 10·95 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, पंजाब में 29·57 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार गेहूं में उड़ीसा 18·85, पंजाब 29·32, राजस्थान 16·60, उत्तर प्रदेश में 16·40 है। इस प्रकार से राजस्थान से भी उत्तर प्रदेश की पैदावार कम है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इतना अनाज पैदा होता है कि दूसरे प्रदेशों को देते हैं।

मान्यवर, आप मिर्जापुर को ले लें। वहां आज भी वहां के रहने वालों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। पेड़ की छाल, महुये की गुल्लू खायी जाती है। जो मिर्जापुर के सदस्य हैं, वह जानते हैं। जब किसान को सही बीज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सही खाद नहीं मिलेगी तो उसकी उपज कैसे बढ़ेगी। लोहे का भाव व्यापारी तय

*अंग्रेजी में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेगा। शक्कर का भाव चीनी मिल मालिक तय करेगा। कपड़े का भाव कपड़ा मिल मालिक तय करेगा लेकिन गेहूं, धान, आलू और कपास का दाम सरकार तय करेगी। मेहनत किसान करेगा, पैसा किसान लगायेगा और भाव तय करेगी सरकार। कृषि विश्वविद्यालय के विद्वान जो हैं, जैसा कि अभी माननीया सदस्या ने कहा है कि इन भावों को वह तय करेंगे। किसान को कोई अधिकार नहीं है कि वह तय कर सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हम माननीय कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि किसानों को भी अधिकार दें जैसे लोहे के दाम उद्योगपति, चीनी के दाम चीनी मिल मालिक, कपड़े के दाम कपड़ा मिल मालिक तय करते हैं वैसे ही गेहूं, कपास, धान, आलू और गन्ने का दाम किसान तय करे। अन्त में एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे उन्नाव जनपद में चकरबंसी, नवाबगंज क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सिर्फ धान की पैदावार होती है। सैकड़ों बार माननीय मुख्य मंत्री उधर से गुजरे होंगे, सैकड़ों बार माननीय कृषि मंत्री गये होंगे और माननीय उद्योग मंत्री उसी क्षेत्र की तरफ के हैं, वहां हजारों एकड़ भूमि बिना सींच के पड़ी हुई है। किसानों के लिए अच्छा बीज, खाद और पानी की व्यवस्था करें जिससे कि उपज बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे विनम्र एवं योग्य कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं एवं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। एक विशेष बात यह है कि जो हमारा विरोधी दल है वह राष्ट्र की मुख्य धारा से बहुत दूर रहा है और जो हमारा इतिहास है उससे सम्बन्ध रखने वाले सम्भवतः एक ही दो व्यक्ति विरोधी दल में हैं। किसान सदैव हमारे दल से सम्बन्धित रहा चाहे वह बिहार का किसान हो या अवध का किसान जिन्हें श्री जवाहर लाल नेहरू ने उठाया था। श्री जवाहर लाल नेहरू 1928 में एक कान्फ्रेंस में गये थे ब्रूसेल्स वहां वे यह प्रस्ताव लाये कि किसी राष्ट्र का कोई भी आन्दोलन जब तक किसान और मजदूर दोनों उससे सम्बद्ध न हों तब तक नहीं सफल हो सकता। 47 के बाद यह मेरा दल कांग्रेस अनवरत किसानों की आर्थिक स्थिति को उठाने में और कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयत्नशील रहा। कृषि उत्पादन के साथ-साथ यहां सिंचाई के साधनों को काफी बढ़ाया जा रहा है। उर्वरक, बीज और कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 38 वर्षों में कांग्रेस ने सदैव कृषि साधनों में उपलब्धता बढ़ायी है। उदाहरण हेतु 1979-80 में जो एग्रीकल्चर लोन किसानों को दिया गया था वह 166 करोड़ था और 84-85 में वह धनराशि बढ़ाकर 300 करोड़ दी गयी। इसी तरह से कैश क्राप में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है, चाहे गन्ने की फसल हो या आलू की फसल हो। (4 बजकर 20 मिनट) प्रति हेक्टयर उपज में भी बराबर वृद्धि हुई। ऊसर उन्मूलन प्रदेश में हुआ। तकनीकी शिक्षा अनवरत दी जा रही है। हां, विरोधी दल के लोग यदि

यह तय कर लें कि हर एक बात के तर्क से असत्य साबित करना ही है तो अलग बात । मेरा कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध है कि ऐसे उद्योग जिनका आधार कृषि है, और लगाये जायं। कृषि यंत्रों की इकाइयां भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जानी चाहिये। जैसा कि हमारी बहन ने कहा आलू से संबंधित औद्योगिक इकाइयां अवश्य लगायी जानी चाहिये जिससे किसानों को आर्थिक विषमता का सामना न करना पड़े। आशा है कि शासन इन सुझावों पर विचार करेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव को बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । कटौती के प्रस्ताव को बल देने के पीछे मेरा कोई कोरा तर्क या भाषण नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि इसमें पैसे का सदुपयोग नहीं हो पायगा, इसलिये इस मंत्रालय को एक भी पैसा लेने का औचित्य नहीं है। इसके लिये मैं केवल दो उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम सभी यह मानते हैं कि चाहे यह देश हो या प्रदेश, इसकी 80 प्रतिशत जनता की जीविका का मुख्य स्रोत खेती है। मान्यवर, अगर इस प्रदेश के प्रगति के रथ को आगे बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है तो कृषि को औद्योगिक इकाई के रूप में विकसित करना होगा। उसको संरक्षण देना होगा। किसानों का जो उत्पाद है और मिलों का जो उत्पाद है, उसमें रिश्ता कायम करना होगा। मैं नहीं देखता कि कृषि मंत्रालय के द्वारा कोई भी कदम इस दिशा में बढ़ाया जा रहा है। इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा भ्रष्टाचार के। मण्डी कृषि उत्पादन समिति को आप देख लें। पहले इसका चेयरमैन मंत्री या ए0 पी0 सी0 होता था। आज इस पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जिस पर दो इम्मेजलमेंट के केस न्यायालय में विचाराधीन हैं। माननीय मंत्री जी कितना हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, यह संज्ञान में लाना पड़ेगा, लेकिन मंडी समिति के चेयरमैन कितनी हवाई यात्रा करना चाहते हैं, कृषि मंत्री से निवेदन है कि वे अपने भाषण में इस बात पर विस्तृत प्रकाश डालें कि विधिक रूप से वे कितनी सुविधाएं पाने के पात्र हैं और कितनी सुविधाओं का वह उपभोग कर रहे हैं। केवल तीन हजार रुपये किराये के मकान में वह रह रहे हैं धारा सिंह नाम के अधिकारी । सरकार उनका पैसा देती है। आज यह स्थिति है कि सचिव बनाने के लिये उन्होंने रुपये लिया है। लाखों रुपये घूस लेने की शिकायत उनके खिलाफ है। इसी विवाद के कारण आज कम्प्यूटर से सचिव के चुनाव होते हैं। वे जहां-जहां जाते हैं, लोग उनका घेराव करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा ले लिया लेकिन उनके सचिव का चुनाव नहीं हुआ। लोग अपना पैसा वापस मांगते हैं। मंत्री जी ने उनको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देने की संस्तुति की है। दूसरी बात मैं फैजाबाद की एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी की बताना चाहूंगा। मेरा आरोप है कि कृषि मंत्री, मंत्री जी हैं लेकिन परदे के पीछे इनके विभाग का संचालन कोई और करता है। उदाहरण के लिये जैसा बताया कि धारा सिंह पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। विधिक रूप से जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे अधिक सुविधायें वे प्राप्त कर रहे

हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी अंकुश लगाने में निरीह हैं। नरेन्द्र देव जी के नाम पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद में उसके वाइस चांसलर एक्टिंग डा0 कीर्ति सिंह हैं। 7 मई, 1984 को एक आर्डिनेंस हुआ है, डा0 कीर्ति सिंह एक्टिंग वाइस चांसलर तब से अभी तक कंटीन्यू कर रहे हैं। उस आर्डिनेंस के हिसाब से उनका एक्टिंग वी0 सी0 फंक्शन करने का पीरियड समाप्त हो चुका है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस नरेन्द्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का संचालन माननीय मंत्री जी के हाथों में नहीं है, जो हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, उसकी सारी बागडोर उनके हाथों में है। श्रीमती वर्मा ने एक उद्धरण दिया कि 90 नियुक्तियां हुई हैं 1985 में। 1984-85 में विज्ञापन संख्या 1 से लेकर 4 यूनिवर्सिटी ने निकाला है। 79 आदमी डा0 कीर्ति सिंह ने अपने और माननीय परिवहन मंत्री जी के रखे हैं। एक ही बिरादरी के लोगों को रखा गया है और हरिजनोत्थान का नारा लगाने वाली इस सरकार पर मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इन 90 व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति का नहीं एप्वाइंट किया गया है। यह शक्ल है समाजवादी मंत्रिमण्डल की, समाजवादी सरकार की। 1982 में उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितना भूसा था उसे बेचा 14 रुपये क्विंटल के हिसाब से और उसी 1982 में बाद में जो भूसा खरीदा गया वह 80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया। मान्यवर, पहले तो 14 रुपये के हिसाब से यूनिवर्सिटी का भूसा बेच दिया। बाद में भूसे की कमी को दिखाते हुए 80 रुपये के हिसाब से भूसा खरीदा गया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। इस पर कौन सी कार्यवाही की गयी? 1979 से 1981 के बीच में कुल 43 गाय और भैंस की खरीद हुई 1 लाख 90 हजार रुपये में।

आप यूनिवर्सिटी का रजिस्टर मंगाकर देख लीजिये एक भी जानवर 2 लीटर से ज्यादा पर डे दूध देने वाला नहीं है। 1984-85 की जो आडिट रिपोर्ट है, उसी में बताया गया है, लाइब्रेरी की किताबों में 10 लाख का व्यय आया, पेमेंट केवल 3 लाख का हुआ है उसमें 20 प्रतिशत फर्जी कमीशन हुआ है। यह सरकार की आडिट रिपोर्ट में है। तो मान्यवर, इस प्रकार से सरकार का यह विभाग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में निरीह है। मान्यवर, जो सरकार कृषि को जो इस प्रदेश की जीविका का महत्वपूर्ण साधन है, उसको औद्योगिक इकाई का रूप देने में विफल रही हो, आपका नैतिक रूप से अधिकार नहीं है कि आप हमसे बजट की मांग करें। इसलिये मान्यवर जो माननीया सरोज वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे अफसोस हुआ माननीय भगवती सिंह विशारद के व्यंग्य पर कि किसान की बेटी किसान के द्वारा जो प्रतिष्ठित की गयी है नीति, उसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई है।

मान्यवर, मंत्री जी ने अन्न का उत्पादन बढ़ने की बात कही। मान्यवर, केवल जनता पार्टी के सरकार के जमाने में ही प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता बढ़ी है, वरना कांग्रेस के शासन में निरन्तर प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता घटती गयी है। यह इस बात का परिणाम है कि इस सरकार

को कृषि से कुछ लेना देना नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शशि शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, हर जगह रिजर्वेशन है, विकलांगों का भी रिजर्वेशन है। श्री श्रीनाथ सिंह जी, कुंवर रेवती रमण सिंह और मैं श्रीमन्, इसमें आते हैं। आपको ध्यान देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

एक रिजर्वेशन और है महिलाओं का। इसलिए महिला को मौका दिया जा रहा है।

श्रीमती शशि शर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं । माननीय कृषि मंत्री जी ने ग्रामीण जनता के लिये और कृषकों के जीविकोपार्जन और विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं और श्रीमती वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करती हूं । कृषि मूल्यः जीवनम्-अर्थात्, कृषि ही जीवन का मूल आधार है । यदि इसे औद्योगिक रूप दे दिया जाय तो हम प्रदेश में हरित-क्रांति ला सकते हैं । श्रीमती वर्मा जी श्री चौधरी चरण सिंह जी की बेटी रही हैं । वह बड़े किसानों की बात करते हैं । मुझे सौभाग्य प्राप्त है..

श्री अधिष्ठाता–

बेटी रही नहीं, बेटी हैं ।

श्रीमती शशि शर्मा–

मेरे दादा श्री गेंदा सिंह जी भी श्रीमती सुचेता कृपालानी जी के कैबिनेट में मंत्री थे । चरण सिंह जी भी कृषिमंत्री थे। वे हमेशा बड़े किसानों की बात करते हैं । उन्होंने हमेशा यह कहा है कि कम जमीन वालों की जमीन लेकर बड़े किसानों को दे दी जाय । मैं इसकी हमेशा विरोधी रही हूं । पूर्वी क्षेत्र में छोटे कृषक हैं जो देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती में निवास करते हैं। मैंने इन लोगों के दुख दर्द को बहुत करीब से देखा है । हमारी सरकार ने इन सीमान्त और लघु कृषकों के विकास के लिए योजनायें प्रस्तुत की हैं । मैं इसकी प्रशंसा करती हूं । जब हम छोटे किसानों का विकास करेंगे, तभी हमारे प्रदेश में हरित क्रांति आयेगी ।

फसल बीमा का काम भी हमने कराया है । इससे छोटे कृषकों को लाभ पहुंच रहा है । कुछ कमियां हैं, जिनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगी । खाद के दाम कम होने चाहिए । चाहे आप गवर्नमेंट से सब्सिडी दिलवायें और चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एड लें । किसानों को अच्छे बीज और उत्पादक किस्म के पौधे सुलभ नहीं हो पा रहे हैं, जिन्हें आप उपलब्ध करवायें। इसमें कुछ दोष हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों का है। सारे अधिकारी जब मिलते हैं तो एक मीटिंग कर लेते हैं । जब तक हम गांवों में जाकर किसानों की समस्या को नहीं समझेंगे तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है । कृषि

विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गांवों में किसानों के पास नहीं जाते हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं और नीतियों से अवगत नहीं कराते हैं, जिससे उन किसानों को कुछ भी मालूम नहीं हो पाता है। जब तक उनको ये बातें नहीं बतायी जायेंगी, तब तक कागजों में आंकड़े दिखाने से किसानों का भला नहीं हो सकता है। ये सारे एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स बेकार हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए दवाई दी गई है तथा जिसका डिमानस्ट्रेशन भी किया गया है, उससे किसानों को लाभ पहुंचा है।

ट्रैक्टर्स और पम्प सेट के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, उनके दाम कम होने चाहिए। किसानों को ऋण की सुविधा कम ब्याज पर उपलब्ध करायी जाय। आज किसानों का ट्रैक्टर नीलाम हो जा रहा है। खेती से उसकी अरुचि बढ़ती जा रही है। वह अपने धन्धे कृषि से भाग रहा है। नौकरी पेशे की तरफ जा रहा है।

कृषकों को अनुदान दिया जाय। मेरे फाजिलनगर क्षेत्र में एक फूड रिजर्वेशन सेन्टर खोला जाय। होटल मैनेजमेंट जो केवल लखनऊ और देहरादून में है, इसे देहातों में भी खोला जाय। मण्डी समितियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे खत्म किया जाय। बिचौलियों को, जो खरीददारी करते हैं, गेहूं का लाभ उसकी वजह से किसानों को नहीं मिल पाता। काफी कुछ काम है और आगे अभी बढ़ाना है। तो जब हम टोटल डेवलेपिंग की ओर बढ़ेंगे तभी प्रदेश में हरितक्रान्ति लायी जा सकती है और इसके लिए अनुरोध करती हूं कि कड़ी कार्यवाही की जाये ताकि जो अधिकारी, कर्मचारी हैं वह अपनी जिम्मेदारी को समझें। धन्यवाद।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 60 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और खेती पर निर्भर है। इसमें 7 प्रतिशत सीमान्त कृषक हैं और 34 प्रतिशत छोटे कृषक। श्रीमन्, जिनके पास एक एकड़ से कम है। 6 प्रतिशत बड़े कृषक हैं। सीमान्त और छोटे कृषकों को कोई भी सहायता शासन से प्राप्त नहीं होती है और अगर गांवों को उठाना है तो छोटे तथा सीमान्त कृषकों का स्तर ऊपर करना होगा।

हरित क्रान्ति के नाम पर जो भी सहायता शासन उपलब्ध कराता है वह छोटे सीमान्त कृषकों को प्राप्त न हो कर बड़े कृषकों को मिलती है, वही उनका लाभ उठाते हैं और बाकी अधिकारी व कर्मचारी हैं वह सब उनकी जेबों में पहुंच जाता है। छोटे कृषकों को सही बीज खाद उपलब्ध नहीं हो पाता और पानी लगाने के लिए न ही उनके पास संसाधन हैं न ही लगा सकते हैं। पम्पिंग सेट, ट्यूबवेल आदि की सुविधा मिल नहीं पाती और अगर कर्ज लेकर लगा भी लेते हैं तो उसका कर्जा पाटने के लिए जमीन आदि बेंच कर छुटकारा पाते हैं।

मिनी किट की योजना के अन्तर्गत अच्छे बीज वितरित करने के लिए शासन द्वारा भेजे जाते हैं लेकिन वह छोटे और सीमान्त कृषकों को नहीं मिल पाते। कुछ अधिकारी के घरों में पहुंच जाते हैं तथा कुछ बड़े कृषकों को मिल जाते हैं। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का भार छोटे और सीमान्त कृषकों पर है पूरे प्रदेश की

अर्थ व्यवस्था का भार को यही लोग उठा रहे हैं लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है।

गेहूं के संबंध में बताता हूं। गल्ले की कीमतें शासन तय करती है लेकिन किस प्रकार तय करती है। यह कैसी बिडम्बना है कि उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता और जब वह गल्ला केन्द्र पर जाता है बेचने के लिए तो वहां की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, 157 रुपये के रेट के स्थान पर केवल 125-130 रुपये की दर से ही खरीदा जाता है।

थ्रेसर से हाथ कटे लोगों की एक लम्बी फौज हमारे प्रदेश में खड़ी हो गई है। हर साल हजारों लोगों के हाथ इससे कटते हैं और अस्पताल में जाकर अगर देखा जाय तभी पता चलता है। ऐसे लोगों को रोजगार दिलाने के लिए थोड़ा प्रयास होना चाहिए। उन्हें सुविधायें दिलाना बहुत आवश्यक है।

आलू के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा आलू होता है। परन्तु जब फसल होती है उस समय कोई भाव नहीं होती और शासन केवल यह कहता है कि हमने कोल्ड स्टोरेज बनवा दिये हैं लेकिन कोल्ड स्टोरेज का फायदा केवल व्यापारियों को या बड़े किसानों को ही मिलता है। छोटा किसान तो अपना आलू उसी समय बेंच देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आलू की खरीद उस समय करवायें जब कि आलू कास्तकार पैदा कर के अपने खेतों से उठाये वरना कोई फायदा नहीं होगा। गन्ने के संबंध में निवेदन है कि चीनी और गन्ने के मूल्यों में भारी अन्तर है, इसलिये गन्ने की कीमतें बढ़ाई जायें। मैं बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां पर बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, जमीनों पर रेत आ गयी है, जिसके कारण कृषि नहीं हो पाती है। मेरा शासन से अनुरोध है कि उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये विशेषज्ञों का दल भेजा जाय, जो उस भूमि को उपजाऊ बनाने के सुझाव दें। जो झाऊ के पेड़ जमीन में उग आये हैं, उसको कटाने के लिये शासन वहां पर जनता को सहायता उपलब्ध करायें। मण्डियों के निर्माण के संबंध में चाहता हूं कि मण्डियों का निर्माण शीघ्र कराया जाय। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाय, बीमा योजना को सही प्रकार से लागू किया जाय। सीमान्त और छोटे कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जायं, गल्ले पर बोनस देने की योजना लागू की जाय, एग्रीकल्चरल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाय, ऊसर व कटी भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना बनायी जाय। इसके साथ ही एक शेर कहकर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं—

"जिसके लिये थी जोड़ी महफिल,
उसके लबों पर जाम न आया।"

*श्री विनोद कुमार—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं।

अपने को किसानों का सबसे हितैषी कहने वाले आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की सुपुत्री ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता लगभग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांवों में रहती है, उसमें से अधिकतर या तो किसान हैं या खेतिहर मजदूर हैं और माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इससे पहले बजट आया बहुत अधिक ढंग से बहुत सोचकर किसानों की तरफ देखकर खेतिहर मजदूरों का बजट बनाया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। आपने देखा कि हमारी सरकार ने कई नये किसानों को जिसमें किसानों के रहने के लिये किसान भवन की घोषणा की गयी। किसान मैनुअल की बात की गयी। इसके साथ ही साथ इस प्रदेश की लगभग 12 लाख हैक्टेयर ऊसर भूमि है, इसके सुधार की बात कही गयी।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि माननीय कृषि मंत्री जी अगले मास में ऊसर भूमि के सुधार के लिये एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। बीहड़ क्षेत्रों के विकास की बात कही है, मुझे खुशी है कि ऐसे 9 जनपद, जिसकी लगभग 50 हजार हैक्टेयर भूमि जो कि बीहड़ है, ऐसे क्षेत्रों में वह स्कीम सेण्ट्रल गवर्नमेंट की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली है, प्रदेश शासन के विचाराधीन है और सातवीं योजना में ही करना है। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने पहली बार व्यवस्था की है, माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, बीज और उर्वरक आदि के वितरण में जो शिकायतें आती थीं, पिछली बार यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है और कोई कमी पायी जाती है तो छोटे कर्मचारी दण्डित न होकर डिप्टी डायरेक्टर स्तर के कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे और जिम्मेदार ठहराये जायेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे कृषि मंत्री जी द्वारा नये किसानों और इस प्रदेश के विकास के लिये प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसको कि इस बार 8 जिलों में लागू किया गया है। अगले वर्ष इसको 29 जिलों में लागू किया जायेगा। हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है कि इस पंचवर्षीय योजना में जल्दी से जल्दी इसको 51 जिलों में लागू कर दिया जाय। श्रीमती सरोज वर्मा ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए इस बारे में जो सुझाव दिया था, मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाय जो कम से कम बी0 एस-सी0 (एजी) हों लेकिन साथ में ही उन्होंने यह बात भी कही थी कि हमारी सरकार इस बात की ओर विचार नहीं कर रही है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने तय कर लिया है कि इसमें जो लोग रखे जायेंगे वे बी0 एस-सी0 (एजी) ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं था।

इसके साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन के लिये सामूहिक नर्सरी योजना शुरू की गयी है जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पहले से इस बात की सदन में मांग होती रही है कि फसल बीमा योजना लागू की जाय। किसी ने किया या न किया हो परन्तु हमारी प्रगतिशील सरकार ने बीमा योजना को लागू किया है। और इससे प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

हमारे तमाम विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि कोई प्रगति नहीं हुई है खाद्यान्न के उत्पादन में। मैं आपको आंकड़े बतलाता हूं कि वर्ष 1981-82 में यहां

2,49,38,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था जबकि वर्ष 1984-85 में 3,65,00,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। इस तरह से प्रति हेक्टेयर उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं कि 1980-81 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन औसत था 12.19 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर जबकि 1984-85 में 14.5 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। जैसा कि श्रीमती सरोज वर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गांव की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, मैं बड़े अदब के साथ अपनी बहन से कहना चाहता हूं कि शायद 15 अगस्त पर जो भाषण हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने दिया है, उसको उन्होंने नहीं सुना है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि अब जरूरत गांव की ओर ध्यान देने की है। हमारे युवा प्रधान मंत्री देश में पंजाब और आसाम की समस्याओं के होते हुए देहातों में समय निकाल कर आदिवासियों के घरों में गये, मजदूरों के पास गये उन सबकी समस्याओं के बारे में खोजबीन की और सबको सुनने का प्रयास भी किया और उसके निराकरण का भी प्रयास कर रहे हैं।

हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे युवा प्रधान मंत्री की इच्छाओं के अनुरूप ही अपने प्रदेश में काम करने के लिए तत्पर हैं और लगे हुए हैं, वह कार्य करने में कटिबद्ध हैं। इसके साथ ही मैं प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। साथ ही श्रीमती सरोज वर्मा से आशा भी करता हूं कि जब वे अपना उत्तर देने के लिए खड़ी हों तो हमारे मंत्री जी के कार्यों की भी सराहना करें।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, हमारे यहां कहा गया है कि "क्षिति, जल पावक, गगन समीरा –पंच तत्व से यह बना शरीरा।" मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आज तक कृषि क्षेत्र में जो कुछ एक इंच भी काम हुआ है वह चौधरी चरण सिंह ने किया है, उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा सुधारी है।

आज जो चकबन्दी आई है, जमींदारी एबाल्यूशन हुआ है, किसानों को जमीन दी गयी है, यह जितना कार्य कृषि के क्षेत्र में हुआ है, सब चौधरी चरण सिंह की देन है। आज वही चौधरी चरण सिंह की बेटी श्रीमती सरोज वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कृषि का उत्पादन दिन रात बढ़ रहा है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आप सीना खोलकर यह कहते हैं कि प्रदेश के अन्दर कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, अगर आपके आंकड़े सही हैं तो मैं आपसे केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं। यदि आपके आंकड़े सही हैं तो जिस हिसाब से आपका उत्पादन बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से किसानों को कृषि उपज का बाजार देने की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? किसान का आलू पूरा-पूरा खेतों में सड़ा है। उत्तर प्रदेश का किसान गत 2 वर्ष में तबाह हो गया। उसके भण्डारण की सुविधा नहीं मिल पाई है, आपके पास कुल मिलाकर कोल्ड स्टोरेज 700 के करीब है।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि जब आपके पास यह आंकड़े उत्पादन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि कृषि उपज बढ़ रही है, हमारी पैदावार इतनी बढ़ेगी तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप व्यवस्था कीजिये । किसान का उत्पादन जिस हिसाब से बढ़ेगा उसके हिसाब से उसकी मारकेट भी बढ़ेगी । किसान की पैदा की जाने वाली उसकी एक-एक चीज को मारकेट मिलना चाहिए । यह नहीं कि किसान खून पसीना एक करके माल पैदा करें और आप सीना खोलकर कहें कि हमने कृषि उत्पादन बढ़ा दिया, आपकी नाति और नीयत के कारण किसान तबाह हो गया । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कृषि उपज में जो चीजें पैदा होती हैं, उनको उचित मारकेट दें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप खुद हिसाब लगाकर देखें, पिछले 5-6 वर्षों के आंकड़े उठाकर देख लें कि उत्तर प्रदेश का किसान कृषि की उपज को बढ़ाने के लिये जिस सामग्री का उपयोग करता है उसकी कीमत 6 गुनी से 10 गुनी तक बढ़ी है । जीटर ट्रैक्टर 12 हजार का था अब 90 हजार का हो गया है, पानी खींचने वाली मशीन 12 सौ रुपये की थी आज 12 हजार रूपये की हो गयी है, यूरिया खाद जो 23 रुपये की थी आज 123 रूपये की हो गयी है, सीमेंट जो 12 रुपये की थी और 65 रूपये की हो गयी है । जिस चीज का किसान उपयोग करता है आज उसकी कीमत 6 गुनी से 10 गुनी तक बढ़ गयी है लेकिन किसान जिस चीज को पैदा करता है उसकी कीमत कभी दाम्नी बढ़ा देते हैं, कभी घटाकर बढ़ा देते हैं । इससे किसान की क्रय शक्ति खतम होती जा रही है और समस्या यहाँ तक आ गयी है ।

मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी किसान का बच्चा जो हल और मुठिया हाथ में लिये हो, वह अपने बेटे को डाक्टर और इंजीनियर तो बहुत बड़ी बात है वह आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक नहीं बना सकता है । जिस हिसाब से कृषि उत्पादन में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसकी कीमत जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से किसान का मूल्य यदि नहीं बढ़ायेंगे और अगर आपने किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वह किसान जो साफा बाँधकर रात-दिन कड़कती धूप में, कीचड़ में पानी में, कड़कती सर्दी में हिन्दुस्तान के लोगों को खाना खिला रहा है वह किसान का बेटा बागी बन जायेगा और वह वसुन्धरा जिसमें गेहूँ धान की लहलहाती फसलें पैदा होती हैं वहाँ क्रान्ति का बीज पैदा हो जायेगा । तो हर किसान के घर में क्रान्तिकारी पैदा हो जायेगा, तो वह कलम से नहीं तलवार से अपना अधिकार लेगा। श्रीमती सरोज वर्मा, जो किसान की बेटी हैं, जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, उनको आप मान लें और चौधरी चरण सिंह के खेती के जो सपने हैं उनको पूरा करें।

श्री जय नारायण तिवारी–

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके माध्यम से कृषि मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, . . .

श्री अधिष्ठता–

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये, मैंने श्री जय नारायण तिवारी को पहले बुलाया है ।

श्री विक्रम विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, तिवारी जी का नाम है पहले तो आपने उनको बुला लिया है यह सदन में कहा जा चुका है कि पीठ के लिये यह आवश्यक है कि जो मुख्य सचेतक लिस्ट देते हैं और जो क्रम उसमें होता है, उसी क्रम में पीठ से बुलाया जाये ।

श्री अधिष्ठता–

ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि उसी प्रकार से बुलाया जाये ।

श्री जय नारायण तिवारी–

मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । कृषि मंत्री जी एक बहुत ही योग्य और कर्मठ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही साथ माननीय सदस्या श्रीमती सरोज वर्मा ने जो कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, उसका घोर विरोध करता हूं । उन्होंने बड़े गर्व से यह कहा है कि कांग्रेसी हुकूमत गांवों की उपेक्षा कर रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी गांव-गांव जाकर आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक दौड़ा कर रहे हैं, जहां पर आज तक कभी कोई गया ही नहीं है । मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सूखे की ओर ध्यान दिया गया है और उसकी उपलब्धियां भी हैं ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 175 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि हमारे यहां पर उपलब्ध है और 95 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है और जो अवशेष 80 लाख हेक्टेयर भूमि है, वह सिंचाई के साधनों से वंचित है । मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें सूखे की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और जहां पर कृषि सिंचाई के साधनों से वंचित है, वहां पर सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े, मान्यवर, यह एक क्रान्तिकारी कदम है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दलहन, तिलहन और गेहूं की उपज के बारे में कहना चाहता हूं, तो मान्यवर इनकी उपज बढ़ी है, धान की भी उपज बढ़ी है । मैं तो विरोध पक्ष के मा0 सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दें जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ और बड़ी खूबी के साथ कृषि मंत्रालय की उपलब्धियों को आपके सामने प्रस्तुत किया और विरोधी पक्ष को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए था । मा0 राणा जी ने कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के लिये बीज और उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको आप भी स्वीकार करते हैं। मान्यवर, आप कल्पना करें। हम गांवों के लोग हैं। हमारे यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। गांवों की जितनी निरीह, गरीब और भोली-भाली जनता थी, उसे गेहूं की रोटी खाने को नहीं मिलती थी। अगर हमारे विरोधी दल के सदस्य जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर दिलेरी से स्वीकार करें कि जहां हम गेहूं का आयात करते थे, आज हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां धान कम पैदा होता था वहां आज धान की लेटेस्ट वैराइटी नई-नई तकनीकों के माध्यम से गांवों के कृषक धान की खेती में अत्यधिक स्थान प्राप्त कर रहे हैं।

इस क्षेत्र की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। कपास की खेती जो प्रदेश के केवल 35 हजार हेक्टेयर भूमि में पैदा होती है, मैं गुजारिश

करूंगा कि इस कपास की खेती की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे हम इसकी उपज बढ़ा सकें।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं मैं जिस विधान सभा क्षेत्र, इसौली से चुनकर आया हूं जो कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र भी रहा है वह क्षेत्र आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र से सटा हुआ है। उसके सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है, मैं बड़े अदब के साथ माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आपकी कर्मठता, आपकी कर्तव्यपरायणता इस प्रदेश में जग विदित है, उसी कर्मठता और कर्तव्य-परायणता के तहत इस पुस्तिका में जो झूठी जानकारी करायी गई है प्रजातियां, जब तक उनका देश और प्रदेश के स्तर पर प्रयोग नहीं कर लिया जाता तब तक उसकी कोई प्रजाति नहीं बनती है वह टाइप रहती है वैराइटी रहती है। वहां के कुमार गंज विश्वविद्यालय में वह प्रजाति नहीं बल्कि टाइप और वैराइटी तैयार की गई है। इसलिये इस पुस्तिका में यह झूठी जानकारी आपको दी गई है।

अब मैं इस कृषि विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। मान्यवर, आप देखें वहां पर कदम-कदम पर भ्रष्टाचार, कुनबा-परस्ती, जात-पांत का तांडव मचा हुआ है। जिस सपने को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, आज वह सपना चकनाचूर हो गया है। मैं उस विश्वविद्यालय के आन्दोलन का एक सिपाही था। जब फैजाबाद विश्वविद्यालय में मैं अध्यक्ष था तो मेरी चार मांगें थीं—कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, अवध विश्वविद्यालय, साकेत डेरी और स्टेडियम की स्थापना। आज वह कृषि विश्वविद्यालय वहां पर बना लेकिन जिन सपनों के वशीभूत होकर हमने बिगुल बजाया था कि वहां का किसान, वहां की जनता इससे खुशहाल होगी, उसका पूरा फायदा किसान को आज नहीं मिल रहा है। मान्यवर, मुझे इसकी जानकारी है। मैं अपने क्षेत्र के सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूं। डिमांसट्रेशन के नाम पर पैसा लेकर बीज नहीं दिया गया, मिनी-किट नहीं बांटा गया। इस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी का प्रगतिशील भाषण सुना। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि माननीय मंत्री जी के विभाग में 5/7 महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। जिसमें संयुक्त निदेशक (सघन), संयुक्त निदेशक (नियोजन), संयुक्त निदेशक (ब्यूरो), संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब इनके विभाग में 5/7 महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं तो यह कैसे प्रगति अपने विभाग में कर सकते हैं कैसे यह अपने विभाग में कार्य कर सकते हैं? मान्यवर, जब जिम्मेदारी की जगहों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्तियां नहीं की गयीं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि माननीय मंत्री जी के विभाग में कोई प्रगति हुई होगी। इसके साथ साथ क्लास वन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पदों पर आपने नियुक्तियां नहीं की। वे पेंडुलम की तरह कभी इधर लटकते हैं और कभी उधर लटकते हैं।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने पी0 सी0 एस0 जिला कृषि अधिकारियों का चयन कराया लेकिन वे सभी के सभी यहां निदेशालय में रखे हैं उनको आप जिलों में भेजिये ताकि कुछ काम वे वहां कर सके और आपके विभाग की प्रगति हो।

आपने ग्रुप वन में प्रमोशन पिछले 12-13 साल से नहीं किया और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया। उनके प्रमोशन की कोई नीति तय नहीं कराई है। इस प्रकार आपका स्थापना विभाग अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक कोई दायरा निश्चित नहीं कर पाया है। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप एक निश्चित दायरा बनायें जिसके हिसाब से आपका काम हो।

आपने भ्रष्टाचार खतम करने के संबंध में कहा कि इतने क्लास वन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। मैं आपका ध्यान बनारस मण्डल के उप-निदेशक एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने उनको चार्जशीट भी दे दी और सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप सत्य हैं। लेकिन उसके बावजूद वह उस जगह पर काम कर रहे हैं। न तो निलम्बन किया और न ड्राइंग एण्ड डिसबर्सिंग पावर उनसे ली। तो फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगायेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

आपके यहां ट्रांसफर के मामलों में भीषण भ्रष्टाचार है आपने ऐसे अधिकारियों को हतोत्साहित किया है जिन्होंने रबी और खरीफ की फसलों में वृद्धि की लेकिन आपने उनको हतोत्साहित किया और समय से पहले ही वहां से हटा दिया। जालौन में, बांसी में, फार्म नं0 21 में एफ0 एस0 ने 16 फीसदी रबी की फसल में वृद्धि की, ज्वाइंट डायरेक्टर सीड ने एक अन्य एफ0 एस0 को 5 हजार रुपया लेकर उनकी जगह पर रख दिया।

मैं एक बात और कहूंगा कृषि मूल्य आयोग के बारे में आप कृषि के मूल्यों को उसकी लागत के आधार पर तय करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

इसके लिए किसानों की कमेटी बनायें जो कृषि उत्पादों का मूल्य तय करें। कृषि का मूल्य वह निर्धारित करते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है कि फसल कैसी होती है, उसमें श्रम, खाद, बीज आदि कितना लगता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मूल्य निर्धारण के लिए किसानों की कमेटी बनाई जाय जो लागत को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करें।

खाद में मिलावट की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इसमें भीषण मिलावट है। उसको आप पहले टेस्ट करायें उसके बाद खेत में किसान डालें। आपके राज्य कृषि मंत्री जी बैठे हैं, आपने उनके अधिकारों को पंगु कर रखा है, उनके जो आदेश होते हैं उनके अधिकारी कतई नहीं मानते हैं। इस तरह आप अपने छोटे भाई को जो पंगु बना रखा है उस पर अपने विभाग को निर्देशित करें कि उनके आदेशों को मानें।

श्री बद्री सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। साथ ही कृषि मंत्री को जिन्होंने जन कल्याण और विकासशील बजट पेश किया है उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, 1985-86 में 317.80 लाख मैट्रिक टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जो इस बात का द्योतक है कि कृषि के क्षेत्र में हमने कितनी तरक्की की है और कितने प्रयत्नशील हैं, यह सराहनीय है।

मान्यवर, कृषि उत्पादन को गति प्रदान करने के लिये एवं स्थायित्व लाने के लिए कई नई योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए 102 विकास खण्डों में योजनायें लागू करने का निर्णय लिया गया है। 1985-86 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण एवं भ्रमण की जो योजनायें बनायी गयी हैं वह भी सराहनीय हैं।

मान्यवर, कृषि उत्पादन और उचित वितरण की व्यवस्था के लिये 1984-85 में 20 प्रधान मंडियों का, 17 उप मंडियों का और 15 ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया है। 1985-86 में 16 प्रधान मंडियों, 80 उप मंडियों और 40 ग्रामीण गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है। हमारे बजट में सबसे महत्वपूर्ण इस बात का प्राविधान किया गया है कि हमारे किसान जो मंडियों में अपना गल्ला ले जाते थे और उसका उचित मूल्य नहीं मिलता था इसलिये बजट में प्राविधान किया गया है कि यदि कोई किसान गल्ला नहीं बेचना चाहता है तो वह गोदामों में अपना गल्ला रख दे और बाद में बेंचे किन्तु गल्ले की 75 प्रतिशत कीमत का तुरन्त पेमेंट कर दिया जायेगा, यह योजना प्रदेश में 30 मंडियों में लागू की गयी है और अगले वर्ष 130 मंडियों में लागू करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार यह बजट जनकल्याणकारी है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू है जिसमें 1983-84 में धान की फसल पर 24 जिलों की 50 तहसीलों में, गेहूं की फसल पर 50 जिलों की 181 तहसीलों में लागू की गयी है। वर्ष 1984-85 में धान की फसल में 34 जिलों की 93 तहसीलों में और गेहूं की फसल पर 50 जिलों की 122 तहसीलों में यह योजना लागू की गयी है। मान्यवर, यह गर्व की बात है कि खरीफ और रबी की 1984-85 की फसल बीमा योजना में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान आया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, इस बजट में नये कृषि उपकरण खेती के लिये उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है और विपणन की अच्छी व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, मैं जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र से चुनकर आता हूं। इस बजट में प्राविधान किया गया है कि हमारे जिले में बीहड़ क्षेत्र का सुधार किया जायेगा। मान्यवर, कालपी क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र है जिसका बजट में जिक्र किया गया है कि वहां हजारों एकड़ बीहड़ जमीन है। मेरा निवेदन है कि जो बीहड़ जमीन है, जो जंगल हैं, उसको साफ करके कृषि योग्य बनाया जाय, इससे दो समस्याओं का

हल हो जायेगा। एक तो जो हमारी दस्यु समस्या है वह हल हो जाएगी और दूसरे भूमिहीनों को जमीन मिल जाएगी। सिंचाई के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि विश्व बैंक से ट्यूब वेल लगाने की जो योजना है वह एक अच्छी बात है, लेकिन इस बात का प्रयास होना चाहिए कि जहां पर टेल में गांव पड़ता है, वहां पर यह कार्य लिया जाए। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में भूमि परीक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए, साथ ही हमारे क्षेत्र में एक कृषि डिग्री कालेज भी खोला जाय। इसके साथ मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कृषि विभाग की मांगों पर बहिन वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देते हुए अब मैं कृषि के सम्बन्ध में एक नये विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस तथ्य की ओर मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस पर सदन में चर्चा अभी तक नहीं हुई है। मान्यवर, यह बात सही है कि कृषि उत्पादन में खाद और कीटनाशक दवाओं का बहुत महत्व और आवश्यकता है, लेकिन श्रीमन्, इसके साथ ही खाद और कीटनाशक दवाओं का जो प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। आज तो उसका प्रभाव अपने प्रदेश में नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में जो उसका कुप्रभाव पड़ने वाला है, उसकी ओर हमारा ध्यान अभी से जाना चाहिये। रिसर्च कार्यक्रम में इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए और इस विषय में सभी ओर से सोचा जाना चाहिये कि आज जिन कीटनाशक दवाओं का कृषि कार्य में प्रयोग किया जा रहा है, क्या उनके स्थान पर अन्य दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हों। सी0 एफ0 टी0 आर0 आई0, बंगलौर और आई0 ए0 आर0 आई0 में इस बारे में जो रिसर्च किए गये हैं, उनसे पता चलता है कि दूध व अंडों में तथा अन्य खाद्यान्न पदार्थों में डी0 डी0 टी0 का बुरा प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आगे चलकर इसका और ज्यादा और बुरा असर पड़ेगा। इसके कुप्रभाव से बचने के लिये पाश्चात्य देशों में इन दवाओं का प्रयोग बन्द करके अपने देश की पुरानी नीतियों को अपनाकर ऋषि खेती अपनाई जाने लगी है। इस-लिए आवश्यक है कि आज से ही हम इस पर विचार करना शुरू कर दें, जिससे आगे चलकर उसको हम ऋषि खेती से बदल सकें। उदाहरण के लिए नीम के तेल को ले लिया जाए, उसका प्रयोग धान की खेती और अन्य फसलों में वृहद रूप से अमेरिका आदि देशों में किया जाने लगा है। धान की खेती के सम्बन्ध में आई0 ए0 आर0 आई0 ने ब्लू-ग्रीन-एल्गी का अविष्कार किया है, जिसके प्रयोग से यूरिया का इस्ते-माल बहुत कम हो जाता है। इसका प्रचार व प्रसार अभी अपने प्रदेश में बहुत कम हुआ है और हम तो कहेंगे वह बिलकुल नगण्य है। इस पर आप विशेष ध्यान दें।

अपने यहां के ऋषियों ने कम्पेनियन-खेती के बारे में भी लिखा है। इस पर भी पाश्चात्य देशों में रिसर्च हुई है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इसे अपनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल लगा लें, तो दूसरे फसल के असर से पहली फसल पर लगने वाले कीटाणु नहीं लगने पाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप लहसुन को ले लीजिए, इससे बहुत से कीड़े दूर भागते हैं। लहसुन की तरह ही अन्य कई फसलें ऐसी हैं जिनके प्रभाव से बहुत से कीड़े दूर भागते हैं, आने नहीं पाते हैं। कामनवेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट फार बायोलोजिकल कन्ट्रोल, बंगलौर और आई0 ए0 आर0 आई0 का सहयोग लेकर अपने यहां के विश्वविद्यालयों में इस पर प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आज से आप यह कार्य प्रारम्भ कर देंगे तो आज से 10 साल बाद उस पर आप कुछ कार्य कर सकेंगे, उस समय तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।

आलू के भण्डारण की भी किसानों के सामने समस्या है और उसका कारण कोल्डस्टोरेज की कमी है और कोल्डस्टोरेज की समस्या और कमी का मूल कारण यह है कि यू0 पी0 एफ0 सी0 कोल्डस्टोरेज बनाने के लिए मात्र 30 लाख रुपया ऋण देता है, जबकि एक छोटे, कोल्डस्टोरेज 40 हजार कुन्टल की क्षमता के भी कोल्डस्टोरेज के बनाने में आजकल 60 लाख रुपया लग रहा है। तो 30 लाख रुपया कोल्ड स्टोरेज बनाने में बनाने वाले को अपने पास से लगाना पड़ रहा है।

इक्विटी लोन रेशियो एक और एक अनुपात (1:1) का हो गया है। किसी उद्योग में ऐसा नहीं है इसलिये आप जो कोल्ड स्टोरेज की योजना बना रहे हैं वह कामयाब नहीं होगी। या तो जो यू0 पी0 एफ0 सी0 की लोन सैंक्शनिंग पावर है उसको आप बढ़ायें या तो इक्विटी लोन रेशियो है उसको कम करें तभी इस दिशा में सफलता मिलेगी। आपने फसल बीमा योजना की बात की। मैंने एक प्रश्न किया था और एक सूची मांगी थी। जो सूची प्राप्त हुयी तो जब मैं घर गया तो पता लगाया। मेरे विकासखण्ड के 6 किसानों के नाम उसमें दिये गये थे। वह सब नाम फर्जी हैं। किसी किसान को मालूम नहीं है कि उनकी फसल का बीमा हुआ था। यह योजना जो चल रही है यह सहकारिता विभाग और आपके विभाग के माध्यम से चल रही है। इसमें आपके विभाग का विशेष हस्तक्षेप नहीं है यदि आप इस योजना का सचमुच क्रियान्वयन कराना चाहते हैं तो सहकारिता विभाग से हटाकर कृषि विभाग द्वारा यह काम कराइये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देता हूं।

श्री पूरन सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे योग्य कृषि मंत्री माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जो कृषि बजट प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। इस सदन की योग्य सदस्या श्रीमती वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। हमारे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय चौधरी चरण सिंह की वह पुत्री है। यह उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता अभी नहीं भूली है कि खेतों में खड़ा गन्ना किसके शासनकाल में जलाया गया था। पंत नगर में मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज किसके शासनकाल

में हुआ था । इस सदन को गुमराह करने की नीयत से जिस तरह से उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा उसका मैं विरोध करता हूं । हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों की उन्नति के लिये, किसानों की प्रगति के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने आज जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया है, किसान मेलों का कार्यक्रम चलाया है और चावल का लक्ष्य बढ़ाने के लिये जो तरीके अपनाये हैं, बीज वितरण के उत्तम साधन जुटाये हैं और उत्तम बीजों के लिये जो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना करने का वचन दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं ।

इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में फलोपयोग और उद्यान्न विभाग कृषि विभाग के अन्तर्गत है इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर की जो घोषणा शासन ने की उसको चौबटिया में स्थापित किया जाय और पर्वतीय क्षेत्र में आल इंडिया हार्टीकल्चर बोर्ड की स्थापना की जाय । पर्वतीय क्षेत्रों में जो फल और आलू आदि उत्पन्न होते हैं उनकी मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में मंडी की व्यवस्था की जाय । लोगों को आलू के लिये बीज आपके विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका विभाग पूरा बीज उपलब्ध नहीं करा सकता है और किसान को बीज नहीं मिल पाता है । मेरी मांग है कि इसकी पूरी व्यवस्था करें और यह छानबीन की जानी चाहिये कि किस किस किसान को कितना बीज चाहिये और उस बीज को किसान को उपलब्ध कराना चाहिये । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे स्वनाम धन्य भारत रत्न, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं और जो इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री थे, उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक अलग निदेशालय का प्रबंध किया था जो चौबटिया रानी खेत में था । आज पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का निदेशालय मिला दिया गया है ।

मैं निवेदन करूंगा कि मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग-अलग हैं । वहां के फल और सब्जी आदि मैदानी क्षेत्र से भिन्न हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मैदानी क्षेत्र का और पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग-अलग निदेशालय की व्यवस्था करें । पर्वतीय क्षेत्र का जहां रानी खेत में निदेशालय है वहां पर उसके भवन की व्यवस्था करें और साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निदेशालयों में जिन निदेशकों की नियुक्ति की जाय, वह तकनीकी आधार पर कृषि व उद्यान से संबंधित विभाग के लोगों की नियुक्ति की जाय प्रशासनिक सेवा के लोगों की नहीं तभी हमारे प्रदेश की उन्नति हो सकती है । माननीय मंत्री जी ने जो प्रदेश की उन्नति और बहबूदी व मजबूती के लिए कृषि विभाग का बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

जय हिन्द, जय किसान ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारी परेशानी यह है कि जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आंकड़े दिये गये, जो भाषण हुए हैं, तो इन आंकड़ों से न तो खेतों को पानी चला जायेगा और न तो मंत्री जी के भाषण से खेतों की फसल आगे बढ़ जायेगी । एक जमाना था जब अपने यहां कहा जाता था कि –"उत्तम खेती, मध्यम बान निषिद्ध चाकरी, भीख निदान ।" तो आज खेती नीचे चली गयी और नौकरी और भीख ऊपर चली गयी । आज तक भाषणों में बहुत सी बातें आ गयी, लेकिन कुछ बातों की तरफ मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो कृषि में विज्ञान की पहुंच की गयी, उसका सारा का सारा लाभ चावल और गेहूं को चला गया, तेलहन, दलहन और मोटे अनाज पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ ।

अभी 20 सूत्री कार्यक्रम की बात आई, उसमें तेलहन और दलहन के विकास की बात कही गयी है । एक उदाहरण इसके संबंध में यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में भारत सरकार ने 16 लाख रुपये साढ़े चार वर्षों के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ दिया कि उसके बाद विभाग जो है खुद इसको चलायेगा । विश्वविद्यालय ने इसका उपयोग नहीं किया और खा गये । यहां तक कि स्टाफ की भी नियुक्ति नहीं किया । इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार दलहन और तिलहन के मामले में कितनी विकासोन्मुख है । इससे बढ़िया कोई दूसरा उदाहरण इन फसलों के विकास के बारे में नहीं दे सकता हूं । आजादी के इतने वर्षों के बाद अपनी प्रगति पर पीठ ठोकने के लिए चाहे जितना ही विद्युत विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पीठ ठोक लें, लेकिन आज जो हमारे सिंचित क्षेत्र हैं और असिंचित क्षेत्र हैं, उनके आंकड़े आपस में विरोधी हैं । इसको देखने से भी लगता है कि जितनी प्रगति आज हमको करनी चाहिए थी, उतनी प्रगति हम नहीं कर पाये । राजीव गांधी और नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने एक किसान को मंत्री बना दिया और खेतिहर मजदूर को भी मंत्री बना दिया । अब सोचते हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खेती का विकास अपने-आप हो रहा है ।

श्रीमन्, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो लाभ निश्चित रूप से टैक्नालाजी का छोटे किसानों को मिलना चाहिए था, वह उनको न मिल कर बड़े किसानों को मिल गया । जो टेक्नालाजी हमने डेवलप की, वह टेक्नालाजी का पूरा-पूरा लाभ बड़े किसान ले गये । जो छोटे-छोटे किसान थे, वह परम्परागत खेती करते रहे । अगर पूरी भूमि का आंकड़ा निकालते हैं, तो बड़े किसान के पास कम भूमि निकलती है और छोटे किसानों को कुल मिला कर ज्यादा भूमि निकलती है । आपकी टैक्नालाजी का लाभ चन्द लोग ही उठायें । छोटे और मझोले किसान इसका लाभ नहीं उठा पाये । जब हमारे देश की जनसंख्या दुगनी हुई तो कृषि का उत्पादन उस हिसाब से तिगुना बढ़ा । इस मामले में सरकार चाहे अपनी पीठ ठोंक ले या इन्द्र देवता ने बारिश की उनकी सराहना की जाय । एक तरफ जनसंख्या बढ़ी, दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ा, तीसरी तरफ प्रति व्यक्ति अनाज की खपत भारत में और उत्तर प्रदेश में तेजी से नीचे चली गयी। जो किसान मजदूर खेतों में लगा हुआ है, उसकी क्रय शक्ति गिरी है। जरता मरता किसान, जो खेतों पर काम करता है, वह अपने अनाज का उपयोग कम कर

रहा है। एयरकन्डीशन में बैठकर मंत्री-गण और अधिकारी कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम यहां चर्चा कर रहे हैं, जो किसान खेत जोत रहा है, बो रहा है, उसको जानकारी भी नहीं होगी कि हमारी किस्मत का फैसला करने वाले एयर-कन्डीशन में बैठकर लालबत्ती जलाकर भाषण कर रहे हैं।

आखिरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी पूंजी कृषि पर लगी है और जितनी पूंजी उद्योग पर लगी है। पूंजी का बहुत बड़ा भाग उद्योग पर लगा है, कृषि पर बहुत कम पूंजी है। लेकिन मजदूर का हिसाब आता है तो जितने मजदूर खेती पर हैं, उससे कम मजदूर उद्योग पर है। दोनों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उद्योग में लगे हुये मजदूर की हालत कैसी है और खेती में लगे हुये मजदूर की हालत कैसी है। हमने जितनी टेक्नोलोजी निकाली है उसका 70 प्रतिशत हिन्दुस्तान के बड़े लोगों पर जाती है और 2 प्रतिशत टेक्नोलोजी खेती पर लाती है। इससे पता चलता है कि हमारी किसान समर्थन सरकार है या किसान विरोधी सरकार है। एक बात ऊसर सुधार के बारे में कही गई। हमारे प्रदेश में जो नदियों के जिले हैं, नदियों के किनारे को बियार या माझा कहते हैं। जो बीज आप देते हैं वह उस क्षेत्र में उग नहीं सकता है, छोटा किसान प्रगति विरोधी नहीं है। एयरकन्डीशन में बैठ-कर जिस बीज का प्रयोग होता है वह बांगर, ऊसर और बियर में सफल नहीं हो सकता है। अगर किसानों की उन्नति करनी है तो गांव में इनको ले जायं तब जाकर कुछ तरक्की हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अव-सर दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी खेतिहर हैं और किसान हैं। मंत्री जी की अभिरुचि किसानों के उत्थान पर है। प्रत्यक्षम् किम प्रमाणम् उत्तर प्रदेश में जहां खाद्यान्न कम होता था वहां 84-85 में लक्ष्य से अधिक खाद्यान्न पैदा हुआ है। जो प्रदेश से बाहर गेहूं नहीं जा सकता था, आज बाहर जा रहा है। हमारे प्रदेश में न केवल गेहूं कि बल्कि धान का भी उत्पादन बढ़ा है। समुन्नत खेती के लिये तीन चीज आवश्यक होती है, प्रमा-णिक बीज, पानी और खाद। जहां तक खाद का सवाल है अभी माननीय सदस्य बस्ती कह रहे थे, कीटनाशक दवाओं का इतना प्रयोग हो रहा है कि उसका प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ रहा है फर्टिलाइजर के प्रयोग से मनुष्य के सेहत पर असर पड़ रहा है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग एक मात्रा तक करना चाहिये ताकि उनका खाने वालों पर बुरा असर न पड़े। जहां तक खेती की समुन्नति के लिए मेले, प्रदर्शनी भूमि की टेस्टिंग तमाम तरह के उपाय किये गये हैं। उनके द्वारा भी खेती में उन्नति हो रही है।

अब मैं धान को बढ़ाने की जो बात की गई है उसके लिए भारत सरकार ने कुछ जनपदों को लिया भी है और उसके लिए ग्रान्ट भी दे रही है। चकिया क्षेत्र का हमारे बनारस जिले में धान के उत्पादन का सबसे अच्छा रिकार्ड रहा है लेकिन वहां की नहरें धीरे-धीरे पट रही हैं और पानी की कमी के कारण वहां धान की फसल अच्छी नहीं हो पा रही है और

वहां पर नर्सरी भी अच्छी नहीं है। किसानों को अच्छी नर्सरी और खाद तथा बीज नहीं मिल पाते हैं। विगत साल मुझे पता चला कि खाद तो बिहार में चली गई और जिस समय खाद चाहिए थी उस समय नहीं मिली। अभी खेत की रोपाई हुई है। अभी रबी की फसल आने वाली है। अच्छी खाद का भी मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि खाद की जो तीन एजेन्सियां हैं वह भयंकर रूप से खाद की किस्म गिरा रही हैं। इस पर सरकार ने ध्यान तो दिया है लेकिन आपके अधिकारी जितने ईमानदार हैं उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। खाद भी अच्छी नहीं मिलती है और बीज भी प्रमाणिक नहीं मिलते हैं।

प्रमाणिक बीज की बात कही गई लेकिन पन्तनगर को छोड़कर न तो कोई विश्वविद्यालय अनुसंधान कर रहा है और न प्रयोग कर रहा है, न प्रजाति किस्म के बीज दे रहे हैं। वाराणसी में तो बीज पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से मिलता है और जो प्राइवेट वितरक के माध्यम से मिलता है उसमें प्राइवेट वितरक मिलावट करते हैं। वहां अगर सरकारी दूकान कर दें तो प्रामाणिक बीज मिल सकेगा। चिरईगांव, जो मेरा क्षेत्र है वहां पर अमरूद और नीबू करौंदा की खेती बहुत अधिक होती है इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर हार्टिकों की तरफ से एक कारखाना खोल दिया जाय। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छा अमरूद हमारे यहां होता है। माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद के कृषि फार्म की दुर्दशा की की ओर भी दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां कोई शीतगृह नहीं है जब कि फल वहां पर अधिक होता है और आलू की खेती भी बहुत अधिक होती है। वहां एक शीतगृह होना चाहिए। इसका प्राविधान कोआपरेटिव के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से होना चाहिए।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि विभाग पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय सरोज वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है-----

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय पाण्डेय जी ने कहा कि हम अपंगों को समय दिया जाय। माननीय श्रीनाथ जी की तो जीप दुर्घटना हो गई उसमें घायल हो गये और अपंग हो गये। क्या यह सिर पर पगड़ी बांधने से अपंग हो गये?

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ों का जाल इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में विकास हुआ है और प्रगति हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के जो आंकड़े हैं, गेहूं के, कहते हैं कि पैदावार बढ़ी है, तो खाद के दाम बढ़े हैं, पानी के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन गेहूं के दाम माननीय मंत्री जी ने 158
रुपये रखे थे लेकिन दाम केवल 135
रुपया मिला है और किसानों का गेहूं मिट्टी के मोल बिक रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति गांवों में किसानों की है, दयनीय है। माननीय मंत्री जी चाहे जितना पैसा कृषि विभाग में खर्च करें लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज खाद और बीज के दाम बढ़ रहे हैं। आज किसान सोचता है कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तो खाद, पानी और बिजली के दाम कम थे, लेकिन कृषि मंत्री जी यह बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। उठकर चले गये हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसान विरोधी हैं। ये चौधरी चरण सिंह के शिष्य रह चुके हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास किये हैं, लेकिन आपके गोल में शामिल होने के बाद इनकी भावना किसान विरोधी हो गयी है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे जिससे ये किसान के हित में सोचने का प्रयास करें। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके क्षेत्र में संयुक्त निदेशक के पद खाली हैं, लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। फैसला करने की क्षमता नहीं है। संकेतों और निर्देशों पर काम करने के लिये दिल्ली से आ बैठे हैं। माननीय मंत्री जी निष्पक्ष और स्वार्थ रहित हो पदोन्नति कर दें ताकि किसानों के हित के लिये काम हो सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी अधिकारियों से बात करने के लिये चले गये हैं। माननीय मंत्री जी को आदेश दें कि यहां पर आ करके बैठें। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्री जी यहां से जा करके अधिकारियों से बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अपने स्थान पर आइये।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अधिकारीगण बैठे हैं और माननीय मंत्री जी खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये सदन की अवमानना कर रहे हैं। ये आपके आदेश के बावजूद बात कर रहे हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार का प्रश्न रख रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 5 मिनट तो इसी में ले लिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बाराबंकी में इनका मण्डी स्थल बना है। उसका उपयोग नहीं हो रहा है। लाखों रुपये की बर्बादी हो रही है। आपने एक विद्वान, पढ़े लिखे प्रधानाचार्य को उसका अध्यक्ष बना दिया है।

उनको विद्यालय से मतलब नहीं है। मंत्री जी ने प्रभावित होकर अध्यक्ष बनाया। इस भ्रष्ट आदमी को धन प्राप्ति का स्रोत बनाया है। इस धारा सिंह नाम की जो धारा है, उसको कृपया खत्म करायें।

कीटनाशक दवाइयों के बारे में कहना चाहूंगा कि लाखों करोड़ों रुपये का घपला है। उन दवाइयों का सदुपयोग नहीं किया है। जिन एजेन्सियों से लिया है, उन एजेन्सियों का लाइसेंस भी निरस्त नहीं किया। उन लाइसेन्स को आप सस्पेण्ड कर सकते थे। अपितु शासन को लिखकर के उसमें टालमटोल

करके विलम्ब किया जा रहा है। मान्यवर, हम लोग तो कैजुअल लेबर की भांति हैं, आज यहां हैं, हो सकता है आगे न रहें, मंत्री जी का भी पता नहीं कब आदेश आ जाये यहां से जाना पड़ जाय। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इस विभाग में बहुत सुधार की जरूरत है। आप एक कमेटी बनायें जो इसमें सुधार के लिये तमाम सुझाव दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं जिस जालौन जनपद से आया हूं वहां ट्रैक्टर्स की संख्या बहुत अधिक है। मान्यवर, 1932 में तहसील कोंच में अंग्रेजों ने 18 कि0 मी0 लम्बी रेलवे लाइन इसलिए डलवायी थी क्योंकि वहां दलहन, तिलहन और गेहूं की सबसे अच्छी मंडी है। मसूर का प्रोडक्शन भी वहां बहुत अच्छा है।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के 2500 एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर्स बेकार घूम रहे हैं, जबकि कृषि में अनुभाग 27 हैं, उनके लिये आपने केवल 3 अनुभाग दिये हैं, बाकी सब बी0 एस-सी0 (ए0 जी0), एम0 एस-सी0 (ए0 जी0), इण्टर (ए0 जी0) के लिये हैं। मेरा अनुरोध है कि इसमें संशोधन किया जाय और कम से कम आधे अनुभागों में डिप्लोमा होल्डर्स की खपत की जाय।

मान्यवर, कृषि में खासतौर से सघन कृषि और विस्तृत कृषि होती है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के लिये स्वायल टेस्टिंग लेबोरेट्री कोंच में खोली जाय जो इस बात का परीक्षण करे कि विभिन्न प्रकार के बीजों के अंकुरण की कहां-कहां और कैसी-कैसी सम्भावना है और उसको कृषि अनुसंधान परिषद् से जोड़ा जाय। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय से इसलिए न जोड़ा जाय माननीय मंत्री जी भी मेरे समीपवर्ती जनपद के हैं वे जानते हैं कि गंगा यमुना दोवाब की मिट्टी अलग है और बुन्देलखंड की अलग है। सघन खेती में टेस्टिंग लेबोरेट्री में परीक्षण कराया जाय, यदि जर्मिनेशन सम्भव हो, तब तो डबल क्राप्स व ट्रिपल क्राप्स कराया जाय। इससे पूरे प्रदेश की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। सीमान्त कृषकों और लघु कृषकों की वकालत आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने इनके विकास के लिए काफी कुछ किया है, योजनायें बनायी हैं जो इस बजट से परिलक्षित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुदयाल–

मान्यवर, मैं अभी तक माननीय सदस्यों को सुन रहा था। मुझे एक चीज याद आई। बहुत शोर सुनते थे हाथी की थुन का, नजदीक पहुंचे तो घण्टा टंगा था। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं वह इस प्रकार है।

मान्यवर, एक गरीब एक गांव में घोड़ा तांगा चलाता था। घोड़े तांगे में 4 सवारियां बैठाता था और शहर जाया करता था और उधर से भी 4 सवारियां बैठा कर लाया करता था, इस प्रकार अपना गुजर-बसर किया करता

था। कुछ दिन बीतने के बाद इस सरकार की महंगाई आ गई, जिससे 4 सवारियों में उसका गुजर-बसर होना बन्द हो गया। अब उसने 4 की जगह पर 5 सवारियां बैठानी शुरू कर दी। उसके बाद चौराहे पर इस सरकार का सिपाही खड़ा मिल गया। उसने कहा– अबे सुन और डांटा और कहने लगा कि तूने कानून तोड़ा है। उसने कहा कि कहां कानून तोड़ा, मैं तो गुजर-बसर कर रहा हूं। महंगाई बढ़ने की वजह से 4 की जगह 5 सवारियां ला रहा हूं। सिपाही ने कहा कि तूने कानून तोड़ा है और मैं कानून का रखवाला हूं। खैर, बड़ी झंझट करने के बाद मामला शांत हुआ। उसने कहा कि तुम 4, 5 की जगह पर 6 सवारियां ला सकते हो और ले जा सकते हो लेकिन उसमें से एक सवारी का पैसा मुझे प्रति दिन दोगे। कुछ दिनों के बाद उसे इस सरकार का दरोगा मिल गया। दरोगा जी ने कहा कि हमें देहात अपने गांव जाना है, तुम अपना घोड़ा-तांगा ले आओ उस बेचारे ने दिन भर उन्हें घुमाया। शाम को उससे कहा कि आपका तांगा बहुत अच्छा है। जब भी हम आपको बुलायें तब आप आ जाया करो और तुमको जो परेशानी हो, हमें बताया करो। इस पर घोड़ा-तांगा वाले ने कहा कि आपका जो सिपाही चौराहे पर खड़ा रहता है, वह मुझसे रोजाना एक सवारी का पैसा मांगता है। इस पर दरोगा ने कहा कि हमारे विभाग की ही बदनामी करता है। उन्होंने दीवान जी से कहा कि इसे हवालात में बन्द कर दो। उसने काफी अर्ज किया, लेकिन उसे हवालात में बन्द कर दिया। दीवान जी ने उसके पास जितने पैसे थे, सब मांग लिये और छोड़ दिया। और घोड़े-तांगे वाले से कहा कि यदि तूने हमारे सरकार की और विभाग के खिलाफ कोई बात की तो हवालात में बन्द कर दिया जायेगा। वह बेचारा चुपचाप घर को चला गया। कुछ दिनों के बाद माइक पर एलान हो रहा था कि मंत्री जी और राजा साहब पधार रहे हैं फलां-फलां जगह पर। वह बेचारा अपना घोड़ा-तांगा लेकर उस जगह पर पहले ही चला गया। उसने सोचा कि शायद इस सरकार में कुछ दम भर गया है और वहां पर अपनी शिकायत कहूंगा।

मान्यवर, इन्तजाम करने के लिए दरोगा, सिपाही गये और उन्होंने देखा कि यह हमारी बुराई कर देगा और तब हमारा पत्ता साफ हो जायगा। तो उन्होंने उसे ले जा कर बन्द कर दिया। मंत्री आये और बातचीत सुन कर चले गये और वह चिल्लाता ही रहा – मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसने सोचा कि यहां से भी दुश्मनी हो गयी और सरकार से भी हो गई, अब जान बचाने के लिये उसने घोड़ा तांगा बेच दिया और एक तम्बू और तीन बांस खरीद लिया और एक चौराहे पर उसे लगाकर चुंगी मांगने लगा। वह रोज चुंगी लेता रहता था। एक दिन महाराजा साहब और मंत्री जी की सवारी भी उधर से निकली, तो उसने चुंगी का बैरियर उनके सामने डाल दिया। महाराजा साहब ने यह पूछा कि यह किसकी चुंगी है तो उसने कहा कि यह रानी साहिबा के साले की चुंगी है, उन्होंने उसे चुंगी दी और शाम को जब घर पर पहुंचे तो रानी साहिबा से कहा

कि वहां चौराहे पर तुम्हारे किस साले की चुंगी है। तो रानी साहिबा ने कहा कि महाराज क्या बावले हो गये हो। औरतों के भी साले होते हैं। तो राजा साहब ने कहा कि वहां के अधिकारी को बुलाओ कि कैसे यह सब हुआ। अधिकारी बुलाया गया तो उसने कहा कि रानी साहिबा के साले की चुंगी है। तो राजा साहब ने कहा कि कहीं औरतों के भी साले होते हैं। फिर वह चुंगी वाला बुलाया गया और उसे पूछा गया कि वह किसकी चुंगी ले रहा है तो उसने सारी कहानी सुना दी कि इस सरकार में केवल तिकड़मबाजी है, जैसे मन चाहे चला लो। तो मान्यवर, उस चुंगी वाले को कहा कि इसको जेल में डाल दो, और वह जेल में डाल दिया गया। तो यह सरकार तिकड़मबाजी की सरकार है...

श्री अधिष्ठाता–

आप की सारी बात तो इस कहानी में आ गई।

श्री प्रभु दयाल–

ठीक है मान्यवर, मैं इस बात को कह कर कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं कि तिकड़मबाजी को छोड़ कर ठोस कार्य करें।

श्री सीता राम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आप को बधाई देता हूं। माननीय कृषि मंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के किसानों की भावनाओं के अनुकूल ही बजट प्रस्तुत किया है। किसान के बेटे के रूप में कृषि मंत्री ने वास्तव में इस प्रदेश के किसानों के लिए जो योजनायें आज अपने बजट के माध्यम से प्रस्तुत की हैं उस से उत्तर प्रदेश के किसान आज खुशियां मना रहे हैं...

(हंसी)

माननीय कृषि मंत्री जी, शान्त रहिये, सुनिये, माननीय कृषि मंत्री जी ने किसान भवन की स्थापना की घोषणा करके उत्तर प्रदेश के किसानों का जो सम्मान किया है उसके लिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। कृषि मैनुअल की घोषणा कर के उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम इस प्रदेश के लिये किया है। प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित दलहन और तिलहन की जो योजनायें हमारे प्रदेश में चलायी जा रही हैं, प्रोटीन की जो कमी पायी जा रही थी, उस को दूर करने के लिए जो हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने भाव व्यक्त किये थे, उस को पूरा करने के लिए दलहन और तिलहन का काफी उत्पादन बढ़ा है। लघु और सीमान्त किसानों को मिनी-किट्स का वितरण करके प्रदेश के छोटे-छोटे किसानों को उन्नतिशील खेती करने के अवसर प्रदान किये हैं। यह हमारी सरकार का सराहनीय कदम है। मृदा परीक्षण के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश का किसान ज्यादातर अशिक्षित है, वह नहीं समझता है कि उसके खेतों में क्या उर्वरा शक्ति है। एक ऐसी इकाई तैयार करें जो अनिवार्य रूप से सभी किसानों के सभी खेतों का सहकारी खर्चे से ही मृदा परीक्षण करे और उसकी रिपोर्ट मृदा परीक्षण कार्ड बना कर हर किसान को वितरित कर दी जाय जिससे उसे मालूम रहे कि उसके किस खेत की क्या उर्वरा शक्ति है और उसमें किस प्रकार की रासायनिक खाद की जरूरत

है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। ऊसर के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने चिन्ता की है कि इस प्रदेश में 12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ऊसर पाया जाता है। माननीय कृषि मंत्री जी ने 15-16 सितम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर ऊसर सुधार के सम्बन्ध में गोष्ठी का आयोजन किया है। वह इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जो ऊसर भूमि है, उसका सुधार किया जाय। इस संबंध में आपका ध्यान नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की तरफ ले जाना चाहता हूं। वह वास्तव में ऊसर भूमि में ही बना है और सबसे पहले ऊसर भूमि पर कृषि विश्वविद्यालय ने काम किया है। जिस तरह से ऊसर को सुधार कर फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय ने काम किया है, वह आज हिन्दुस्तान के इतिहास में अनूठा काम किया है।

मैं कृषि वैज्ञानिकों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिन्होंने ऊसर की भूमि को उपजाऊ करके वैसा ही गेहूं पैदा किया है जैसा हरियाणा और पंजाब में गेहूं पैदा होता है। उसी ऊसर भूमि में आज हार्टीकल्चर का काम करके फल उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन का काम वहां के वैज्ञानिकों ने किया है। उत्तर प्रदेश की 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो ऊसर भूमि है, उसको सुधार सकते हैं और लाखों खेतिहर मजदूरों को उसे सुधार कर बांटा जा सकता है। अभी तक ऊसर विकास निगम के माध्यम से बहुत थोड़ा काम हुआ है। इसके लिये व्यापक योजना बनानी चाहिये कि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पूरे प्रदेश की ऊसर भूमि का सुधार होना चाहिए, जिससे लाखों खेतिहर मजदूरों को जमीन मिलेगी और उनकी रोजी रोटी की समस्या हल होगी। कृषि उत्पादन मण्डी समिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि 1983-84 में 24 करोड़ रुपये की आय हुई है, 84-85 में करीब 30 करोड़ रु0 का लाभ हुआ है और अगले सालों में उससे 40 करोड़ रु0 से अधिक का लाभ होने की आशा है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि उत्पादन मण्डी की आमदनी से 400 किलोमीटर सड़क बनाने का निर्णय लिया है। यह हमारी सरकार का कृषि मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण काम है।

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो शिकायत की गयी है, वह सही नहीं है। यहां पर अत्यन्त ही योग्य वैज्ञानिकों की नियुक्तियां की गयी हैं। यहां के वैज्ञानिक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहां के डा0 कीर्ति सिंह, वैज्ञानिक के बारे में जो बातें कही गयी हैं, उन्होंने सन् 1977 से झोपड़ी में रहकर इस विश्वविद्यालय में काम प्रारम्भ किया था और उन्होंने ही इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया है। इस विश्वविद्यालय ने फसलों की नयी प्रजातियां—सरजू-52, नरेन्द्र-1, नरेन्द्र-2 रिलीज की हैं और एन0 डी0 आर0-118 और एन0 डी0 आर-80 फाइनल स्टेज में हैं, जो अरली वैरायटीज हैं। अन्त में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा गेहूं व धान की निर्धारित लागत पर

लाभांश जोड़कर किसानों की उपज का उचित दाम दिलाने, खाद का दाम घटाने, बीज एवं कृषि उपकरण सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की मांग करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने के लिये समय दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो मंडी समितियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके संबंध में मुझे आपसे कहना है कि 1964 में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मंडी समितियों का निर्माण किया गया था और तब से आज तक 10 वर्ष हो गये हैं लेकिन मंत्री जी आप कब मंडी समितियों का चुनाव करायेंगे ? मंडी समितियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सौभाग्य से मंत्री जी भी कानपुर के हैं और मैं भी कानपुर से ही विधायक हूं। मंत्री जी को शिक्षा मिली है एकमात्र राजनैतिक पण्डित चौधरी चरण सिंह के संरक्षण में, उन्हीं के संरक्षण में रह कर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है लेकिन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब गुरु दक्षिणा देने का मौका आया तो यों उनका सामान ही चुरा कर ले गये। आज उधर बैठे हुए लोग उन्हीं सामान चोरी करने वाले मंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं।

मंडी समिति में एक प्रतिशत बहु सूत्रीय कर लगा हुआ है। यह किसानों के विकास के लिये लगाया गया था। आज उसकी स्थिति यह है कि सिक्स आर0 तथा नाइन आर0 के बिना माल बाहर नहीं जा सकता। मंडी समितियों के माध्यम से प्रदेश में भ्रष्टाचार को खड़ा कर रखा है। किसानों के माल पर अनिवार्य वस्तु अधिनियम लागू है कि 10 क्विन्टल से ज्यादा गल्ला वह बाहर नहीं ले जा सकता है। यदि इससे ज्यादा बिना प्रमाण-पत्र के वह ले जाता है तो उसे जेल में बन्द कर दिया जाता है। कानपुर में आज भी जानते हैं कि थानेदार किसानों को प्रमाण-पत्र न दे पाने के कारण उठा कर जेल में बन्द कर देता है। उनके ट्रैक्टर्स बिक जाते हैं। बन्द करने का अधिकार थानेदार, तहसीलदार, एस0 डी0 एम0, आर0 एफ0 सी0, आई0 ए0 एस0 अधिकारी इसका समर्थन करते हैं।

मान्यवर, स्थिति यह है कि जितना भ्रष्टाचार कृषि विभाग में पनपा है वह मंडी समितियों के माध्यम से पनप रहा है। यदि आपको किसानों का विकास करना है तो आप मंडी समितियों के विकास का टैक्स 1 प्रतिशत बहु सूत्री से 1 प्रतिशत 1 सूत्री कर दीजिये। आपके जितने अधिकारी हैं, कामदार, अमीन, सचिव, सभी कर्मचारियों के माध्यम से लूट मचाये हुए हैं, फर्जी गेट पास काट दिया जाता है, थोड़ा पैसा वे जमा कर देते हैं बाकी सारा पैसा सही स्थान पर पहुंच जाने के बाद अधिकारियों की जेबों में चला जाता है।

आपने कृषि उत्पादन के विकास की बात की है, मैं आपको बतलाऊंगा कि मंत्री जी, आज किसानों की हालत तो यह है कि बी0डी0सी0 की मीटिंग में मैंने प्रस्ताव रखा था और आज अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कहता हूं कि ए0डी0ओ0 (कृषि) पंच ग्राम

विकास अधिकारी ने उत्पादन लागत मूल्य आपकी जो आती है किसानों के सम्बन्ध में, आपके ए0डी0ओ0 (कृषि) ने बताया था कि 210 रुपया धान का उत्पादन मूल्य पड़ता है और गेहूं की उत्पादन लागत 270 रुपया के करीब पड़ती है और आज आप कहते हैं कि किसान विकसित है? बेकारी आपने इतनी गांव में पैदा कर रखी है कि 270 रुपये लागत मूल्य के पैदा करने वाला किसान 157 रुपये में आपको गेहूं देता है और 210 रुपया लगाकर धान पैदा करने वाला किसान 132 रुपये में आपको देता है उपभोक्ता को 205 रु0 कुन्तल और आप यह गेहूं बड़े बड़े पूंजीपतियों को देते हैं। यू0पी0 के अन्दर 54 फ्लोर मिल लगी हुई है उनको आप 172 रुपये में गेहूं देते हैं। यह किसान के साथ उपभोक्ताओं के साथ अत्याचार नहीं है तो और क्या है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। तथा कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

2 मिनट का समय है, साढ़े 6 बजे तक है।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और कृषि के बारे में जो घोषणा किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम, किसानों के लिए किसान भवन और ऊसर सुधार के लिए जो योजना चलायी है वह सराहनीय है। मैं माननीय मंत्री जी का गाजीपुर जनपद की मरदह, विरनों ब्लाक की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां काफी ऊसर है इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इसके साथ ही साथ कई काम है जैसे जो आजकल रासायनिक खाद चलाई जा रही है इससे जो हमारी उपजाऊ भूमि ही इसको काफी नुकसान हो रहा है इसलिए हरी खाद और स्पेशल कम्पोनेन्ट खाद पर ज्यादा जोर दिया जाय। गाजीपुर जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाय। इसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्री जी से संबंधित कृषि के विकास से सम्बन्धित जो आवश्यक विभाग है, ग्राम्य विकास, सिंचाई और सहकारिता इसमें सहयोग की कमी है इसलिए इसमें सहयोग स्थापित किया जाय जिससे एक दूसरे विभाग में सामंजस्य स्थापित हो सके।

इसके साथ ही साथ मेरे गाजीपुर जनपद की 82 प्रतिशत आबादी कृषि की आजीविका पर निर्भर है क्योंकि यहां छोटे जोत के किसान हैं। इन सारे काम को करने के लिए जो आपने कृषि संरक्षण योजना चलायी है, कृषि रक्षा की जो योजना आपने चला रखी है, इन योजनाओं के तहत हमारे ब्लाक को रखा जाय। इसके साथ हमारे गाजीपुर जनपद में फार्म है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला है, इसकी आप जांच करा लें जो वहां पर उत्पादन होता है, वह होता कुछ है और कागज पर कुछ आता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिए।

श्री धनराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस सदन के माध्यम से श्रीमती सरोज वर्मा के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। कृषि एक बड़ा उद्योग है लेकिन इसको उद्योग न मानकर किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती

की जा रही है। इसके बारे में देखा जा रहा है कि कृषि मंत्रालय को एक प्रमुख मंत्रालय के रूप में विकसित करके और सिंचाई सहकारिता उसके सहायक मंत्रालय के रूप में संयुक्त करना चाहिये। आज कृषि का नाम केवल रेडियो आदि में रह जाता है इसका कोई व्यवहारिक लाभ किसानों को नहीं मिलता। मेरा सुझाव नीति के बारे में है। कृषि नीति ऐसी है जो किसान को उठने नहीं देती है। पुर्ननीति का परिणाम यह है कि छोटा किसान मजदूरी करे और खाये और जो बड़े किसान हैं, वह कर्जा ले और खेती करें। खेती से कोई भी किसान तरक्की करने वाला नहीं है। किसान बरसात में निरौनी बैठानी करता है कीचड़ से पैर सड़ जाते हैं वह रात भर कराहता है और सबेरे फिर खेती करने मजबूरन जाता है लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके बच्चों को भरपेट रोटी नहीं मिलती है। मान्यवर, मंत्री जी के आंकड़ों में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है परन्तु ऐसे आंकड़ों से क्या फायदा कि गरीब आदमी को दोनों जून की रोटी न मिले। गरीब आदमी को दोनों जून रोटी और सब्जी हम मुहैया नहीं कर पाते, तो कैसे तरक्की के आंकड़े और कैसी शासन व्यवस्था।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, मान्यवर, पूर्वी जिले जो अत्यन्त गरीब हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक ढाई एकड़ एवं 5 एकड़ तक के किसानों को सीमान्त एवं लघु कृषक मानकर उन्हें डी0 आर0 डी0 ए0 के तहत ही सुविधा प्रदान की जाती है, मेरा सुझाव है कि पूर्वी जिले में क्रमशः 5 एकड़ और 10 एकड़ तक किसानों को सीमान्त एवं लघु किसान मानकर उन्हें सहायता देनी चाहिये।

मान्यवर, नौगढ़ (बस्ती) में काला नमक चावल बहुत अधिक प्रसिद्ध है, मेरा निवेदन है कि उस चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिये बर्डपुर, उस्का, नौगढ़, जोगिया और बढ़नी विकास खण्डों में भी चावल उत्पादन को बढ़ाने की योजना को लागू किया जाय। मान्यवर, ऊसरी सुधार की योजना बस्ती जिले में भी लागू करें, जिससे जो जमीन पड़ी हुई है वह खेती के काम आ सके। किसानों का आलू जो सड़ जाता है, उसकी सुरक्षा के लिये कोई सुनिश्चित व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय कृषि मंत्री जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं किसान के बेटे हैं और खेती का ज्ञान उनको है और इस विभाग के बारे में उनको ज्ञान है और जो सुधार उन्होंने इस विभाग में किया है वह निकट भविष्य में विपक्षी लोगों के समक्ष आ जायेगा। मान्यवर, विपक्ष के लोगों ने कुछ अधिकारियों की आड़ लेकर कृषि मंत्री पर आरोप लगाये हैं मैं कहना चाहता हूं कि वह बिल्कुल असत्य और निराधार है। अगर एक भी आरोप सिद्ध हो जाये तो मैं इस विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा और अगर विधायक जिन्होंने आरोप लगाया है, वह उन आरोपों को सिद्ध कर न सकें तो वह खुद इस्तीफा दे दें। मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आपको याद करना पड़ेगा कि भारत को जब विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ता था। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश को गेहूं के बारे में आत्म निर्भर बना दिया है और

आज हम गेहूं विदेशों को भेज रहे हैं और आप भी चर्चा करते हैं कि गेहूं बहुत सस्ता है और दूसरी ओर आप शहरों में जाते हैं और मजदूरों को भड़काते हैं कि गेहूं बहुत मंहगा है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दवाबा क्षेत्र मंजनपुर में भूमि संरक्षण की कोई ईकाई नहीं है, तो एक भूमि संरक्षण की इकाई को स्थापित करने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ए0पी0डी0पी0 स्कीम नहीं है, इसको भी वहां पर लागू किया जाये जिससे वहां पर भी सिंचाई का प्रसार हो सके। केन्द्रीय पौधशाला इलाहाबाद तथा राजकीय पौधशाला खुशरुबाग की स्थिति बड़ी खराब थी और अब उसमें सुधार हो रहा है। मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान विश्व विख्यात इलाहाबादी अमरूद की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने सांसद काल में इस बारे में लड़ाई लड़ी थी मैं यह चाहता हूं कि मंत्री विश्व विख्यात अमरूद को फल बेल्ट घोषित करने की कृपा करें। हमारे माननीय मंत्री जी ने ट्रान्सफर और पोस्टिंग में कड़ा रुख अख्तयार कर लिया है, जिससे विधायकगण परेशान हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(6 बजकर 20 मिनट)

श्री भोपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीया सरोज वर्मा जी ने कृषि बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुये मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा और कृषि के बारे में बताया, योजनायें तो बनती हैं लेकिन वह केवल यहां पर दफ्तरों में बैठकर बनती हैं-देहातों तक वे नहीं पहुंच पाती हैं। इसके बारे में मैं जानता हूं क्योंकि इससे पहले मैं ब्लाक प्रमुख था। मैंने देखा है कि जो क्राप लोन मिलता है वह तब मिलता है जब फसल बो ली जाती है और यहां तक कि जब फसल काट भी ली जाती है तब तक क्रोप लोन मिलता रहता है। ब्लाक में जो दवाइयां जाती हैं, जबरदस्ती थोप दी जाती हैं। दवाइयों पर कमीशन पहले ही ले लिया जाता है दवाइयां गलत होती हैं। सबके बाद में दवा छिड़कने को मिल पाती हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी उस दवा को इधर-उधर बेच देते हैं। मान्यवर, गेहूं की तरह की एक घास होती है जिसका पता तब चलता है जब गेहूं पकने लगता है। बजाय इसके कि वह घास नष्ट हो बढ़े ही नहीं इसके बजाय दवाई छिड़कने से गेहूं को नुकसान होता है। कृषि विभाग के लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं।

इसके अतिरिक्त ब्लाक में जो बीज किसानों के लिये जाता है, मैंने देखा है कि वह बहुत लेट जाता है। वह तब दिया जाता है जब किसान बीज को बाजार से खरीदकर अपने खेत में बो लेते हैं। दलहन के लिये सब्सिडी का बीज किसानों को दिये जाने का प्राविधान है किन्तु वह बीज किसानों को नहीं उपलब्ध किया जाता है। ऐसे किसानों को दिया जाता है जो उस दलहन की दाल बनाकर खा लेते हैं सरसों के बीज का तेल निकाल लेते हैं। इस तरह से कृषि विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना किसी और विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है जितना कृषि विभाग में है। आप किसानों के हितों की क्या रक्षा करेंगे, गांवों के किसानों की क्या मदद करेंगे, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है जबकि आपके स्वयं के अपने कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। मैं एक फार्म का उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय सुरेन्द्र

सिंह जी न्याय मंत्री के छोटे भाई अलीगढ़ में सोमला में कृषि फार्म है जो सेकिन्ड ग्रेड का फार्म है जबकि वह थर्ड ग्रेड के अधिकारी स्वयं हैं। वे वहीं के मूल निवासी हैं। वे वहीं पर अधिकारी हैं। जितना बीज और पैसा उत्पादन होता है। वह सब उनके घर चला जाता है। वहां का ट्रैक्टर वे अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी आप जांच करवायें। वह फार्म दो साल पहले फायदे में था लेकिन आज घाटे में जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, आज कृषि बजट पर माननीय कृषि मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है और उस पर माननीया सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा तो मैं बड़ी असमन्जस की स्थिति में हो गया। एक तरफ तो यह कहा कि मैं चौधरी चरण सिंह के साथ हूं और दूसरी तरफ उनकी पुत्री हैं। माननीया सदस्या ने अपने भाषण में स्वयं मेरे लिये निर्देश दे दिया जब उन्होंने यह कहा कि मेरा भाषण बड़ा भावनात्मक है। तब मैं समझ गया कि उनके हृदय में किसानों के प्रति पीड़ा तो है लेकिन जब तक उनके मस्तिष्क में उनके प्रति पीड़ा न हो तब तक केवल भावनात्मक पीड़ा से काम नहीं चलता। माननीय मंत्री जी ने मन और मस्तिष्क से इस बजट को प्रस्तुत किया है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। जब हम किसी कार्य में पैसा खर्च करते हैं तो यह देखते हैं कि उसे कैसे खर्च किया जाय।

मान्यवर, पिछले चार वर्षों की इस दिशा में जो उपलब्धि हुई है उसको हम देखते हैं तो मैं कुल उत्पादन की बात तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उत्पादकता की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। धान की उत्पादकता 20 प्रतिशत, ज्वार की उत्पादकता 40 प्रतिशत, बाजरे की उत्पादकता 40 प्रतिशत, मक्के की 100 प्रतिशत रही है। यह पिछले चार वर्षों की उपलब्धि है। इसी तरह से गेहूं की उत्पादकता 15 प्रतिशत, अरहर की उत्पादकता 15 प्रतिशत, मसूर की उत्पादकता 20 प्रतिशत, उर्वरक के बीज में 45 प्रतिशत और गन्ने के बीज में 133 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां उत्पादकता इतनी पहुंच गई हों, ऐसे बजट को पास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। दो तीन सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। कृषि का उत्पादन आपने बढ़ाया है लेकिन कृषि निवेश पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है जैसे सिंचाई, बीज आदि जो चीजें हैं उन पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये चीजें अन्य विभागों से संबंधित हैं। मैं विशेष तौर पर बीज उत्पादन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस प्रदेश में सर्टिफाइड बीज पैदा करने वाली एक संस्था तराई बीज डेवलपमेंट कारपोरेशन है। अगर आप उसके पिछले इतिहास को देखें तो जो कुछ बीज उत्पादक थे उनको अधिकतम मूल्य मिलता था और किसान को सस्ते मूल्य पर बीज मिलता था। परन्तु गत 5, 6 सालों से उसमें गिरावट आई है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप शेष सुझाव लिख कर दे दीजिये।

श्री विष्णुदेव–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री विष्णुदेव और श्री जयदीप सिंह बरार के साथ-साथ बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लिख कर अपने सुझावों को माननीय मंत्री जी को दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये। मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज कृषि का बजट है। इस बजट पर जब प्रारंभ में माननीय सदस्यों ने भाग लेना शुरु किया तो उनको कुछ अधिक समय दे दिया। जब अधिक सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए तो आपने बोलने का समय कम कर दिया। आप सभी सदस्यों को समान समय देते भले ही कम सदस्य बोल सकते हैं। दो-दो मिनट के समय में कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब यह व्यवस्था है कि आप बैठ जायं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

एक ही बजट पर भिन्न-भिन्न समय सदस्यों को कैसे दे सकते हैं इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी व्यवस्था यह है कि मैंने सोचा था कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपने-अपने विचार दे दें। लेकिन माननीय सदस्यों ने भाषण देना आरम्भ कर दिया। अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और माननीय वर्मा से कहूंगा कि वे कटौती प्रस्ताव वापस लेने के संबंध में कहें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

(श्रीमती सरोज वर्मा के खड़े होने पर)

मान्यवर, आपने श्री विष्णु देव को बुला लिया था।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। लेकिन साढ़े 6 बजे से पौने 7 बजे तक जवाब होगा (व्यवधान) आप स्वयं शासन पक्ष के माननीय सदस्य हैं आपको तो सहयोगी बनना चाहिये। मैं तो चाहता था कि सूत्र रूप में लोग अपनी बात कह देते लेकिन अब इसके बाद माननीया सरोज वर्मा बोलेंगी। मैं माननीय विष्णु देव जी का नाम पुकार चुका हूं दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री विष्णु देव–

मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों के दानों की लूट बन्द करने के लिए दाम बांधो नीति बनाईये। किसान के उत्पादन का दाम जो लागत आती है उसको देखकर आप तय कर दें। किसान की पैदावार का दाम जो साल में तय हो उसमें अगले साल तक 16 फीसदी से अधिक घटबढ़ न हो। किसान की पैदावार के दाम और कारखाने की पैदावार के दामों में संतुलन हो। ऐसा न हो कि किसान की पैदावार के दाम घट जायं और दूसरी चीजों के दाम जिनका किसान उपयोग करता है बढ़ते जायं। आज कृषि मंत्री की गलत नीति के कारण ही हमारे पूर्वांचल का छोटा किसान अपने खेत बेच-बेच कर भाग रहा है और कलकत्ता और बम्बई में कुली का काम कर रहा है वहां खोन्चे यो रिक्सा चलाने का काम करता है। हमारे पूर्वांचल का किसान इस मंहगाई में उसकी पैदावार का दाम कम मिलने के कारण ही भाग रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी कृषि नीति को बदलें ताकि पूर्वांचल के किसान अपनी खेती बेच कर भागने न पायें।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मुझे बोलने के लिये समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं।

श्रीमती सरोज वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मान्यवर, अब काफी चर्चा हो चुकी है, समय कम है, इसलिए अब मैं कुछ जरूरी बातें कहना चाहती हूं। मान्यवर, एक बात यह निर्विवाद सत्य है कि किसी देश की उन्नति बिना किसान और कृषि के उन्नति किये नही हो सकती है। देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, मूलभूत सिद्धान्त को जब तक आप स्वीकार नही करते तब तक और अपनी नीतियों में जब तक परिवर्तन नहीं करते तब तक आप अपने प्रदेश और देश को उठाने और आत्म-निर्भर करने का काम नही कर सकते हैं।

मंत्री जी आप और आपकी सरकार गेहूं और खाद्य उत्पादन का चाहे जितना ढिंढोरा पीटें, भाषण करें, लक्ष्य निर्धारित करें लेकिन देश और प्रदेश की आधी जनसंख्या कुपोषण, बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार हो रही है और यह सब आपकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है। मान्यवर, 1976-77 की सेन्सेज रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि हमारे देश में सीमांत और लघु किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरित क्रांति जो आपने किया उसका लाभ बड़े किसानों को मिल रहा है, छोटे किसानों के खेत बंटते और बंटते गये हैं और इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती गयी है जिसके बारे में सेन्सेज रिपोर्ट में कहा गया है कि एक हेक्टेयर जमीन की संख्या पूरे देश के फार्मों की संख्या के आधे से कुछ ज्यादा है और उसका अनुपात तीव्र गति से बढ़ रहा है। 1961 में इसका अनुपात 39.87 प्रतिशत से बढ़ कर 1971 में 50.62 प्रतिशत हो गया। इस तरह आज देश में 73 प्रतिशत किसानों की गणना लघु व सीमांत किसानों में की जा सकती है। 1977-78 में उत्तर प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़कर 350 लाख हो गयी थी और आज उससे बहुत ज्यादा हो गयी है।

मान्यवर, समय के कमी के कारण, संक्षेप में कहना चाहती हूं कि आज यह हालत क्यों है। इसके सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इसका सबसे पहला कारण है कि गांधी जी के बताये रास्ते से हट जाना और दूसरा कारण है आपकी प्रशासनिक व्यवस्था। मैं ब्यूरोक्रेसी की एक परिभाषा देना चाहती हूं। नौकरशाही अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी का हिन्दी रूपान्तर है जिसका शाब्दिक अर्थ है डेस्क सरकार अथवा ब्यूरो द्वारा संचालित सरकार। मान्यवर, नौकरशाही को चलाने वाले इन चंद लोगों के बोलचाल और रहन सहन में काफी अन्तर है आम आदमी के बोल-चाल और रहन सहन से। और जब आदमी की बोलचाल बदल जाती है तो उसके विचार मानसिकतायें और प्राथमिकतायें बदल जाती हैं। यही देश में हुआ है और इन चंद लोगों और देश की 80 प्रतिशत जनता के विचार, मानसिकता और प्राथमिक-तायें बदल गयी हैं। मान्यवर, एक बड़े विद्वान ने कहा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि आज इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में योजनाओं को फाइलों में बन्द करके रख दिया गया है जिससे

देश का सामाजिक, आर्थिक स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इस ब्यूरोक्रेसी का अचूक हथियार है लाल फीताशाही और इसके चलते गम्भीर समस्या का रूटीन में बदल जाने का जादू जिसमें राहत लोगों को जब मिलती है जबकि वे बेमतलब हो जाती हैं और न्याय जब मिलता है जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती और आदमी मर जाता है। आप भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पा रहे हैं, इसलिए आपकी सारी योजनायें और सारी नीतियां फेल हो रही हैं। आपकी बहुत सी योजनायें बहुत अच्छी हैं लेकिन वह सही रूप में गांवों में पहुंच नहीं पाती हैं, जहां आप उनको पहुंचाना चाहते हैं। आप ठीक से अनुदान नहीं दे रहे हैं। 20 सूत्री योजना का आपका कार्यक्रम है, लेकिन जैसा यहां तमाम सदस्यों ने कहा उसमें ऋण किसी के नाम दिया जाता है और लेता कोई है। भ्रष्टाचार ही आपकी नीतियों को पंगु करने का एक कारण है। यह बात नई नहीं है। महात्मा गांधी ने आज से 40 वर्ष पूर्व ही इस बारे में कहा था, जो भारत के बारे में आज बिल्कुल सही है। उन्होंने उस समय कहा था "किसी भी वितंडावाद से अथवा अंकों और ब्यौरों से तथा किसी भी तरह के कोष्ठकों से उस सबूत को नहीं उड़ाया जा सकता जो भारत के देहात आज अपने चलते फिरते नर कंकालों को हमारी आंखों के सामने पेश करके दे रहे हैं।" तो आज के भारत की भी यह सच्ची तस्वीर है। यदि देश का विकास करना है, देश को आत्म निर्भर करना है, तो गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर आपको चलना होगा और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों की भी स्वस्थ स्थापना करनी होगी।

मान्यवर, मैं फिर अन्त में अपनी बात दोहराती हूं, यदि आज की योजनायें इसी तरह बनती रहीं और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सोच लें देश का भविष्य क्या होगा। आप भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुये सही नीतियों पर चलना है और महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर आप चलने की सोचें तो हम आपका साथ देंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो भारत का भविष्य क्या होगा यह आप सोच नहीं सकते हैं।

अगर आपने अपनी नीतियों को, कृषि के बारे में जो रास्ता अपनाया है उसको न बदला तो आगे का भविष्य क्या होगा। इस भविष्य की कल्पना कृषि पंडित श्री भानु-प्रताप सिंह ने कर रखी है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपके ध्यान के लिए उनकी बात को यहां पर दोहराना चाहती हूं। उन्होंने इस भविष्य को ध्यान में रखकर कहा है "राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं, जापान और अमेरिका जैसा बन जाये-चाहते हैं। वैसा न होकर भारत लैटिन अमेरिका के देशों जैसा बन जायेगा, जहां वैभव की अट्टा-लिकाओं के इर्द-गिर्द देश के दरिद्र, मक्खियों की तरह भिनभिनाते नजर आयेंगे"

तो यह होगा आपके भविष्य के भारत का नक्शा। अगर आपने गल्तियां नहीं सुधारी और कृषि की तरफ आप नहीं लौटे। मान्यवर, अभी सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, बार-बार कहा कि राजीव गांधी जी भी गांवों की ओर देख रहे हैं, आदिवासियों की तरफ जा रहे हैं, गांवों की तरफ जा रहे हैं, उनकी दृष्टि गांवों की ओर है. . . (व्यवधान) मैं आपकी ही बात दोहरा रही हूं, कोई नई बात नहीं कह रही हूं। यह आपके सदस्यों ने ही

कहा है। वह प्रधान मंत्री आपके भी हैं और हमारे भी हैं। जब आप नाम ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकती हूं? प्रधान मंत्री सारे भारत के हैं या सिर्फ कांग्रेस के हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्रीमती सरोज वर्मा–

तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जो राजीव गांधी गांवों की ओर जा रहे हैं वह किस लिए जा रहे हैं? वह जानते ही नहीं हैं कि गांव कैसा होता है। वहां जाकर फटेहाल कपड़े पहने हुए लोगों से जब वह बात करते हैं तो उनकी समझ में आ रहा है कि गरीब कैसे रहता है। तो आपके राजीव गांधी गांवों को समझने के लिए और गरीबी को जानने के लिए गांव में जा रहे हैं। और अभी यह समझने में उनको बहुत साल लगेंगे। आप लोग भी अभी तक इसे समझ नहीं सके हैं। योजनायें तो गांवों के लिये तब वह बनायेंगे जब गांवों को समझ लेंगे। जरा गंभीरता से सोचिए कितने करोड़ रुपया उनके आने जाने में खर्च होता है। अगर उनको गांवों की तस्वीर देखना है और समझना है तो वीडियो लगाकर गांव की गरीबी देख सकते हैं। दिल्ली में उनकी नाक के नीचे हजारों, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। अगर उनको योजना बनानी है तो बना सकते हैं। आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं, देखेंगे कि कौन सी योजना गरीबों को उठाने के लिए और किसानों को उठाने के लिये बनायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ट्रेनिंग एण्ड विजिट की स्कीम बनायी है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आपने उस किताब को पढ़ा ही नहीं या आपने उसको समझा नहीं है। मैंने उस किताब को पढ़ा है आपने जिस तरह से उस स्कीम को बताया है उस किताब में उसके विपरीत है। अगर आप वास्तव में ग्रामों का विकास करना चाहते हैं तो इसका सही स्वरूप लायें तभी किसानों का भला होगा। अंत में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, लगभग 27-28 सम्मानित सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत अच्छे सुझाव दिये। इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जहां तक नीतियों का प्रश्न है और कार्यक्रमों का प्रश्न है हमारे सम्मानित विरोधी पक्ष के मित्रों ने भी जो हमारी योजनाएं हैं उनका विरोध नहीं किया सिर्फ उनके कार्यान्वयन पर जरूर कुछ शंका व्यक्त की। हमारी बहन सरोज जी ने टी0 एण्ड0 वी0 के बारे में चिंता व्यक्त की लेकिन यह कहा कि योजना अच्छी है। उन्होंने कहा कि इसको पढ़ा नहीं है। तो यह जो प्रशिक्षण और भ्रमण का कार्यक्रम है इसको पूरे तरीके से समझ कर और पढ़ करके, गहन अध्ययन करने के बाद और विश्व बैंक की राय से बनाया गया है और यह योजना पूरे तरीके से उचित है। जहां तक शिक्षा का सवाल है। पहले ही तय कर दिया गया था कि इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुयेट्स लिये जायेंगे। इसमें किसी तरह की शंका का सवाल नहीं है। 12 सौ कृषक परिवारों पर एक किसान सहायक होगा। एक दिन में वह डेढ़ सौ किसानों से संपर्क करेगा

उसके हिस्से में कोई लिखने पढ़ने का ज्यादा काम नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर यह योजना इतनी लाभप्रद न होती तो शायद प्रदेश के सभी हिस्सों से लागू करने की मांग न आती। इसको हम जल्दी पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। हमारे मित्र भोपाल सिंह ने कहा कि कागज पर खेती होती है तो हो सकता है कि वह कागज पर खेती करते हों। मैं पूरी हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग के जो भी कार्यक्रम हैं वह जमीन पर हैं, धरती पर हैं कागज पर नहीं हैं। मान्यवर, मण्डी समितियों की बड़ी चर्चा की गई। सभी माननीय सदस्यों ने उसमें कठिनाइयां बताई और अपनी चिन्ता व्यक्त की। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उसमें बहुत से अच्छे सुझाव हैं लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि सरोज बहिन ने यह कहा कि कुछ मण्डी समितियों में ट्रेड शिफ्ट नहीं हुआ। कानपुर में ट्रेड शिफ्ट नहीं हुआ आगरा में ट्रेड शिफ्ट नहीं हुआ, यह सही है लेकिन हापुड़ में शादाबाद में और कई एक मण्डियों में बरेली में सब जगह मण्डियों में ट्रेड शिफ्ट हो चुके हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्या लेटेस्ट रिपोर्ट रखा करें तो ज्यादा अच्छा होगा, पूर्व सूचना के आधार पर नहीं कहना चाहिए।

मण्डी समितियों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। 1977-78 में मण्डी शुल्क के बतौर 10 करोड़ 67 लाख रुपया आया था, 1984-85 में 30 करोड़ रुपए से अधिक मण्डी शुल्क के रूप में आया था और जो 1985-86 है इसमें मण्डी शुल्क 40 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। हम इसे खर्च करेंगे किसानों के फायदे के लिए।

मान्यवर, कृषि विभाग ने फैसला लिया है कि 1985-86 में 400 किलोमीटर की लम्बी सड़क मण्डी समिति की ओर से बनाया जायेगा। मण्डी समिति की ओर से यह तय किया गया है कि अभी तक किसान जो अपनी फसल मण्डी तक ले जाता था और मजबूर होकर अपने अनाज को बेच देता था और एक डिस्ट्रेस सेल होती थी, इससे बचने के लिये मंडी समिति ने किसानों के लिए एक नई योजना लागू की है। जब किसान अपनी फसल को लेकर मण्डी जायेगा और उसे सही दाम नहीं मिल पायेगा तो वह उसे गोदाम में रख सकता है। उसे 75 प्रतिशत एडवान्स दे दिया जायेगा। इस पर ब्याज कितना है केवल 6 प्रतिशत।

मान्यवर, मण्डी समिति में भ्रष्टाचार की बहुत बात कही गई। हमने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बहुत प्रयास किया है। हमारे मित्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शाही जी ने उठाया था, जो समाचार-पत्रों में भी आया, मैं उसी को पहले स्पष्ट कर दूं। हमारे मण्डी परिषद् के अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट पुलिस में लिखाई। मण्डी निदेशक ने उन आरोपों से इन्कार कर दिया। जिस बाडी ने उन आरोपों का खण्डन किया। मैंने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और असलियत सामने आनी चाहिए और जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, फलस्वरूप मामला सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दिया गया। हम कितना प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इससे आप लोग स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। अभी तक इसी बीच 9 लोगों की सेवाएं समाप्त की गयीं। 28 लोगों को निलम्बित किया गया। 37 लोगों को चेतावनी दी गयी। 17 लोगों से स्पष्टीकरण मांगा

गया है। 32 लोगों का स्थानांतरण किया गया है। 3 कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। 2 लोगों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी है। 67 लोगों के लिये निर्देश दिये गये हैं। जिन लोगों को चेतावनी दी गयी है, उसमें एक क्लास वन स्तर का अधिकारी भी शामिल है।

मान्यवर, मंडी समिति का उद्देश्य किसानों का हित करना है। मंडी समितियां किसानों के हित के लिए हैं। लेकिन, यह सही है कि कुछ जगहों पर कुछ कर्मचारियों ने अपने-अपने हित साधन के लिये व्यापारियों की मदद करनी शुरु की थी, लेकिन, मैं बताना चाहता हूं कृषि विभाग पूरी तरह से सचेष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इस बात को मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं।

एक सदस्य–

मंडी समिति के अध्यक्ष के बारे में कुछ कहिये। क्या जांच हुई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इससे जांच पर प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा अपनी कोई राय नहीं देना चाहता हूं।

खाद की मिलावट के बारे में बहुत सी शिकायतें की गयीं, कुछ जायज हो सकती हैं। लेकिन, कोई अगर यह कह दे कि कृषि विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की, कृषि विभाग इस ओर सचेष्ट नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1984-85 में 6538 छापे डाले गये थे, 4715 नमूने लिये गये थे। 346 अमानक पाये गये थे। मान्यवर हमने 179 लाइसेंस रद्द किये हैं। 105 लाइसेंसों को निलम्बित किया है। 156 व्यापारियों को चेतावनी दी गयी है। 96 दुकानों को सील किया है। 98 मामले पुलिस को सुपुर्द किये गये हैं। 48 व्यापारियों को जेल भेजा है। ऐसा नहीं है कि विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, हमारी सरकार की दिली ख्वाहिश है कि खाद में किसी तरह की मिलावट न हो, कीटनाशक दवाओं में किसी तरह की मिलावट न हो, उसको रोकने के लिये पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। अभी इसी 10 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक साथ छापे डाले गये थे। उसमें मान्यवर 3142 छापे डाले गये थे, जिसमें 2018 नमूने लिये गये थे। इसमें अभी तक 504 का विश्लेषण हो चुका है। 27 अमानक पाये गये। अभी तक 35 लाइसेंस निरस्त किये जा चुके हैं इसी 1985-86 में और 30 लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। 44 दुकानों को सील किया गया है और मान्यवर 33 मामले पुलिस को सुपुर्द किये गये हैं। मान्यवर, 21 व्यापारियों को जेल भेजा गया है इसी 85-86 के पीरियड में।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप जरा जल्दी खत्म कर दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

एन0पी0के0 खाद में मिलावट की बड़ी शिकायत आई। सरकार ने फैसला किया है कि एन0पी0के0 खाद के नए लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। दूसरा हमने जो कारखाने चलाये हैं, जो फैक्टरियां चलाई हैं उनके बारे में हमने यह फैसला किया है कि उनकी ठीक प्रकार से जांच की जायेगी। उनका पूरी तरह से निरीक्षण करके जानकारी प्राप्त की जायेगी। इसके लिए एक सब कमेटी भी बना दी गई है, वह सब कमेटी परीक्षण करेगी कि किस तरह से खाद में और कीटनाशक दवाइयों में मिश्रण को रोका जा सकता है। किसान के साथ, अगर कोई बीज और

कीटनाशक दवाइयों में मिश्रण करता है तो मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, देशद्रोह का अपराध है क्योंकि इससे अन्न कम पैदा होगा, जो सम्मानित सदस्यों की चिन्ता है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। मान्यवर, एक बात कही गई कि

. . . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, अब संक्षेप कर दीजिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारे कुछ मित्र लोग यह कह रहे थे कि उर्वरक के प्रयोग में कमी आई है और उर्वरक का प्रयोग नहीं बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्यों की यह सूचना सही नहीं है। मान्यवर, 80-81 में 11 लाख 15 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का प्रयोग हुआ था और 84-85 में यह बढ़कर हो गया 16 लाख 13 हजार। यह अपने प्रकोषण में बढ़ रहा है। यह सही है कि पंजाब में हमसे ज्यादा है, वहां पर 150 के0 जी0 एक हेक्टेयर में इस्तेमाल होता है। हमारे यहां मेरठ में जहां सबसे ज्यादा होता है वह 90 है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। पहले यह था कि 6 लाख टन फर्टिलाइजर मिलेगा, प्रयास हुआ कि ज्यादा मिलना चाहिए तो साढ़े सात लाख हुआ फिर आठ लाख टन हुआ लेकिन हम इसको दस लाख टन तक करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। सम्मानित सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की ऊसर के संबंध में, यह सही है कि हमारे प्रदेश में ऊसर की समस्या है। हमारे प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर ऊसर है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय राजीव जी भी इस बारे में बहुत चिन्तित हैं और उन्होंने ऊसर सुधार के लिए एक विशेष कार्यक्रम की बात कही है और हम उत्तर प्रदेश में भी विशेष प्रयास करना चाहते हैं और इसीलिये मान्यवर, हमने 15-16 सितम्बर को ऊसर के सम्बन्ध में सभी समस्याओं पर विचार करने के लिये चूंकि मान्यवर, हमारे मित्र तो यह हो सकता है कि कागज पर ऊसर ठीक करना चाहते हों, हम कागज पर नहीं ठीक करना चाहते हैं, नियोजित ढंग से ठीक करना चाहते हैं। जमीन पर ठीक करना चाहते हैं। इसके लिये हम कार्यक्रम बना रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अब आप संक्षेप में बोलिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

एक विषय पर जो चिंता व्यक्त की गयी मान्यवर, माननीय सदस्यों ने वह बीज की कीमत के बारे में है। मान्यवर, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बीज की कीमत किस प्रकार से कम की जाय, इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं और चिंतित हैं। इसके लिये एक कमेटी बना दी है जो यह विचार करेगी कि किस तरह से बीज की कीमत कम की जाय। यह सही है कि बीज की कीमत ज्यादा है। मैं माननीय सदस्यों की चिंता से सहमत हूं। अब मान्यवर, यहां पर चर्चा की गयी 1978 में किसान रैली की। उधर जो हमारे सामने बैठे दोस्त हैं, ये किसान के ज्यादा हमदर्द हैं और इधर के लोग नहीं हैं।

(अत्यधिक शोर)

श्री हरदेव–

बनावटी हमदर्द रह गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अब संक्षेप कीजिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो कहा, मान्यवर, उनकी यह बात सही है कि

1978 में बड़ी तादाद में किसान दिल्ली में एकत्र हुए थे, और यह भी मान्यवर, सही है कि उस रैली में किसानों की कुछ मांगें थीं। एक चार्टर आफ राइट पेश किया गया था, उसमें मांग की गयी थी कि किसानों का एक बैंक होना चाहिए। उसमें मांग की गयी थी कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन होना चाहिए। उसमें मांग की गयी थी कि प्राइस कमीशन में किसानों के नुमाइन्दे होने चाहिये। सन् 80 तक न तो किसान बैंक बना और न भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया गया।

(अत्यधिक शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

उस समय आप कहां थे?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी अब समाप्त कीजिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह सही है कि हम अगर उधर हो गये होते, तो इधर न होते।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर उधर कुछ न हो तो इधर आ जाइयेगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था। मन नहीं था, लेकिन हमारे दोस्तों ने तमाम तरीके से उसको छेड़ने की कोशिश की। ये कितने हमदर्द हैं, इसका सिर्फ एक नमूना पेश करना चाहता हूं। हमने जो सन् 78 की किसान रैली की मांग थी कि बैंक बनना चाहिये...

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

किसान रैली का पैसा क्या हुआ?

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह आरोप नहीं लगा रहे हैं, केवल पूछना चाहते हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सन् 78 की किसान रैली में जो चार्टर आफ डिमाण्ड, चार्टर आफ राइट पेश किया गया था, सन् 80 तक किसानों की एक भी मांग पूरी नहीं हुई। मान्यवर, जब प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हुईं, उन्होंने किसान बैंक बनाया और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया।

(अत्यधिक शोर)

श्री किरन पाल सिंह–

किसान रैली के पैसे से बैंक बना लिया क्या?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कृपया अपनी बात समाप्त करें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मान्यवर।

मान्यवर, मैं इन लोगों की बातों को बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। मुझे भी धैर्य से सुना जाय।

मान्यवर, गेहूं की कीमत के बारे में यहां पर चर्चा हुई, कौन सी सरकार किसानों की ज्यादा हिमायती है? मैं इस परिपेक्ष्य में बताना चाहता हूं कि 1977-78 में गेहूं की कीमत थी 112 रुपये 50 पैसे।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य श्री राम सरन जी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री राम सरन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बहुत छेड़खानी कर रहे हैं। अगर इस तरह से छेड़खानी करेंगे तो कहीं उल्टे न फंस जाय। कहीं किसी सदस्य के मुंह से कुछ निकल गया तो माननीय मंत्री जी को बहुत कष्ट हो जायेगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सरोज बहिन से मैं यह उम्मीद करता था कि वह खेती के काम के लिए और किसानों के विकास के लिए संस्तुति करेंगी कि इसकी रकम को बढ़ाया जाय लेकिन उन्होंने इस पर कटौती की बात कही, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे विश्वास है कि सरोज बहिन अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

श्री वासुदेव सिंह–

माननीय सदस्यों को प्रश्न करने की इजाजत आप देंगे तो मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मण्डी समिति की ओर से 400 किलोमीटर सड़क बनाने का प्राविधान किया गया है। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि मण्डी समिति की ओर से सड़कें नहीं बनाई जायेंगी। दूसरा फलों को संरक्षण देने के लिए, जिस प्रकार हिमांचल प्रदेश ने फलों को उद्योग माना है, क्या आप भी उसी प्रकार फलों को उद्योग मानेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न किया है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, जो वैकेट हो चुका है। दूसरा फलों को संरक्षण देने की बात उन्होंने कही। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि पहाड़ी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के माध्यम से ही किया जा सकता है। उसके लिए मान्यवर, हमने जैसा कि हमारे सदस्य श्री माहरा जी ने अलग डाइरेक्ट्रेट की बात कही, मैं अलग डाइरेक्ट्रेट की बात तो नहीं कहता, लेकिन हमने इतना जरूर तय कर लिया है कि वहां पर एक एडीशनल डाइरेक्टर मुस्तकिल तौर से बैठा रहेगा, जो वहां की प्रगति के बारे में तय करेगा, इसके लिए उसे पूरी पावर दे दी जायेगी। यह सही है कि हमारे यहां का सेव हिमांचल प्रदेश के सेव के नाम से कई जगह बिकता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है मारकेटिंग की। मुझे उम्मीद थी कि हमारे माननीय सदस्य विपणन के बारे में अपने कुछ सुझाव देंगे। सेव की कीमत किसानों को अच्छी मिले और हमारे प्रदेश का सेव पापुलर हो इसके लिए 31 अगस्त से लेकर 8 सितम्बर तक एक सेव प्रदर्शनी दिल्ली में की गई। हम देश भर में हम अपने सेव का प्रचार करेंगे इसके लिए हम नुमाइशों को आरगनाइज करेंगे। जो सुझाव दिया गया है, इस पर हम विचार करेंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, एन0पी0 खाद में सबसे बड़ी मिलावट होती है। इसे हरियाना और पंजाब ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। लाइसेंस रद्द कर देने से इसका हल नहीं निकलेगा क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस एन0 पी0 खाद की प्रदेश के किसी भाग में बिक्री न होने पाये?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बिक्री रोकने के बारे में मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के चौथाई पूर्वी क्षेत्र में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। फैजाबाद का कृषि विश्वविद्यालय है और वह भी अवध क्षेत्र का एक भाग है। पूर्वी क्षेत्र में लोकनारायण जय प्रकाश

नारायण जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य मैनेजर सिंह जी ने कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही। यह सुझाव उनका अच्छा है लेकिन मैं उनको जानकारी करा दूं इस सम्बन्ध में एक कमेटी में विचार हुआ था, कई जगह से कृषि विश्वविद्यालय की मांग आ रही थी, लोग भूमि भी दे रहे थे। लेकिन अभी तीन विश्वविद्यालय पर्याप्त हैं और आगे जब कभी जरूरत होगी, विचार कर लिया जायगा।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, ऊसर की अधिकता से जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री जी, दोनों चिन्तित हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि. . .

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रश्नोत्तर का समय तो है नहीं, कब तक इस तरह का स्पष्टीकरण रहेगा?

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद, दो-तीन सवाल और उसके बाद नहीं।

श्री बाबू राम यादव–

तो मैं जानना चाहता हूं कि ऊसर के बारे

(व्यवधान)

में क्या कोई योजना विचाराधीन है?

श्री अधिष्ठाता–

इसको उन्होंने जवाब में दे दिया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली की ओर से 16 लाख रुपया नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय को दलहन और तिलहन पर अनुसंधान करने के लिए इस शर्त के साथ दिया था कि 4 वर्ष की योजना समाप्त होने के बाद अपने संसाधनों से इस योजना को आगे चालू रखेंगे। 16 लाख रुपया लिया विश्वविद्यालय ने, खर्च कर दिया लेकिन उसके बाद, उन विभागों को बन्द कर दिया। तो जो दलहन और तिलहन पर अनुसंधान का काम है, नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय में, इस देश और प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए, क्या माननीय मंत्री जी इन विभागों को फिर से चलवाने का कष्ट करेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, इस पर आप विचार कर लें।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने फसलों के बीमा की योजना में गेहूं, धान की बात कही, तो फर्रुखाबाद में जैसा उन्होंने बताया विगत वर्ष 11 लाख मी0टन आलू हुआ, वह वहां की मुख्य फसल है, तो या तो गवर्नमेन्ट पर्चेस करके उसे बाहर भेज दे या कोल्ड स्टोरेज में रख दें, उसमें दाम नहीं बढ़ने दिया, 19 था और वही रखा गया, लेकिन जो नये लोग कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते थे, चूंकि अमोनिया गैस की कीमत बढ़ रही है, लागत मूल्य बढ़ा है, सीमेन्ट के दाम बढ़ रहे हैं, (7 बजकर 20 मिनट) मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां के आलू काश्तकार को बरबादी से बचाने के लिये क्या वह फसल बीमा योजना में आलू को भी सम्मिलित करेंगे? यदि नहीं, तो नये कोल्ड स्टोरेज का बनना बन्द न हो और आलू बेस्ट इण्डस्ट्री को एनकरेजमेंट मिलता रहे, इसके लिये क्या बिजली और जो मैटीरियल सप्लाई होता है, उसके लिये सबसिडी देंगे?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, इस पर विचार कर आप निर्णय ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9-कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9-कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,80,99,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले पव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,01,,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53-विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54-विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त

1,82,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59-संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 में 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से एक सूचना जो श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की प्रदेश भर में नजूल तथा अन्य सरकारी भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में है, इसको स्वीकार किया गया है। दूसरी सूचना जो कि श्री हर्ष वर्धन जी की है कि बस्ती में खलीलाबाद तथा बाल्टर गंज तथा गोरखपुर में सिसवां की चीनी मिलें बन्द करने की घोषणा के सम्बन्ध में, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है, शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

इन्द्रा नगर, लखनऊ में उप डाकपाल श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी की हत्या एवं लूट के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-8-85 को श्री शाहिद हुसैन, जो इन्दिरा नगर पोस्ट आफिस, थाना गाजीपुर लखनऊ में पैकर का कार्य करते हैं, ने थाने पर लिखित सूचना दी कि जब वह उप डाक पाल श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी के साथ इन्दिरा नगर पोस्ट आफिस में कार्य कर रहे थे तो लगभग 2-15 बजे दिन दो व्यक्ति आये और दरवाजे में धक्का मार कर कमरे में आ गये। उन्होंने दो लिफाफे मांगे तथा दस रुपये का एक नोट दिया। श्री शाहिद जैसे ही रुपये लौटाने के लिए बाक्स खोलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनकी पीठ पर व दूसरे ने उप डाकपाल श्री त्रिपाठी के सीने पर देशी पिस्तौल लगाकर कैश बाक्स से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रुपया निकालने लगे और धमकी दी कि शोर मचाने पर जान से मार देंगे। कैश निकालने वाला व्यक्ति जब भागने लगा तो श्री त्रिपाठी से छीना झपटी हुई तथा अभियुक्त ने श्री त्रिपाठी के सीने में गोली मार दी जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण लगभग 13,000 रुपया लेकर भाग गये।

इस सूचना के आधार पर थाना गाजीपुर में अ0सं0 233/85 अंतर्गत धारा 302/394 भा0दं0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त रन्तिदेव यादव एवं प्रमोद कुमार कश्यप को दिनांक 4-8-85 को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उनके पास से कुल 690 रुपया नकद बरामद हुआ। घटना में प्रयुक्त दो देशी पिस्तौल व 12 बोर के 7 कारतूस, तीन कारतूस अन्य बोर के अभियुक्त रन्तिदेव के घर से बरामद हुये। दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुये बताया कि घटना में 3 व्यक्ति शामिल थे। अपराध करते समय अभियुक्त रन्तिदेव उर्फ लालू स्कूटर का इंजन चालू रखे था तथा हत्या व धन लूटकर बाहर आकर प्रमोद व पंकज स्कूटर पर बैठकर घटना स्थल से भाग गये। अभियुक्त पंकज दिनांक 6-8-85 को न्यायालय में हाजिर हुआ और जेल भेजा गया। इस घटना में प्रयुक्त स्कूटर दिनांक 4-6-85 को थाना महानगर में छीना गया था, जिसका मु0 अ0 सं0 209/85 धारा 392 भा0दं0वि0 थाना महानगर लखनऊ में पंजीकृत है। उक्त स्कूटर दिनांक 6-8-85 को अभियुक्त पंकज के जनपद प्रतापगढ़ में स्थित स्थाई निवास से बरामद हुआ। इस घटना में लूटी गयी शेष सम्पत्ति बरामद करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों की शिनाख्त की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् आरोप पत्र प्रेषित किया जायेगा। यह सही नहीं है कि इस घटना से सारे शहर में भय व आतंक व्याप्त हो गया है।]

श्री किरन पाल सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मृतक है उनके परिवार के लिये सरकार से कोई सहायता की घोषणा की गयी है ? यदि नहीं, की गयी है तो कब तक उसे सहायता देने की घोषणा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मृतक के परिवार को पांच हजार रुपए की धनराशि स्वीकृत भी की जा चुकी है और उसे दिया भी जा चुका है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आये दिन इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहती हैं, बैंकों की लूटपाट होती रहती है और इस प्रकार की हत्या की घटनाएं होती रहती हैं तो क्या इनके रोकथाम के लिये कोई स्थायी तौर पर व्यवस्था की गयी है?

श्री हुकुम सिंह–

इसका उत्तर तो यही है कि सदैव व्यवस्था होती रहती है, इस पर भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री किरन पाल सिंह–

कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था करने की बात की है ? इतनी बड़ी घटनायें हो जाती हैं, आदमी मर जाता है धन अलग लूट लिया जाता है तो इसके लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह व्यवस्था की जा रही है कि ऐसी घटनायें न हों ।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी के अंतर्गत ग्राम अब्दुलपुर के श्री सुखवीर सिंह की पुत्री कुमारी ओमवती के साथ कथित बलात्कार और हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय । (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 6-7-85 को श्री सुखवीर सिंह, निवासी ग्राम अब्दुलपुर ने थाना पुरकाजी पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 6-7-85 को लगभग 12.30 बजे दिन में जब उसकी पुत्री कु0 ओमवती, श्री जसवीर के खेत में घास काट रही थी तभी उसके गांव के आत्माराम, उसका दामाद शीशपाल तथा लीला, पुत्र मुक्खा व विनेश, पुत्र जसवीर त्यागी आये । उसकी लड़की को पकड़ लिया । लड़की के शोर मचाने पर गांव के श्री महावीर व अन्य तीन व्यक्ति मौके पर पहुंचे । उन्होंने देखा कि लड़की को उक्त व्यक्तियों ने जमीन पर गिरा रखा था और लड़की छुड़ाने की कोशिश कर रही थी । आत्माराम खुरपे का बेंटा लड़की के पेट पर मार रहा था और दिनेश दराती से लड़की का गला काट रहा था । शोर पर तथा वादी तथा गवाहों को देखकर अभियुक्त भाग गये । दराती तथा अभियुक्तों में से किसी की चप्पल मौके पर रह गई ।

2–उक्त सूचना के आधार पर, थाना पुरकाजी पर दिनांक 6-7-85 को धारा 302 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया । शवोच्छेदन से मृत्यु, मृत्युपूर्व आयीं चोटों और रक्तस्राव से होनी पायी गयी । शवोच्छेदन और पैथोलाजिकल परीक्षण से बलात्कार की पुष्टि नहीं हो सकी । प्रथम सूचना में भी बलात्कार का उल्लेख नहीं है ।

3–प्रश्नगत् हत्या के तीन अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। शेष एक अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई । फलस्वरूप उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जेल भेजा गया ।

4–घटनास्थल का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा चुका है । श्री सुखवीर सिंह व उसके परिवारवालों की सुरक्षा हेतु उसके घर पर सशस्त्र गार्द व पुलिस तैनात है ।

5–जांच से थानाध्यक्ष, पुरकाजी तथा वहां की पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं ।]

श्री राम सरन–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तीन मुलजिम जो पहले पकड़े गये और कुछ बाद में पकड़े गये तो इनके पकड़े जाने की तारीखें कौन-कौन सी थीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आत्माराम 7-7-85 को गिरफ्तार हुआ । शशिपाल 14-7-85

नोट: [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को तथा दिनेश त्यागी 14-7-85 को गिरफ्तार किया गया। इन पर 15-7-85 को कार्यवाही हुई और 26-7-85 को मामला न्यायालय में पेश हुआ ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

वक्तव्य में बताया गया है कि एक अभियुक्त की चप्पल घटनास्थल पर छूट गयी और वह बरामद भी हो गयी । जो अपराधी की चप्पल घटनास्थल पर रह गयी वह साक्ष्य के लिये एक आवश्यक प्रमाण हो सकती है । जिस अभियुक्त की चप्पल छूट गयी थी क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है, उसको पुलिस रिमाण्ड पर रखा गया है या नहीं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि तफतीश चल रही है, चार्जशीट नहीं सबमिट हुई है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट से सम्बन्धित मंत्री जी ने इसमें लिखा है कि आपने इसमें शवोच्छेदन और पैथालोजी परीक्षण के लिए भेज दिया गया और बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी बलात्कार का उल्लेख नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि थाने में रिपोर्ट लिखते समय थानेदार को यह कैसे पता लग गया कि बलात्कार हुआ है या नहीं । थानेदार कोई डाक्टर तो है नहीं जो यह बता सके । तो मेरा कहना है कि इसकी जांच तो आप करा ही रहे हैं । आपके स्टेटमेंट में यह सही बात नहीं मालूम पड़ती, आपने यह लिखा है कि थानेदार ने यह सूचना दी कि रिपोर्ट में बलात्कार नहीं हुआ है, मेरा आरोप था कि बलात्कार हुआ है । आपका जो स्टेटमेंट है उससे तो मैं संतुष्ट हूं नहीं बिलकुल। इसका स्पष्टीकरण दे दें कि दरोगा ने ऐसा क्यों किया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, हमारे सम्मानित इतने वरिष्ठ सदस्य हैं त्रिलोक चन्द्र जी, कि उनकी बात का प्रतिवाद करना हमारी और उनकी दोनों की गरिमा के विपरीत है । श्रीमन्, यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट मृतक के पिता ने दर्ज करायी और उसमें रिपोर्ट में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया कि मृतक के साथ बलात्कार किया गया था। इसके अलावा जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो वह लड़की जिसकी उम्र 18 साल की थी और यह प्रश्न पूछा जा सकता था । डाक्टर ने भी इस बात का प्रयास किया और वहां पर कोई सीमन आदि तक नहीं मिला । पैथालोजी से भी परीक्षण किया गया कोई सीमन वगैरह नहीं मिला, इन सब बातों से ज्ञात हुआ ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, जिसका बाप जिन्दा है, उसको हरामी कहते नहीं । मान्यवर, वहां के विधायक मौजूद हैं, जिसके सामने रिपोर्ट लिखी गयी, सारा किस्सा उनको पता है । सौदाई साहब कह दें कि वहां बलात्कार नहीं हुआ, इस की घटना नहीं हुई तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, केस वापस लेने या न लेने की कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता–

अगर वह बोलना चाहे तो बोल

सकते हैं, माननीय मंत्री जी कहां बोल रहे हैं ?

श्री राम सरन–

मान्यवर, फूल सिंह सौदाई मौजूद हैं, माननीय मंत्री जी से कह दीजिए बैठ जायं और उनको पुकार लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पेशे से भी वकील हैं और सरकार के भी वकील हैं, तो सौदाई साहब से पूंछ लें, सब मालूम हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कुंवर रेवती रमण जी यह सरकार का बयान है, जरा सुनिये ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या किसी माननीय सदस्य को बाध्य किया जा सकता है कि वह बयान दें ?

श्री अधिष्ठाता–

यह जो बयान यहां आया है, यह शासन की तरफ से आया है । केवल नियमों से स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ही प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी माननीय सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर वह बोलना चाहें तो समय मिलेगा लेकिन वह बोल नहीं रहे हैं सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी जबाब दे रहे हैं।

श्री राम सरन–

उनके क्षेत्र का मामला है और वह कुछ कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप उनसे पूंछ लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

किसी भी मा0 सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है । अगर वह खड़े होंगे तो उनको बोलने के लिये मौका दूंगा। अगर नहीं खड़े होंगे तो मैं बाध्य नहीं करूंगा ।

श्री राम सरन–

किसी सदस्य को इनकार भी नहीं किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

अगर वह उठेंगे तो मैं उनको सुन लूंगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बलात्कार की घटना से इनकार किया है । तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब जो विवेचना आयी है, उससे क्या जानकारी मिली है, अगर बलात्कार नहीं हुआ है, तो हत्या का क्या मोटिव था ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो तफतीश में आया है, वह यह है कि दो हरिजन परिवार हैं । मृतक भी हरिजन है और एक को छोड़कर सभी अभियुक्त भी हरिजन हैं । घटना एक वर्ष पूर्व की है, मुलजिमान हरिजनों की लड़की घर से भाग गयी थी, उसी के सम्बन्ध में दोनों परिवारों से मनमुटाव था और इसी कारण घटना घटित हुई और तफतीश में आया है कि चारों अभियुक्तों को मारते हुए देखा गया है, दिन का समय था और दिन का वाकया है । लड़की चिल्लाती रही चश्मदीद गवाह हैं और दो घन्टे के बाद एफ0 आई0 आर0 लिखा दी गयी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि क्या सरकार को जानकारी है कि उस क्षेत्र के विधायक श्री सौदाई जी जो इस विधान सभा के सदस्य

है क्या इस वाक्या के संबंध में पुलिस अधिकारियों से मिलने गये थे और जो घटना हुई क्या उसके सम्बन्ध में उन्होंने कोई पत्र सरकार को लिखा है, अगर लिखा है तो क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह क्या है, मा0 सदस्य स्वयं भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे पूंछ लें, उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वही प्रश्न फिर उठा रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यदि सरकार को पत्र लिखा है, तो क्या वह उनको प्राप्त हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय मंत्री जी से पुछवा लूंगा।

*श्री हुकुम सिंह–

मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि जो प्रश्न माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने पूछा है वह हमारे सदन के सबसे विद्वान सदस्य हैं, पूछते रहते हैं । वास्तव में कभी-कभी आते हैं ऐसे लोग भी। 2/3 बातें उन्होंने कहीं और शंका व्यक्त की । मैं उनकी शंका का समाधान करना चाहता हूं। यह निःसन्देह एक दुखद घटना है । लेकिन जहां मारने वालों में खुद उनके दामाद शामिल हों । वह दोनों नामजद हैं-आत्माराम और उसका दामाद-शीशपाल । अगर बलात्कार की घटना होगी भी तो वह खुद और उसका दामाद इसमें शरीक नहीं होंगे । इस तरह से हम किसी लड़की के बारे में यह कहने लगें कि उसके साथ बलात्कार हुआ तो ठीक बात नहीं है । उसमें छिपाने की बात नहीं है । 302 का मुकदमा चल रहा है । जो अभियुक्त थे वे पकड़े गये हैं ।

माननीय राम सरन जी एक विद्वान सदस्य हैं और वरिष्ठ हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कहीं-कहीं ऐसे जघन्य अपराध में भी कुछ लोग स्थानीय स्तर पर राजनीति चलाना चाहते हैं जैसे वहां पर कुछ लोगों ने चलाया। दरोगा ने कहा कि उसका खुद का लिखा हुआ नहीं है । बाप का खुद का अंगूठा लगाया हुआ है । माननीय राम सरन जी का तो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है । वह तो मुजफ्फर नगर और बरेली तक देखते हैं । इसमें माननीय राम सरन जी, परेशान होने की बात नहीं है । आपके सहारनपुर के कुछ लोग हैं । वहां पर वे लोग आये भी । हमने उस दरोगा से हटाकर दूसरे हरिजन इन्सपेक्टर को इस मामले को दिया । जब उन पर भी विश्वास नहीं हुआ तो तीसरे हरिजन इंसपेक्टर को दे दिया। जो भी दोषी पाया जायेगा और निर्णय होगा उस पर अवश्य कार्यवाही होगी और उसको देख लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब इसमें काफी सवाल हो गये ।

अब हम उठते हैं और कल सुबह 10 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायं 7 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
16 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

माननीय ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

महोदय,

आपके आगमन से क्षेत्रीय जनता को अपार हर्ष है। आप एक सच्चे ईमानदार देश भक्त भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र हैं। आप पर क्षेत्रीय ग्रामीण भाइयों का पूरा विश्वास है कि आपके सब स्टेशन के उद्घाटन से बिजली का महान संकट दूर होगा।

यह क्षेत्र आलू का है आलू की खेती में किसान अपनी समस्त पूंजी खो बैठा क्योंकि उसको लागत मूल्य भी नहीं मिला, मुनाफा तो दूर रहा।

आलू का सीजन समाप्त होने के उपरान्त किसान ने अपना घाटा पूरा करने के लिये गेहूं बो दिये वह भी बिजली के न आने पर बरबाद हो गये। जबकि 80 प्रतिशत किसान आज भारत सरकार का कर्जी है कहां से कर्जा अदा करे। यही कारण है कि ग्राम हिलालपुर में 44 नलकूप बिजली के लगे थे आज उनकी संख्या केवल 4 ही है। बिजली का बिल हर महीने देना ही है कहां से अदा करे। सरकार के बिजली के खम्भे ही शोभा बढ़ा रहे हैं। धीरे-धीरे सभी किसान कनेक्शन कटवाते जा रहे हैं। उसका यही कारण है कि किसान को बिना भोजन मिले उसका बिल चुकाना पड़ता है।

जिस होटल मालिक को बगैर भोजन खिलाये पैसे मिल जायं तो वह खाना क्यों देगा। यही कारण है कि बिजली आपकी पवित्र घोषणा के बाद कि सात घन्टे किसानों को बिजली दी जायेगी। वह सब बेकार साबित हुई अभी समाचार पत्र में जरूर पढ़ने को मिलेगा कि विद्युत विभाग ने अपने चार्ट पर सात घन्टे बिजली चढ़ाकर किसानों को मूर्ख बनाया गया। बिजली दो या तीन घन्टे से ज्यादा कभी नहीं आयी।

सब स्टेशन अरैल जनता के लाखों रुपयों का टैक्स बदवार किया गया जिससे लाखों रुपयों की मशीनें फिट हैं। वह आर0 सी0 सी0 का लिन्टर जो बरसात में पानी देता है और अब 61 हजार रुपयों का कुंआ बनाने का ठेका दिया गया है जो 25 हजार में ही बन कर तैयार हो जायेगा। सिर्फ इतने ही पैसे से तो पेय जल और टंकी निर्मित हो सकती है। अगर बाहर सड़क पर नल लगा दिया जाय तो लाखों नर नारियों की प्यास को बुझा सकेगा। चन्द कर्मचारियों के लिये 61 हजार रुपया और ग्रामीण भाइयों के लिये आपकी सरकार मात्र पांच हजार रुपये कुआं निर्माण हेतु प्रदान करती है। यह ग्रामीणों के साथ मजाक है। जबकि दूसरे पत्र में आप बारह गुना पैसे प्रदान कर रहे हैं।

अस्तु आपसे प्रार्थना है कि कुआं बन्द करके टंकी बनवाई जाय। और नल बाहर सड़क पर लगा दिये जायं जैसा कि कन्नौज सब स्टेशन पर लगा है। महान दया होगी।

निवेदक,
प्रभू दयाल आर्य ता0 7-4-85
अध्यक्ष, किसान कामगार समिति, बिल्हौर,
कानपुर (देहात)

ज्ञापन पर की गयी कार्यवाही का विवरण

सरकार की घोषणा के अनुरूप इस क्षेत्र में औसतन 6/7 घन्टे बिजली उपलब्ध कराई गयी। यह क्षेत्र बिल्हौर बिजली घर से सप्लाई पाता था बिल्हौर से निकलने वाली 11 के0वी0 की लाइनें लम्बी थी और उन पर अधिक लोड़ हो गया था। इस स्थिति को सुधारने हेतु ही अरौल बिजली घर की स्थापना की गयी। बिजली घर की छत का लिन्टर पानी देता है यह सत्य नहीं है।

बिजली घर की कालोनी के लिये समुचित पानी की व्यवस्था करने हेतु कुआं बनाने के लिये निविदायें प्राप्त की गयी थी किन्तु उन पर निर्णय नहीं हो पाया। बिजली घर के निमित्त की गई पानी की व्यवस्था को जनता के सार्वजनिक नल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिजली घर की सीमा वर्जित स्थान होता है।

———

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

विकास खण्ड का नाम	वितरित ऋण की धनराशि
	(रुपयों में)
1—पौड़ी	24,17,600
2—चौन्दकोट	45,75,050
3—जयहरी खाल	60,27,250
4—ढांग	45,71,850
5—यमकेश्वर	38,82,190
6—दुग्गड़ा	66,35,610
7—खिर्स	15,35,260
8—थैलीसैण	41,24,750
9—बीरोखाल	40,87,890
10—नैनीडांडा	14,40,900
11—केल्जीखाल	70,50,170
12— रिखड़ी खाल	57,67,300
13—पावो	49,36,630
14—पोखड़ा	27,25,260
15—कोट	56,15,700

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)
परिशिष्ट "क"

संस्थाओं की सूची जिनमें प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी के सदस्य हरिजन हैं

क्रमांक	नाम जनपद	संस्था का नाम	नाम पद जिसपर नियुक्त हैं
1	2	3	4
		आगरा मण्डल	
1	मैनपुरी	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मैनपुरी।	प्रशासक (सरकारी)
2	अलीगढ़	जिला सहकारी संघ लिमिटेड, अलीगढ़।	प्रशासक (सरकारी)
3	मैनपुरी	केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, मैनपुरी	प्रशासक (गैर सरकारी)
4	अलीगढ़	केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, अलीगढ़।	प्रशासक (सरकारी)
		इलाहाबाद मण्डल	
5	इलाहाबाद	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद।	प्रशासक कमेटी के सदस्य (गैर सरकारी)
6	कानपुर	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर।	प्रशासक कमेटी के सदस्य (गैर सरकारी)
		मुरादाबाद मण्डल	
7	मुरादाबाद	जिला सहकारी बैंक लि0, मुरादाबाद	प्रशासक कमेटी के सदस्य (गैर सरकारी)
8	मुरादाबाद	जिला सहकारी संघ लि0, मुरादाबाद	प्रशासक (सरकारी)
		बरेली मण्डल	
9	पीलीभीत	केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, पीलीभीत।	प्रशासक (सरकारी)
10	पीलीभीत	जिला सहकारी संघ लिमिटेड, पीलीभीत।	प्रशासक (सरकारी)

1	2	3	4
11	बरेली	केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, बरेली ।	प्रशासक क्षेत्रीय सहायक निबन्धक, बरेली दो जगह प्रशासक नियुक्त हैं ।
		मेरठ मण्डल	
12	मुजफ्फरनगर	जिला सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरनगर ।	प्रशासक (गैर सरकारी)
		फैजाबाद मण्डल	
13	फैजाबाद	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, फैजाबाद ।	प्रशासक समिति के दो सदस्य (गैर सरकारी)
14	फैजाबाद	जिला सहकारी संघ लिमिटेड, फैजाबाद ।	प्रशासक कमेटी के सदस्य (गैर सरकारी)

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 243 वि0 सभा–(408)–1986–813 ।